अष्टम माला, खंड 17, अंक 42

मंगलवार 29 अप्रैल, 1986
9 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 17 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 42, मंगलवार, 29 अप्रैल, 1986/9 वैशाख, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	846, 848, 849, 851 और 853 से 857	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	847, 850, 852 और 858 से 866	20-27
अतारांकित प्रश्न संख्या :	8105 से 8118, 8120 से 4158 8160 से 8174, 8176, 8178 से 8323 और 8325 से 8336	27-200
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1		201
सभा पटल पर रखे गए पत्र		204-207
लोक-लेखा समिति		
42वां 43वां, 44वां, 45वां तथा 46वां प्रतिवेदन		208
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
7वां और 9वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		208
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति		
13वां तथा 16वां प्रतिवेदन		209
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति		
8वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		209-210

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 210-215

(एक) केरल में पालघाट में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक स्विचिंग फेक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी. एस. विजयराघवन 210-211

(दो) उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशन पर नीलांचल और न्यू नीलांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रुकवाने की व्यवस्था करने की मांग

श्री अनादि चरण दास 211-212

(तीन) उड़ीसा में ब्रजराजनगर और तालचेर में वायु और जल प्रदूषण निवारण के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 212

(चार) कानपुर के निकट बिठूर कस्बे को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी 212-213

(पांच) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में आवश्यक संशोधन करने की मांग

श्री राम प्यारे पनिका 213

(छह) उड़ीसा की विद्युत आवश्यकतायें पूरी करने के लिए अन्तर्राज्यीय दुर्गापुर-जमशेदपुर 400 किलोवाट लाइन का कार्य पूरा करने की मांग

श्रीमती जयन्ती पटनायक 213-214

(सात) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नौकरी से हटाये जा रहे योग शिक्षकों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता

डा. सुधीर राय 214

(आठ) सिक्किम राज्य में बीमा सेवा का प्रसार करने की मांग

श्रीमती डी. के. भंडारी 214-215

आय (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 215-251

श्री पी. शिवशंकर 215-250

डा. जी. विजय रामाराव 216

श्री विपिन पाल दास 217-220

श्री अजय विश्वास 220-222

प्रो. पी. जे. कुरियन 223-226

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 226-229

श्री पीयूष तिरकी 229-231

श्री संतोष मोहन देव 232-234

डा. गौरी शंकर राजहंस 234-236

श्री पी. कुलनदईवेलू 236-238

श्री गिरधारी लाल व्यास 238-241

श्री भद्रेश्वर तांती 241-242

श्री विजय कुमार यादव 242-243

श्री अमर राय प्रधान 243-244

खंड 2 से 4 तथा 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. शिव शंकर 251

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) विधेयक 251-285

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बसंत साठे 251-283

श्री जी. भूपति 253-255

श्री दामोदर पांडे 255-258

श्रीमती जयंती पटनायक 258-261

श्री वसुदेव आचार्य 261-264

डा. फूलरेणु गुहा 264-265

श्री सोमनाथ रथ 265-267

श्री राज कुमार राय 268-270

श्रीमती गीता मुखर्जी 270-271

श्री राम प्यारे पनिका 271-273

श्री ए. सी. षण्मुख 273-275

श्री मूल चन्द डागा 275-276

श्री शांति धारीवाल 276-277

खंड 2 से 8 तथा 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री वसन्त साठे 383-285

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 283-284

श्री दामोदर पांडे 284-285

"एड्स" को नियन्त्रित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में वक्तव्य

श्रीमती मोहसिना किदवई 285-286

लोक सभा

मंगलवार, 29 अप्रैल, 1986/9 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बिहार और महाराष्ट्र में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

*846. **डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम का देश के विभिन्न भागों में अपनी कुछ परियोजनायें शीघ्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का विवरण क्या है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बिहार और महाराष्ट्र में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (घ) संसाधन सम्बन्धी बाधाओं के कारण, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारतीय सीमेंट निगम का बिहार और महाराष्ट्र सहित देश के किसी भी भाग में किसी नई परियोजनाओं को हाथ में लेने का विचार नहीं है। निगम के सातवीं योजना कार्यक्रम में केवल "चल रही" योजनाओं को पूरा करने और अपने कुछ संयंत्रों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने की व्यवस्था है। आन्ध्र प्रदेश में इसके 10 लाख मी. टन क्षमता काले तंदूर सीमेंट संयंत्र के जून, 1986 में चालू हो जाने की आशा है।

डा. गौरी शंकर राजहंस : हम सीमेंट का आयात कर रहे हैं जिसका मतलब यह है कि

यहां सीमेंट की कमी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और बिहार में सीमेंट संयंत्र स्थापित करवायेंगे क्योंकि वहां चूना पत्थर और कोयले की कमी नहीं है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : माननीय सदस्य को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि हमने सीमेंट का आयात नहीं किया है और हमने सीमेंट के आयात के लिए बजट में विदेशी मुद्रा का प्रावधान नहीं रखा है क्योंकि सीमेंट के मूल्य पहले से ही कम किए जा रहे हैं तथा मार्च, 1986 तक लगभग 330 लाख टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है। जहां तक इसकी क्षमता बढ़ाने का संबंध है, हमारी पहले ही लगभग 440 लाख टन की क्षमता है जो पूरी की गई है। हम आशा करते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह क्षमता बढ़कर 500 लाख टन अथवा इससे अधिक हो जाएगी। जहां तक बिहार में सीमेंट संयंत्र के निर्माण का प्रश्न है, सीमेंट संयंत्रों की स्थापना केवल सीमेंट निगम ही नहीं कर सकता है बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र भी इनकी स्थापना कर सकते हैं। हमने जापला-पालामऊ के लिए 3,30,000 टन की क्षमता के लिए सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट को विस्तार औद्योगिक लाइसेंस पहले ही दे दिया है।

डा गौरी शंकर राजहंस : महोदय, रोहतास उद्योग का सीमेंट संयन्त्र एशिया में उत्तम संयंत्रों में से एक है। यह कुछ समय से बन्द है। क्या माननीय मन्त्री इसे नियंत्रण में लेने पर विचार करेंगे ? और जापला संयन्त्र को भी।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, यद्यपि मुझे इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर देने हेतु नोटिस की जरूरत पड़ेगी किन्तु सामान्य रूप से मैं माननीय सदस्य को इसका उल्लेख करूंगा कि रोहतास कई मिलों का एक भाग है। रोहतास मिलों का काम्पलेक्स है। वे केवल सीमेंट ही नहीं, बल्कि कपड़ा, चीनी, वनस्पति, कागज और अन्य चीजों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इस सारे पैकेज पर बिहार सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको पैकेज सौदा बताना चाहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यदि मैं चाह सकता। किन्तु इस मामले पर वित्त मंत्रालय, बिहार सरकार, वित्तीय संस्थाओं और मिलों के मालिकों के बीच विस्तार से परामर्श चल रहा है।

श्री वाई. एस. महाजन : महोदय, उत्तर में कहा गया है कि कुछ मिलों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है उन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है तथा उनका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय ने यह देखने के लिए कदम उठाए हैं कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : हां, मुख्य बात यह है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार में भी बिजली सप्लाई का अभाव रहा है। यह कुछ बड़े कारणों में से एक है। जो कदम उठाए जा रहे हैं वे हैं :— निगम 30 से 40 प्रतिशत तक बिजली की सामान्य सप्लाई की कमी पूरी करने हेतु पांच एककों अर्थात् मंधार, कुरकुटा, अकलतारा, नयागांव और चरखी दादरी में कुल 16.8 मे. वा. के डी. जी. सेट स्थापित कर रहा है। और डीजल जेनरेटिंग सेट भी स्थापित करने की योजना है। कोल इण्डिया लिमिटेड से कोयले की और सप्लाई प्राप्त करने हेतु भी प्रयास किए

जा रहे हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा सामग्री उठाने-धरने का अध्ययन किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रबन्ध नियंत्रण, लागत नियंत्रण, उत्पादन आयोजना, रखरखाव व्यवस्था, गुणवत्ता नियंत्रण, अन्वेषण नियंत्रण में सुधार लाने हेतु बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री सी. माधव रेड्डी : महोदय, यह प्रश्न भारतीय सीमेंट निगम से संबंधित है। मैं उन सभी चालू परियोजनाओं के नाम जानना चाहता हूं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सीमेंट के निर्माण हेतु पहले से तैयार की गई कोई अतिरिक्त क्षमता है और क्या भारत सरकार ने पहले ही इस उद्योग को पुनः लाइसेंस देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, चालू परियोजनायें हैं : तंदूर, जिसका उल्लेख मैंने अपने मुख्य उत्तर में किया है। यह दस लाख मी. टन क्षमता का संयंत्र है जो आन्ध्र प्रदेश में तंदूर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद नयागांव विस्तार परियोजना है जिसके पिसाई एकक दिल्ली और भटिण्डा में विभक्त हैं। यह भी प्रतिवर्ष 10 लाख मी. टन क्षमता का संयंत्र है। यह नयागांव, मंदसौर जिला में कार्यान्वयन की अग्रिम स्थिति में है। दिल्ली में उनका पिसाई एकक ही विचाराधीन है और सरकारी निवेश बोर्ड के लिए 173 करोड़ रुपए का प्राक्कलन करने का विचार किया जा रहा है। दिल्ली एकक के लिए स्थान और पर्यावरण संबंधी बातें विचाराधीन हैं। दूसरी विस्तार परियोजना का प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में येरागुंटला के संबंध में है। यह भी दस लाख मी. टन क्षमता का संयंत्र है। यह दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लिमिटेड है यह पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्दवान जिले में बर्नपुर में स्लैग कणीकरण सयंत्र स्थापित करने का विचार है। फिर मंधार संशोधन एवं विस्तारण सयंत्र····· (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : ओह ! यह तो लम्बी सूची है। इसे सभा पटल पर रखिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : माननीय मंत्री जी ने बड़ी कृपा पूर्वक बताया कि फाइनेंशियल कंसट्रेंट्स हैं इसलिए प्राइवेट सेक्टर में लेने में हमें कोई एतराज नहीं होगा। मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग दूसरे देशों से हाई टेक्नोलोजी समझकर आये हैं और उन्होंने फाइनेंस कोर्पोरेशन को एप्लाई किया है और मामला वित्त मंत्री के यहां लम्बित है, अगर वह सीमेंट फेक्ट्रिज खोल देंगे तो बहुत अच्छी किस्म का सीमेंट देश को मिलने लगेगा, 30-35 रुपये प्रति बोरी। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी सीमेंट फेक्ट्रिज को प्राइवेट सेक्टर में खोलने वाले हैं। उनकी लिस्ट बनाकर वित मंत्री से बात करके यह काम करवायेंगे, मेरे दिमाग में सिंगोजा, सांगली में जो महाराष्ट्र में है···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया। जवाब देने दीजिए, आपने सजेशन दे दिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जैसा माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की व्यक्तिगत क्षेत्रों में सीमेंट प्रतिष्ठानों के लिए सहायता का प्रबन्ध किया जाए, यह सुझाव हम हर

तरह से मानेंगे, पहले भी चेष्टा होती रही है। मैं आभारी रहूंगा यदि माननीय सदस्य मुझे पूरा विवरण दे सकें, जो आपने सांगली के बारे में कहा है वह भी बतायें।

अध्यक्ष महोदय : विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा राजस्थान में बूंदी में सी. सी. आई. ने एक मिलियन टन का प्लांट लगाना था और उसी के कारण भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने बूंदी से चित्तौड़गढ़ तक मीटर गेज लाइन बनाने का काम जारी किया है जो कि मुख्य रूप से सी. सी. आई. के सीमेंट प्लांट जो एक मिलियन टन का है, लगने के कारण इस प्रोजेक्ट को रेल्वे ने एप्रूव किया था। अभी आपने जानकारी दी है इसमें सेवंथ प्लान में बूंदी का कहीं जिक्र नहीं है। आप यह बताने का कष्ट करें क्या सी. सी. आई. का सेवंथ प्लान में एक मिलियन टन का प्लांट लगाने जा रहे हैं या नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुझे अत्यन्त खेद है कि संसाधनिक कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं हो पा रहा है कि सातवीं योजना में हम इस परियोजना पर विचार कर सकें। लेकिन बूंदी का नाम अवश्य है और जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे हम बूंदी के लिए भी प्रयास करेंगे।

मध्य प्रदेश में कागज मिलों द्वारा नदियों के जल का प्रदूषण

*848. **डा. प्रभात कुमार मिश्र** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में कतिपय कागज मिलों द्वारा अरपा हसदों और नदियों का जल प्रदूषित किये जाने की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ब्रुक बांड मिल से स्रवित रंगीन संसाधित द्रव्यों से बिलासपुर जिले की अरपा नदी का पानी दूषित होता है। उद्योग को दी गई स्वीकृति रद्द कर दी गई है और यह मामला अपील प्राधिकरण में लम्बित पड़ा है। उद्योग को सलाह दी गई है कि स्रवित होने वाले संसाधित द्रव्यों को अरपा नदी में डलाने की बजाए सिचाई के काम में उपयोग किया जाए। मध्य भारत पेपर मिल से स्रवित होने वाले संसाधित रंगीन द्रव्य हसदेव नहीं में छोड़े जा रहे हैं। उद्योग को सलाह दी गई है कि वे स्रवित होने वाले द्रव्यों के संसाधन संयन्त्र को ठीक से चलाएं और उसका उचित रखरखाव करें। उन्हें बेकार पानी का उपयोग भूमि की सिचाई में करने की सलाह दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आदेश क्यों नहीं ? सलाह ही क्यों ? उन्हें यह करने का आदेश दें।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : अच्छा, श्रीमन्।

[हिन्दी]

डा. प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष जी, वही बात मैं आपसे कहने जा रहा था। आप कृपि

पण्डित हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिस कारखाने के जल से नदी का जल दूषित हो रहा है जिसमें हाई पर्सेन्टेज आफ क्लोरिन एण्ड कास्टिक सोडा है। तो पौधों की ऐसी कौन-सी प्रजाति है जिससे इस जल से इनको सिंचित किया जाए और उनको सिंचित किया जाता है तो जमीन की उपजाऊ शक्ति पर क्या असर पड़ेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मैं सम्माननीय सदस्य की प्रखर बुद्धि और उनकी जानकारी है वहां के बारे में, इसका सम्पूर्ण सम्मान और आदर करता हूँ उनको अवश्य ही वहां के बारे में अधिक जानकारी होगी···

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रहार तो तीखा नहीं लगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : नहीं, नहीं। उनकी वाणी तो मधुर लगी।

श्री रामसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष का आर्डर हो गया तो उसकी पालना होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : रामसिंह जी आपने पुरानी कहावत नहीं पढ़ी...

[अनुवाद]

न करने का कोई कारण नहीं है, करो या मरो।

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जैसा मैंने उत्तर की प्रथम पंक्ति में कहा है, यह कार्य मध्य प्रदेश शासन को सम्पन्न करना है और जो भी सूचना यहां पर दी गई है, वह मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही दी गई है। श्रीमन्, आपने जो अभी अनुकम्पा की और टिप्पणी की, तथा माननीय सदस्य ने जो यहां सुझाव दिया, उसे भी, मैं मध्य प्रदेश शासन के पास तुरन्त कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दूंगा।

डा. प्रभात कुमार मिश्र : सर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : और कुछ नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में यानम में मृत्तिका कारखाने के लिए लाइसेंस

*849. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में काकिनाड़ा के निकट यानम में विदेशी सहयोग से मृत्तिका कारखाने की स्थापना करने के लिये लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के प्रमुख भागीदारों के नाम क्या हैं;

(ग) इस कारखाने के प्रमुख परामर्शदाता का विवरण क्या है; और

(घ) क्या सरकार किसी अन्य स्थान के लिये किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के यनाम नामक स्थान पर (आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा के निकट)

सिरेमिक टाइल संयंत्र की स्थापना करने के लिए मै. रीजेंसी सिरेमिक्स लिमिटेड को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है।

(ख) भारतीय कम्पनी और विदेशी सहयोगकर्त्ता मै. वेल्को इण्डस्ट्रियल, एस. पी. ए. इटली दो प्रमुख हिस्सेदार हैं जिनके पास कम्पनी की चुकता पूंजी की क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अंशधारित (इक्विटी) है।

(ग) अभी तक कम्पनी ने विदेशी मुख्य परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है।

(घ) सरकार को कम्पनी से ऐसा कोई प्रास्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री सी जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के "सी" भाग में बताया है कि अभी तक कम्पनी ने विदेशी मुख्य परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन मैंने तो यह पूछा ही नहीं था। मैंने तो केवल यह पूछा था कि :

[अनुवाद]

"इस कारखाने के लिये मुख्य परामर्शदाता का ब्यौरा"

[हिन्दी]

क्या हैं। इससे आपकी गिल्टी कान्शश का आभास मिलता है। क्यों आप इटली की फर्म को यह सारा काम सौंप देना चाहते हैं और इटली वाली फर्म से कोलैबोरेशन करके, उनकी टैक्निकल सहायता से इस कारखाने की स्थापना करना चाहते हैं। क्या आपने यह भी पता लगाने का प्रयत्न किया कि इण्डिया में इस क्षेत्र का टैक्निकल कन्सलटैंट उपलब्ध है या नहीं क्यों कि भारत देश में सिरेमिक इण्डस्ट्री का काफी विकास हो चुका है दुनिया के दूसरे देशों में यह टैक्नोलौजी जितनी विकसित हुई है उसी के माफिक भारत देश में भी विकसित हो चुकी है। फिर आप किसी विदेशी कम्पनी को 75 परसेंट शेयर देकर क्यों कोलैबोरेट करना चाहते हैं क्यों कि उत्तर के अनुसार विदेशी कम्पनी की इक्विटी 75 परसेंट और भारतीय कम्पनी की 25 परसेंट होगी।

श्री सी. माधव रेड्डी : यह तो हो ही नहीं सकता, किसी विदेशी कम्पनी की इक्विटी 25 परसेंटसे ज्यादा कैसे हो सकती है।

]अनुवाद]

श्री सी जंगा रेड्डी : इसमें बताया गया है :

"इस कम्पनी में भारतीय कम्पनी और विदेशी सहयोगकर्ता कम्पनी मै. वेल्को इण्डस्ट्रियले, एस.पी.ए., इटली दो प्रमुख भागीदार हैं जिनका इसकी प्रदत्त पूंजी में क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत इक्विटी है।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अब मैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए आऊंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह पूछिए कि यह डिस्क्रीमिनेशन क्यों है ।

श्री जंगा रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि उसे 25 परसेंट देने की भी क्या जरूरत है

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : कम्पनी ने विदेश मुख्य परामर्शदाता के लिए आज तक आवेदन नहीं किया है । तथापि, विदेशी सहयोग करार में विदेशी परामर्शदाता रखने हेतु मानक खण्ड हैं । यदि विदेशी परामर्श को अपरिहार्य माना जाता है तो किसी भारतीय परामर्शदात्री फर्म को मुख्य परामर्शदाता के रूप में रखना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री सी जंगा रेड्डी : मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है । मैंने प्रश्न के "सी" भाग में पूछा है कि इस फैक्टरी के चीफ कन्सलटैन्ट के पार्टिकूलर्स क्या हैं । उसका मतलब यही है और मैं जानना चाहता हूं कि 1980 से हम क्यों इटली के साथ कोलैबोरेशन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और ऐसी कौन सी टेकनोक उनके पास है, जिसकी वजह से हमें उनसे कोलैबोरेशन करना पड़ता है और क्या सिरैमिक इन्डस्ट्री में वह टैकनीक हमारे देश में विकसित नही हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्रीमन्, जहां सम्मानित सदस्य की इच्छा है कि हमें अपने देश में विकसित स्वदेशी टैक्नोलोजी का ही अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन यह जो इटली की कम्पनी है, वह ऊंची टैक्नोलोजी के लिए सारी दुनिया में मान्य है और सिरेमिक ग्लेज टाइल्स बनाने में विश्व-विख्यात है । उसकी अपनी टैक्नोलोजी के आधार पर लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है तथा जहां डबल भट्टियों में फायरिंग होती है, इसकी विधि के अनुसार एक ही भट्टी में कार्य हो सकता है । इसीलिए, नई टैक्नोलोजी को देखते हुए, उसे 25 परसेंट इक्विटी दी गई है ।

[अनुवाद]

तेल शोधनशालाओं के लिए कच्चे तेल का उत्पादन और आयात

*851. श्री अमर सिंह राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल शोधन-शालाओं को कच्चे तेल की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) तेल शोधनशालाओं को कच्चे तेल की सप्लाई हेतु देश में इसका अनुमानित उत्पादन कितना है; और

(ग) कच्चे तेल की कमी को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष कितनी मात्रा में इसका आयात करना पड़ता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) वर्ष 1987-87 में कच्चे तेल की अनुमानित मांग 44.94 मि.मी. टन की है ।

(ख) 1986-87 में कच्चे तेल का उत्पादन 30.21 मि मी. टन तक होने का अनुमान है ।

(ग) 1986-87 के लिए कच्चे तेल की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं का 15.6 मि.मी. टन तक होने का अनुमान है ।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मांग और खपत के ज्यादा होने के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इस मांग और खपत को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन से प्रोग्राम बनाए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो मंत्री जी ने बता दिया है। मंत्री जी ने आंकड़े देने थे, सो दे दिए हैं। आप और क्या जानना चाहते हैं ? मंत्री आप कुछ और इन्फार्मेशन देना चाहते हैं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैंने फैक्चुअल पोजीशन तो बता दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आंकड़े आपको दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अब माननीय सदस्य जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए मैंने आंकड़े दिए हैं। प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट के गैप को पूरा करने के लिए दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। पहले तो बढ़ती हुई मांग को भी कुछ कंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है दूसरी ओर प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास है और इसके लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे प्रोडक्शन सिस्टम को एनहांसमेंट करने और रिकवरी सिस्टम को एक्सप्लाइट करने के लिए दूसरे देशों से कलेबोरेशन की जा रही है, फारेन आयल कम्पनियों की मीटिंग की जा रही है। इन सभी प्रयासों से प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास चल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा पहले ही कई बार किया गया है। इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है। और कुछ नहीं।

श्री सुरली बेहरा : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वर्ष 1986-87 में हम 15.6 मिलियन कच्चे तेल का आयात करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्व बाजार में तेल के मूल्यों में जहां 10 डालर से अधिक गिरावट आई है, भारत सरकार कितनी विदेशी मुद्रा की बचत करेगी और क्या सरकार हमारे देश में तेल के भण्डार सुरक्षित रखने पर विचार कर रही है तथा उसके मूल्यों में वृद्धि होने के समय उसकी खोज करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा करने का प्रयास कर रहे है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर नकारात्मक है। इसके उत्पादन सुरक्षित रखने और आयात करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि हम पहले ही भुगतान संतुलन की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के गिरते हुए मूल्य के कारण हम कितना तेल बचा रहे हैं, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है हम इस कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही—जनवरी से मार्च तक 233 करोड़ रुपए का तेल बचाने में समर्थ हुए हैं, और हम नकद मूल्यों पर ही इसकी खरीद कर रहे हैं, यद्यपि हम ऐसे विभिन्न देशों के साथ परामर्श और बातचीत कर रहे हैं जो हमें तेल का निर्यात करते हैं और हम नकद मूल्यों अथवा बाजार से संबंधित मूल्यों पर इसकी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : समय-समय पर पेट्रोलियम संरक्षण संगठनों ने बहुत से सुझाव दिए हैं कि इस देश में पेट्रोलियम की बढ़ती हुई खपत को कैसे कम किया जाये। मेरा विश्वास है कि सरकार ने इन सिफारिशों के अनुसार कोई कदम नहीं उठाये हैं। यदि यह सही नहीं है तो क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोलियम के प्रयोग में मितव्यता बरतने अथवा इसको कम प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांगों को घटाने सम्बन्धी माननीय सदस्यों की चिंता की सराहना करता हूं। और मैंने सभा में पहले ही कहा है कि हम इस वृद्धि को कम करने के लिए एक व्यापक नीति बनाने के बारे में प्रयास कर रहे हैं। मैंने संबंधित मंत्रालयों के सभी सचिवों के साथ पहले ही दो बैठकें की थीं और अगली बैठक अगले महीने में होगी। मैं आशा करता हूं कि परियोजना पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हम मंत्रि-मंडल से अनुरोध करेंगे और इससे देश में पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग में कमी आयेगी।

(व्यवधान)

अपरम्परागत ऊर्जा के उत्पादन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी

*853. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपरम्परागत ऊर्जा के उत्पादन के लिए कुछ अन्य देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की कोशिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किन देशों ने इस प्रकार की आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की पेशकश की हैं; और

(घ) प्रस्तुत की गई ऐसी प्रत्येक प्रौद्योगिकी की प्रणालियां क्या हैं और उनके साथ क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री चिंतामणि जैना : श्रीमन्, क्या यह सच है कि रूस, अमरीका, ब्रिटेन और डेनमार्क जैसे देश अपम्परागत ऊर्जा के उत्पादन में मार्ग दर्शक हैं, यदि हां, तो क्या रूस ने पवन चक्की का एक बहुत ही किफायती और सस्ता ईगल माडल विकसित किया है जिसको बड़ी आसानी से चलाया जाता है और यह बहुत किफायती भी है ? इस प्रकार के मांडल की पवन चक्की हमारे देश में विशेषकर जब कि हमारा देश पूर्णरूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, लगाई जा सकती हैं। हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या खेती करती है और यदि इन पवन चक्कियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाये तो किसान इनको आसानी से चला सकते हैं और यह बहुत किफायती भी होंगीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे देश में इस प्रकार के माडल की पवन चक्कियां लगाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री बसन्त साठे : हम अपने देश के समुद्रतटीय क्षेत्र में पहले पवन चक्की फार्मों की स्थापना कर रहे हैं। दो पवन चक्की फार्म—एक तूतीकोरिन में और दूसरी गुजरात में—पहले

से ही सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तीन और पवन चक्कियां लगाने का विचार है और ऐसी किसी भी प्रौद्योगिकी, जो उन्नत और अच्छी किस्म की पवन चक्कियां लगाने में हमारी सहायक हो सकती है, हम हमेशा स्वागत करेंगे। हम हमेशा इनकी खोजबीन करते रहते हैं। हम इन पवन चक्कियों का खुद ही विकास कर रहे हैं। यह सुझाव बहुत ही स्वागत योग्य है : लेकिन माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित किसी भी देश ने इस संबंध में कोई नयी प्रौद्योगिकी को देने की हम से पेशकश नहीं की है। लेकिन हमें स्वयं इसकी तलाश है और हम केवल पवन चक्की के क्षेत्र में ही प्रौद्योगिकी का विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि ऊर्जा के सभी अपरम्परागत स्रोतों के सम्बन्ध में भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री चिंतामणि जेना : श्रीमन्, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि हमने पवन चक्कियों से आज कुल 16 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त की है। इसलिए इस सन्दर्भ में क्या मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की पवन चक्कियां तेजी से लगाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसका कारण यह है कि हमारे देश में कुल 400 पवन चक्कियां लगाई गई हैं। अतः क्या इस कार्य में तेजी लाने के लिये मंत्री महोदय का कोई कार्यक्रम है ?

श्री बसन्त साठे। हम यह जानते हैं कि देश में वायु की बहुत क्षमता है और हम इसका शीघ्र ही पूरा उपयोग करना चाहेंगे। लेकिन यह बस, उपलब्ध वायु की गति पर निर्भर करता हो और ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। हम निश्चय ही इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे देश में पवन चक्की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक बड़ा कार्य क्रम है।

श्री जी. जी. स्वैल : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमने देश में किसी स्थान पर मेग-नेटो हाड्रो डाइनामिक्स (चुम्बकीय जल ऊर्जा) के संबंध में कोई परीक्षण किया है और यदि हां, तो कहां, और उसके क्या परिणाम निकले हैं और उसकी संगणिक अर्थ क्षमता क्या है ?

श्री बसंत साठे : मेगनेटो हाइड्रो डिनामिक्स के सम्बन्ध में हमारे देश में एक प्राथमिक संयंत्र का परीक्षण किया जा रहा है। वह प्रौद्योगिकी आधुनिक है और इससे कोयले से सीधे ऊर्जा में बदलने में सहायता मिलती है।

श्री जी. जी. स्वैल : कहां ?

श्री बसन्त साठे : मुझे स्थान की जानकारी नहीं है। मैं ब्योरा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और उसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा। क्या यह मेघालय में है ?

श्री जी. जी. स्वैल : आप ऊर्जा मंत्री हैं।

श्री बसन्त साठे : मैं पता लगाऊंगा और सूचना प्राप्त करूंगा। प्रायोगिक संयंत्र त्रिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत का विकास एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमने विश्व के अनेक देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विनिमय के लिए करार किए हैं। इन करारों के अतिरिक्त हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिक के सम्बन्ध में एक समुक्त

आयोग है। इस समय इन संयुक्त आयोगों में प्रक्रिया यह है कि भारत या अन्य देशों में से प्रत्येक देश उन मामलों को प्रस्तुत करता है जिनके सम्बन्ध में वह सहयोग चाहते हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि इन संयुक्त आयोगों की भारी संख्या और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस देश के लिये उस मद को प्रस्तुत करने की छूट है जिसके सम्बन्ध में वे सहयोग चाहते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुये कर ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले हैं तब ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत के क्षेत्र में सहयोग के इस मामले को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में इन संयुक्त आयोगों में से किसी आयोग ने क्यों नहीं उठाया है ?

हिन्दी

श्री बसन्त साठे : जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा था अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग स्वदेश में ही प्रौद्योगिकी को ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोतों के सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है। और जहां कहीं हमें उस प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का पता लगता है हम कार्यवाही करते हैं। यह एक देश से दूसरे का मामला है। जब आप यह कहते हैं कि संयुक्त आयोगों में चर्चायें की जाती हैं। अब तक कोई देश आगे नहीं आया है और किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन हम पवन चक्की के लिए प्रौद्योगिकी का पता लगाने हेतु डेनमार्क जैसे विभिन्न देशों में गये हैं और उनके पास जो कुछ प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उसे हम प्राप्त करते हैं।

श्रीमती ऊषा ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या उसके संबंध में कोई विचार विमर्श किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे : यह भी विचाराधीन है।

डाक अभिकरणों के लिए लाइसेंस

*854. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय गैर सरकारी पक्षकारों को दिए जाने वाले डाक अभिकरणों के लाइसेंस अब केवल युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ही दिए जाते हैं;

(ख) यदि नहीं तो इसके लिए किन श्रेणियों के व्यक्ति पात्र हैं; और

(ग) केरल राज्य में कितने गैर सरकारी अभिकरण नियुक्त किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) (क) जी नहीं।

(ख) लाइसेंस शुदा डाक एजेंट प्रणाली में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों, एकाधिकार प्राप्त फर्मों, साझा कम्पनियों अथवा व्यक्ति विशेष को लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था है। धर्मार्थ, संस्थानों, महिला संघों, या सहकारी समितियों, युद्ध के दौरान मारे गये सैनिकों की विधवाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। इस

समय मुख्य रूप से संस्थानों, संघों समितियों तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी अन्य एजेंसियों को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

(ग) केरल राज्य में अब तक 23 लाइसेंस शुदा डाक एजेंटों को नियुक्त किया जा चुका है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह बात विशेष रूप से स्पष्ट है कि आजकल लाइसेंस मुख्यत: संस्थानों, एसोसिएशनों, समितियों और अन्य सामाजिक दृष्टि से उपयोगी एजेंसियों को जारी किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे केरल के ऐसे अनेक मामलों का पता है जहां कुछ निजी व्यक्तियों को ये एजेंसियां दी गई हैं और वे इन श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है इनमें से कुछ एजेंसियों को प्रतिमाह कमीशन के रूप में 10,000 से 15,000 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। यदि किसी विभागीय कर्मचारी को यह कार्य सौंपा जाता है तो मुझे विश्वास है कि विभागीय खर्च 2,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या डाक सेवाओं का गैर सरकारीकरण करने के लिए लिया गया निर्णय एक नीति निर्णय है या क्या यह पिछले वर्षों में संचार विभाग द्वारा अपनाई गई नीति से पृथक है जो हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी जन-उपयोगी सेवा है।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह सच है कि कुछ राज्यों में जब यह योजना हमारे अधिकारियों को भेजी गई थी तो कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था लेकिन उनमें से अधिकांश व्यक्ति विकलांक और इसी प्रकार के व्यक्ति हैं (व्यवधान) मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि पहले व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। जब हमें इसके बारे में पता लगा तो फिर हमने एक परिपत्र यह कहते हुये जारी किया कि एसोसिएशनों धमार्थ संस्थानों और इस प्रकार की अन्य संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, पूरे केरल राज्य में केवल 23 लाइसेंस प्राप्त डाक एजेन्ट हैं। वहां ऐसे अधिक व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं। कुछ छुटपुट मामले हो सकते हैं जैसा कि माननीय सदस्य का विचार है। अत: यह कोई ऐसी गम्भीर स्थिति नहीं है जैसा कि इसे बनाया गया है। इस योजना का प्रयोग के तौर पर परीक्षण किया गया है। यह एक नई योजना है। इस पर बहुत समय से विचार किया गया है। सेवा का गैर सरकारीकरण करने का कोई प्रश्न नहीं है।

एक ओर पदों के सृजन और डाक घर खोलने पर प्रतिबंध है और दूसरी ओर उन शहरी क्षेत्रों में, जहां नई-नई कालोनियां बन रही हैं, नए नए इलाके बन रहे हैं, इनकी भारी मांग है और हम उन्हें कोई सेवा प्रदान नहीं कर सके हैं। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखकर इस योजना की परिकल्पना की गई और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह डाक सेवाओं के विस्तार की समस्या को हल कर सकते हैं अथवा नहीं।

हमें यह भी पता चला है कि कुछ लोग बहुत धन कमा रहे हैं। ऐसे मामले एक या दो हैं ज्यादा नहीं। यहां भी हमने अपनी कमीशन की राशि को अधिक यथार्थपरक बनाया है। महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन को यह जानकारी देता हूं कि ऐजेन्टों द्वारा डाकघर से एक दिन में खरीदी गई डाक टिकटों और स्टेशनरी पर 3% कमीशन दिया जाता है। एक दिन में 1000/- रु. से ऊपर की खरीद पर इस दर को घटाकर 1.5% कर दिया गया है। पंजीकृत पत्रों

के लिए कुछ कमीशन रखा गया हैं। इसलिये, नई कमीशन दरों से किसी व्यक्ति को 10000/ रुपये अथवा अधिक राशि प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हजारों आर. टी. पी. कर्मचारी पिछले छह या सात वर्षों से अस्थाई आधार पर संचार विभाग में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं। ये आर. टी. पी. कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त और योग्य हैं और उन्हें योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है। दुर्भाग्यवश, इस विभाग में नियुक्ति पर प्रतिबंध होने के कारण इनमें भारी निराशा व्याप्त है। इसीलिये उनमें असुरक्षा की भावना भी पनप रही है। इस सम्बन्ध में क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि सरकार इन आर- टी. पी. कर्मचारियों को इस विभाग में इस कार्य के लिए स्थायी आधार पर नियुक्त करने पर विचार क्यों नहीं करती जो गैर सरकारी ऐजेंसियों को पहले ही सौंपे गए हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : उपयुक्त मामलों में अगर वे ऐजेंसियां लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अनुभव यही रहा है कि लोग निश्चित ही उनसे इस तरह काम लेंगे। परन्तु समस्त आर. टी. पी. कर्मचारियों को इनमें शामिल करने की समस्या बहुत पहले से चल रही है। इस प्रश्न का इस बात से सम्बन्ध नहीं है; परन्तु चूंकि इसे उठाया गया है, मैं आपकी अनुमति से यह कह सकता हूं कि हम इसके लिये उत्सुक हैं कि कम से कम आर. टी. पी. कर्मचारियों के बड़े भाग को इसमें खपा लिया जाए। वे सेवा करते रहे हैं, वे अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे विभाग की उन्होंने काफी मदद की है। परन्तु प्रतिबंध लगने से हम वित्त मंत्रालय को यह समझाने में समर्थ नहीं हो सके हैं कि वे कितने कर्मचारियों को खपाने की अनुमति देंगे। हम अभी भी इनसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। मैंने इस मामले को स्वयं वित्त मंत्री के समक्ष रखा है और हम इसका कोई उपाय ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आर. टी. पी. कर्मचारियों को पूरी तरह स्थाई आधार पर नहीं खपा पाए तो कुछ को तो स्थाई कर ही देंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि 30 किलोमीटर की दूरी पर डाक द्वारा भेजे गए पत्र को आने में आठ दिन लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भर्ती पर प्रतिबंध ·· ··

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग मामला है और इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भर्ती पर लगे इस प्रतिबंध से संचार विभाग में यह शंका नहीं पैदा हो गई है कि यह संचार सेवाओं के गैर सरकारीकरण का वास्तव में पूर्वाभास है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह अप्रासंगिक बात है।

श्री शरद दिघे :···

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय यह कोई अलग मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : श्रीमन् यह गैर सरकारीकरण से संबंधित है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैंने एक प्रश्न किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय है कि श्री शरद दिघे अपना प्रश्न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, आपका प्रश्न इस विषय से संबंधित नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह इस यूनिट के गैर सरकारीकरण से सम्बन्धित है। ऐसा हर जगह हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को दूसरा प्रश्न करने की अनुमति दूंगा। मुझे अल्प सूचना प्रश्न की अनुमति देने में भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं चर्चा के विरुद्ध नहीं हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तो आप अल्प सूचना प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ।

श्री शरद दिघे : डाक ऐजेन्टों को लाइसेंस प्रदान करने की यह एक अच्छी योजना है और धर्मार्थ संस्थाओं, महिला संगठनों, सहकारी संस्थानों युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को इसमें वरीयता दी जा रही है । परन्तु आवास समस्या की वजह से बम्बई जैसे शहरों में ये लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा पाते और जब तक इन लोगों को जिन्हें वरीयता दी जानी चाहिए। आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता, ये इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बम्बई नगर निगम अथवा राज्य सरकार के सहयोग से, फुटपाथों पर स्टाल लगाने में इन लोगों की सहायता करने पर विचार करेगी ताकि ये लोग इस अच्छी योजना का वास्तव में फायदा उठा सकें ।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने यह योजना क्यों शुरू की इसका एक कारण शायद यह है कि अगर शहरों में कोई डाक घर खोलना चाहे तो वहां किराया बहुत अधिक है। इसलिए, इस योजना में यह शर्त है कि ऐजेंट को यह कार्य करने और बिक्री इत्यादि करने के लिए कमीशन मिलती है और वह अपने आवास व्यवस्था करेगा उसे वह स्थान को तीन घंटे तक खोले रखना होगा इसलिए यह एक शर्त है जो ऐजेंट को पूरी करनी चाहिए अर्थात् उसे ऐसी जगह की व्यवस्था करनी चाहिए जहां पास पड़ोस के लोग डाक-टिकटें स्टेशनरी इत्यादि प्राप्त कर सकें। जहां तब फुटपाथों पर स्टाल खोलने का सुझाव है यदि नगर निगम इस कार्य में मदद करता है तो हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे ।

श्री सुरेश कुरुप : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि डाक ऐजेंटों को क्या विशेष काम सौंपे जाते हैं और क्या सरकार कुछ विद्यमान डाक घरों को बंद करने और यह कार्य डाक ऐजेंटों को सौंपना चाहती है ।

श्री राम निवास मिर्धा : उन्हें तीन काम सौंपे जाते हैं। इनमें से एक डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री है। इसका काम पंजीकृत पत्रों को बुकिंग करना और तीसरा परिसरों में लगी पत्र-पेटियों में से पत्र निकालना है। मौजूदा डाक घरों को बंद करने और उनका काम ऐजेंटों को

सौंपने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मौजूदा डाक घरों को बंद करने का तो मामला ही अलग है। यह समय समय पर होता रहता है। इन दोनों बातों में कोई परस्पर संबंध नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंसों का अतिक्रमण करके, कम्पनियों द्वारा आक्सिफेडराइन का आयात

*855. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय औषध कंपनियों ने औद्योगिक लाइसेंसों की शर्तों का अतिक्रमण करके आक्सिफेडराइन का आयात किया है,

(ख) क्या कोई ऐसे मामले उनके मंत्रालय की जानकारी में आये हैं, और

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा संबंधित कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मै. जर्मन रेमेडीज औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके प्रपुंज औषध आक्साफेड्रान का आयात करते रहे हैं।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के उल्लंघन के लिए कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्वैश्चन नं. 344 जिसका इसी लोक सभा में 14 अगस्त, 1984 को उत्तर दिया गया था, माननीय मंत्री के द्वारा, उसमें उन्होंने यह कहा था कि जर्मन रेमेनडीज को लाइसेन्स दिया था। यह एक कम्पनी है जोकि दवा बनाती है, उसके औद्योगिक लाइसेन्स में इस बात की स्पेसिफिक कण्डीशन थी कि इस दवाई को इम्पोर्ट नहीं करेगी और इसके लिए कोई फोरेन एक्सेचेंज नहीं दिया जायेगा लेकिन 14 अगस्त, 1984 को माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह कम्पनी इम्पोर्ट कर रही है। एक तरफ हमारे देश का ट्रेड बैलेन्स बिगड़ रहा है, हमारे इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर इस तरह की कंपनियां अपने इण्डस्ट्रियल लाइसेन्स का वायलेशन करके इम्पोर्ट कर रही हैं और उसका अब जाकर जवाब मिला है कि शो-काज नोटिस दिया गया है, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ यह शो-काज नोटिस कब दिया और क्या साइमल्टेनियसली अपने चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सपोर्ट ऐड इम्पोर्टस ने यह आर्डर भी दिया है कि इम्पोर्ट इम्मीडिएटली बन्द कर दिया जाये ?

[अनुवाद]

श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह : महादय यह सच है कि मैसर्स जर्मन रेमेडीज को आक्सीफेडरीन के उत्पादन विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि बल्क आक्सीफेडरीन का विनिर्माण दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा औद्योगिक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों में यह एक शर्त थी अर्थात् इस फर्म को दो वर्ष की अवधि के भीतर बल्क औषध आक्सीफेडीन का उत्पादन कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, इस फर्म ने इस उपबंध का उल्लंघन किया है और इसी उल्लंघन को देखते हुए हमने विधि मंत्रालय से परामर्श

किया कि क्या हम इसके लाइसेंस को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते है अथवा नहीं। 1984 में यह बात इस मंत्रालय के ध्यान में आई और हमने तुरंत विधायी कार्य विभाग से परामर्श किया। चूंकि यह बड़ा पेचीदा प्रश्न है, उद्योग मंत्रालय और विधायी कार्य विभाग को इस पर विचार विमर्श करने में डेढ़ से दो वर्ष का समय लगा। विधि मंत्रालय वर्ष 1986 में इस बात पर सहमत हुआ कि यह औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। मार्च 1986 में हमने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके अलावा, इसकी प्रतीक्षा के साथ-साथ हमने कुछ कार्यवाही की है। हमने आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को पत्र लिखकर उनसे बाहर से आयात बंद करने के लिए कहा। हमने जर्मन रेमेडीज के प्रबंध निदेशक श्री बोस का पिछले विभाग, जो अब इसी मंत्रालय अर्थात् उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के अधीन है, की सिफारिश पर आगे कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति न प्रदान कर दूसरा कदम उठाया है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा, वह आपने सुना। डेढ़ साल में यह फैसला कर सकें कि यह वायलेशन है या नहीं और उस को नोटिस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ मैं आप के माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने अपने प्रिंसपल से इस दवाई की इम्पोर्ट ज्यादा पैसे पर की। इन्टरनेशनल मार्केट के अन्दर जो इस की प्राइस थी, उससे कहीं ज्यादा कीमत पर इन्होंने इसकी इम्पोर्ट की। पैसा इन को ट्रान्सफर करना था, इसलिए ऐसा इन्होंने किया। क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है और यदि यह उनकी जानकारी में आया है, तो इस के क्या कारण हैं।

[अनुवाद]

श्री आर. के. जयचन्द सिंह : कठिनाई यह है कि इस विशेष औषधि का उत्पादन विश्व में केवल एक ही कंपनी द्वारा किया किया जाता है। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वे यह औषधि अपनी मुख्य कंपनी से खरीदती है अथवा किसी अन्य कंपनी से खरीदती है; हमने पता लगाने की कोशिश की है, किन्तु इसका उत्पादन केवल एक ही कंपनी द्वारा किये जाने के कारण हम इस बात का पता लगाने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री पी. कुलनदईवेलू : आक्सीफेड्राइन और अन्य जीवन रक्षक औषधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये लाइसेंस के अनुसार बनाई जाती हैं। यदि इस का किसी प्रकार उल्लंघन किया जाता है, तो आप कार्यवाही करते हैं। मैं कुछ कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के लिए सरकार की सराहना करता हूं। साथ ही मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मद्रास स्थित एकक को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है और इससे चार हजार कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। इस कंपनी का प्रबंध केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और यह गरीब और दलित लोगों के लिए सस्ती औषधियां बनाती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने उक्त कारखाने को पुन: चालू करने और चार हजार कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की है।

श्री आर. के. जयचन्द सिंह : यद्यपि इस प्रश्न के लिए पृथक सूचना की आवश्यकता है,

तथापि, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि हम उद्योग मंत्रालय के अधीन इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड सहित सभी पांच कंपनियों की पुनर्वास योजना बना रहे हैं। उनमें से कुछ कंपनियों के संबंध में रिपोर्टें पेश की जा चुकी है, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की रिपोर्ट अगले महीने तक पेश किये जाने की संभावना है। मैंने इसके लिए आखिरी तारीख पहली जून रखी है। हमें आशा है कि संपूर्ण पुनर्वास संबंधी रिपोर्ट जून में किसी समय तक आ जायेगी और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स के मद्रास स्थित यूनिट को बन्द नहीं किया जायेगा;

सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाना पकाने की गैस के कनैक्शन का अनिवार्य निरीक्षण

*856. **श्रीमती किशोरी सिंह** : †

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक** गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं की, जो रसोई घर में गैस-विस्फोट की शिकार हो जाती है, सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों का अनिवार्य निरीक्षण करने की व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या गैस वितरकों के पास गैस कनैक्शन लगाने तथा उनकी जांच करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हैं;

(ग) क्या अनेक गैस वितरक गैस सिलैण्डरों का वितरण करने तथा उनको लगाने के लिए अनपढ़ व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, हांलांकि उन्हें सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है; और

(घ) यदि हां तो वर्तमान व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) एल. पी. जी. वितरकों को तेल विपणन कम्पनियों से अनुदेश जारी किये जा रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन काम कर रहे डिलीवरीमैन और मैकेनिक उचित रूप से प्रशिक्षित हैं ताकि वे अपना काम सुरक्षित ढंग से और क्षमतापूर्वक कर सकें।

श्रीमती किशोरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार के पास इस बात की जांच करने की कोई व्यवस्था है कि सरकारी निदेशों का पालन किया जाता है अथवा नहीं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यह सुनिश्चित करने हेतु नियमित जांच की जाती है कि सरकार और तेल कंपनियों द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं करार के अनुसार वितरकों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे गैस के कनैक्शन लगाने संबंधी कार्य और मरम्मत के लिए प्रशिक्षित मेकेनिक रखें और ग्राहकों को निःशुल्क तकनीक सलाह दें यह प्रशिक्षण विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिये ये कपनियां उनके लिए प्रति-

क्षण कार्यक्रम भी चलाती हैं और यह सुनिश्चित करने हेतु नियमित जांच की जाती है कि इन मैकनिकों को अपेक्षित मानकों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

श्रीमती किशोरी सिंह मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि पिन टाइप वाल्व सिलेण्डर असुरक्षित हैं क्योंकि पिन निकल जाती है जिसके कारण गैस रिसने लगती है साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि घटिया किस्म के सिलेण्डर इस्तेमाल किये जाते हैं और खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के लिए भारतीय मानक संस्थान का निशान अनिवार्य है । यदि नहीं तो क्या सरकार का इसे अनिवार्य करने का विचार है ताकि स्वास्थ्य पर आने वाले खतरे को रोका जा सके ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय, सेल्फ क्लोजिंग वाल्वों और क्लिक आन रेगुलेटरों का प्रयोग आरंभ होने के साथ गृहिणियों के लिए खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर के साथ चूल्हों को जोड़ने का काम आसान हो गया है जहां तक भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानक का पालन किये जाने की बात का संबंध है, तेल कंपनियां सिलेण्डर निर्माता एककों से एल. पी. जी. सिलेण्डर तब खरीदती हैं जब सिलेण्डरों की किस्म भारतीय मानक संस्थान और विस्फोटक के मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत की जाती हैं, सिलेण्डरों में गैस भरने के संयंत्रों में भी इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत मानक सिलेण्डरों का उपयोग किया जाता है । सिलेण्डरों में रिसाव की जांच करने के लिए उन्हें पानी से धोया जाता है । इन तरीकों से हम सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ये दुर्घटनाएं न हों । लापरवाही बरते जाने और भली भांति रखरखाव न किये जाने के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं । मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार किसी गणमान्य व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने पर विचार कर रही है जो इस सवाल के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और यह सुनिश्चित करने हेतु सुझाव देगी कि इन दुर्घटनाओं को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है और अधिक यथार्थ मानकों पर ध्यान दिया जाता है ।··· (व्यवधान) ···

पनई ताड़ से ताड़ी निकालने के व्यवसाय के रक्षोपाय

*857· **श्री एन. डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पनई ताड़ से ताड़ी निकालने के व्यवसाय की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या सरकार पनई ताड़ से गुड़ का उत्पादन करने और सम्बन्धित सहयोगी व्यवसाय में लगे हुए लोगों को उनके व्यवसाय के लिए बर्तन और ईंधन की लकड़ी खरीदने हेतु राज सहायता करने के उपाय करेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ताड़ी (पालमीरा) निकालने के काम में लगे हुए कामगारों को सहकारी समितियां और संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उन्हें खास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देता है जैसे कि औजारों के लिए पूंजीगत व्यय, उपकरण और मशीनें तथा बर्कशेड आदि। यह निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उन्हें उत्पादन और बिक्री के लिए कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराता है। इसमें जलाने की लकड़ी पर होने वाला खर्च भी सम्मिलित होता है। कार्यशील पूंजी का ऋण 5 वर्षों के भीतर चुकाना होता है जबकि पूंजीगत खर्चों का ऋण परिसम्पत्तियों की किस्म के आधार पर 5/10 वर्षों में चुकाना होता है। इन ऋणों पर केवल 4 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है।

इस उद्योग के उत्पादन आयकर और उत्पादन शुल्क से मुक्त हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पंजीकृत संस्थानों को पूंजी निर्माण के लिए ऋण देने के अलावा कामगारों तथा सोसाइटियों के सदस्यों को उनकी ऋण लेने की शक्ति बढ़ाने के लिए अंश पूंजी ऋण भी देता है। लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है।

इस उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्य करने हेतु भी कदम उठाए गए हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने मद्रास में ताड़ (पाम) उत्पाद अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है जहां कामगारों, पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

श्री एन. डेनिस : यह एक ऐसा परम्परागत ग्रामीण उद्योग है जिसमें बिना पूंजीनिवेश के रोजगार उपलब्ध होते हैं और आय होती है। इस उद्योग में गिरावट आ रही है और धीरे-धीरे वह विलप्त होने वाला है क्योंकि इसमें जोखिम है और भारत सरकार की ओर से इसे प्रोत्साहन और संरक्षण नहीं मिल रहा है। इस प्रकार जो लोग इस उद्योग पर निर्भर करते हैं वे गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। यदि यह उद्योग समाप्त हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक, आर्थिक समस्यायें पैदा हो जायेंगी और यदि इसका विकास किया जाता है तो इससे अनेक समस्यायें हल हो जायेंगी। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या विशेष कर पनई ताड़ उत्पादों के विकास और उत्पादन के लिए तथा इस उद्योग में लगे लोगों की सामाजिक आर्थिक समस्यायें हल करने के लिए एक पृथक बोर्ड अथवा आयोग गठित किया जायेगा? इस प्रयोजन के लिए कारीगरों को प्रति वर्ष कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है और इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है।

श्री एम. अरुणाचलम : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर पूरी तरह असहमत हूं कि इस उद्योग में गिरावट आई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्योग में 19.85 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ था और 3.72 लाख लोगों को रोजगार मिला था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन बढ़कर 40.53 करोड़ रुपए हुआ था और रोजगार पाने वालों की संख्या 6.25 लाख हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान है कि 63 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन होगा और 7 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। जहां तक पृथक आयोग बनाने का संबंध है फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हमें तमिलनाडु स्थित निर्माता एकको

के कामगारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। हमने उसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास उसकी टिप्पणी के लिए भेज दिया है। उनसे टिप्पणी प्राप्त होने के बाद कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री एन. डेनिस : फाइबर, पत्तों और अन्य पनई उत्पादों की तरह पनई उत्पादों की काफी निर्यात क्षमतायें हैं। इस उद्योग में लगे कामगरों के लिए ऋण की राशि बढ़ाकर, उन्हें राज सहायता प्रदान करके, उपकरण और ईंधन की व्यवस्था करके और उनके लिए आवास, पेंशन और दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए नकद सहायता देकर राहत देने की व्यवस्था करके उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग और पनई कामगारों के विकास के लिए कोई दीर्घावधि नीतियां बनाई जायेंगी। माननीय मंत्री महोदय ने अनुसंधान कार्य के बारे में कहा है। क्या मैं अनुसंधान कार्य के ब्यौरे और उससे प्राप्त परिणाम के बारे में जान सकता हूं ? क्या नीरा, ताड़ के गुड़ और अन्य पनई उत्पादन के संरक्षण और नारियल के छोटे-छोटे पेड़ों की तरह ताड़ के छोटे छोटे पेड़ उगाने के बारे में अनुसंधान कार्य किया जायेगा ?

श्री एम. अरुणाचलम : मद्रास में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है। इस अनुसंधान संस्थान में अनेक अनुसंधान कार्यक्रम किए जा रहे हैं— उदाहरण के तौर पर ताड़ के शीरे से चीनी निकालने के कार्य में सुधार करना, ताड़ के शीरे से मृदु पेय बनाना आदि। ताड़ के पेड़ों पर चढ़ते समय आने वाले खतरे को दूर करने के लिए इस संस्थान में एक उन्नत यांत्रीक उपकरण तैयार किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अध्यक्ष महोदय : एक अल्प सूचना प्रश्न डा. दत्ता सामन्त—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जिला न्यायालयों में आधारभूत संरचनाओं के लिए राज्यों को सहायता

*847 **श्री अताउर्र हमान :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्यों में अतिरिक्त जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों जैसे जिला न्यायालयों के लिए आधारभूत संरनचाओं की और इन न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिये न्यायालय भवनों और आवास भवनों की कमी है ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस संबंध में क्या कदम उठाऐ यये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन मुख्यतः राज्य सरकारों से संबंधित हैं और

इसलिए अतिरिक्त जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आधारभूत संरचनाओं, न्यायालय भवनों के निर्माण और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों की व्यवस्था राज्य सरकारें करती हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है जिसकी सिफारिश न्यायिक प्रशासन के स्तरों को ऊंचा करने के लिये 1979-84 के दौरान सातवें वित्त आयोग ने की थी। ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यायिक प्रशासन के स्तरों को ऊंचा करने के लिए 1979-84 के दौरान सातवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान का दिया जाना

राज्य का नाम	सातवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित कुल दी गई रकम (लाख रुपयों में)	अनुमोदन निम्नलिखित के लिए दिया गया		
		अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए (सं)	न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए (सं.)	आवासीय भवनों के निर्माण के लिए (सं.)
1. आंध्र प्रदेश	83.97	19	19	19
2. असम	165.23	41	41	41
3. बिहार	487.88	133	133	133
4. हिमाचल प्रदेश	7.82	2	2	2
5. जम्मू-कश्मीर	3.92	2	—	—
6. केरल	5.34	1	1	1
7. मध्य प्रदेश	35.83	7	7	7
8. मणिपुर	27.37	7	5	5
9. नागालैंड	70.00	—	700 ग्राम न्यायालय भवन	—
10. उड़ीसा	92.88	21	21	21
11. राजस्थान	209.46	49	48	48
12. तमिलनाडु	15.64	4	2	2
13. त्रिपुरा	60.46	12	11	11
14. उत्तर प्रदेश	591.78	132	132	132
15. पश्चिमी बंगाल	124.42	29	60	60
	1982.00	458	482	482
			+ 700 ग्राम न्यायालय भवन	

[हिंदी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार हेतु धनराशि

*850. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये बिजली की लाइन के प्रति किलोमीटर विस्तार हेतु धनराशि के आबंटन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अलग-अलग मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड राज्य के उन पर्वतीय क्षेत्रों में जिनको योजना आयोग द्वारा भी विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई है, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये प्रति किलोमीटर बिजली लाइन के विस्तार के लिये उतनी ही धनराशि निर्धारित करता है जितनी इसके द्वारा मैदानी क्षेत्रों में गांवों की विद्युतीकरण पर खर्च की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) उत्तर प्रदेश के मामले को छोड़कर देश के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के लिये बिजली की लाइन के प्रति किलोमीटर विस्तार के लिये निधियों का आबंटन करने हेतु ग्राम विद्युतीकरण निगम ने एक समान मानदण्ड निर्धारित किये हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश के लिए, वर्ष 1985-86 के लिये ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अपनाये गये तुलनात्मक लागत आंकड़े 11 के. वी. की लाइनों के संबंध में मैदानों में बिजली की लाइनों का विस्तार करने के लिये रु. 18000-36000 प्रति किलोमीटर के बीच तथा पहाड़ों में रु. 50,000-74,000 प्रति किलोमीटर के बीच हैं, जो कि उपयोग किये गये कन्डेक्टरों के आकार पर निर्भर करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक विकास और उद्योगों का आधुनिकीकरण

*852 **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक विकास और सभी उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु कितने अन्य देशों से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) राजस्थान में किन-किन उद्योगों के आधुनिकीकरण का विचार है और इस कार्यक्रम पर कितनी अनुमानित राशि कम करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) विकास और आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी के चयन में पहल करने का काम भारतीय उद्यमियों पर छोड़ दिया गया है। ये प्रौद्योगिकी के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करते हैं, प्रस्तावित विदेशी सहयोग का तकनीकी-

आर्थिक विश्लेषण करते हैं और फिर ऐसे विदेशी सहयोगी का चुनाव करते हैं जो उनको सर्वोत्तम जान पड़ता है। सरकार ने विदेशी सहयोग के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं जिनमें प्रौद्योगिकीय अभ्युत्थान और औद्योगिक विकासार्थ विभिन्न देशों से आपसी सहयोग की अनुमति दी गयी है। विदेशी सहयोग के प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह

*858. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में हाजोरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप-लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. की परियोजनाओं के लिए निविदाएं

*859. **डा. वी. वेंकटेश** :

श्री एच. एन. मन्जे गौडा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. नेवेली द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के विस्तार आदि के लिए मशीनों और उपकरणों की विशिष्ट मांग बताते हुए कुल कितनी विश्वव्यापी निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं;

(ख) विभिन्न विदेशी संगठनों से भारतीय सहयोगियों के साथ अथवा भारतीय सहयोगियों के बिना कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) ऐसी कितनी निविदाओं को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और निविदाओं को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने 23 विश्वव्यापी निविदाएं आमन्त्रित की हैं।

(ख) भारतीय सहयोग सहित अथवा रहित 106 दरें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 33 दरें विदेशी सहयोग की हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त 23 निविदाओं में से 16 के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है और शेष मामलों में से अधिकांश में निर्णय की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। चालू परि-

योजनाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि उनका समय से पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके।

गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

*860. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैस पर आधारित कितनी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, वे कहां कहां पर स्थित हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में गैस पर आधारित और अधिक विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) गैस पर आधारित जो परियोजनाएं प्रचालनाधीन हैं तथा जिन्हें सातवीं योजना के दौरान चालू किए जाने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थान	क्षमता (मेगावाट)
प्रचालनाधीन परियोजनाएं :			
1.	धुवारण गैस टर्बाइन परियोजना	गुजरात	54
2.	उरण गैस टर्बाइन परियोजना	महाराष्ट्र	672
3.	लकवा (सोपान-I)	असम	45
4.	नामरूप	असम	8 .5
5.	मोबाइल गैस टर्बाइन	असम	21
प्रतिष्ठापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं :			
6.	कवास	गुजरात	600
7.	औरैया	उत्तर प्रदेश	600
8.	अन्टा	राजस्थान	430
9.	कठलकुड़ी	असम	280
10.	रामगढ़	राजस्थान	3
11.	लकवा (सोपान-एक, चौथी यूनिट)	असम	15
12.	लकवा (सोपान-दो)	असम	60
13.	वारामूरा	त्रिपुरा	10

केरल द्वारा नए औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव

*861. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**
प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर नए औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केरल सरकार से राज्य के दो "उद्योग रहित जिलों" में से एक वाइनाद जिले के बेमोम ग्राम में विकास केन्द्र की स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

औषध कम्पनियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित लाभों की वसूली करने संबन्धी प्रक्रिया

*862. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औषध कम्पनियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित लाभों की वसूली करने की प्रक्रिया निर्धारित की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 को पैराग्राफ 17(I) उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके अन्तर्गत औषध कम्पनियों से औषध मूल्य समीकरण खाते से राशि की वसूली की जा सकती है । राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए प्रपुंज औषधों के आयातों/प्राप्तियों के ब्यौरे उत्पादकों से मंगवाए जाते हैं । और खरीदारियों/प्राप्ति के बीजकों तथा खपत आदि की जांच की जाती है । उसके पश्चात कम्पनी द्वारा दावा किये गये सेट आफ यदि कोई हो की जांच की जाती है और उसके पश्चात ही वसूल की जाने वाली राशि का पता लगाया जाता है इस प्रक्रिया में समय लगता है । तथापि, प्रपुंज औषधों के विभिन्न फार्मूलेटरों और उत्पादों के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया कानून की प्रक्रिया के अनुसार चल रही है ।

[हिन्दी]

उपहार योजनाओं का प्रचलन

*863. **श्री नरेन्द्र बूडानिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पंखों पर उपहार योजना उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न कम्पनियों द्वारा आरम्भ की गई और इस समय चल रही ऐसी योजनाओं से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार की जा रही है; और

(घ) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सभी उपहार योजनाएं उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं हो सकती हैं। केवल ऐसी उपहार योजनाएं, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36 क के खंड (3) के उपखंड (क) के अर्थ के अन्तर्गत "अनुचित व्यापार प्रथाएं" हैं वे उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36 क, 12 क और 12 ख के लागू होने वाले उपबन्धों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा की जा रही है। अगर कम्पनियों/पार्टियों द्वारा प्रारम्भ की गई उपहार योजनाएं जनहित विरोधी पाई जाती हैं तो आयोग एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36 च के निबंधन में आदेश पारित करता है। आयोग द्वारा पारित उक्त आदेशों का कोई भी उलंघन अधिनियम की धारा 48 ग के अन्तर्गत दण्डनीय है।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति

*864. श्री वी. तुलसीराम :

श्री पी. एम. सईद :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष ने देश में राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार सम्पन्न समिति नियुक्त करने की सिफारिश सरकार से की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक ऐसी समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति की स्थापना कब तक किए जाने की आशा है और उसके निदेशपद क्या होंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बंसत साठे) : (क) राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया है।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली का अनेक संस्थाओं ने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है और उन्हें सुदृढ़ करने के उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पैंसिलिन का उत्पादन

*865. श्री के. पी. सिंह देव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 तथा 1984-85 के दौरान देश में पैंसिलिन का कुल कितना उत्पादन हुआ,

(ख) उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं,

(ग) देश में पैंसिलिन का कुल उत्पादन कितना होता है तथा उसके लाइसेंस की क्षमता

कितनी है और वर्ष 1984-85 के दौरान लाइसेंस क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ, और

(घ) इस आवश्यक औषध के लिए नवीन अनुमति देने की नीति क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1982-83 एवं 1984-85 के दौरान देश में पैंसिलिन का कुल उत्पादन क्रमश: 358.37 एम. एम. यू. तथा 221.68 एम. एम· यू· था।

(ख) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण, एच. ए· एल. में तथा आई· डी. पी. एल· में विपणन अवरोध तथा प्रौद्योगिकी समस्याएं और स्टेन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स में पावर की कमी का होना था।

(ग) देश में पैंनिसिलिन की कुल वार्षिक लाईसेंस शुदा क्षमता 637·00 एम. एम. यू. है 1984-85 के दौरान कुल लाइसेंस शुदा क्षमता के उत्पादन की प्रतिशतता 34.70 प्रतिशत थी।

(घ) वर्तमान औषध नीति अन्तर्गत पैंसिलिन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित है।

लोकप्रिय नामों वाले बिजली के पंखों के नाम से नकली पंखों का निर्माण

*866. **श्री एम. रघुमा रेड्डी** :क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रामपुरा, हंसापुरी रोड, त्रिनगर (दिल्ली) में कुछ एककों द्वारा लोकप्रिय नामों वाले बिजली के पंखों के नाम से नकली पंखों का निर्माण किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) क्या ग्राहकों को इन नकली पंखों से बचाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे निर्माण एककों तथा सम्बन्धित स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कैमिस्टों और ड्रगस्टों के अखिल भारतीय संघ द्वारा कुछ कंपनियों का बहिष्कार

8105. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कैमिस्टों और ड्रगिस्टों के अखिल भारतीय संघ तथा इसके संघटक संघों द्वारा कुछ कंपनियों के बहिष्कार के बारे में समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) बहिष्कार के क्या कारण हैं, और

(ग) यदि व्यापार मुनाफा ही इस विवाद का कारण है, तो सरकार को विचार सांविधिक रूप से व्यापार मुनाफा निश्चित करने का है ताकि कोई बहिष्कार न हो और उपभोक्ताओं को परिहार्य असुविधा न हो ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बहिष्करण के ऐसे दृष्टान्त के मुख्य कारण ट्रेड मार्जिन के मामले पर उत्पादों तथा वितरकों के बीच मतभेद है। ट्रेड मार्जिन को विनियमित करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के पैराग्राफ 24 में पहले ही एक उपबन्ध है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, शक्ति नगर, कोटा को सप्लाई किए गए कोयले की किस्म

8:06. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.की अब नार्दन कोलफील्डस लि. की जयंत परियोजना में निकाला गया कोयला राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, शक्तिनगर, कोटा को केवल ताप बिजली घर में प्रयोग के लिए सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या बायलरों को नुकसान से बचाने के लिए कोयले के छोटे-छोटे टुकड़े करने से पूर्व उसमें से पत्थरों को चुन लिया जाता है;

(ग) क्या जयन्त परियोजना के प्रबंधकों ने कोयले के छोटे टुकड़े करने से पूर्व उससे पत्थर चुनना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ठेका श्रमिकों को निकाल दिया है और (टन-आफ-दा माइन कोल) टुकड़े करने के लिए सीधे कोयला हैंडलिंग संयंत्र को भेजा जा रहा है. जिससे ताप बिजलीघरों के बायलरों को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, शक्ति नगर ने खराब किस्म के कोयले की सप्लाई किए जाने के बारे में अनेक बार शिकायत की है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को लदान साइडिंग पर पहले की भांति कोयले से पत्थरों को चुनवा कर अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने का है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख), (घ) और (ङ) जयन्त की कोयला सीमा में कोई भी पत्थर की परत नहीं है। परन्तु, कभी-कभी, जब कोई भू-वैज्ञानिक गड़बड़ी सामने आती है तो पत्थर को यांत्रिक तरीकों से अलग कर लिया जाता है ताकि पत्थर-रहित कोयला क्रशर में जाएं। इस प्रकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को जो कोयला सप्लाई किया जा रहा है उसमें कोई फालतू पदार्थ नहीं होते। जयन्त में चूंकि "कोयला-रख-रखाव संयंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए वार्फवाल से प्रेषण का कार्य बंद कर दिया गया है।

(ग) कंपनी के प्रबंध-मंडल ने जयन्त में कभी किसी एजेंसी को पत्थर छांटने के काम पर नहीं लगाया है। वास्तव में, राष्ट्रीय ताप बिजलीघर के अनुरोध पर ही कुछ ठेका श्रमिकों को (—) 4" आकार में तोड़ने के लिए लगाया गया था ताकि उनके क्रशर पर कम बोझ पड़े। यह कार्य बंद कर दिया गया था क्योंकि जयन्त स्थित नार्दन कोलफील्ड्स लि. के "कोयला रख-रखाव संयंत्र" ने काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा, जयन्त की कोयला सीमा में पत्थर की

कोई पर्त नहीं है और "रन-आफ-माइन" कोयला क्रशर में हमेशा ही सीधा डाला जाता है। इसीलिए ताप बिजलीघर के वायलरों को कोई खतरा होने का प्रश्न नहीं उठता।

एस्कार्ट्स मारुति और डी. सी. एम. द्वारा विदेशी व्यापार चिन्ह का प्रयोग

8107. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्कार्ट्स का यामाहा, मारूति का सुजुकी तथा डी. सी. एम. का टोयोटा के साथ विदेशी सहयोग करार में एक यह शर्त भी है कि विदेशी व्यापार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो वे इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वेस्टन कास्मिक, ओनिडा, क्राउन आदि फर्मों के विदेशी व्यापार सहयोग करार में विदेशी व्यापार चिन्ह के बारे में ऐसी ही शर्त है और ये फर्में विदेशी व्यापार चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इस शर्त को लागू किए जाने के कारण है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) एस्कार्टस-यामाहा, डी. सी. एम. टोयोटा और मारूति सुजुकी विदेशी ब्राण्ड नाम नहीं है। ये मिश्रित नाम हैं और इनका कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) टी. वी. सैटों के उत्पादन के लिए औद्योगिक और लाइसेंसीकरण की नीति के अनुसार, टी. वी. सैटों के उत्पादन और बिक्री में विदेशी ब्राण्ड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। वेस्टन, कास्मिक ओनिडा आदि फर्मों की टी. वी. सैटों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

समाचार पत्रों पर अखबारी कागज के मूल्य का प्रभाव

8108. **श्री पियूष तिरकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देशी अखबारी कागज के लिए मूल्यों में भारी वृद्धि की अनुमति दिये जाने से समाचार-पत्र उद्योग पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा नियंत्रित समाचार माध्यम के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस पर नियंत्रण करने का है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में प्रेस को नुकसान पहुंचाये बिना उसकी भूमिका को स्वतंत्र रखते हुए सरकार वित्तीय अथवा अन्यथा क्या उपाय कर रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययन में उचित समझी

गई राशि तक अखबारी कागजों की कीमतें बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुमति दे दी है। अखबार की कुछ लागत में अखबारी कागज की कीमत तो केवल एक घटक है। यह मूल्य वृद्धि लगभग 20 महीनों के बाद हुई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। वास्तव में सरकारी स्वामित्व वाले प्रचार माध्यमों को भी अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए व्यावसायिक स्वायतता प्राप्त है।

(घ) प्रेस को जो सुविधाएं इस समय प्राप्त हैं उनहें वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि सरकार स्वतन्त्र और स्वावलम्बी प्रेस के विकास के प्रति वचनबद्ध है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने की अनुमति देने की योजना

8109. **श्री के. प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने की अनुमति देने का है ताकि यह कम्पनी देश में तथा विदेशों में विद्युत उपकरणों की सप्लाई के लिए ऋण के आधार पर सौदे कर सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की घरेलू तथा विदेशी परियोजनाओं के लिए विद्युत उपकरणों की सप्लाई के ठेकों की निविदायें प्रस्तुत करने में विदेशी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकने में किस सीमा तक मदद मिलेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने की अनुमति देने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पन-बिजली परियोजनाओं का कार्य चालन

8110. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश पन-बिजली परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन ताप विद्युत परियोजनाओं की तुलना में घटिया स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) : विभिन्न कारणों की वजह से, जिनमें

भू-वैज्ञानिक समस्याओं का जटिल स्वरूप, कार्यस्थलों का दूर होना, भूमि के अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयां, जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है उनको पुन: बसाना, सिविल कार्यों का व्यापक होना तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना शामिल है, सामान्यत: ताप विद्युत परियोजनाओं की अपेक्षा जल विद्युत परियोजनाओं में अधिक समय लगता है।

(ग) जिन निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने में पांच वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ है और जिन्हें अब सातवीं योजना के दौरान चालू करने का लक्ष्य है, वे संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता के संबंध में राज्य प्राधिकारियों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी परियोजनाओं की समुचित मानीटरिंग की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा कार्य स्थलों का दौरा करके और समीक्षा बैठकें आयोजित करके बाधाओं को दूर करने में राज्य प्राधिकारियों की सहायता की जाती है। पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति सम्बन्धी समस्याएं भी सम्बन्धित विभागों के साथ उठाई जाती है।

(ङ) सूचना ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित विवरण में दी गई है।

विवरण

जिन निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को सातवीं योजना के दौरान चालू किए जाने की सम्भावना है और जिसमें 5 वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ है उनका ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम और क्षमता (मेगावाट)		7वीं योजना का परिव्यय (करोड़ रुपए में)
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	सलाल	(3×115)	117.00
उत्तरी क्षेत्र			
	हिमाचल प्रदेश		
1.	आन्ध्रा	(3×5.0)	13.26
2.	रोंगटोंग	(4×0.5)	6.96
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात			
1.	उकई बायां तट नहर	(2×2.5)	2.20
2.	कडाना पम्प स्टोरेज स्कीम	(2×60)	41.75
महाराष्ट्र			
1.	टिल्लारी	(1×60)	6.57

1	2	3
सांभा (म. प्र./महाराष्ट्र)		
1. पेंच	(2×80)	5.71
दक्षिणी क्षेत्र		
केरल		
1. इदमलयार	(2×37.5)	उ. न.
तमिलनाडु		
1. कदमपराई	(4×100)	35.77
2. लोअर मेट्टूर	(4×2.15)	43 23
पूर्वी क्षेत्र		
उड़ीसा		
1. अपर कोलाब	(3×80)	44.00
पश्चिमी बंगाल		
1. रामन चरण-दो	(4×12.5)	33.00

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

8111. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए समान आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने की मंजूरी देने का है जैसा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम अरुणाचलम) : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा समय पर लेखे प्रस्तुत न किया जाना

8112. **श्रीमती डी. के. भंडारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक एकक निर्धारित समय में अपने लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) जी हां, कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है।

(ख) सरकारी उद्यमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा उपयुक्त समय सारणियां रखने की सलाह दी गई है, ताकि लेखों को अन्तिम रूप दिया जा सके, लेखा-परीक्षा की जा सके, वार्षिक साधारण बैठक में अभिस्वीकृत किये जा सकें तथा

निर्धारित समय सीमाओं के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकें। सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों के लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने तथा संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन रखने में कोई विलम्ब न हो।

अण्डमान में दशरथपुर गांव में बिजली के घरेलू कनेक्शनों की व्यवस्था

8113. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य अन्डमान में पूरे दशरथपुर गांव का ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस गांव में बिजली के कुल कितने घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) क्या उस गांव के निवासियों ने और अधिक घरेलू कनेक्शनों की मांग की है, यदि हां तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री श्री वसंत साठे : (क) जी, नहीं ।

(ख) मिडल अन्डमान के दशरथपुर गांव में अब तक 15 घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ग) अन्डमान और निकोबार के प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, हाल ही में नए सर्विस कनेक्शनों के लिए दो और आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

8114. **श्री मुरलीधर माने** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है;

(ख) उसी राज्य में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र कौन सा है;

(ग) विभिन्न संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की जनसंख्या में इस भारी अन्तर को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या कोई विधि अधिनियमित करने का विचार है जिससे कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों के बीच इस अन्तर को कम कर सके।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भाराद्वाज) : (क) महाराष्ट्र राज्य में बम्बई उत्तर पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र—10,82,418;

(ख) उसी राज्य में राजापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र— 6,12,195

(ग) और (घ) अन्तिम जनगणना और प्रवास, नगरीकरण, औद्योगीकरण, प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन, आदि जैसी अन्य बातों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन, निर्वाचन-क्षेत्रों के आकार के असन्तुलन को दूर कर सकेगा। नए परिसीमन संबंधी उपायों

के बारे में तारीख 23.7.1985 के अतारांकित प्रश्न सं. 25 के लिए दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नई औषधियों के विपणन के लिए लंबित पड़े आवेदन पत्र

8115. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औषधियों के विपणन के लिए उनके मंत्रालय के पास कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) उन औषधियों के नाम क्या हैं जिनके लिए आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) नए औषधों के विपणन के लिए अनुमति औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत दी जाती है। यह अधिनियम तथा नियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किए जाते हैं। इस मत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 नए प्रपुंज औषधों के सम्बन्ध में नैदानिक रिपोर्ट निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है परन्तु इन औषधों से संबद्ध विपणन अनुमति निर्धारित समय में आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् ही दी जाएगी।

(ख) उन नए औषधों के नाम जिनके लिए आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं बताना तब तक उचित नहीं होगा जब तक सरकार प्रस्तुत किए गए नैदानिक परीक्षणों की रिपोर्टों पर निर्णय न ले ले।

(ग) इन 22 आवेदन पत्रों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक औपचारिकतायें करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

लोक उद्यम कार्यालय का निगरानी और मूल्यांकन कार्य

8116 **श्री मानिक रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक उद्यम कार्यालय के कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह सच है कि लोक उद्यम कार्यालय निगरानी और मूल्यांकन कार्य कर रहा था जो कि अब नहीं हो सकेगा, और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र की अनेक यूनिटों का निगरानी और मूल्यांकन कार्य कभी नहीं किया गया था जिसके कारण वे चली नहीं हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (घ) सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी उद्यम कार्यालय को हाल ही में पुर्नगठित किया गया है। इस परिशोधित ढांचे के अन्तर्गत सरकारी उद्यम कार्यालय कार्मिक नीति तथा प्रशिक्षण, मजूरी नीति, कार्य-निष्पादन सूचकों, कार्य सम्बन्धी प्रतिमानों आदि के क्षेत्रों में मार्ग निर्देश

निर्धारित करने में अपनी मूलभूत भूमिका निभाएगा। यह सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने तथा उसके रखरखाव के लिए एक केन्द्रीय कार्यालय के रूप में भी कार्य करेगा। तदनुसार सरकारी उद्यम कार्यालय के तीन प्रभाग अर्थात् उत्पादन प्रभाग, निर्माण प्रभाग तथा पूंजीनिवेश, परामर्शदायी एवं अनुसन्धान प्रभाग, दिनांक 14-3-86 से बन्द कर दिए गए हैं, जिसके कारण कर्मचारियों की संख्या 262 से घटकर 159 रह गई है। फालतू घोषित कर्मचारियों को या तो उनके मूल संगठनों को वापस भेज दिया गया है अथवा और कहीं पुन: परिनियोजन के लिए उनकी सेवायें नियमानुसार फालतू कक्ष को सौंप दी गई है।

सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन का परिवीक्षण तथा मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में इन जिम्मेदारियों को कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय को सौंपे जाने के संदर्भ में सरकारी उद्यम कार्यालय का दायित्व अधिकांशत: घटा दिया गया है। सरकारी उद्यम कार्यालय के पुनर्गठन के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन के परिवीक्षण तथा मूल्यांकन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही कार्य सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र की अनेक यूनिटों का परवीक्षण अथवा मूल्यांकन कभी नहीं या जब कभी किया गया था जिसके कारण उनका प्रचालन असफल रहा है। परिवीक्षण तथा मूल्यांकन करना प्रशासनिक मन्त्रालयों का निरन्तर चालू रहने वाला कार्य है तथा किसी उद्यम का कार्य निष्पादन अनेक कारणों, अर्थात् बाहरी तथा आन्तरिक दोनों, पर निर्भर करता है।

हैदराबाद में आदि प्रारूप प्रोटो टाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र

8117. **एस. पलाकोड्रायुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में कुशाईगुडा में इलैक्ट्रानिक्स के लिये आदि प्रारूप (प्रोटो-टाइप) विकास और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और प्रस्तावित आदि प्रारूप (प्रोटो-टाइप) विकास और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अणाचलम) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारत सरकार हैदराबाद में इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में प्रोटो-टाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रस्ताव में हैदराबाद में इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में 4.34 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से प्रोटो-टाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। केन्द्र इलेक्ट्रानिक उपकरणों और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए विशेष उद्देश्य की मशीनों का उत्पादन करेगा और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में लघु एककों को सामान्य सुविधा सेवायें प्रदान करने के अतिरिक्त प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

(ग) इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रस्ताव को योजना आयोग को भेजा गया था जिसने यह सलाह दी है कि चूंकि ऐसे ही कई प्रस्ताव हैं, अतः दोहराव से बचने के लिए यह उचित होगा कि विभिन्न प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक में विचार किया जाए।

औषधों का आयात कम करने का प्रस्ताव

8118. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किन-किन देशों से औषधों का आयात कर रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से कुल कितने मूल्य के औषधों का आयात किया गया, और

(ग) क्या सरकार का विचार औषधों का आयात कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने का है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार सामान्यतः औषधों का आयात नहीं करती। आयात भेषज उद्योग द्वारा अधिकतर जापान, चीन, हंगरी, इलाटी, स्पेन, फ्रांस, हालैंड, पश्चिम जर्मनी, यू. के. सहित अनेक देशों से किए जाते हैं।

(ख) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान आयातित प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों का कुल मूल्य निम्न प्रकार था:—

1982-83——रु. 120.96 करोड़

1983-84——रु. 126.48 करोड़

1984-85——रु. 188.57 करोड़

(ग) जी, हां।

उड़ीसा में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता

8120: **श्रीमयी जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने हेतु अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) । 1981-82 से 1985-86 की अवधि के दौरान, बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा की राज्य सरकार को 247.61 लाख रुपये की राशि दी गई है। सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के लिए, 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि में उड़ीसा को 13.20 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

हसदेव बांगो बांध में से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को पानी की सप्लाई

8121. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को हसदेव बांगो बांध से पानी की सप्लाई करने का वचन दिया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश अपने वचन के अनुसार पानी की सप्लाई करने के लिए उक्त बांध को पूरा करने की स्थिति में है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा अन्य ताप बिजली परियोजनाओं को पानी की सप्लाई करने के लिए उक्त बांध का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किये हैं और;

(घ) क्या धन की कमी के कारण विलम्ब हो रहा है और यदि हां, तो धन की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसत साठे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 1977 और 1981 में इस बात की पुष्टि की थी कि बांगो बांध से निस्सरण से समुचित रूप से विनियमित करके राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।

(ख) से (घ): बांगो बांध के निर्माण की प्रगति निधियों की कमी के कारण धीमी बताई जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 1985-86 में 13 करोड़ रुपये आबंटित किए थे और यह सूचित किया है कि यदि 1986-87 के दौरान प्रर्याप्त निधियां उपलब्ध करा दी जाएंगी तो कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जून, 1987 तक बांध का निर्माण 325 मीटर तक पहुँचाना सम्भव हो जाएगा। मिट्टी तथा चिनाई बांधों के निर्माण के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और सभी ब्लाकों में कार्य चल रहा है। राज्य सरकार को बांध के निर्माण के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र एककों की स्थापना

8122. श्री सम्बु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों की कुल संख्या कितनी है,

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने एकक स्थित हैं,

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में और अधिक सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम अरुणाचलम्) : (क) और (ख) 31.3.1985 को बीमा कम्पनियों, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर 217 केन्द्रीय सरकारी उद्यम थे। इनमें से 12 उद्यम तथा उनके पंजीकृत कार्यालय आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अवस्थिति के बारे में निर्णय व्यापक तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोणों से लिए जाते हैं और इसे राज्यवार आधार पर पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सिन्थेटिक रेसे के उत्पादन के लिए लघु उद्योगों को राशि का आबंटन

8123. श्री आर. एस. ओझे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस देने की उदार नीति के अन्तर्गत सिन्थेटिक रेशे के उत्पादन के लिए लघु उद्योगों को राशि आवंटित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेकरी प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों सम्बन्धी बाधायें

8124. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेकरी प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों सम्बन्धी बाधाओं, जैसे अपेक्षित गुणवत्ता का कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयां, मानक मशीनों की अनुपलब्धता, अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधायें तथा सामग्री की अधिक लागत आदि, को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : कच्चे माल और मेदे, खमीर, खटाई आदि जैसे प्रमुख कच्चे माल की कोई कमी नहीं है और इन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है। देश में लगभग 50 लघु और मझौले एकक विभिन्न प्रकार के बेकरी उपकरणों के उत्पादन में संलग्न हैं। युवा पुरुषों और महिलाओं को बेकरी प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी संस्थान हैं।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि बेकरी उद्योग के विकास को रोकने के लिए कोई प्रमुख बाधायें विद्यमान हैं।

कुनैन का उत्पादन और उसकी कमी

8125. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुनैन साल्ट उपलब्ध नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुनैन और कुनैन साल्ट का कुल कितना निर्माण हुआ है :

(घ) क्या देश में कुनैन तथा कुनैन-साल्ट पर आधारित किसी फार्मूलेशन का विपणन किया जा रहा है, और

(ङ) यदि हां, तो उन फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं और प्रत्येक फार्मूलेशन के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुनीन और इसके लवणों, जिनका उत्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। वास्तव में, उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्पादन 1982-83 में 5558 कि. ग्रा. से 1983-84 में 7300 कि. ग्रा. तथा 1984-85 में 8120 कि. ग्रा. बढ़ा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) फार्मूलेशनों के नाम सरकार द्वारा यथा निर्धारित उनके लीडर मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	फार्मूलेशन का नाम तथा संघटक	पैक साइज	लीडर मूल्य
1.	क्वीलाइन डि-एच.सी.एल. इन्जे. 0.3 ग्राम/मिलि	50 एम्प × मिलि	40.09
2.	क्वीनाइन डि-एच.सी.एल, इन्जे. 0.6 ग्राम/2मिलि	10 एम्प × 2 मिलि	16.34
3.	क्वीनाइन डि-एच.सी.यल. इन्जे. 0.3 ग्राम/मिलि	10 एम्प × 2 मिलि	16.67

नई औषधियों का प्रयोग आरम्भ करने हेतु चिकित्सीय परीक्षण सम्बन्धी नीति

8 26. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उन नई औषधियों के नाम क्या हैं जिनका चिकित्सीय परीक्षण किता गया था और किन-किन औषधियों की बिक्री की स्वीकृति दी गई है,

(ख) देश में इन औषधियों का आयात/निर्माण करने के लिए किन-किन कम्पनियों को लायसस दिये गये हैं; और

(ग) क्या देश में नई औषधियों का प्रयोग आरम्भ करने हेतु चिकित्सीय परीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार का अपनी नीति में परिवर्तन करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) नई औषधों का अनुमोदन औषध और प्रसाधन अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किए जाते हैं। उस मत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1984, 1985 और 28 फरवरी, 1986 तक के दौरान 41 औषधें देश में विपणन के लिए मंजूर की गई हैं और उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनमें से, देश में किए गए क्लीनिक परीक्षणों के आधार पर 34 औषधें अनुमोदित की गई हैं। शेष औषधों के सम्बन्ध में देश में क्लीनिकल परीक्षण नहीं किए गए हैं । वे या तो कैंसर निरोधक औषधें हैं या जीवन रक्षक औषधें जो सम्बन्धित क्षेत्र में परामर्श किए गए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आधार पर देश में विपणन किए जाने के लिए अनुमोदित की गई हैं ।

(ख) सूचना की उपलब्धि की सीमा तक, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट 41 औषधों में से निम्नलिखित छः प्रपुंज औषधों के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं:

1. रेनाटिडीन
2. अतनालोल
3. टेट्रामाइसिन

4. डिक्लोफिनेल्स सोडियम
5. बेकम्पेनिसिलिन
6. केपटोप्रिल

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1984 से अब तक की अवधि के दौरान विपणन के लिए स्वीकृत की गई नई औषधों की सूची

क्रमांक	औषधों का नाम	फार्मेकोलोजिकल वर्गीकरण
1	सेपटोपाल डीडस और चेना	वोन एण्ड सॉफ्ट टिसू इन्फेक्शन्स
2.	टिमोलोल मेलेट	वलाकोमो
3.	फल्यूराजिपाम	हाइपेन्टिक
4.	थियाजोलाइन बल्क	नेशन लडिकोगीस्टेन्ट
5.	परेजीक्वेन्टल	नारकोस्टीकोरोकोसिस
6.	एमीनोगुथेथिमीडीन गोलियां	एण्टी केन्सर
7.	निमुस्टाइन एच.सी.एल.	एण्टी केन्सर
8.	कार्बाक्वेन	एण्टी केन्सर
9.	इटो-मिटेट्स	एनस्थेटिक्स एजेन्ट
10.	सिनारिजाइन	एण्टी हिस्टामिनिक
11.	मिनसिरिन एच.सी.एल.	एण्टी डिप्रीसेन्ट
12.	आइसोसोरबिडस मोनोनाइट्रेट	कार्डिक ड्रग्स
13.	निटिलमिसिन सल्फेट	एमीनोग्लाइकोसाइड एण्टीबायोटिक्स
14.	रेनीटीडाइन	एण्टी अलसर
15.	हाइड्रोकोर्टिसौन 17 ब्युट्रेट	टोपिकल कोर्टिकोस्टीराइडस
16.	मिक्सीलेटिन एच.सी.एल.	एण्टी एरीथेमिक एजेन्ट
17.	एटीनोलोल	एण्टी हाइपरटेन्सिव एजेन्ट
18.	स्पेक्टीनोमाइसिन एच.सी.एल.	एण्टी कोनोरिहल एजेन्ट
19.	टिबामाइसिन	एण्टोबायोटिक्स
20.	मोनिसिन सोडियम	एसीडिसिस (वेट)
21.	सिफाजोलाइन सोडियम	एन्टी बायोटिक्स
22.	डिक्लोफेनेक सोडियम	एंटी इन्फलेमेटरी एजेन्ट
23.	नेडोलोल	एण्टी हाइपरटेन्सिव एजेन्ट
24.	टेस्टोस्टीरोन अनडेकोनेट	ओरल एन्ड्रोजेन
25.	डेक्स्ट्रानोभर	अलसर एण्ड वर्नस
26.	सोराटोइयो पेप्टीडोज	ओरल एनजाइम

1	2	3
27.	ब्लोमाइसिन आयल सस्पें.	एण्टी केन्सर
28.	सिकलोपिरेक्स ओलामाइन	एण्टी फंगल
29.	वेकेम्पीसिलिन	एण्टी बायोटिक्स
30.	केप्टोप्रिल	एण्टी हाइपरटेन्सिव एजेन्ट
31.	इवरमाइसटिन	एनथेलमेन्टिक्स (वेट)
32.	निकारगोलिन	पुरीफेरल बेसोडिलेटर
33.	एमोक्सापाइन	एण्टी डिप्रेजेन्ट
34.	प्यूरीफाइड चिकन इम्ब्रूओ सेल (पी.सी.ई.सी.) टिशू कल्चर रेवीज वेक्सीन	रेवीज वेक्सीन
35.	वेक्सीराजाइड एचसीएल (लेवोडोपा के साथ संयुक्त करने के लिये केवल)	पार्किनोसिसम
36.	एसिब्युटालोल हाइड्रोक्लोराइड	एण्टी हाइपरटेटनस एजेन्ट
37.	एट्रीक्यूरियम डिवेसाइलेट	मसल रिलेक्सेन्ट
38.	कलप्रिस्टेन्स इन्जे.	एवरटिफिसिएन्ट
39.	एमेसकेनेट	एण्टी एमोबिक
40.	स्ट्रेनिडाजोल	एन्थेलमेन्टिक
41.	सेन्टबुक्रीडाइन	लोकल एनस्टोटिक्स

कर्मचारियों द्वारा एस. टी. डी मीटरों में खराबी करना

8127. **श्री आर. एस. माने** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों द्वारा एस. टी. डी. मीटरों में खराबी न की जाये, क्या कदम उठाये गये हैं।

(ख) मीटरों में इस प्रकार खराबी जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अधिक बिल देना पड़ता है, न करने की घटनायें कम करने के लिये सन् 1986 में सम्पूर्ण भारत में कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) एक्सचेंज स्तर पर टेलीफोनों और मीटरों में खराबी को रोकने के लिये किन तकनीकी एजेंटों का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार को यह पता है कि इस प्रकार की खराबी सामान्यतः कार्यालय में छुट्टी होने के बाद की जाती है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि जोनल अधिकारी छुट्टी के बाद एक्सचेंजों का अचानक दौरा करेंगे, क्या कदम उठाये गये में; और

(च) क्या इस समय ऐसी कोई नीति विद्यमान है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) अलग से कोई एस, टी, डी, मीटर प्रदान नहीं किये जाते हैं, अतः उनके साथ छेड़खानी

करने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्थानीय कालों को रिकार्ड करने के लिये लगाये गये उपभोक्ताओं के मीटरों पर एस. टी. डी. कालें रिकार्ड की जाती हैं। एस.टी.डी. सुविधा के दुरुपयोग को कम करने तथा उनका पता लगाने के लिये उठाये गये सर्तकता उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(1) सभी मीटरों को सील किया जाता है।

(2) जूनियर इन्जीनियर के चार्ज में मीटर कक्षों पर ताला लगा दिया जाता है तथा वहां के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है।

(3) उपभोक्ताओं के टेलीफोन मीटरों की नियमित जांच की जाती है तथा एक पखवाड़े में अलग-अलग मीटरों की रीडिंग की जाती है। काम्ल करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की असमान्य भिन्नता पाये जाने पर उसकी पुनरीक्षा की जाती है।

(4) सर्तकता स्टाफ द्वारा मीटर कक्षों और वितरण फ्रेम का आकस्मिक दौरा, निरीक्षण किया जाता है।

(5) मीटरिंग कक्ष और एम. डी. एफ. कक्ष में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है जिससे मीटर की तारों को अलग न किया जा सके।

[हिन्दी]

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें :

8128. **डा. ए. के. पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विभिन्न एककों में प्रति वर्ष तथा एककवार चोरी, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) कितने अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

दो पहिया स्कूटरों का मूल्य

8129. **डा. वी. एल. शैलेश** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजाज, लोहिया मशीन्स आंध्र प्रदेश स्कूटर्स तथा अन्यों द्वारा निर्मित विभन्न प्रकार स्कूटरों की कारखाना बाह्य कीमतें क्या है; के दो पहिया और

(ख) स्कूटरों की कुल निर्माण लागत में सम्मिलित वर्तमान भारी उपरि खर्चों तथा आकस्मिक खर्चों, विशेषकर प्रशासनिक खर्चों में कटौती करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मात्रा के अनुसार बचत को प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त विस्तार इत्यादि के रूप में वर्तमान निर्माताओं को सरकार पुन: स्वीकृति योजनाओं के अंतर्गत उच्च क्षमताओं की स्वीकृतियां प्रदान कर रही है।

विवरण

कम्पनी का नाम	माडल	कारखाने से निकलते समय का मूल्य (उत्पादन शुल्क को छोड़कर) रुपये
बजाज आटो लिमिटेड	बजाज सुपर	6,490.00
	बजाज कब	6,410.00
	बजाज चेतक	6,730.00
लोहिया मशीन्स लिमिटेड	वेस्पा एक्स. ई.	10,911.18
	वेस्पा 150	9,685.16
	वेस्पा 150 डीजेड	10,992.01
आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड	वेस्पा पीएल 170	8,200.00
महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड	प्रिया	6,440.00
स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	विजय सुपर	7,335.00
	लैम्ब्रेटा सेन्टो	5,825.00
आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स	लैम्ब्रो 150	6,650.00
आफ इण्डिया लिमिटेड	लैम्ब्री पोलो 150	7,250.00

हिमाचल प्रदेश में शाखा डाकघरों को बंद करना

8130. प्रो. नारायण चंद पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में घाटे में चल रहे कई डाकघरों को वर्ष 1986-87 के दौरान बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष हुये घाटे की राशि तथा चालू वर्ष में होने वाले अनुमानित घाटे की राशि सहित इन शाखा डाकघरों का डिवीजन वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने वापस न किया जाने वाला अंशदान अदा करने की पेशकश की है और डाक विभाग के अधिकारियों से किसी भी डाकघर को बन्द न करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिये डाकघरों की उपयोगिता तथा इस संबंध में

राज्य सरकार की पेशकश को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि कोई भी शाखा डाकघर बन्द नहीं किया जाए; और

(ङ) इस सम्बन्ध में उपयुक्त अनुदेश किस तारीख तक जारी किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1986-87 के दौरान प्रश्न के भाग (ख) में दिए गए उत्तर के उल्लेखानुसार कुछ शाखा डाकघरों को बंद करना अपेक्षित था।

(ख) मंडल-वार सूचना नीचे दी गई है:—

मंडल का नाम	शाखा डाकघरों की संख्या		घाटे की राशि
चम्बा	2	रु.	1,061.77
धर्मशाला	20	,,	56,193.77
देहरा	4	,,	41,675.34
हमीरपुर	10	,,	48,995.76
सोलन	28	,,	1,70,453.57
मंडी	33	,,	98,754.81
शिमला	48	,,	1,02,973.74

इस घाटे की राशि में पिछले वर्ष का घाटा और कुछ मामलों में प्रशिप्त घाटा शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) इस सम्बन्ध में अनुदेश पहले से ही जारी कर दिये गये हैं।

उड़ीसा में स्थापित किये गये खादी और ग्रामोद्योग

8131. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में पिछले दो वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त सहायता/वित्त ऋण से जिलेवार कितने खादी/ग्रामीण/व्यक्तिगत उद्योगों की स्थापना की गई और उन पर कितनी राशि व्यय की गई ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अणाचलम) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है।

कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन कनेक्शन

8132. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण और मध्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार/प्रभार के

अन्तर्गत कलकत्ता टेलीफोन विभाग के विभिन्न एक्सचेंजों में अक्तूबर से दिसम्बर, 1985 की अवधि के दौरान कुल कितने टेलीफोन (अस्थाई) मंजूर किये गये और लगाये गये;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश टेलीफोन छः मास की अवधि के लिये दिये गये थे और लगाये जाने के पश्चात् अधिकांश कनेक्शन खराब रहे और प्रयोक्ता उनका उपयोग नहीं कर सके;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ प्रयोक्ताओं ने छः मास की कलावधि को इतनी अवधि के लिए जितने समय उनके टेलीफोन खराब या बेकार पड़े रहे या प्रयोग नहीं किये जा सके, बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और जितने समय के लिये टेलीफोन बेकार अथवा खराब पड़े रहे, उतनी अवधि का लाभ देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता टेलीफोन के क्षेत्रीय प्रबंधक, दक्षिण तथा केन्द्र के अंतर्गत विभिन्न एक्सचेंजों में, अक्तूबर 1985 से दिसम्बर 1985 तक की अवधि के दौरान कुल निम्नलिखित अस्थाई टेलीफोन स्वीकृति तथा स्थापित किये गये:—

	स्वीकृत	स्थापित
क्षेत्रीय प्रबन्धक (दक्षिण)	49	49
क्षेत्रीय प्रबंधक (केन्द्र)	23	27

(ख) अधिकांश टेलीफोनों में से प्रत्येक टेलीफोन 6 महीनों के लिये दिया गया है उपर्युक्त टेलीफोनों की स्थापना के बाद कुछ टेलीफोनों में विभिन्न प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया जिन्हें दूर कर दिया गया।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण

8133. **डा. सुधीर राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बेची जाने वाली 70 प्रतिशत औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये क्योंकि नकली और हानिकारक है,

(ख) क्या सरकार औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में सोच रही है,

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. अवधेश सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं है।

तपेदिक रोधी औषधियों की कमी

8134. **पी. आर. एस. वेंकटेशन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी तपेदिक रोधी औषधियां देश में उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि थीयासीटेजोन, स्ट्रप्नोमाइसिन, आइसोनिकोटिजिक एसिड हाइड्राजाइड, पैरा एमीनो सेलिसिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, पैरा एमीनो सेलिसिलिक एसिड पर आधारित औषधियां तपेदिक के इलाज के लिये प्रयोग की जाती है;

(ग) क्या देश में इन सभी औषधियों की कमी है और ये बढ़े चढ़े मूल्यों पर बेची जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) निर्दिष्ट इकाइयों को सामान्य कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इन दवाइयों की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बिक्री की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, मैसर्स फाइजर लि. पी.ए. एस. पर आधारित फार्मूलेशनों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 1984 को दिये गये निर्णय में स्वीकृत मूल्यों पर बेच रहे हैं। सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

हवाई डाक छंटाई कार्यालय, कोचीन से डाक के थैलों का गुम हो जाना

8135. **श्री टी. बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हवाई डाक छंटाई कार्यालय, कोचीन से कुछ डाक के थैले गुम पाये गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुम हुए डाक के थैलों के बारे में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हवाई डाक छंटाई कार्यालय, कोचीन से विभिन्न स्टेशनों के लिए डाक भेजने के बाद 9 रजिस्टर्ड पैकट थैलों, जिनमें रजिस्टर्ड डाक वस्तुएं थी, के गुम हो जाने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) जी हां।

(घ) पुलिस को डाक थैलों के गुम होने की रिपोर्ट कर दी गई है जिसकी जांच चल रही है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा मेट्रान्डाजोल का उत्पादन

8136. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को मेट्रान्डाजोल का उत्पादन करने का लाइसेन्स दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की इस औषधि की लाइसेंस क्षमता और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इसका कितना उत्पादन हुआ, और

(ग) वर्ष 1986-87 में इस औषधि की अनुमानित आवश्यकता कितनी है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर के जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

(टनों में)

लाइसेंस शुदा क्षमता	स्थापित क्षमता	उत्पादन		
		1983-84	1984-85	1985-86
30	30	0.30	0.43	0.40

(ग) 330 टन

इथोहेपाजिन साइट्रेट के उत्पादन के उत्पादन के लिए साइनोब्रेस का आयात

8137. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कंपनियों ने इथोहेपाजिन साइट्रेट का उत्पादन करने के लिये साइनो-ब्रेस नामक पेन्टीमेट का आयात किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह पेन्टीनेट जिस लागत बीमा और भाड़ा मूल्य पर आयात की गई थी वह औषध की लागत बीमा भाड़ा कीमत से अधिक था, और

(ग) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर के जयचन्द्र सिंह) : (क) सूचना के अनुसार मै. वाईथ लैब्स अब केवल मूल अवस्था से इथोहेप्टाईन साइट्रेट औषध का उत्पादन कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ट्राइमेथोपिन और सल्फा मेथाजोल की आवश्यकता और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन

8138. **श्री डी. पी. जडेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राईमेथोपिन और सल्फा-मेथाजोल की वर्ष 1986-87 के लिए अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी,

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में इन दोनों औषधियों का प्रतिवर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ है,

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल उत्पादन की तुलना में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के उत्पादन की प्रतिशतता क्या थी, और

(घ) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स, लिमिटेड, द्वारा क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) औषध एवं भेषजों पर 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी दल ने वर्ष 1986-87 के दौरान ट्राइमेथोप्रिम (टी. एम. पी.) तथा सल्फामेथोक्साजोल (एम. एम. एक्स) की अपेक्षा को निम्न प्रकार अनुमानित किया है :—

1. ट्राइमेथोप्रिम (टी· एम. पी.)	125 टन
2. सल्फामेथोक्साजोल (एस. एम. एक्स)	470 टन

(ख) क्षेत्र में गत 2 वर्षों में वर्षवार इन प्रपुंज औषधों का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

प्रपुंज औषध का नाम	उत्पादन	
	1983-84	1984-85
1. टी. एम· पी.	61.31	46.53
2· एस. एम. एक्स	375.94	539.08

(ग) वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 के दौरान ट्राइमेथोप्रिम (टी. एम. पी.) तथा सल्फामेथोक्साजोल (एस· एम. एक्स) के कुल उत्पादन में आई. डी. पी. एल. के उत्पादन की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	टी. एम. पी.	एस. एम. एक्स
1983-84	6 प्रतिशत	3.7 प्रतिशन
1984-85	5.4 प्रतिशत	1.6 प्रतिशत

(घ) आई· डी. पी· एल. द्वारा ट्राइमेथोप्रिम का उत्पादन लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक था। लघु क्षेत्र से सल्फामेथोक्साजोल का उत्पादन मांग पर आधारित था।

मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

8139. **श्री एन डेनिस** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायापीठ स्थापित करने का सरकार का विचार है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी ब्रान्ड नाम का प्रयोग

8140. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रंगीन तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन सैटों के लिए किसी विदेशी ब्रान्ड नाम का प्रयोग नहीं किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार की नीति को भारत में निर्मित तथा बेची जाने वाली सभी वस्तुओं पर लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। टी. वी. रिसीवरों सम्बन्धी औद्योगिक नीति के अनुसार, ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन दोनों प्रकार के टी· वी· रिसीवरों के उत्पादन और बिक्री में विदेशी ब्राण्ड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

(ख) ऐसी नीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि विदेशी ब्राण्ड नाम उपभोक्ता की प्राथमिकता को विकृत कर सकते हैं और स्थानीय ब्राण्ड नामों वाले टी. वी. सैटों को अलाभकारी स्थिति में डाल सकते हैं।

(ग) सामान्य नीति के अनुसार, आन्तरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ब्राण्ड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती, यद्यपि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर इसके प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार विदेशी सहयोग की सभी स्वीकृतियां इस आशय की एक शर्त का समावेश किया जाता है।

महाराष्ट्र में गैर-परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा का विकास

8141. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** :
श्री आर. एस. माने :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा का विकास करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) उक्त आबंटन में से महाराष्ट्र राज्य को कितनी राशि दी जायेगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में और अधिक क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) राज्य सैक्टर में अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा के विकास के लिए निधि प्रत्येक राज्य के लिए योजना आयोग द्वारा अलग-अलग नियत की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा इस क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य के लिए नियत की गई राशि 4·17 करोड़ रुपए है। जहां तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग का संबंध है, विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य और निधि की उपलब्धता पर निर्भर वार्षिक आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए निधि नियत की जाती है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग विभिन्न राज्यों में वर्तमान विभिन्न संस्थाओं में बहुत सी अनुसंधान और विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाओं को भी निधि प्रदान करता है। अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा के विकास की योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित/आरंभ की जाती हैं तथा उन क्षेत्रों में, जो सामान्यतया उनके द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों द्वारा चलाई जाती हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग को कुल 412.35 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई। वस्तुगत और वित्तीय परिव्यय तथा महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लिए लक्ष्य वर्षवार आधार पर नियत किए जाते हैं। कार्यक्रमों को सामान्यतया राज्य-भर में कार्यान्वित किया जाता है।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलना

8142. **श्री सीमनाथ रथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक घर खोले जायेंगे;

(क) वर्ष 1986-87 के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(घ) क्या निर्धारित लक्ष्य पूर्णत: प्राप्त कर लिया गया था यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पहले से ही पूरे किए गए विस्तृत लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए सातवीं योजना अवधि के दौरान या 1986-87 के दौरान उड़ीसा या अन्य सर्किलों में नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्थिति, पदों के सृजन पर लगे मौजूदा प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए भी कायम रहेगी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 455 नये ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव था।

(घ) जी नहीं। जनवरी 1984 से लागू नये पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के कारण 455 में से केवल 377 ही डाकघर खोले गए।

टीटागढ़ पेपर मिल्स में संकट

8143. **श्री नारायण चौबे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टीटागढ़ पेपर मिल्स में व्याप्त घोर संकट की जानकारी है;

(ख) इस वर्तमान संकट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन मिला है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संकट के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच कराने का है;

(ङ) उक्त कंपनी को पुन: सक्षम बनाने तथा उसे पुन:स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) इस कंपनी के कितने प्रतिशत शेयर सरकार के नियंत्रण में हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री श्री एम. अरुणाचलम) : (क) मै. टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड वर्ष 1981-82 से हानि में चल रही है। और 31.3.1985 को इसकी कुल हानि 23 करोड़ रुपये थी जिसके 31.3.1986 तक बढ़कर 32 करोड़ रुपये तक हो जाने की सम्भावना है। कम्पनी ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में यूनिट नम्बर 2 में उत्पादन कार्य सितम्बर, 1985 से बन्द पड़ा है और पश्चिम बंगाल में यूनिट नम्बर 1 में सितम्बर, 1985 से तालाबन्दी चल रही है।

(ख) उद्योग के सामने आये संकट के लिए पुराना संयंत्र और मशीनी, श्रमिक समस्या अधिक उत्पादन लागत और कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता प्रबन्ध में कमी और श्रमिकों की समस्याएं मुख्य कारण हैं।

(ग) श्रमिक संघों कसे कम्पनी के प्रबन्ध में कुप्रबन्ध, अक्षमता, असफलताओं और गलत कार्यों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) वर्तमान संकट के कारणों को प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है। इन मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) कम्पनी को पुनरुज्जीवित करने और इसके पुर्नस्थापन के लिए वित्तीय संस्थाएं कोई रास्ता निकालने के कार्य में जुटी हुई हैं।

(च) कम्पनी की लगभग 62.66 प्रतिशत इक्विटी सरकार, वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीय कृत बैंकों के पास है।

इथोहेप्टाजाइन साइटरेट का मूल्य निर्धारित न किया जाना

8144. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोहेप्पटाजाइन साइट्रेट, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत आता है,

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस औषधि का मूल्य निर्धारित नहीं किया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

एल. पी. जी. बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना

8145. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में प्रत्येक तिमाही में एक एल. पी. जी. बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) एल. पी. जी. चरण-III परियोजना के अन्तर्गत 846 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर देश में विभिन्न स्थानों पर प्रति वर्ष 0.7 मि.मी. टन की कुल अतिरिक्त क्षमता के एल. पी. जी. संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। ये संयंत्र मार्च 1988 तक चरणबद्ध रूप में चालू हो जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र के एककों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाना

8146. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों में काम करने के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण कार्य सम्बन्धों और स्वस्थ वातावरण के माध्यम से उत्पादकता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु इन एककों के कार्यकरण पर निगरानी रखने में कर्मचारियों को भागीदार बनाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह प्रबन्ध के उत्तरदायित्व में कर्मचारियों को भागीदार बनाने की सरकार की नीति का एक प्रमुख अंग होगा, और

(घ) यदि हां, तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सरकार ने निर्माणशाला, संयंत्र तथा निदेशक मण्डल स्तर पर कामगारों की भागीदारी की व्यवस्था करने की योजना 1983 में लागू की थी। इसका संकल्प (संख्या एल. 56011/1/83-डेस्क-1

(ख) भारत के दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

खाना पकाने की गैस सिलेण्डरों की घर पर डिलीवरी के लिए अतिरिक्त प्रभार

8147. प्रो निर्मल कुमारी शक्तावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की घर पर डिलीवरी करने के लिए अतिरिक्त प्रभार लगवाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार कितना प्रभार लगाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) सरकार डीलरों की कमीशन के प्रश्न पर समय-समय पर पुनरीक्षण करती है। डीलरों की कमीशन के ढांचे में डिलीवरी प्रभार भी एक अंश के रूप में शामिल है।

महानगर टेलीफोन निगम द्वारा दूरसंचार विभाग से अधिग्रहण की गई परिसंपत्तियां

8148. **श्री मूल चंद डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम ने दूरसंचार विभाग से कितने मूल्य की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है और इसकी अदायगी के लिए ब्याज की दर कितनी है;

(ख) देश में (एक) महानगरों के बीच और (दो) प्रत्येक महानगर और अन्य स्टेशनों के बीच ट्रंक कालों और एस. टी. डी. कालों के लिए सरकारी उपकरण के प्रयोग हेतु राजस्व प्राप्ति में भागीदारी का निर्धारण किस प्रकार किया है;

(ग) क्या महानगरों में दूरसंचार क्षेत्रीय भण्डारों के लम्बी दूरी के दूरसंचार उपकरणों को भी टेलीफोन निगमों को सौंप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अधिग्रहण का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बंबई तथा दिल्ली टेलीफोन द्वारा नए निगम को अंतरित वास्तविक परिसंपत्तियों का मूल्य 1,200 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। सही आंकड़ों का पता 1985-86 के लेखे को अंतिम रुप दे दिए जाने के पश्चात चल सकेगा।

इसमें से 600 करोड़ रुपए राशि इक्विटी तथा शेष ऋण मानी जाएगी। इस प्रकार के ऋण के लिए ब्याज की दर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई है। इस समय यह दर ऋण की अवधि के अनुसार 13 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक है।

(ख) भारत सरकार के निदेश पर महानगर टेलीफोन निगम के नियंत्रणाधीन नेटवर्क पर टेलीफोन परियात के बारे में दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम के बीच राजस्व के बटवारे का सही फार्मूला बाद में निर्धारित किया जाएगा।

जब तक कि फार्मूला तैयार नहीं हो जाता, तब तक उपर्युक्त खाते में राजस्व के बंटवारे की निम्नलिखित अनुपात में रखा जाएगा।

शेयर का प्रतिशत

	महानगर टेलीफोन निगम	दूरसंचार विभाग
एस. टी. डी. काल	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
ट्रंक काल	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक सर्किलों में डिवीजनों का बन्द किया जाना

8149. **श्री गुरुदास कामत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विभिन्न डाक सर्किलों में कुछ डिवीजनों को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) यह सही है कि समूचे देश में निकृष्ट डाक मंडल बन्द करने के लिए एक निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर 14 निकृष्ट मंडलों को दो चरणों में बन्द किया जाएगा। पहले चरण में जोकि 31-12-85 से शुरू किया गया, सात निकृष्ट मंडलों को पहले से ही समाप्त कर दिया गया है। ये मंडल, आन्ध्र प्रदेश में पश्चिम कृष्णा, चिराला और श्रीकालाहस्ती, बिहार में पश्चिम चंपारन, कर्नाटक में यादगिरी, उत्तर-पश्चिम सर्किल में जीन्द तथा उत्तर प्रदेश डाक सर्किल उरई, थे। दूसरे चरण में बाकी मंडलों को समाप्त कर दिया जाएगा। निकृष्ट डाक मंडलों को इसलिए भी समाप्त किया जाना है क्योंकि विभागीय मानदण्डों के अनुसार इनका औचित्य नहीं बनता है।

इस निर्णय के फलस्वरूप कि केवल उन्हीं अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों को बनाए रखा जाए जिनका कि कार्यभार 4 घण्टे या उससे अधिक समय का है, अनेक ऐसे अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों को, जिनका दर्जा उस समय लागू आदेशों के अनुसार उनमें पी. सी. ओ. (सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा) होने मात्र के कारण ही बढ़ा दिया गया था, दर्जा घटाकर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर बना दिया गया। इसके परिणामस्वरूप उन डाक मंडलों में कार्यभार कुछ कम हुआ है जिनमें एक डाक मंडल के कार्यभार को संगणना के लिए जोकि एक अतिरिक्त विभागीय डाकघर का केवल एक-दस है, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर के कार्यभार का परिकलन के लिए गुणांक के बतौर अनेक अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों का दर्जा घटा दिया गया था। इस प्रकार समूचे देश में कुछ डाक मंडलों का (कुल मिलाकर 14) कार्यभार मानदण्ड के अनुसार औचित्य नहीं बनता था। वस्तुतः ये वे ही निकृष्ट मंडल हैं जिनको समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं।

केरल में विद्युत की खपत

8150. **श्री के. मोहन दास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय खपत में वृद्धि की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि होती रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत में कितनी वृद्धि होने की आशा है; और

(ङ) यह किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) केरल में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 1980-81 के दौरान 112.04 यूनिट से 1984-85 में 130.51 यूनिट (अनन्तिम) के बीच रही है। इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय आधार पर बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 132.34-169.51 यूनिट के बीच रही है।

(ग) केरल में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 1980-81 में 112.04 यूनिट से बढ़कर 1984-85 में 130.51 यूनिट हो गई।

(घ) सातवीं योजना के दौरान केरल में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत में प्रत्याशित वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत है।

(ङ) सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल में 530 मेगावाट क्षमता की वृद्धि होने की परिकल्पना है। राज्य को दक्षिण क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से भी अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को कम करने के लिए अन्य उपायों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों का विद्युतीकरण

8151. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण करने का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं करा पायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की कालोनियों को निकट भविष्य में बिजली उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, शीघ्रातिशीघ्र गांवों का शतप्रतिशत विद्युतीकरण पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) से (च) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि अनधिकृत कालोनियों को विद्युतीकृत करने का कार्य वे तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि संबंधित अभिकरण द्वारा उन्हें नियमित नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

बिहार में रुग्ण उद्योगों को लाभप्रद बनाना

8152. **श्री सी. पी. ठाकुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधिनियमित होने के बाद सरकार बिहार में 14000 रुग्ण उद्योगों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ख) रोहतास उद्योग समूह को लाभप्रद बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 अभी लागू नहीं हुआ है।

(ख) उपक्रम के पुनरुज्जीवन की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए हाल ही में संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के एक दल द्वारा रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में एक जीव्यता अध्ययन किया गया है।

दोषपूर्ण विद्युत उपकरणों के निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही

8153. **श्री के. एस. राव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दोषपूर्ण और असुरक्षित विद्युत उपकरणों के निर्माताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 12 नवम्बर, 1981 से प्रभावी घरेलू विद्युत् उपकरण (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1981 नामक एक आदेश लागू किया है। आदेश के अनुसार, 40 चुने हुए घरेलू विद्युत् उपकरणों का उत्पादन, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण मना है जो सम्बद्ध भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

दिल्ली की सीमावर्ती सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था

8154. **श्री भरत सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलोई से ढांसा बार्डर, नांगलोई से टीकरी बार्डर और केवरा मोड़ से नरेला तक की सड़कों पर भारी यातायात होने के बावजूद इन सड़कों पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ख) क्या सड़कों पर प्रकाश न होने के कारण दुर्घटनाओं और लूट आदि के मामलों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इन सड़कों पर कब तक प्रकाश की व्यवस्था कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) इस समय नांगलोई से ढांसा बार्डर, नांगलोई से टीकरी बार्डर तथा घेवरा मोड़ से नरेला तक सड़कों पर सड़क रोशनी की व्यवस्था नहीं है। लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से नांगलोई से टीकरी बार्डर के बीच सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा पूरा भुगतान कर दिए जाने के बाद ही दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान कार्य शुरू कर सकता है। सामान्यत: कार्य के पूरा होने में कार्य शुरू होने की तारीख से लगभग छ: महीने का

समय लगेगा। अन्य दो सड़कों पर सड़क रोशनी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को किसी भी एजेन्सी से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

1984 की तुलना में 1985 में इन सड़कों पर दुर्घटनाओं तथा लूट-पाट की घटनाओं के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

भारत कोकिंग कोल लि. के कुप्रबंध के बारे में अभ्यावेदन

8155. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल इण्डिया लि. की सहायता भारत कोकिंन कोल लि. में कुप्रबंध के बारे में "भारत कोकिंग कोल स्टाफ कोआर्डिनेशन, धनबाद से 6 दिसम्बर, 1985 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) सरकार ने इस संबंध में यदि कोई कदम उठाए हैं, तो वे क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) अभिवेदन में यह कहा गया है कि भारत कोकिंग कोल लि. में एक किस्म नियंत्रण विभाग के होने के बावजूद, उपभोक्ताओं को उचित किस्म का कोयला नहीं मिल रहा है और इसीलिए कोयले की किस्म के आधार पर उपभोक्ताओं ने भा. को. को. लि. के बिलों में से बड़ी कटौतियां की हैं। इसके परिणामस्वरूप भा. को. को. लि. को काफी अधिक घाटा हुआ है।

(ग) से (ङ) सरकार ने कोयले की उचित किस्म बनाए रखने पर बहुत बल दिया है। जहां तक कटौतियों का संबन्ध है, भा. को. को. लि. ने सूचित किया है कि यह कटौतियां अधिकांशत: बिजली घरों, इस्पात संयन्त्रों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों ने की हैं। भा. को. को. लि. ने यह भी सूचित किया है कि बिजली घरों द्वारा फरवरी/मार्च, 1985 से पूर्व की कटौती एकपक्षीय रही है क्योंकि उस अवधि में बिजलीघरों और भा. को. को. लि. के बीच संयुक्त नमूना लेने का कोई समझौता नहीं था। इन विवादग्रस्त दावों के समाधान के लिये बिजलीघरों और कोयला कम्पनियों दोनों से कहा गया है कि वे इस संबंध में परस्पर बातचीत करें एवं बातचीत असफल होने पर मध्यस्थ से निर्णय कराएं। भा. को. को. लि. ने यह भी सूचित किया है कि इस्पात संयन्त्रों द्वारा की गई कटौती पर 1984-85 तक की रकमों के मामले तय किए जा चुके हैं और इस्पात संयन्त्रों ने भा. को. को. लि. को लगभग रू. 22 करोड़ की राशि पहले ही वापस कर दी है।

बिजलीघरों और कोयला कम्पनियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद नियमित रूप से संयुक्त नमूने लिए जाते हैं और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां कोयला कंपनियां कोयले के ग्रेड संशोधित कर देती हैं।

ट्रकों तथा बसों पर उत्पाद-शुल्क

8156. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रकों तथा बसों और उनके पुर्जों पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि से ट्रकों तथा बसों के लोकप्रिय माडलों के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो ट्रकों तथा बसों के चेसिसों तथा पूर्ण निर्मित ट्रकों एवं बसों पर भी उत्पाद-शुल्क में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) इनके मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बस और ट्रक चेसिसों पर उत्पादन शुल्क में 4.25% की वृद्धि की गई है । बाडी बनाने पर उत्पादन शुल्क 4000 रुपए प्रति ट्रक और 5000 रुपये प्रति बस बाडी की दर से निश्चित किया गया है ।

आर्थिक क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में पैट्रोल की लागत

8157. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में पैट्रोल की खपत का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप पर प्रभाव डाले बिना पैट्रोल की खपत में कमी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) हालांकि आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोल की खपत का अलग-अलग अनुमान लगाने के लिए कोई विस्तृत बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी अस्थायी अनुमान के अनुसार पेट्रोल की लगभग सारी खपत परिवहन के क्षेत्र में मोटर लाइनों अर्थात् दुपहिया तिपहिया तथा चार पहिए वाहनों द्वारा की जाती है । पेट्रोल की बहुत कम मात्रा अन्य विधि प्रयोगकर्ताओं अर्थात् धोने, पार्टेबल जनरेटरों आदि के काम आती है ।

(ग) और (घ) जी, हां । हालांकि पेट्रोल मुक्त बिक्री के आधार पर उपलब्ध होता रहेगा फिर भी इसकी बचत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं अर्थात् आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत, ईंधन की बचत करने वाले वाहनों के उत्पादनों को बढ़ावा देना, "ईंधन बचाओ" पर क्लिनिक लगाना जिसमें पेट्रोल की किफायत के सम्बन्ध में बातचीत की जाती है तथा इसमें फिल्मों और मुद्रित सामग्री (वितरण के लिए) जैसी दृष्य और श्रृव्य के साधनों का भी सहारा लिया जाता है और स्कूटर चालकों तथा मोटर वाहनों के चालकों को ईंधन की बचत के तरीके समझाए जाते हैं । इसके अतिरिक्त पेट्रोल की बचत के तरीके समझाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त पेट्रोल की बचत के बारे में समाचार पत्रों में अभियान चला कर, आकाशवाणी, दूरदर्शन फिल्मों, बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर तथा प्रदर्शनियों और उत्सवों में भाग लेकर बताया जाता है ।

वाहन उद्योग में उत्पाद शुल्क में वृद्धि

5158. **श्री राज कुमार राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के बजट में उत्पाद शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक वाहन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार का वाहन उद्योग की किस प्रकार सहायता करने का विचार है; और

(ग) सरकार का वाहनों के मुल्यों को किस प्रकार नियन्त्रित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) यद्यपि उत्पादन शुल्कों का परिणामी प्रभाव हो सकता है लेकिन वाणिज्यिक वाहन उद्योग का कार्य-निष्पादन अनेक बातों पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) पर्याप्त प्रतियोगिता उत्पन्न करने के लिए इस क्षेत्र में काफी क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है जिससे उचित मूल्यों पर वाहन उपलब्ध हो सकें। मझोले तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों की मांग को तेज करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) आई. डी. बी- आई. की बिल में छूट देने की प्रणाली के अन्तर्गत राज्य तथा म्यूनिसिपल परिवहन उपक्रमों को ऋण की उपलब्धता में बढ़ोतरी की गई है।

(2) राज्य तथा म्युनिसिपल परिवहन उपक्रमों के लिए 10 प्रतिशत की सीमान्त राशि की शर्त किसी नियत अवधि तक के लिए त्याग दी गई है।

(3) छोटे आपरेटरों के मामले में ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 30-6-86 तक 4 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

(4) माल वाहकों के लिए राष्ट्रीय परमिटों की संख्या पर सीमा हटा दी गई है।

टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड द्वारा ईंधन का प्रयोग

8160. **श्री डी. बी. पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड का बम्बई में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव इस शर्त पर मंजूर किया गया था कि उसमें ईंधन के रूप में केवल कोयले का ही इस्तेमाल किया जाएगा;

(ख) क्या अगस्त, 1983 में टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी ने एक संशोधित ईंधन पैटर्न का प्रस्ताव यह मांग करते हुए प्रस्तुत किया था कि प्रति टन 6000 टन कोयले के बजाय 735 टन कोयला और 1400 टन गैस इस्तेमाल की जायेगी;

(ग) क्या टाटा इलैलेक्ट्रिक कम्पनी को ऐसा करने की अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को गैस कहां से सप्लाई की जाती है और प्रति दिन कितनी गैस सप्लाई की जाती है; और

(ङ) इस संयंत्र द्वारा पैदा की गई बिजली की प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मैसर्ज टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी की ट्राम्बे यूनिट-5 (1×500 मेगावाट), अगस्त, 1977 में इस आधार पर स्वीकृत की गई थी कि प्रमुख ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जायेगा; बहरहाल बायलर का डिजाइन कोयले के अलावा तेल/गैस का उपयोग करने के लिए बहु-ईंधन प्रज्जवलन प्रणाली के आधार पर बनाया गया था, जून 1984 में स्वीकृत की गई ट्राम्बे यूनिट-6 (1×500 मेगावाट) गैस/एम.एस.एच.एस./ईंधन तेल पर प्रचालित की जाएगी।

(ख) मैसर्स टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी ने जुलाई 1983 में ट्राम्बे यूनिट-6 के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण भेजा था, जिसमें ईंधन के विभिन्न स्वरूपों के साथ तीन रूप-रेखा दी गई थी। इनमें से एक रूप रेखा यूनिट-5 में प्रति दिन कोयले के बराबर 735 टन ईंधन तेल का उपयोग करने तथा यूनिट 1, 2, 4 और 5 में प्रति दिन 1400 टन गैस के उपयोग पर आधारित थी।

(ग) प्रणाली की मांग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मैसर्ज टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी ने दिसम्बर, 1985 में यूनिट-5 को कोयले के अलावा गैस/तेल शोधक कारखाने के अवशिष्ट पर प्रचालित करने की अनुमति देने के लिये अनुरोध किया था। जब कभी उपलब्ध हो गैस/तेल शोधक कारखाने के अवशिष्ट ईंधन का उपयोग करने के अनापत्ति सम्प्रेषित कर दी गई थी।

(घ) प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, उरण टर्मिनल से केवल फाल बैंक आधार यूनिट-5 के लिए बम्बई हाई तेल क्षेत्रों से उत्पादित सम्बद्ध गैस सप्लाई की जा रही है। वर्ष 1984-85 में कम्पनी को सप्लाई की गई गैस की औसत मात्रा 1.74 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति दिन थी तथा अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान 0.70 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति दिन थी।

(ङ) मैसर्ज टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी ने सूचित किया है कि उत्पादित विद्युत की उत्पादन लागत 58 और 67 पैसे प्रति यूनिट के बीच अलग-अलग भिन्न-भिन्न होती है।

स्कूटर निर्माण उद्योग में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कदम

8161. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एकाधिकार घरानों का स्कूटर निर्माण उद्योग पर नियंत्रण है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा इन घरानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो क्या इनके एकाधिकार को समाप्त करने का विचार है ताकि स्कूटर निर्माण में गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही में सुधार करने के लिये उचित प्रतियोगिता की अनुमति दी जा सके ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी. नहीं। विभिन्न प्रकार के दुपहियों के लिये सरकार ने पर्याप्त क्षमता तथा विदेशी सहयोगों हेतु

लाइसेंस दे दिए हैं जिससे ऐसी स्थिति बना दी गई है कि बाजार में प्रतियोगी मूल्यों पर दुपहिए आसानी से मिलने लगेंगे। मीटरयुक्त दुपहिया उपयोग को व्यापक रूप से श्रेणीबद्ध करने तथा अन्य नीति सम्बन्धी उपायों की अन्य बातों के अलावा इस उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने की ओर निर्देशित किया गया है।

हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड केरल द्वारा कच्चे माल का अनुचित भंडारण

6162. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड केरल में यूकलिप्टस (सफेदा) की लकड़ी के भंडारण की उचित सुविधायें न होने और उसका समय पर उपयोग न होने के कारण वहां यूकलिप्टस (सफेदा) की लकड़ी, जो कि अखबारी कागज के निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है, अत्यधिक मात्रा में बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितनी लकड़ी बेकार पड़ी हुई है और उसका अनुमानित मूल्य क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि लकड़ी का इतना अधिक भण्डार पुनः न हो क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. में अप्रैल, 1982 में केमि-मैकेनिक लुगदी का उत्पादन आरम्भ होने के निर्धारित समय के आधार पर सफेदे की लकड़ी का प्राप्त किया जाना 1981 में आरम्भ हुआ था। प्राप्त की गई लकड़ी को उपयुक्त रूप से ढेर बनाकर रखा गया था और गोदाम की सुविधाओं की कमी भी नहीं थी। लेकिन जुलाई से नवम्बर, 1982 के दौरान श्रमिक अशांति और दिसम्बर, 1982 से जनवरी, 1984 के दौरान बिजली की अत्यधिक कटौती के कारण केमि-मैकेयिकल पल्पिंग प्लांट में वर्ष 1985-86 से पहले उत्पादन स्थिर नहीं किया जा सका। इसके कारण मार्च, 1984 तक प्राप्त की गई 1.11 लाख मी. टन में से लगभग 10,000 मी. टन सफेदे की लकड़ी की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। इस प्रकार की हानि फिर न होने देने के लिए कंपनी हर संभव प्रयत्न कर रही है।

कोल इन्डिया लि में गलतियां

8163. **श्री के रामामूर्ति** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि. के लेखा परीक्षकों ने कंपनी के लेखाओं में अनेक गलतियों की ओर ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के कार्य चालन परिणामों के दुर्विनियोग के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) लेखा परीक्षकों के कोल इण्डिया लि. के खातों के बारे में यह प्रमाणित कर दिया था कि उनमें सही और समुचित स्थिति दिखाई गई है। लेखा परीक्षकों की कुछ नेमी टिप्पणियों के अतिरिक्त खातों में कोई गम्भीर गल्तियां नहीं बताई गई थीं। नेमी टिप्पणियों के जवाब प्रकाशित खातों के साथ नत्थी कर दिये गये थे।

चूंकि लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित वित्तीय खातों में कोई तथ्य नहीं थे, अतः किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस मामले में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "वेस्टलैंड" हैलीकाप्टरों का प्रयोग

8164. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री राज कुमार राय :
श्रीमती किशोरी सिंह :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने "वेस्टलैंड" हैलीकाप्टरों के प्रयोग पर होने वाले व्यय के बारे में गंभीर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो वैस्टलैंड हैलीकाप्टर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्कताओं को किस सीमा तक पूरा कर सकेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) हेलीकाप्टर कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा डी पिन और वेस्टलैंड हेलिकाप्टरों की परिचालन लागत को अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो पाया।

(ख) वैस्टलैंड हेलिकाप्टर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

सेंट्रल कोलफील्ड्स के सहायक एकक

8165. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. के कितने सहायक एकक हैं;

(ख) क्या इन सहायक एककों की कोशिशों के बाद भी आर्डर नहीं मिल रहे हैं और ये रुग्ण हो गए हैं; और

(ग) इन सहायक एककों को आर्डर न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) इस समय सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. में 31 नियमित अनुषंगी एकक हैं। इसके अलावा 45 अनुषंगी एकक विकास के कार्य विभिन्न चरणों में है।

कंपनी ने अनुषंगी विकास कार्यक्रम 1979 में शुरू किया था। इस उद्देश्य के लिए एक 'स्वदेशी और अनुषंगी विकास सेल" गठित की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य बल सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. में कामआने वाले अनुरक्षण कलपुर्जों के निर्माण के लिए अनुषंगी एककों का विकास करता रहा है। ऐसी मदों को तय कर लिया गया है और उनकी सप्लाई के लिए अनुषंगी एककों को क्रय-आदेश दिए जा रहे हैं। इन एककों की कंपनी विभिन्न प्रकार से सहायता करती है ताकि वे अनुषंगीकरण कार्यक्रम से पूरा लाभ उठा सकें। इन्हें दिए गए क्रय-आदेश की स्थिति निम्नलिखित है :-

वर्ष	आदेश का मूल्य
(क) 1981-82	रु. 2.50 लाख
(ख) 1982-83	रु. 65.00 लाख
(ग) 1983-84	रु. 101.35 लाख
(घ) 1984-85	रु. 163.59 लाख
(ङ) 1985-86	रु. 203.45 लाख

इन्दिरा सरोवर पन-बिजली परियोजना

8166. डा. फूलरेणु गुहा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इंदिरा सरोवर पन-बिजली परियोजना के लिये बहुत से आदिवासियों के मकानों को गिराया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) प्रत्येक परिवार के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) इंदिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के अन्तर्गत कुल मिलाकर 1712 परिवारों को पुनः बसाया जाना अपेक्षित है। जिनमें से 75% आदिवासी परिवार हैं। जब तक नए पुनर्वास क्षेत्र का पूरी तरह से विकास नहीं हो जाएगा उस समय तक कोई भी घर या झौंपड़ी नहीं गिराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की गई पुनर्वास समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पूरे मुआवजे का भुगतान करने के अतिरिक्त प्रत्येक आदिवासी परिवार को नए पुनर्वास क्षेत्र में एक पक्का घर, 5 एकड़ विकसित कृषि भूमि, निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी कार्यकौशल आदि दिया जाएगा।

(ग) भूमि और सम्पत्ति के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के अतिरिक्त प्रति परिवार 20 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं।

उत्तर क्षेत्र में घरेलू ऊर्जा खपत

8167. डा. टी. कल्पना देवी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा उत्तरी क्षेत्र में ग्रामीण घरेलू ऊर्जा खपत के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या आन्ध्र प्रदेश के बारे में तत्सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जी हां। अध्ययन ने पांच उत्तर भारतीय राज्यों में फैले हुए लगभग 14,400 ग्रामीण घरों को सम्मिलित किया। यह ऊर्जा उपयोग और भूमि जोत का आकार; ऊर्जा उपयोग और प्रति व्यक्ति आय; और ऊर्जा संग्रहण के प्रकारों जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। अध्ययन में सभी मुख्य ईंधन और अन्तिम

उपयोग शामिल हैं। यह ग्रामीण स्तर की अपेक्षा मुख्यतया औसत ढंग से ऊर्जा के उपयोग देता है। रिपोर्ट उत्तरी क्षेत्र के पहाड़ों, समतलों और मरुस्थलों में स्थित घरों के बीच ऊर्जा खपत में विचारणीय विभिन्नता को दर्शाती है।

आंध्र प्रदेश के बारे में ग्रामीण ऊर्जा खपत पर विभिन्न ग्राम-स्तर के अध्ययन किए जा चुके हैं।

लोक एककों के कर्मचारियों पर राजनैतिक नियंत्रण के संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिशें

8168. **डा. डी. एन. रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने लोक एककों पर, जिनमें जीवन बीमा निगम जैसा एकक भी सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम के अधीन जैसा नियंत्रण लगाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए निर्वाचन सुधार संबंधी प्रस्ताव-समूह का भाग रूप है और इस पर विचार किया जा रहा है।

प्रशासनिक अधिकरणों के गठन के बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

8169. **श्री चित्त महाटा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले को निपटाने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक अधिकरणों के गठन के बाद उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिटों, अपीलों और सिविल मामलों के फाइल किए जाने में कितनी कमी हुई है; और

(ख) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अभी भी लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए सरकार का विचार इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) 1.11.1985 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना और उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से 31.3.1986 तक अधिकरण की न्यायपीठों को मामलों के अन्तरण से लंबित मामलों की संख्या में 6207 की कमी हो गई है। उच्चतम न्यायालय से अधिकरण के कोई मामले अन्तरित नहीं किए गए हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 और 132 के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में रिट अर्जियों और विशेष इजाजत अर्जियों को ग्रहण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति बरकरार है।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्चन्ययालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गएकदम संलग्न विवरण में बताए गए हैं।

विवरण

लंबित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त-1 सितम्बर, 1985 को हुए सम्मेलन में भी न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे के विषय में विचार-विमर्श हो गया है और सम्मेलन के संकल्प उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेजे गए हैं।

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100-क)।

3. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।

4. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31.12.1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं है।

5. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 1 अप्रैल, 1986 को 431 कर दिया गया है।

6. उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

   (i) कुछ मामलों की पूर्विकता दी जाती है;

   (ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिये रखे जाते हैं;

   (iii) ऐसी रिट पिटीशनों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैंच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं;

   (iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि ऐसे मामलों का निपटारा शीघ्र हो जाए;

   (v) उच्चतम न्यायालय के नियमों का 1966 में पुनरीक्षण किया गया और उसमें यह उपबंध किया गया कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः अभी हाल में न्यायालय ने, जहां कहीं भी संभव होता है, अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरंभ कर दिया है, परन्तु

वह ऐसा तब करता है जब उत्तर में दोनों पक्षकार अपने प्रतिशपथ-पत्र और शपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं;

(vi) न्यायालय का समय बचाने के लिए, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायालय के समय के पश्चात् चर्चा कर रहे हैं जिसमें इससे पूर्व कम से कम लगभग एक घंटा लग जाता था;

(vii) दाण्डिक अपीलों में, अपीलार्थियों के काउंसेल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साइक्लोस्टाइल अभिलेख को, मुद्रित कराने में लगने वाले समय को बचाने के लिए, फाइल करें जिससे कि मामले पर शीघ्र सुनवाई की सके;

(viii) चैंबर में माननीय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार को कुछ प्रकार के मामलों के निपटाने के लिए, जो कि इससे पूर्व न्यायालय की सूची में थे, सशक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय नियमों को संशोधित किया गया है। न्यायालय का समय बचाने के लिए ऐसा किया गया है;

(ix) विधि की उस शाखा से संबंधित विशेष प्रकार के मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए विशिष्ट न्यायपीठों का गठन किया गया है जिसमें विशिष्ट न्यायपीठ गठित करने वाले माननीय न्यायाधीश विशेषज्ञ होते हैं। इससे विशिष्ट न्यायापीठ को ऐसे मामलों की शीघ्रता से निपटाने में सहायता मिलती है।

(x) भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने हाल ही में निदेश दिया है कि यदि प्रत्येक पक्षकार की ओर से बहस में पांच घंटे से अधिक समय लगता हो तो प्रत्येक मामले में काउन्सेल लिखित रूप में बहस फाइल करेगा। मौखिक बहस के लिए प्रत्येक पक्षकार को 5 घंटे का समय दिया गया है। किन्तु यदि न्यायालय यह अनुभव करता है कि काउन्सैल को और अधिक समय दिया जाना चाहिए तो वह प्रत्येक पक्ष को अधिकतम 10 घंटे का समय दे सकता है। इस प्रकार दोनों काउन्सेलों द्वारा बहस करने के समय में कटौती कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप मामलों का शीघ्र निपटारा होता है।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामिल के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

8. विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यवाई की जानी है, इसलिए वे सिफारिशें संघ सरकार के विचारों सहित उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

9. सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या को समीक्षा करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए, तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

10. सरकार ने विधि आयोग को, आवश्यक सुधार लाने के लिए न्यायिक पद्धति का अध्ययन करने का कार्य का सौंपा है। विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्रो में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत या अन्य तंत्र की स्थापना करके उसका विस्तार करके और उसे सुदृढ़ करके;

(ii) उपयुक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से संबंधित विभिन्न विषय;

(ग) प्रक्रिया संबंधी विधियां साधारणत: मामलों के शीघ्र निपटारे अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया संबंधी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद क (i) और क(ii) में परिकल्पित मंत्रों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना।

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायापालिका में नियुक्ति का ढंग।

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशीक्षण।

(च) न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका।

(छ) ऐसे मानदंडों के निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है।

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से।

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन;

और

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

मणिपुर में पन-बिजली के लिए पानी के प्रपातों और नदियों का सर्वेक्षण

8170. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में विभिन्न बारामासी जल प्रपातों और नदियों का पता लगाने के लिए कोई केन्द्रीय सर्वेक्षण किया गया है जोकि "भेल" द्वारा अब स्थापित की जा रही बिजली उत्पादन की छोटी यूनिटों को लगाने से पन बिजली पैदा करने के लिए सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों द्वारा इस प्रकार की परियोजनाएं शुरू करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और सातवीं योजना में इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) देश में जल-विद्युत शक्यता के पुनः निर्धारण हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस समय अध्ययन कार्य किया जा रहा है। इस अध्ययन में, जिसके अन्तर्गत 2-3 मेगावाट तथा अधिक विद्युत की सतत सप्लाई वाले कार्य स्थलों का पता लगाया जाना है, मणिपुर राज्य में संभावित कार्यस्थलों का पता लगाया जाना भी शामिल है। पुनः निर्धारण संबंधी अध्ययन इस समय चल रहा है।

(ग) केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य योजना के लिए ब्लाक सहायता के रूप में दी जाती है नाकि किसी विशिष्ट क्षेत्र/परियोजना के लिए।

सीरा के मूल्य में वृद्धि करने की मांग

8171. **श्री वी शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के आरम्भ में निर्धारित वैक्यूम पैन फैक्टरी सीरा के 60/- रुपए प्रति टन वर्तमान मूल्य से चीनी कारखानों में भण्डारण, लदान, ढुलाई और पम्पिंग व्यय की लागत भी पूरी नहीं होती है,

(ख) क्या नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने 31 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में फैक्ट्रियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्च और सीरे के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सीरे का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है,

(ग) क्या खांडसारी सीरा का खुला बाजार मूल्य वैक्यूम पैन शुगर फैक्टरी सीरा के नियंत्रित मूल्य से लगभग दो गुना है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचंद्र सिंह) : (क)

शीरे के मूल्य औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए अल्कोहल और शीरे की लागत के अध्ययन के आधार पर उपयुक्त सकझे गए स्तर पर निर्धारित किए गए थे।

(ख) ऐसी मांग 22.2,1986 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज द्वारा की गयी थी।

(ग) और (घ) "आपन पेन प्रक्रिया" द्वारा तैयार किये गए शीरे के मूल्यों के "बैकम पेन प्रक्रिया" द्वारा तैयार किए गए शीरे के मूल्यों से उच्चतर होने की सम्भावना है। क्योंकि पहले में चीनी की उच्चतर फर्मेन्टेबल मात्रा होती है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना के लिये अधिगृहीत भूमि के स्वामियों के परिवारों को सहायता

8172. **प्रो. रामकृष्ण मोरे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अब उन लोगों/परिवारों को, जिनकी भूमि का उन उपक्रमों की परियोजनाओं की स्थापना के लिये अधिग्रहण किया जाता है, रोजगार उपलब्ध नहीं करायेंगे और इसके बजाय प्राभावित लोगों परिवारों से मुर्गीपालन और पशुपालन आदि जैसे अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए कहा जायेगा,

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जिन लोगों/परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हें रोजगार देने की नीति/प्रथा में परिवर्तन के क्या कारण हैं, और

(ग) ऐसे लोगों/परिवारों को, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, अन्य व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता/ऋण देने के लिए यदि कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नीति में परिवर्तन का मुख्य कारण है, उद्यमों में कर्मचारियों की बहुलता की सम्भावना के प्रति बचाव करना तथा यह देखना कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का प्रचालन वाणिज्यिक रूप से लाभकारी स्तर पर बना रहे और पर्याप्त आंतरिक संसाधन पैदा किये जा सकें। विस्थापित परिवारों को आजीविका के वैकल्पिक साधन प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें मुर्गीपालन, कृषिकर्म, पशुपालन आदि जैसे उपयोगी व्यवसाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन व्यक्तियों/परिवारों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उन्हें दी जाने वाली वित्तीय लहायता/ऋणों के निर्धारण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रत्येक मामले में निर्णय व्यापक परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा, जिसका निर्धारण सामान्यत: सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

मैसर्स बरो वैलकम लिमिटेड को मैसर्स नाइक इनकारपोरेटिड, यू. एस. ए. के साथ विदेशी सहयोग की अनुमति

8173. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के

मैसर्स बरी वैलकम लिमिटेड ने खेलों के जूते और खेल-वस्त्रों के निर्माण के लिए मैसर्स नाइक इनकोरपोरेटिड, यू. एस. ए. के साथ विदेश सहयोग करने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव में विदेशी ब्रांड नाम का उपयोग, एकमुश्त भुगतान और स्वामित्व का भुगतान करने की अनुमति मांगी गई है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशी सहयोग करने और इस प्रकार का भुगतान करने की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां, किन्तु विदेशी ब्राण्ड नामों के प्रयोग के लिए कोई विशेष अनुमति नहीं मांगी गई थी।

(ग) और (घ) मै. बरी वैलकम लि. को खेलों के जूते और खेल-वस्त्रों के निर्माण के लिये मै. नाइक इनकोरपोरेटिड, यू. एस. ए. के साथ विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है बशर्ते कि 50 प्रतिशत उत्पाद का निर्यात किया जाए। स्वीकृति में मानक शर्तों के अधीन तकनीकी जानकारी फीस के रूप में 7, 50,00 डालर के भुगतान की और 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत रायल्टी की व्यवस्था है। मानक शर्तों के अनुसार, आन्तरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ब्राण्ड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती यद्यपि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर इसके प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है।

भू-तापीय अन्तःशक्ति का पता लगाना

8174. **श्री पो. नामग्याल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों विशेषकर जम्मू-काश्मीर के संदर्भ में भू-तापीय अन्तः शक्ति का पता लगाने के लिए छिद्रण कार्य किये जा रहे हैं और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और ये किन स्थानों पर हैं ;

(ख) क्या लद्दाख के पूगा और दुभयांग घाटी में गत कई वर्षों से इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं, और अब तक किये गए प्रत्येक छिद्रण कार्य से कितनी मात्रा में बिजली पैदा होने की संभावना है; और

(घ) उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) भू-तापीय शक्यता का निर्धारण करने के लिए जम्मू और कश्मीर में लद्दाख में पूगा घाटी में, उत्तर प्रदेश में अलकनन्दा घाटी में, हिमाचल प्रदेश में व्यास घाटी में, तथा मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में तत्तापनी में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग (बोरिंग) का कार्य चल रहा है।

(ख) से (घ) पूगा और चूमाठंग में किये गये अन्वेषण कार्यों से यह सुनिश्चित हो गया है कि पूगा घाटी विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आशाजनक क्षेत्र हो सकता है। पूगा में अन्वेषण कार्य चल रहे हैं। पूगा घाटी में भू-तापीय क्षमता का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन की व्यव-

हार्यता तथा उत्पादित की जा सकने वाली विद्युत की मात्रा का निर्धारण अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग और कूपों का परीक्षण कार्य पूरा होने पर किया जा सकता है। इस बीच पूगा और चूमाथंग में ड्रिल किए गए कुछ कम गहरे छिद्रों से प्राप्त द्रव्यों की भू-तापीय ऊर्जा का पूगा और चूमाथंग में बैरकों में स्थान गरम करने और नहाने के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

8176. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** . क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उपयोग के लिये इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज (आई. टी. आई.) और अन्य उद्योग द्वारा किस प्रकार के टेलीफोन उपकरणों और अन्य उपकरणों का निर्माण किया गया है तथा उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इनकी आवश्यकता के बारे में कोई मूल्यांकन किया है यदि हां, तो इन मदों का आवश्यकता से कितना निर्माण होता है; और

(ग) इन मदों का निर्माण बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं और यदि कोई नए कारखाने खोले जाने हैं तो वे कहां खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई. टी. आई.) लिमिटेड, टेलीफोन उपकरणों सहित विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपस्कर तैयार कर रही है। पिछले तीन वर्षों में आई. टी. आई. द्वारा बनाये टेलीफोन उपकरणों का ब्यौरा इस प्रकार रहा:—

1982-83	5,85,441 अदद
1983-84	6,31,890 अदद
1984-85	6,37,798 अदद

टेलीफोन उपकरणों के निर्माताओं में अभी तक तो आई. टी. आई. ही एकमात्र बड़े निर्माता हैं।

(ख) आम टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन तो पर्याप्त रहा है लेकिन "प्लान इन्स्ट्रूमेंट का उत्पादन आवश्यकता से कम रहा।

(ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज अद्यतम तकनालाजी वाले टेलीफोन उपकरण, जिनमें प्लान इन्ट्रूमेंट भी शामिल हैं, की उत्पादन क्षमता दस लाख उपकरण प्रतिवर्ष तक बढ़ा रही है। भावी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए सरकार ने राज्य/निजी क्षेत्र के 49 अन्य कारखानों को आशय-पत्र जारी किए हैं। कारखाने देश में विभिन्न स्थानों पर हैं।

विभिन्न क्षेत्रों तथा गुजरात में विद्युत की मांग की तुलना में उपलब्धता में कमी

8178. **श्री अहमद एम पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं चूंकि उद्योगों तथा सिंचाई के माध्यम से किसी राज्य का विकास मुख्यत: विद्युत सप्लाई पर निर्भर करता है;

(ख) यदि नहीं, तो सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में और विशेष रूप से गुजरात में विद्युत की मांग की तुलना में सप्लाई में कितनी कमी है;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि इससे विकास प्रभावित न हो;

(घ) क्या योजना आयोग ने गुजरात राज्य की विद्युत उत्पादन/ट्रांसमिशन परियोजनाओं को स्वीकृत तथा उनके लिए निधि प्रदान कर दी है; और के अभाव में रुकी हुई प्रस्तावित योजनाओं के नाम क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : क्षमता में वृद्धि, पारेषण और वितरण स्कीमों, ग्राम विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में विद्युत क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 33,273 करोड़ रुपए के परिव्यय की संकल्पना की गई है। सातवीं योजना अवधि के दौरान 22,245 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के अन्त तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में तथा गुजरात राज्य में विद्युत की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:—

क्षेत्र	फालतू ऊर्जा/ (कमी) (%)
उत्तरी	(6.7
पश्चिमी	1.7
दक्षिणी	(17.9)
पूर्वी	1.6
उत्तर पूर्वी	(42.8)
गुजरात	(13.6)

(ग) मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को कम करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना, लघु निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को शुरू करना, ताप विद्युत संयत्रों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, ऊर्जा संरक्षण आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) गुजरात की निम्नलिखित विद्युत उत्पादन स्कीमों को योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी अनुमोदन दिया जाना है:—

स्कीम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1. गांधीनगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट (1 × 120 मेगावाट)	103.88
2. कच्छ लिग्नाइट विस्तार (1 × 70 मेगावाट)	69.25
3. पानम नहर तल बिजली घर (2 × 1 मेगावाट)	3.33
4. उतराण ताप विद्युत केन्द्र-प्रतिस्थापन यूनिट (2 × 120 मेगावाट)	112.42

उपर्युक्त स्कीमों तथा सागरमती प्रतिस्थापना यूनिट (1×110 मेगावाट) सहित नए कार्यों के लिए सातवीं योजना में 95.14 करोड़ रुपए की एक मुश्त व्यवस्था है। गुजरात की कोई पारेषण स्कीम योजना आयोग में निवेश सम्बन्धी अनुमोदन के लिए नहीं पड़ी हैं।

तालचेर स्थित ताप बिजली संयंत्र के स्टाकयार्ड में कोयले की आवश्यकता

8179. **श्री राजाकांत डियाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर स्थित ताप बिजली संयंत्र के स्टाकयार्ड में उपलब्ध कोयले से संयंत्र की आवश्यकता पूरी नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो उस संयंत्र में कोयले की आवश्यकता पूरी करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयले की नियमित सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) यद्यपि तालचेर ताप विद्युत संयंत्र में कोयले का स्टाक कम रहा है, संयंत्र की आवश्यकताओं को कुल मिलाकर पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विद्युत संयंत्र को कोयला नियमित रूप से प्रयाप्त मात्रा सप्लाई करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं; सप्लाई करने वाले स्थान पर अतिरिक्त बंकरों और प्रयाप्त क्राशिंग क्षमता की व्यवस्था करना, विद्युत संयंत्र की नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम के अन्तर्गत बेल्टकन्वेयर प्रणाली का नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा आंशिक मात्रा में कोयले की सड़क द्वारा ढुलाई करना।

भयन्दर क्षेत्र को बम्बई टेलीफोन एक्सचेंज में शामिल करने की मांग

8180. **श्री एस. जी. घोलप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भयन्दर क्षेत्र फरवरी, 1986 तक बम्बई टेलीफोन सर्किल का एक भाग था;

(ख) क्या भयन्दर क्षेत्र को नवनिर्मित बम्बई टेलीफोन निगम में शामिल नहीं किया गया है;

(ग) क्या लोगों ने इसे बम्बई टेलीफोन निगम में शामिल करने का निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) चूंकि बम्बई में निगम का क्षेत्राधिकार बम्बई नगर निगम, न्यू बम्बई और थाणे तक सीमित है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि महानगर टेलीफोन निगम बम्बई के प्रचालन क्षेत्र के अन्तर्गत भयन्दर को शामिल न किया जाए।

आन्ध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

8181. **श्री जी. भूपति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) 1986-87 के दौरान हैदराबाद तथा आन्ध्र प्रदेश के अन्य नगरों में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है; और

(ख) 1986-87 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कितने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1986-87 के दौरान हैदराबाद तथा आन्ध्र प्रदेश के अन्य नगरों में दिये जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 4,000 और 8,000 है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में 1986-87 के दौरान एक बड़ा तथा 4 छोटे इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

केरल में बायोगैस के विकास के लिए आबंटित धनराशि

8182. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बायोगैस के विकास के लिए 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 की अवधि के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) क्या आबंटित की गई धनराशि पूरी पूरी खर्च की गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत केरल को राज्य सरकार को वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान क्रमश: 5.90 लाख रुपये, 37.80 लाख रुपये और 91.03 लाख रुपये की राशियां दी गई थीं । राज्य सरकार अब तक कुल 73.50 लाख रुपये की राशि के लगभग के लेखे प्रस्तुत कर चुकी है । एक अलग योजना के अधीन सामुदायिक एवं संस्थागत संयत्रों की स्थापना के लिये 1985-86 में केरल को 1.28 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी । अग्रिम राशि के रूप में 3000/- रुपये की राशि दी गई थी जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बोकारो की खुले मुहाने की खानों से गिरीडीह से करगली कोयला धुलाई संयंत्र तक क्रास कन्ट्री परिवहन प्रणाली द्वारा कोयले की ढुलाई

8183. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. की क्रास कंट्री परिवहन प्रणाली परियोजना, जिसमें कोयले की बोकारो की खुली मुहाने की खानों से जिला गिरीडीह में कारगली कोयला धुलाई संयंत्र तक ढुलाई की जानी थी के सम्बन्ध में 1977 में मंजूरी दी गई, अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं और इस देरी के परिणामस्वरूप मूल अनुमान की तुलना में परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हो गई है; और

(ग) क्रास कंट्री प्रणाली कब तक आरंभ कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसत साठे) : (क) से (ग) जी, हां। कोल इण्डिया लि. ने 2.06करोड़ रुपये के निवेष के लिये एक क्रास कंट्री परिवहन प्रणाली की योजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा हैऔर इसके अगस्त, 1986 तक पूरा होने की आशा है। इसके कार्यान्वयन में देरी के विभिन्न कारण हैं जैसे बेल्ट कन्वेयर की सप्लाई में देरी और साथ ही दामोदर नदी के तटबंध से इस योजना के पुर्नसंयोजन की बात ध्यान में रख कर, कार्यान्वयन से पहले इसकी तकनीकी पुनः परीक्षा। परियोजना के पूरा होने पर, इसकी कुल लागत 3.50 करोड़ रुपये आने का अनुमान है।

[अनुवाद]

मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड द्वारा वेस्पा स्कूटरों के लिए प्राप्त जमाराशि का निवेश

8184. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या उद्योग मन्त्री मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा वेस्पा एक्स. ई. स्कूटरों की बुकिंग से एकत्रित धनराशि के निवेश के बारे में दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड द्वारा किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई है और किस तारीख को तथा कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई है और अब तक उनसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट में कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने जे. एंड के. उद्योग समूह के पास ब्याज के आधार पर करोड़ों रुपये जमा कराये हैं; और

(घ) प्रत्येक उद्योग के नाम सहित उसे दी गई कुल राशि, ब्याज की दर, जमा कराने की तिथि, और अवधि तथा प्रति वर्ष प्राप्त ब्याज के बारे में ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 31-12-1985 को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के पास जमाराशियों की स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31-12-1985 को यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया में 11.47 करोड़ रुपये की धनराशि लगाई गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियों का ब्यौरा

31-12-1985 को स्थिति

बैंक का नाम/शाखा का पता	जमा राशि की अवधि वर्ष	एफ. डी. आर. संख्या	एफ. डी. आर. तिथि	परिपक्वता की तारीख	ब्याज की दर प्रतिशत	जमा की गई राशि लाख रुपये
1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मुख्य शाखा, दि माल, कानपुर	5	907386	13-01-83	13-01-88	11	5.00
	5	907387	14-01-83	14-01-88	11	5.00
	5	907388	,,	,,	11	5.00
	5	389	,,	,,	11	5.00
	5	390	,,	,,	11	5.00
	5	394	15-01-83	15-01-88	11	5.00
	5	395	,,	,,	11	5.00
	5	396	,,	,,	11	5.00
	5	397	,,	,,	11	5.00
	5	398	,,	,,	11	5.00
	5	399	,,	,,	11	5.00
	5	403	17-01-83	17-01-88	11	5.00
	5	420	20-01-83	20-01-88	11	15.00
	5	421	22-01-83	22-01-88	11	20.00
	5	431	25-01-83	25-01-88	11	10.00

1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक आफ इन्डिया,	5	907432	25-01-83	25-01-88	11	10.00
मुख्य शाखा, दि माल,	5	433	„	„	11	10.00
कानपुर	5	434	„	„	11	10.00
	5	435	„	„	11	10.00
	5	461	28-01-83	28-01-88	11	25.00
	5	462	„	„	11	25.00
	5	465	31-01-83	31-01-88	11	25.00
	5	466	„	„	11	25.00
	5	504	09-02-83	09-02-88	11	20.00
	5	505	„	„	11	25.00
	5	506	„	„	11	25.00
	5	507	„	„	11	25.00
	5	508	„	„	11	25.00
	5	509	„	„	11	25.00
	5	510	„	„	11	25.00
					योग :	420.00
	5	907511	09-02-83	09-02-88	11	25.00
	5	512	„	„	11	25.00
	5	513	„	„	11	25.00
	5	514	„	„	11	25.00

1	2	3	4	5	6		7
स्टेट बैंक आफ इन्डिया,	5	907515	09-02-83	09-02-88	11	25.00	
मुख्य शाखा, दि माल	5	536	11-02-83	11-02-88	11	25.00	
कानपुर	5	537	,,	,,	11	25.00	
	5	538	,,	,,	11	25.00	
	5	539	,,	,,	11	25.00	
	5	540	,,	,,	11	25.00	
	5	541	,,	,,	11	25.00	
	5	542	,,	,,	11	25.00	
	5	543	,,	,,	11	25.00	
	5	544	,,	,,	11	25.00	
	5	545	,,	,,	11	25.00	
	5	546	,,	,,	11	25.00	
	5	547	,,	,,	11	25.00	
	5	026308	18-02-83	18-02-88	11	10.00	
	5	311	19-02-83	19-02-88	11	25.00	
	5	312	,,	,,	11	20.00	
	5	313	,,	,,	13	20.00	
	5	314	,,	,,	11	20.00	
	5	315	,,	,,	11	20.00	
	5	316	,	,,	11	20.00	
	5	026317	,,	,,	11	20.00	10000

1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक आफ इन्डिया,	5	030960	05-10-84	05-10-89	11	12.50
मुख्य शाखा, दि माल,	5	030961	,,	,,	11	12.50
कानपुर	5	445535	19-12-84	19-12-89	11	9.65
	5	446543	13.04-85	13-04-90	11	36.20
	5	446574	27-06-85	27-06-90	11	4.10
	5	445536	19-12-84	19-12-89	11	10.60
	5	446567	27-05-85	27-05-90	11	12.03
	5	446577	05-07-85	05-07-90	11	16.79
	5	446588	15-07-85	15-07-90	11	16.32
	3	029765	23-07-84	23-07-87	10	10.00
	1	029766	23-0 -85	23-07-86	8	20.00
	1	767	,,	,,	8	5.00
	1	768	,,	,,	8	1.00
	1	769	06-09-85	06-09-86	8	0.10
	1	030962	05-10-85	05-10-86	8	10.00
	1	963	,,	,,	8	10.00
	1	964	,,	,,	8	10:00
	1	965	,,	,,	8	10.00
	1	445533	19-12-85	19-12-86	8	15.00
	1	445554	,,	,,	8	16.40
	1	446542	13-04-85	13-04-86	8	25.00

1	2	3	4	5	6	7	
स्टेट बैंक आफ इन्डिया,	1	446566	27-05-85	27-05-86	8	18.60	
मुख्य शाखा, दि माल,	1	446578	05-07-85	05-07-86	8	25.95	
कानपुर	1	446867	15-07-85	15-07-86	8	25.24	322.98
					योग		1322.98
बैंक आफ इण्डिया	3	21/3	12-02-83	12-02-86	10	10.00	
गुमुटी नं. 5, कानपुर	3	21/4	,,	,,	10	10.00	
	3	21/5	,,	,,	10	10.00	
	3	21/6	,,	,,	10	10.00	
	3	21/7	,,	,,	10	10.00	
	3	21/8	,,	,,	10	10.00	
	3	21/9	,,	,,	10	10.00	
	3	21/10	,,	,,	10	10.00	
	3	21/11	,,	,,	10	10.00	
	3	21/12	,,	,,	10	10.00	
	3	21/13	,,	,,	10	30.00	
	3	21/14	14-02-83	14-02-86	10	12.00	
	3	21/31	28-05-83	15-05-86	10	35.00	150.00
कैनरा बैंक	3	160702	16-02.83	15-02.86	10	10.00	
दि माल कानपुर	5	160708	24-02-83	24-02-88	11	10-00	
	5	160709	,,	,,	11	10.00	
	5	160710	,,	,,	11	10.00	40.00

1	2	3	4	5	6	7	
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	3	003178/1538	21-02-83	21-02-86	10	10.00	
सर्वोदय नगर, कानपुर	5	003185/1544	15-03-83	15-03-88	11	10.00	
	5	003186/1545	,,	,,	11	10.00	
	5	003187/1546	,,	,,	11	10.00	
	5	003188/1547	,,	,,	11	10.00	50.00
इण्डियन ओवरसीज बैंक	5	120090	07-02-83	07-02-88	11	20.00	
सर्वोदय नगर, कानपुर	5	120091	,,	,,	11	20.00	
	5	120092	,,	,,	11	20.00	
	5	120093	,,	,,	11	20.00	
	5	120094	,,	,,	11	20.00	
	5	120095	,,	,,	11	20.00	
	5	120096	,,	,,	11	20.00	
	5	120097	,,	,,	11	20.00	
	5	120098	,,	,,	11	20.00	
	5	120099	,,	,,	11	20.00	
	5	120100	,,	,,	11	20.00	
	5	120101	,,	,,	11	20.00	
	5	120102	,,	,,	11	20.00	
	5	120104	17-02-83	17-02-86	11	20.00	
	5	120105	,,	,,	11	20.00	300.00

1	2	3	4	5	6	7	
इण्डियन ओवरसीज बैंक	2	194099/44/84	03-08-84	03-08-86	9	25.00	
	2	194100/45/84	,'	.,	9	25.00	
	2	194101/46/84	,,	,,	9	12.50	362.50
सिंडीकेट बैंक, सर्वोदय नगर कानपुर	5	003403	15.02.83	15.02.88	11	10.00	
	5	003405	03.03.83	03.03.88	11	10.00	
	5	003406	,,	,,	11	10.00	
	5	003407	,,	,,	11	10.00	
	5	003408	,,	,,	11	10.00	
	5	003410	16.03.83	16.03.88	11	10.00	
	5	003411	16.03.83	16.03.88	11	10.00	70.00
इण्डियन बैंक, हालसी रोड, कानपुर	5	249824	17.02.83	17.02.88	11	10.00	
	5	825	,,	,,	11	10.00	
	5	826	,'	,'	11	10.00	
	5	827	,'	,,	11	10.00	
	5	828	18.02.83	18.02.88	11	10.00	
	5	829	21.02.83	21.02 88	11	10.00	
	5	830	25.02.83	25.02.88	11	10.00	
	5	831	,'	,,	11	10.00	
	5	847	06.06.83	06 06.88	11	50.00	

1	2	3	4	5	6	7	
इंडियन बैंक, हालसी रोड,	5	849	08.06.83	08.06.88	11	50.00	
कानपुर जारी	5	852	15.06.83	15.06.88	11	20.00	200.00
						———	
हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक,	5	033917	11.03.83	11.03.88	11	10.00	
कालपी रोड, कानपुर	5	918	,,	,,	11	10.00	
	5	919	,,	,	11	10.00	
	5	920	,,	,,	11	10.00	
	5	033921	,,	,,	11	10.00	50.00
						———	
बैंक आफ इण्डिया मेन	5	1409	04.06.83	04.06.88	11	50.00	
ब्रांच, कानपुर	5	1410	,,	,,	11	50.00	100.00
						———	
युनाइटेड बैंक आफ इन्डिया	3	829905	16.02.83	18.02.86	10	10.00	10.00
बिरहाना रोड. कानपुर						———	
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स,	3	151464/17/83	17.2.83	17.02.86	10	10.00	10.00
दी माल कानपुर							2365.48
पंजाब नेशनल बैंक	5	286941	23.06.83	23.06.88	11	1.00	
पानकी इण्डस्ट्रियल एरिए, कानपुर	5	942	,,	,,	11	1.00	
	5	943	,,	,,	11	1.00	
	5	944	,,	,,	11	1.00	
	5	945	,,	,,	11	1.00	

1	2	3	4	5	6		7
पंजाब नेशनल बैंक जारी	5	946	23.06.83	23.06.88	11	1.00	
	5	947		,,	11	1.00	
	5	948	,,	,,	11	1.00	
	5	949	,,	,,	11	1.00	
	5	950	,,	,,	11	1.00	
	5	496205	28.03.85	23.03.90	11	10.00	
	5	496218	27.06.85	27.06.90	11	10.00	
	5	496219	,,	,,	11	10.00	
	15 दिन	496227	27.12.85	11.01.86	3	25.00	65.00
पंजाब नेशनल बैंक	5	816676	24.02.83	24.02.88	11	10.00	
मेस्टन रोड, कानपुर	5	816677	,,	,,	11	10.00	20.00
स्टेट बैंक आफ पटियाला घरासी रोड, लुधियाना	5	192304	25.03.85	25.03.90	11	5.00	5.00
यूनियन बैंक आफ इण्डिया बिरहाना रोड, कानपुर	3	009329	03.05.85	03.05.88	10	10.00	10.00
बैंक आफ इण्डिया, बकर गंज कानपुर	3	364	28.10.85	28.10.88	10	5.00	5.00
							2470.48

31-12-1985 को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के पास जमाराशियों का ब्यौरा

पार्टी का नाम	जमाराशि की अवधि वर्ष	एफ. डी. आर. संख्या से	तक	तिथि	परिपक्वता की तिथि	ब्याज की दर प्रतिशत	जमा की गई राशि लाख/रुपये	
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	3	17084		24-02-83	24-01-86	14	5.00	
	3	16837	16846	07-02-83	31-01-86	14	100.00	
	3	17191	17195	24-02-83	14-02-86	14	100.00	
	3	17625	17628	05-03-83	22-02-86	14	100.00	305.00
एच. एम. टी. लिमिटेड	3	305747		29-05-83	25-01-86	14	5.00	
	3	303843	303846	11-05-83	29-01-86	14	100.00	
	3	305236	305239	29-05-83	25-02-86	14	100.00	
	3	305399	305402	29-05-83	28-03-86	14	100.00	305.00
इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	3	316180		04-03-83	24-01-86	14	5.00	
	3	315312		25-02-83	29-01-86	14	100.00	
	3	316720	316727	24-03-83	25-02-86	14	200.00	305.00
भारत पेट्रोलियम कारपो. लिमिटेड	3	305670		25-01-83	25-01-86	14	5.00	
	3	306660	306663	04-02-83	04-02-86	14	100.00	
	3	305933	305936	24-02-83	22-02-86	14	100.00	205.00

1	2	3	4	5	6	7	8	
राष्ट्रीय केमिकल एण्ड	3	3007364	. .7367	22-02.83	01-02-86	14	100.00	
फर्टिलाइजर लिमिटेड	3	3007435	. .7438	10-03-83	28-02-86	14	100.00	200.00
सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	3	102294	102301	21-04-84	22-04-87	14	200.00	200.00
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	3	400037	400044	08-03-84	22-02-87	14	200.00	200.00
मद्रास रिफाइनरीज लि.	3	00985	00988					
		00964	10867	25-02-83	25-02-86	14	100.00	100.00
मजगांव डाक लिमिटेड	3	01391	01394	02-02-83	02-02-86	14	100.00	100.00
इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	3	003211	003214	23-02-83	20-02-86	14	100.00	100.00
हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3	05649	05652	31-03-83	17-02-86	14	100.00	100.00
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	3	06499	06502	26-03-83	24-02-86	14	100.00	100.00
					योग			2220.00

यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम और भारतीय इन्जीनियरी उद्योग संघ का गोल मेज सम्मेलन

8185. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम और भारतीय इन्जीनियरी उद्योग संघ के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी हां। इस प्रकार की बैठक 24 और 25 मार्च 1986 को हुई थी।

(ख) और (ग) यह एक गैर सरकारी बैठक थी और सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं थी हालांकि वहां एकत्रित विदेशी उद्योगपतियों और व्यापारियों को भारत की औद्योगिक राजकोषीय और व्यापारिक नीतियों के विषय में जानकारी देने हेतु इसमें मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया था। बैठक में औपचारिक रूप से कोई निर्णय नहीं किए गए थे जिसकी सूचना सरकार को दी गई थी।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में टेलीफोन सेवा के सुधार के लिये किया गया व्यय

8186. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास शहरों में टेलीफोन सेवा के सुधार और/अथवा उसके विस्तार के लिए प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्यों के लिए कितना व्यय किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) समूचे देश के दूर संचार नेटवर्क का संचालन एक संघठित नेटवर्क के रूप में किया जाता है। अत: किसी भी प्रशासिनक यूनिट द्वारा किए गए खर्च से न केवल उस प्रशासनिक यूनिट की दूर संचार सेवाओं में सुधार लाने तथा उनका विस्तार करने में मदद मिलेगी। बल्कि समूचे नेटवर्क में भी इससे मदद मिलेगी। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में छठी योजना के दौरान दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने/दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वर्षवार जो खर्चा किया गया, वह नीचे दिया गया है:—

वर्ष	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	कुल (80-8 करोड़ रु.
योग	63.8	121.8	161.6	203.8	231.8 (अर्थात लगभग 10 लाख)	782.9

अभी तक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के लिए सातवीं योजना में 1985-86 के लिए 237 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है (अर्थात लगभग 10 लाख)

तेल भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के उपाय

8187.**श्री विजय एन. पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल भंडारण सुविधाओं की कुशलता में सुधार करने और क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार योरुप के विकसित देशों और अमरीका में प्रचलित तेल की भूमिगत भण्डारण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए हमारे विशेषज्ञों का एक दल वहां भेजने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) छठी योजना में अतिरिक्त क्रूड टैंकों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया था । परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद टैंकों की वृद्धि की जा रही है ?

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) भूमिगत भंडारण व्यवस्था के विस्तार से सम्बन्धित व्यवहारिकता का अध्ययन किया जा रहा है ।

आयल इण्डिया लिमिटेड का अधिकतम प्राकृतिक गैस सप्लाई कार्यक्रम

8188. **श्री के. वी. शंकरगौडा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने उत्तरी असम में एक एसोसिएटिड गैस के जलाये जाने को कम से कम करने के लिए एक अधिकतम प्राकृतिक गैस सप्लाई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नए कार्यक्रम के पश्चात आयल इन्डिया गैस का कितना उत्पादन करेगा; और

(घ) इससे गैस की कमी किस सीमा तक पूरी होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखरसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में मुख्यत: सम्बद्ध गैस को जलाया जा रहा है जिसका कारण मांग की कमी तथा उपभोक्ताओं द्वारा गैस को वचनवद्धता के अनुसार न उठाना है । इसको देखते हुए नए फाल-बैक प्रयोगकर्ताओं का पता लगाने तथा वचनबद्धता से अधिक गैस की सप्लाई के लिए कार्यवाही की जा रही है ताकि वचनबद्ध प्रयोगकर्ताओं द्वारा गैस के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कमी होने के मामले में गैस को जलाने से बचाया जा सके। हाल ही में आयल इन्डिया लिमिटेड ने

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उनके कत्थलगुड़ी में प्रस्तावित गैस पर आधारित बिजलीघर के लिए 1.00 मिलियन घनमीटर गैस प्रतिदिन देने का वचन दिया है। इस अतिरिक्त मात्रा में गैस की सप्लाई को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त गैस के लिए प्रर्याप्त भण्डारण सुविधायें बनाने का आयल इन्डिया लि. का प्रस्ताव है। आशा है ये सुविधायें 1988 में पूरी हो जायेंगी।

(ग) और (घ) इस योजना के पूरा होने पर आशा है 1988-89 से आयल इन्डिया लि. प्रतिदिन लगभग 4.5 मि. घनमीटर गैस का उत्पादन करेगी। यह पहले ही दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए प्रर्याप्त होगी।

चन्दन, इलाइची, दालचीनी और खस के तेलों का निर्यात तथा इससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

8189. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितने चन्दन, इलाइची, दालचीनी और खस का तेल निकाला जाता है,

(ख) ये तेल निकालने के मुख्य केन्द्र कौन-कौन से हैं,

(ग) इन तेलों को निकालने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है तथा क्या सरकार बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(घ) इन तेलों की कितनी मात्रा का निर्यात किया जा रहा है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अधिकतर आनिवार्य तेलों का उत्पादन लघु क्षेत्र में किया जा रहा है। तथा उनके निष्कर्षण का कोई प्रमाणिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। चन्दन की लकडी अधिकतर तमिलनाडु एव कर्नाटक में पाई जाती है तथा वेटीवर की खेती अधिकतर केरल में तथा उत्तरी भारत के दलदलों में की जाती है।

(ग) उक्त अनिवार्य तेलों का निष्कर्षण वाष्पशील एवं गैर-वाष्पशील दोनों प्रकार के घोलकों के प्रयोग से किया जाता है। सरकार ने इन उद्योग (अनिवार्य तेल) के विकास एवं स्थापना के लिए एक समिति गठित की थी जिसने और अधिक उत्पादन के लिए तरीकों एवं उपायों की सिफारिश की है।

(घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 के तीन वर्षों में दालचीनी पत्ते, चन्दन की लकड़ी एवं वेटीवर तेल के आयातों का मूल्य क्रमश: 364.4 लाख रुपए 345,7 लाख रुपए तथा 265.5 लाख रुपये था। दालचीनी तेल के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 1983-84 एवं 1894-85 के दौरान सभी अनिवार्य तेलों का कुल आयात क्रमश: 797.6 लाख रुपये तथा 734.1 लाख रुपये का हुआ।

उड़ीसा में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने (एस. टी. डी.) की सुविधायें

8190. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कौन-कौन से नगर डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा से जुड़े हुये हैं;

(ख) सातवीं योजना के दौरान किन शहरी केन्द्रों को एस. टी. सी. की सुविधा प्रदान की जायेगी; और

(ग) क्या उड़ीसा में सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में कोई एस. टी. डी. की नई सुविधाएं दी गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एस. टी. डी. सेवा उड़ीसा के 8 शहरों में अर्थात (1) बालासौर, (2) बरहामपुर (3) भुवनेश्वर, (4) चांदवर, (5) कटक, (6) पारादीप, (7) पुरी, (8) राऊरकेला में उपलब्ध है। प्वाइन्ट-टू-प्वाइन्ट आधार पर उपलब्ध एस. टी. डी. कनैक्शन निम्नलिखित हैं:—

1. कटक—भुवनेश्वर
2. बरहामपुर—कटक
3. बरहामपुर—भुवनेश्वर
4. पारादीप—भुवनेश्वर
5. पुरी—भुवनेश्वर
6. पुरी—कटक
7. चांदवार—बरहामपुर
8. चांदवार—बरहामपुर
9. भुवनेश्वर—बालासौर

इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर चौदवार, कटक और राऊरकेला को ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज कलकत्ता के साथ जोड़ा गया है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के निम्नलिखित शहरी केन्द्रों में एस. टी. डी. सुविधायें प्रदान करने की योजना है:—

1. भादरक, 2. बोलनगीर, 3. बड़ागर, 4. भवानी पटना, 5. बारीपाड़ा, 6. छतरपुर 7. धेनकनाल, 8. झारसुगुड़ा, 9. क्योंझर, 10. कोरापुट, 11. फूलबनी, 12. सम्बलपुर, 13. सुन्दरगढ़।

(ग) जी हां। बालासौर और भुवनेश्वर के बीच प्वाइन्ट-टू-प्वाइन्ट एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की गई है।

"भेल" की क्षमता का कम उपयोग किया जाना

8191. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में आने वाले वर्षों में ताप और पन-बिजली सेटों के निर्माण क्षमता का कम उपयोग किया जाएगा;

(ख) भारत में उपयोक्ताओं और विदेशों से बुक की गई क्षमता आर्डरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षमता कितनी फालतू है और उत्पादन क्षमता के विविधीकरण सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) 31-3-1986 तक प्राप्त हुये निश्चित क्रयादेशों के आधार पर सातवीं योजना अवधि में बी. एच. ई. एल. की क्षमता का उपयोग थर्मल सेटों के मामले में 50% और हाइड्रो सेटों के मामले में 32% होगा। क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादों का विविधीकरण और सेवाओं तथा फालतू पुर्जों की सप्लाई को सुदृढ़ बनाने का काम शुरू किया गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के आबंटन के बारे में माथुर समिति

8192. **श्री शांताराम नायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के आबंटन सम्बन्धी सिद्धान्तों के मामले में सरकार को परामर्श देने के लिये एक सदस्यीय समिति का गठन किया था;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सामान्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए नियुक्त समितियों की रिपोर्टें आमतौर पर संसद के पटल पर नहीं रखी जाती हैं।

पारेषण हानियां

8193. **श्री मुहीराम संकिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च पारेषण हानियों और क्षेत्रीय ग्रिडों के परिचालन को समेकित करने में असफलता तथा अपेक्षाकृत निम्न संयंत्र भार अनुपात के कारण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्त करने के लिये इस दिशा में अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान 6,58,780 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया था, जबकि इसकी तुलना में लक्ष्य 6,61,990 मिलियन यूनिट का था। इस प्रकार, उपलब्धि लक्ष्य की तुलना में 99.52% थी यद्यपि कुछ बिजली बोर्डों के ताप विद्युत केन्द्रों के कम संयंत्र भार अनुपात से उनके विद्युत उत्पादन पर

प्रभाव पड़ा था, फिर भी कुल मिलाकर पारेषण हानियों और क्षेत्रीय ग्रिड प्रचालनों से विद्युत उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा था।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों का दायित्व सम्भालने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना ।

(ख) अपेक्षित मात्रा में और गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त करने तथा स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जे प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना ।

(ग) जिन कमजोर क्षेत्रों में सुधार लाया जाना अपेक्षित है उनका पता लगाने तथा सुधार के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बलों और भ्रमणशील दलों द्वारा दौरा करना ।

(घ) इन्जीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना ।

(ङ) कुल 500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम क्रियान्वित करना, जिसमें 32 ताप विद्युत केन्द्रों को शामिल किया गया है ।

कोयला और विद्युत क्षेत्रों के विकास के लिए कनाडा की सहायता

8194. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने इस देश में कोयला व विद्युत क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है, यदि हां तो कोयला तथा विद्युत क्षेत्रों में कनाडा की सहायता लेने के लिए तय हुई शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता का देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम "भेल" पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिसने पर्याप्त क्षमता स्थापित कर ली है तथा विश्व में अग्रणी विद्युत उपकरण निर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी करार किए हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां । कोयला तथा विद्युत क्षेत्रों के विकास के लिए कनाडा के संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

कोयला : राजमहल ओपेनकास्ट परियोजना के, निष्पादन गारन्टी आधार पर, 10 मि. टन प्रति वर्ष क्षमता तक विकास के लिए कनाडा के मेसर्स मैट केम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

विद्युत : चालू परियोजनाओं के अलावा, कनाडा के संगठनों ने भारत में अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है । किसी निश्चित परियोजना

के लिए इस प्रकार की सहायता, स्थापित की जाने वाली कुल क्षमता, और परियोजना स्थल के सम्बन्ध में अभी तक कोई औपचारिक करार नहीं किया गया है।

कलकत्ता में टेलीफोन प्रणाली

8195. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन प्राधिकारियों ने कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के लिए अति आधुनिक उपकरणों तकनीकी कर्मचारियों तथा संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली की सभी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपेक्षित निधि लगभग 250 करोड़ रुपए बैठती है जिसमें सातवीं योजना हेतु दूरसंचार विभाग के लिए अनुमोदित 4010 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से केवल 80 करोड़ रुपये प्रदान किए जा सकेंगे। विभाग ने अतिरिक्त निधि के लिए विशेषकर कलकत्ता इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ने अनुरोध किया था परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः विभाग उपलब्ध सीमित संसाधनों के आधार पर उन परियोजनाओं को पूरा करने तथा कलकत्ता दूर संचार सेवाओं से सुधार की दृष्टि से हर संभव प्रयास करेगा जिस पर काम चल रहा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाने में लोगों का सहयोग

8196. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की टेलीफोन कनेक्शन की मांग के अनुसार उन्हें टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु पर्याप्त संसाधनों को जुटाने के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूर संचार सेवाओं के विकास के लिए खुले बाजार में बांड बेचकर पूंजी अर्जित कर संसाधनों को संगठित करने के लिए जनता से सहयोग प्राप्त करने की एक योजना विचाराधीन है।

(ख) इस योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कन्नानूर कुलम टेलीफोन एक्सचेंज त्रिवेन्द्रम के साथ सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा

8197. **श्री ए. आल्स** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी कुलम टेलीफोन एक्सचेंज को त्रिवेन्द्रम के साथ डायल घुमाकर सीधे डायल करने की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्थिति में है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का निर्माण करने वाले एकक

8198. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कारखाने खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण कर रहे हैं,

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा सिलेण्डर निर्माताओं को एक वर्ष के दौरान कितने सिलेण्डर बनाने के क्रयादेश दिए जाते हैं और तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सिलेण्डर बनाने के क्रयादेश देने के मामले में अधिसूचित पिछड़े आदिवासी और उद्योगविहीन क्षेत्रों में स्थापित किये गये कारखानों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) उन कम्पनियों को जिन्हें खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, सिलेण्डरों की सप्लाई के लिए क्रयादेश किन कारणों से नहीं दिए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान 53 यूनिटें तेल विपणन कम्पनियों के लिए एल. पी. जी. सिलिंडरों का निर्माण कर रही थी।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) एल. पी. जी. सिलिंडर बनाने वाली यूनिटों के लिये उद्योग (विकास और विनियन) अधिनियम 1951 के अधीन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और उनके लिए केवल डी. जी. टी. डी./राज्य के उद्योग निदेशालयों में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। वर्ष 1986-87 की आवश्यकताओं के लिये सप्लाई आदेश तेल विपणन कम्पनियों द्वारा 71 यूनिटों को दे दिये गये हैं।

विवरण

(आंकड़े लाखों में)

राज्य का नाम	1985-86 के दौरान दिए गए आदेश
1. आन्ध्र प्रदेश	17.20
2. असम	0.10

1	2
3. बिहार	0.48
4. दिल्ली	0-18
5. गुजरात	1.04
6. हरियाणा	6.97
7. जम्मू और कश्मीर	0.70
8. कर्नाटक	2.97
9. केरल	0.10
10. मध्य प्रदेश	1.00
11. महाराष्ट्र	9.67
12. उड़ीसा	0.98
13. पंजाब	1.20
14. राजस्थान	2.48
15. तमिलनाडु	3.51
16. उत्तर प्रदेश	4.27
17. पश्चिम बंगाल	0.86
	53.71

[अनुवाद]

मुरादाबाद जिले में पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस के खुदरा बिक्री केन्द्र

8199. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पेट्रोल डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र हैं;

(ख) क्या लोगों और किसानों की आवश्यकता पूरी करने हेतु अधिक बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है;

(ग) उपर्युक्त जिले के लिये खाना पकाने की गैस की अब तक कितनी ऐजेंसियां मंजूर की गई हैं;

(घ) क्या इस जिले के निवासियों की आवश्यकता पूरी करने हेतु उनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) फिलहाल, मुरादबाद जिले में 59 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिपें कार्य कर रही हैं उसमें एक यूटिलिटि पम्प शामिल है।

(ख) जी हां। मुरादाबाद सहित देश में नये खुदरा बिक्री केन्द्र आर्थिक व्यवहार्यता और मात्रा-दूरी मानदंडों के अनुसार खोले जाते हैं।

(ग) फिलहाल, मुरादाबाद जिले में 7 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्य कर रही हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) चार नये एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के प्रस्ताव हैं दो के लिए वितरकों का चयन किया जा चुका है, और शेष दो के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।

मद्रास तेल शोधक कारखाने में ऊर्जा की बचत

8200. **श्री पी. कुलनवई बेलू** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित तेल विशेषकर स्नेहकों, पर निर्भरता को कम करने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) देश में स्नेहकों की उपलब्धता को देखते हुए आयातित स्नेहकों पर निर्भरता को कम करने के लिये मद्रास तेल शोधक कारखाने में ऊर्जा की बचत के लिए क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) आयातित तेल, विशेषकर लुब्रीकेंटों पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न कदम उटाए जा रहे हैं जिनमें देश में क्रूड का उत्पादन बढाना, शोधन क्षमता बढ़ाना, ल्यूब उत्पादन क्षमता बढ़ाना और इनके संरक्षण को बढावा देना। दीर्घकाल तक चलने वाले लुब्रीकेंटों और प्रयुक्त हुए तेलों का पुन: प्रयोग करके लुब्रीकेंटों को संरक्षण करना।

(ग) मद्रास रिफाइनरी संरक्षण पर तीन योजनाएं लागू कर रहे हैं। इनमें आंयल स्किमरों की व्यवस्था करना, कोन रूफ टैंकों का फ्लोरिंग रूप टैंकों में परिवर्तन करना और इकोनोमाइजरों की स्थापना करना सम्मिलित है।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया जाना

8201. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1985 में कुछ उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया जाना सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) और (ख) उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने पर विचार उन उद्योगों के लिए किया जाता है जिसमें प्रथम दृष्टया 5 वर्ष के कार्य निष्पादन के परिप्रेक्ष्य में और क्षमता विस्तार की आवश्यकता होती है, उन उद्योगों के लिए जो पूंजीगत वस्तुओं से संबंध रखते हैं और खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आते हैं, और जो राष्ट्रीय महत्व के रूप में एकाधिकार अवरोधक और व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 22क के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं उन मदों के संबंध में ये सामान्य जनता विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के उपयोग को हो उन उद्योगों के लिए जिनकी निर्यात की संभावनाएं हों और जिन उद्योगों में उच्च प्रौद्योगिकी निहित हो अथवा जहां प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है।

उपर्युक्त मापदंड पर आधारित उद्योगों की 25 व्यापक श्रेणियां और 82 प्रपुंज औषधियों और अवमिश्रणों (फारमूलेशनों) को गैर एम. आर. टी. पी. फेरा कपनियों के लिए मार्च/जून 1985 में लाइसेंसमुक्त किया गया था। बाद में जनवरी, 1986 में कुछ और और उद्योगों को केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए एम. आर. टी. पी./फेरा कंपनियों के लिए लाइसेंस मुक्त किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) उद्योगों को लाइसेंस मुक्त उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के खंड 29ख की शर्तों में छूट देने संबंधी उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार नेटवर्क के लिए संयुक्त राज्य से सहायता

• 8202. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य इस देश में कम लागत के और विश्वसनीय दूरसंचार के लिये दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार प्रौद्योगिकी में सहायता प्रदान करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) क्या भूतपूर्व सीनेटर चार्ल्स पर्सी ने इस बारे में उनसे बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार ने अमरीकी परामर्शदाताओं की सेवाएं देने तथा अमरीकी उपस्कर तथा सेवाओं की "एक्जिम बैंक" के जरिये खरीद करने के लिए, वित्तीय सहायता देने की इच्छा प्रकट की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

परोक्सीवोन कैप्सूलों का मूल्य निर्धारण

8203. **श्री सुभाष यादव** : क्या उद्योग मंत्री निर्धारण के बिना परोक्सीवोन कैप्सूल की बिक्री के बारे में 17 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं. 4265 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परोक्सीवोन कैप्सूलों का मूल्य सरकार से निर्धारित करा लिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इन औषधियों के निर्माताओं द्वारा इन्हें बहुत अधिक मूल्य पर बेचने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. अवधूत सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स पनामा लैब्स प्रा. लि. द्वारा उत्पादित प्रोक्सीवोन कैपसूल्स के मूल्य अब निर्धारित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज

8204. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के नये स्रोतों की खोज की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतो के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए गहन अनुसंधान और विकास कार्यकलापों तथा प्रदर्शन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कुछ प्रौद्योगिकियां पहले ही विकसित की जा चुकी हैं जिन्हें विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी रूप से संभाव्य पाया जा चुका है। बायोगैस विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम, उन्नत प्रकार के चूल्हे का राष्ट्रीय कार्यक्रम और सौर तापीय विस्तार कार्यक्रमों जैसे बड़े पैमाने के विस्तार कार्यक्रम देश भर में शुरू किए जा चुके हैं तथा उन्हें वित्तीय संसाधनों की सीमा तक विस्तृत किया जा रहा है। ये देश भर में लाखों लोगों और कुछ संस्थाओं को पहले ही ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं तथा ऊर्जा की बचत कर रहे हैं। सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियां विकसित की जा चुकी हैं तथा इन्हें दूरदराज के गांवों को विद्युतीकृत करने और अन्य लघु विद्युत आवश्यकताओं के लिए बढ़ाकर लगाया जा रहा है। पंपन और विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के तीन पवन फार्म स्थापित किए जा चुके हैं तथा इस क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। बायोमास के उत्पादन, रूपांतरण और उपयोग से संबंधित परियोजनाएं विस्तरण स्तर तक पहुँच गई हैं तथा विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए बायोमास गैसीफायरों को वाणिज्यीकृत करना भी शुरू किया गया है। ऊर्जा में आत्मनिर्भर कुछ गांवों की स्थापना की जा चुकी है तथा बड़ी संख्या में गांवों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया

गया जहां खाना बनाने, रोशनी तथा संपूर्ण गांव की अन्य आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा स्थानीय रूप से उपलब्ध अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की लागत को कम करने और दक्षता को सुधारने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को पुनः बढ़ाया जा चुका है।

सौर तथा ऊर्जा का उपयोग

8205. डा. के. जी. आदियोडी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पैमाने पर सौर ताप ऊर्जा का उपयोग करके परम्परागत ईंधन बचाने वाले राज्यों के साथ लागत कम करने के लिए चालू योजना अवधि के लिए क्या प्रस्ताव है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी योजना का ब्योरा क्या है और इसके लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) लागत कम करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, जल हीटरों, पवन हीटरों, विलवणीकरण प्रणालियों, काष्ट भट्टियों, कुकरों और शुष्ककों की देश में स्थापना की जा रही है। सरकार द्वारा इन प्रणालियों के लिए लागत का हिस्सा निम्न प्रकार से है :—

(1) सौर कुकर	150/-रुपये प्रति मद
(2) अन्य स्थापित सौर तापीय प्रणालियां	1
(क) केन्द्रीय सरकार की स्वामित्व वाली भूमि भवन, पब्लिक ट्रस्ट, शैक्षिक संस्थाएं, धमार्थ और धार्मिक संस्थाएं।	100 प्रतिशत
(ख) राज्य सरकार की भूमि/भवन, सहयोगी स्वायत संस्थाएं	75 प्रतिशत
(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	50 प्रतिशत
(घ) घरेलू उपयोग के लिए जल तापन प्रणाली	50 प्रतिशत (अधिक से अधिक 3000/ रुपये तक)
(च) प्राइवेट औद्योगिक वाणिज्यिक एकक	33$\frac{1}{3}$-प्रतिशत
(छ) ग्रामों/पिछड़े इलाकों में सौर विलवणीकरण प्रणालियां	100 प्रतिशत
(ज) कृषि फार्मों/चावल की मिलों एवं यक्तिगत किसानों के लिए, कृषि उत्पादनों हेतु सौर शुष्कक	50 प्रतिशत

]हिन्दी]

शाहदरा टेलीफोन एक्सचेंज

8206. **श्री तेजा सिंह डर्डी :**

श्री बलवंतसिंह रामूवालिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम, शाहदरा एक्सचेंज को चलाने का उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह निगम भी पूर्वी दिल्ली में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों को चलाने का उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है, जो पहले दिल्ली से चलाये जा रहे थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम के कार्य क्षेत्र को संघशासित क्षेत्र दिल्ली तक सीमित रखा गया है। शाहदरा क्षेत्र को चार एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही थी जिनके कोड 20, 86, 21 और 24 हैं। 20 और 86 कोड वाले शाहदरा पूर्व एक्सचेंज संघशासित क्षेत्र दिल्ली से बाहर पड़ते है। अत: इस एक्सचेंज को दिल्ली टेलीफोन प्रणाली से उत्तर प्रदेश दूर-संचार सर्किल में अन्तरित कर दिया गया है। दूसरी ओर 21 और 24 कोड वाले शाहदरा और लक्ष्मीनगर एक्सचेंज संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में आते हैं। अत: ये महानगर टेलीफोन निगम के ही अंग हैं।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त शाहदरा पूर्व एक्सचेंज की भांति संघशासित क्षेत्र दिल्ली से बाहर स्थित अन्य एक्सचेंजों को भी महानगर टेलीफोन निगम के कार्य क्षेत्र से अलग कर दिया है।

[अनुवाद]

आवर्तन साइकिल विद्युत परियोजना क लिए विश्व बैंक से ऋण

8207. **श्री के. रामचंद्र रेड्डी :**

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सतत आवर्तन (साइकिग) विद्युत परियोजना के लिए 485 मिलियन डालर के ऋण की स्वीकृति दी है;

(ख) उक्त ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन संयंत्रों को किन स्थानों पर लगाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) यह ऋण आई. बी. आर. डी. ऋणों पर लागू मानक शर्तों और निबंधनों पर प्राप्त किया जाएगा। ऋण की अदायगी 20 वर्षों में की जानी है जिसमें 5 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है, तथा इस पर ब्याज की दर परिवर्तनीय है जो कि इस समय 8.5 प्रतिशत है।

(ग) संयंत्रों को कवास (गुजरात), औरैया (उत्तर प्रदेश) और अन्टा (राजस्थान) में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों द्वारा लाइसेंस मुक्त उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता

8208. **श्री सलाउद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कार्य विभाग ने दिनांक 21 फरवरी 1986 की अपनी अधिसूचना संख्या 65 (ङ) के अनुसार उद्योग मंत्रालय की दिनांक 30 जनवरी, 1980 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 6 में उल्लिखित सभी उद्योगों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम की धारा 21 और 22 के उपबंधों से मुक्त कर दिया है;

(ख) क्या इन दो अधिसूचनाओं का लाभ उठाने की इच्छुक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस मुक्त किए जाने और छूट दिए जाने पर भी अब भी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री श्री एम. अरूणाचलम) : (क) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी की गई दिनांक 21 फरवरी, 1986 की अधिसूचना, गैर—एम. आर· टी. पी. फेरा कंपनियों के लिए औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 16 मार्च के प्रेस नोट सं· 7 द्वारा लाइसेंस मुक्त किए गए 25 उद्योगों को, अन्य बातों के साथ-साथ एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 21 और 22 की प्रक्रिया से भी मुक्त करती है। दिनांक 30 जनवरी 1986 के प्रेस नोट सं. 6 में उल्लिखित उद्योग कंपनी कार्य विभाग को दिनांक 22 मई, 1985 की अधिसूचना द्वारा पहले ही मुक्त किये जा चुके हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग की दिनांक 31 मार्च, 1986 की अधिसूचना द्वारा एम. आर. टी. पी,/फेरा कंपनियां के लिये कुछ उद्योगों के कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंसमुक्त कर दिया था। इन उद्योगों के सम्बन्ध में एम. आर. टी, पी. कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

संयुक्त उद्यमों के लिए वी. सी. आर· और वी· सी· पी. हेतु लाइसेंस देने की नीति

8209. **श्री बाई. एस. महाजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों को वी. सी. आर· और वी. सी. पी. के निर्माण के लिए लाइसेंस देने के बारे में सरकार की नीति क्या है,

(ख) क्या अनिवासी भारतीयों को उक्त योजनाओं में केवल प्रारम्भ में ही पूंजी निवेश करना होता है या ऐसी योजनाओं के पूरे स्वदेशीकरण तक पूंजी लगानी होती है; और

(ग) क्या सरकार विदेशी पूंजी के स्थान पर अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में विदेशी साझेदारी को प्राथमिकता देती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) वी. सी. आर. और वी. सी. पी. के उत्पादन के क्षेत्र में उन पार्टियों से मिश्रित आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे जो तीव्र अवस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम सहित उपयुक्त वर्टिकल इनटेगरेशन के लिए काफी निवेश करने को तैयार है और जिनके पास परिवर्तित हो रही प्रौद्योगिकी के साथ चलने के लिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट क्षमता है। जारी किये गए प्रेस नोट के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति में प्रवासी भारतीयों और अन्यों में कोई भेद नहीं किया जाता।

वर्ष 1986 के दौरान विशेष/स्मारक डाक टिकटें जारी करना

8210. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986 के दौरान विशेष अथवा स्मारक डाक टिकटें जारी करने के लिए क्या कार्यक्रम हैं ;

(ख) इस संबंध में क्या प्रस्ताव अथवा सुझाव विचाराधीन हैं; और

(ग) कौन-कौन से प्रस्ताव अथवा सुझाव रद्द किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1986 के दौरान जारी की जाने वाली स्मारक/विशेष डाक टिकटों का अस्थायी कार्यक्रम संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) जो प्रस्ताव अथवा सुझाव विचाराधीन हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण II, में दी गई है।

(ग) जिन प्रस्तावों अथवा सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया उनकी सूची संलग्न विवरण III में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1986 के दौरान स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने के लिए अस्थाई कार्यक्रम।

1.	11.1.1986	नौसेना गोदीबाड़ा, बम्बई
2-3	14.2.1986	इन्पेक्स-86
4.	16.2.1986	आई. एन. एस. विक्रांत
5-6	18.2.1986	हवाई डाक की 75 वीं जयंती
7.	22.2.1986	छठी अंतर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक भारत 1986
8.	13.3.1986	चैतन्य महाप्रभु
9.	12.4.1986	मेयो कालेज अजमेर

10-11	31.5.1986	विश्व कप फुटबाल, 1986
12.	14.8.1986	भीमसेन सच्चर
13.	14.8.1986	वीर सुरेन्द्र साई
14.	14.8.1986	सागरमल गोपा
15.	14.8.1986	अल्लूरी सीताराम राजू
16.	20.8.1986	नेत्र दान
17.	8.9.1986	स्वामी शिवानन्द
18-19	1.10.1986	वन्य जीव
20-21	14.11.1986	बाल दिन/यूनीसेफ (बाल विकास और उत्तरजीविता)
22.	तारीख अभी निश्चित की जानी हैं,	अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष
23-24	,,	एशियाई/दक्षिण एशियाई खेल
25.	,,	जी. पी. ओ. मद्रास भवन के 200 वर्ष (विश्व डाक संघ/विश्व डाक दिवस पर)
26.	,,	लायनिज्य
27-28	,,	भारतीय पुलिस को 125 वीं जयंती
29.	,,	तानसेन
30.	,,	खेजादी वृक्ष/वन
31.	,,	ब्लैक बक/नागपुर का वृषभ/पशु मेला
32-35	,,	भारत 1989 (पोस्टमेन/डाक सेवाएं विषयों सहित)।

टिप्पणी :—जिन डाक-टिकटों को जारी करने की तारीखों का उल्लेख नहीं है, उन्हें जारी करने की तारीख और महीना अभी निश्चित किया जाना है।

विवरण-II

इस तारीख तक विचाराधीन प्रस्ताव अथवा सुझाव

1. इन्डो-यू एस. स्पेस बेंचर
2. डा. सैफुद्दीन किचलू
3. जय राजगुरु बक्शी जंगबंधु।
4. महाराज सैनी
5. बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की शताब्दी।
6. दिवान हाल
7. दिवानों की भारतीय नस्ल
8. महावीर जयंती
9. डा. सर मोहम्मद इकबाल
10. हरचंद सिंह लोंगोवाल

विवरण-III

अस्वीकृत प्रस्ताव अथवा सुझाव

क्रम संख्या	प्रस्ताव
1.	जम्बेश्वरजी
2.	अनुसुया बहन साराभाई
3.	मानतेना वेंकट राजू
4.	गंगाधर राव देशपांडे
5.	महाराज गंगा सिंह जी
6.	टी. वी. कापाली शास्त्रियार
7.	लायन मेलविन जीन्स
8.	लाला हनुमंत सहाय
9.	डा. बनुगुला राम कृष्ण राव
10.	माखन लाल चतुर्वेदी
11.	मुंशी अकेरजी
12.	खेजादली (जि. जोधपुर) के शहीद
13.	एम. एम. गोपीनाथ कविराज
14.	जगन्नाथ शंकर सेठ
15.	पंडित सुन्दर लाल
16.	बलदेव रामजी मिर्धा
17.	स्वामी केशवानन्द
18.	पंडित दीन दयालु
19.	डा. जोहन रिचर्डसन
20.	बाबा बंदा बहादुर
21.	मादापति हनुमंत राव
22.	प्रताप सिंह गुलेरिया
23.	श्री श्रीठाकुर अंकुल चन्द्र
24.	अमर सिंह राठौर
25.	एम. ओ. पी. आयंगर
26.	सर एस. एस. भटनागर
27.	प्रो. मारियानास रत्नसामी
28.	रमेश छाया
29.	डा. वाई. एस. परमार
30.	टी. के. माधवन
31.	पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव
32.	सालार जंग-III

33. डा. एस. के. सिन्हा
34. बिजेन्द्र लाल राय
35. हुगली मोहसिन कालेज
36. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
37. केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड
38. बैल्जियन दूतावास भवन
39. डी. ए. वी. आन्दोलन की शताब्दी
40. यूनेस्को अन्तर शासकीय समुद्र विज्ञान आयोग
41. सातवीं अन्तराष्ट्रीय एग्रालाजी कांग्रेस
42. एशियाई उत्पादकता संगठन
43. भगवान महाकालेश्वर मंदिर (मध्य प्रदेश)
44. बाई की मंदिर, नई दिल्ली
45. धर्म राजेश्वर मंदिर और गुफाएं, मंदसौर (मध्य प्रदेश)
46. कृषि पंडित उद्यान पंडित सर्वोच्च महिला मंडल जैसे पुरस्कार शुरू करना।
47. नागपुर महाविद्यालय (मैरिस कालेज)
48. सेंट एन्थोनी हायर सैकेन्डरी स्कूल तंजावुर
49. अफीम पुष्प
50 जय स्तम्भ मंदसौर (मध्य प्रदेश)
51. पलादुनगढ़ की गुफाएं मंदसौर (मध्य प्रदेश)
52. राष्ट्रीय राजमार्ग
53. आनन्द भवन
54. वन एवं वनवासी
55. भारतीय जहाजरानी निगम लि. की रजत जंयती
56. कमलापति जी सिंहानिया
57. सर सोरावजी पोचरवानावाला
58. पंडित श्रीपद दामोदर सतवालेकर
59. ला मार्टिनीयर स्कूल
60. अखिल भारतीय हृदय संस्थान, नई दिल्ली
61. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा
62. नामधारी आंदोलन (66 कूरा शहीद)

[हिन्दी

कोयले के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श

8211. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने से पूर्व राज्य बिजली बोर्ड और अन्य बिजली

उत्पादक परियोजनाओं से परामर्श करने का है क्योंकि बिजली उत्पादक परियोजनाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : जी, नहीं। परन्तु कोयले की कीमतों में वृद्धि के विद्युत, इस्पात, रेलवे आदि विभिन्न कोयला उपभोक्ता क्षेत्रों पर प्रभाव को ध्यान में रखकर ही कोयला कीमतों में वृद्धि की गई है।

[अनुवाद]

नई औषधि नीति तैयार करने संबंधी राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद का गठन

8212. **श्री एन. बेंकट रत्नम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद, समिति, जिसने नई औषध नीति तैयार की है सदस्य कौन-कौन से हैं और उनमें से कितने उत्पादक वर्ग से संबंधित हैं,

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : भूतपूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद (एम. डी. पी. डी. सी.) का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है। इसमें (उद्योग एसोसिएशनों के चार प्रतिनिधि थे।

विवरण

राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद का गठन

1. रसायन और उर्वरक मंत्री	अध्यक्ष
2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. सचिव, रसायन और उर्वरक	सदस्य
4. महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय	सदस्य
5. औषध नियंत्रक स्वास्थ्य मंत्रालय	सदस्य
6. श्री कृष्ण मोहन धामिदिपती संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
7. श्री महेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
8. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	सदस्य
9. प्रो. शर्मा, रसायन प्रौद्योगिकी विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	सदस्य
10. डा. नाम जोशी, स्वदेश औषध विशेषज्ञ, बम्बई	सदस्य

11. निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	सदस्य
12. अध्यक्ष, इण्डियन मैडिकल एसोसिएशन, दिल्ली	सदस्य
13. अध्यक्ष, आर्गेनाजेशन आफ फार्मास्युटिकल्स प्रोडयूसर्स आफ इण्डिया, बम्बई	सदस्य
14. अध्यक्ष, इण्डियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई	सदस्य
15. श्री जगमोहन सिंह कोछड़, आल इण्डिया स्माल स्केल ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, दिल्ली	सदस्य
16. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि., पुणे	सदस्य
17. अध्यक्ष, आल इण्डिया आर्गेनाइजेशन आफ कैमिस्ट्स,	सदस्य
18. डा. वी. वी. ग्रेटोड नई दिल्ली	सदस्य सदस्य
19. श्री राजाराम कुलकर्णी श्रमिक नेता, बम्बई	सदस्य
20. डा. एम. डी. वलाल चीफ कार्डीयोलोज़िस्ट सिल्वर जुबली कार्डीयक, रिहैबलीटेशन एण्ड रिसर्च सैंटर प्रोजैक्ट, सदर, नागपुर	सदस्य
21. श्री यशोधन काले, चार्टेड एकाउण्टेंट, बम्बई	सदस्य
22. सचिव, डी. जी. टी. डी.	सदस्य
23. अध्यक्ष, निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	सदस्य
24. संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषध) रसायन और उर्वरक मंत्रालय,	सदस्य
25. संयुक्त सचिव (औषध), रसायन और उर्वरक मंत्रालय	सदस्य सचिव

तेल की खोज के सम्बन्ध में वियतनाम के साथ संयुक्त उद्यम

8213. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज के सम्बन्ध में वियतनाम के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) भारत और वियतनाम द्वारा संयुक्त रूप से आरम्भ किए गए अथवा आरम्भ किए जाने वाले तेल की खोज के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) वियतनाम में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार और वियतनाम सहमत हो गए हैं।

मैसर्स रिलायन्स उद्योग को टी. पी. ए. का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस

8214. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रिलायन्स उद्योग लिमिटेड ही अकेला पोलिस्टर उत्पादक है जिसे टी. पी. ए. संयंत्र और एम. ई. जी. संयंत्र, जो दोनों ही प्रकार के पोलिस्टरों के लिए कच्ची सामग्री है, के लिए लाइसेंस मन्जूर किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की एकाधिकारिता की स्थिति, जो जनहित के लिए हानिकारक है, को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने का विचार है,

(ग) क्या रिलायन्स एक अकेला ऐसा उद्योग है, जिसे एल. ए. बी., एम. ई. जी., टी. पी. ए. एच. डी. पाई. पी. वी. सी. और अनेक अन्य पेट्रोरसायन वस्तुएं के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं के लिए कच्ची सामग्री क्या है और यदि इन वस्तुओं का आयात किया गया तो इन्हें किन स्रोतों से उपलब्ध किया जाएगा और इसमें कितनी वार्षिक विदेशी मुद्रा खर्च होगी,

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचंद्र सिंह) : (क) इस समय मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि. के पास पी. टी. ए. के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस तथा एम. ई. जी. के उत्पादन के लिए एक आशयपत्र है। डी. एम. टी. और पी. टी. ए. वैकल्पिक कच्चे माल हैं और इन कच्चे मालों का एम. ई. जी. के संयोग से पोलिस्टर के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।

पी. टी. ए., डी. एम. टी. और एम. ई. जी. के उत्पादन के लिए मैनरेलायन्स इन्द लि. के अतिरिक्त अन्य पार्टियों को भी आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आशयपत्र जारी करने पूर्व पी. टी. ए. और एम. ई. जी. के उत्पादक के लिए मैसर्स रिलायम्स इन्डस्ट्रीज लि. के प्रोवेदन पत्रों पर भी एम. आर. टी. पी. अधिनियम, 1969 के अधीन विचार किया गया था।

(ग) एल. ए. बी., एम. ई. जी., पी. टी. ए., एच. डी. पी. ई., पी. वी. सी. के उत्पादन

के लिए मैसर्स रिलान्स इण्डस्ट्रीज लि. के अतिरिक्त अन्यों को भी आशयपत्र/औद्योगिक जारी किये गये हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) उत्पादन को प्रत्येक मद के लिये कच्चे माल अलग हैं और विदेशी मुद्रा का निर्गम कच्चे माल को स्वदेशी उपलब्धि, आयात की जाने के लिए अपेक्षित मात्रा और आयातों के समय प्रचलित सी. आई. एफ. मूल्यों पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रमांक	पार्टी का नाम	उत्पादन की मद	क्षमता टन/प्रति वर्ष
1.	मै. इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पो. लि.	डी.एम.टी.	40,000
		एम.ई.जी.	20,000
		पी.बी.सी.	55,000
		एल.ए.बी	43,500
2.	मै. वोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.	डी.एम.टी.	45,000
3.	मै. बम्बई डेइंग एण्ड मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लि.	डी.एम.टी.	60,000
4.	मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	डी.एम.टी.	4,000
5.	मै. रेलियन्स इन्ड. लि.	पी.टी.ए.	75,000
		एम.ई.जी.	40,000
		पी.बी.सी.	1,00,000
		हुडप	50,000
		लैब	50,000
6.	मै. प्रादेशीय इण्ड. एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पो. आफ उ. प्र. लि.	पी.टी.ए.	1,50,000
7.	मै. नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इन्ड. लि.	एम.ई.जी.	12,000
		पी.बी.सी.	20,000
8.	मै. उ. प्र. ग्लाइकोल लि.	एम.ई.जी.	20,000
9.	मै. हल्दिया पेट्रोकैमिकल्स लि.	एम.ई.जी.	27,000
		एच.डी.पी.जी.	65,000
10.	मै. महाराष्ट्रा गेस क्रेकर काम्पलेक्स	एम.ई.जी.	50,000
		एल.डी.पी.ई./एच.डी.पी.ई.	135,000
11.	मै. श्री राम कैमिकल्स लि.	पी.बी.सी.	60,000
12.	मै. कैमिकल्स एण्ड प्लोटिक्स इण्डिया लि.	पी.बी.सी.	20,000

1	2	3	4
13.	मै. अहमदाबाद मैन्यूफेक्टरिंग एण्ड केलिको प्रि. कं. लि.	पी.वी.सी.	20,000
14.	मै. प्लास्टिक रेसीन और कैमि. लि.	पी.वी.सी.	12,000
15.	मै. तमिलनाडु दाधा पेट्रो लि.	लेव	50,000
16.	मै. पोलियोलिफाइन इन्ड. लि.	एच.डी.पी.ई.	50,000

केरल के पत्तनमतिट्टा जिले में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

8215. **श्री के. कुन्जम्बु :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल के पतनमतिट्टा जिले में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने और कौन-कौन से डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा;

(ग) किराये के भवनों में कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार की जिलों तथा ताल्लुक मुख्यालयों में अपने भवन बनाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के पतनमथिट्टा जिले में 35 डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया।

(ख) नये पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध को मद्देनजर रखते हुए इस समय डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 1266 है।

(घ) और (ङ) जी हां। भूमि, संसाधनों तथा अन्य संबंधित घटकों के उपलब्ध होने पर 1986-87 में केरल सर्किल में भवनों के निर्माण का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। फिर भी, सर्किल-वार शुरू की जाने वाली वास्तविक परियोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री में कर्मचारियों की छंटनी

8216. **श्री वी. एस. विजयराघवन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों में "क्रासबार" और "स्ट्रोबार" का निर्माण बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज के बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या कार्यवाही की योजना तैयार की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) क्रासबार और स्ट्रोजर स्विचिंग उपस्कर का उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बगलौर काम्पलेक्स के कुछ कर्मचारी आवश्यकता से अधिक करार दिए जाएंगे। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के निदेशक मण्डल के विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो बंगलौर कारखाने में डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर की प्रतिवर्ष पांच लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने से संबंधित है। इस प्रकार आवश्यकता से अधिक करार दिए कर्मचारियों में से अधिकांश को काम पर लिया जा सकेगा। प्रस्ताव, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित होना है।

तमिलनाडु में नारिमनम तथा कोविल्कलपल से कच्चे तेल की सप्लाई पर आधारित तेलशोधकों की स्थापना

8217. **श्री एम. महालिंगम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के तंजोर जिले में मन्नार कुडी तालुम में नारिमनम कोविल्कलपल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उच्च कोटि का कच्चा तेल मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उच्च कच्चे तेल के शोधन आदि के लिए तेलशोधक कारखानों की स्थापना तमिलनाडु के तंजोर जिले में नाग पट्टीनम, थिरुथुरई पूंजा मन्नारकुड़ी तथा थिरूवरूर में की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भिक टेस्टिंग के दौरान नारिमनम कुंआ-1 के जरिए 12/64 "चोक 215-325 बैरल तेल के अतिरिक्त 8200-10,000 एम घनमीटर गैस मिली।

कोविलकल्लपल-1 कुंए में 1/4 "चोक के जरिए लगभग 27 बैरल तेल के अतिरिक्त 21000 घन मीटर गैस मिली।

(ग) नारीमानम कुंआ-1 को अब शीघ्र ही उत्पादन प्रणाली के लिए चालू कर दिया गया है। कोविलकल्लपल में दो और कुंए खोदे गये जिसमें से एक की उत्पादन जांच चल रही है और एक सूखा था।

(घ) और (ङ) 7वीं पंचवर्षीय योजना में तंजावुर जिले में कोई रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

मेसर्स काइनेटिक इन्जीनियरिंग लिमिटेड की उत्पादन क्षमता तथा उसका उल्लंघन

8218. **डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) मेसर्स काइनेटिक इन्जीनियरिंग लिमिटेड पुणे को देश में मोपेडों के निर्माण करने का लाइसेंस कब प्रदान किया गया था;

(ख) उक्त कम्पनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) क्या उक्त फर्म द्वारा अपनी लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता का उल्लंघन किये जाने का सरकार ने पता लगाया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) मेसर्स काइनेटिक इन्जीनियरिंग लिमिटेड का पंजीकरण मूलरूप से 1971 में डी.जी.टी.डी. में मोपेडों का निर्माण करने के लिए किया गया था। 1979 में उन्हें 24000 मोपेड प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए सी.ओ.बी. लाइसेंस दिया गया था। इस समय कम्पनी के पास 350 सी.सी. तक इन्जन क्षमता के 2,00,000 नग मोटरयुक्त दुपहियों का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस है।

(ख) दुपहियों के निर्माण के लिए लगभग 44 लाख नग प्रतिवर्ष की क्षमता की मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1978 में कम्पनी का पंजीकरण उपक्रम के रूप में किया गया जिसके लिए एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 20 (ख) (1) (प्रभावशाली उपक्रम) के उपबन्ध लागू होते थे तथा और अब सितम्बर, 1983 से पंजीकरण से मुक्त है। जब कम्पनी एम.आर.टी.पी. कम्पनी थी तो यह देखा गया कि कम्पनी ने एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 21 का उल्लघन किया था क्योंकि बिना किसी पूर्व स्वीकृति के इसने मोपेडों की निर्माण क्षमता में वृद्धि की थी। परिणामस्वरूप मार्च, 1982 में कम्पनी तथा कम्पनी के निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। फिर भी, कंपनी द्वारा दी गई सफाई पर विचार करने के पश्चात् दिसम्बर, 1982 में यह निर्णय लिया गया था कि उल्लंघन करने के लिए कम्पनी पर अभियोग न चलाया जाये और कड़ी चेतावनी देकर कम्पनी को छोड़ दिया गया था।

कपट और भ्रष्टाचार के परिवादों के लिए विशेष न्यायालय

8219. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपट और भ्रष्टाचार संबंधी परिवाद प्राप्त करने और उनकी जांच करने के लिए सभी राज्यों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के एक सभी राज्यों में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान केरल में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो द्वारा कपट और भ्रष्टाचार के कितने परिवाद फाइल किए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन, मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय, भारतीय दण्ड संहिता और अन्य राज्य तथा केन्द्रीय अधिनियमितियों के अधीन अपराधों का निपटारा करते हैं। उपर्युक्त अपराधों का निपटारा करने के लिए न्यायालय राज्य निश्चित करते हैं और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। कुछ केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन अपराधों को निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से स्थापित किए गए न्यायालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषित मामलों को अनन्य रूप से निपटाने के लिए न्यायालयों की स्थापना पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के एकको और केरल में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो द्वारा कपट और भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसी जानकारी मानीटर नहीं की गई है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्थान	न्यायालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1
2.	बिहार	मुजफ्फरपुर	1
3.	कर्नाटक	बंगलौर	1
4.	केरल	एर्नाकुलम	1
5.	महाराष्ट्र	मुम्बई	2
6.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	1
7.	उड़ीसा	कटक	1
8.	राजस्थान	जयपुर	1
9.	तमिलनाडु	मद्रास 2 मदुरै 1	3
10.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	1
11.	दिल्ली	दिल्ली	1

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा भूमिहीन हुए लोगों को रोजगार दिया जाना

8220. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने भूमिहीन हुए लोगों को रोजगार देने के लिए दो एकड़ जमीन का सिद्धान्त निर्धारित किया है;

(ख) क्या इस नीति का कारण गरीब किसानों को बिना कोई मुआवजा या रोजगार दिए बेदखल किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) भूवंचितों को रोजगार देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, कोयला कम्पनियां पहले कम्पनी के लिए अर्जित प्रत्येक 2 एकड़ सिंचित भूमि अथवा

3 एकड़ अ-सिंचित भूमि के लिए एक रोजगार की दर से भूवंचितों को रोजगार दे रही थीं। इसके अतिरिक्त, भूमि के अर्जन के फलस्वरूप जिन लोगों के रिहायशी मकान अर्जित हो गये थे उन्हें घर के लिए जमह (0.01 से 0.02 हेक्टेयर) और 750 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी दिया जा रहा था। परन्तु सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये जिन लोगों की भूमि अर्जित की जाती है, उन्हें रोजगार देने का काम, सरकारी उद्यम कार्यालय के परिपत्र सं. 15/13/84/बी. पी. ई. (सी) दिनांक 3 फरवरी, 1986 में निर्धारित निर्देशों के अनुसार, दिनांक 3-2-1986 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। कानून के प्रावधानों के अनुसार, भूवंचित अपनी अर्जित जमीनों के लिए नकद मुआवजे के हकदार हैं।

निर्माण लाइसेंस स्वीकृत करने से पूर्व मंत्रालय और राज्य औषध प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण

8221. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कम्पनियों को निर्माण लाइसेन्स स्वीकृत करने से पूर्व उनके मंत्रालय के प्रतिनिधि और राज्य औषध प्राधिकारियों के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हैं,

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी औषध कम्पनियों को अनेक लाइसेंस जारी किए गए जिनके पास गुणता नियन्त्रण सुविधायें नहीं हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) औषध एवं प्रसाधन अधिनियम औषध नियम जिसके अन्तर्गत निर्माण लाइसेंस जारी किये जाते हैं, को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है उस मन्त्रालय से सम्बद्ध जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की पुनरीक्षा

8222. **श्री सी. सम्बु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की पुनरीक्षा करने तथा उद्योगों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस अधिनियम की पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, उद्योगों को अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से निषिद्ध नहीं करता है।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सरकारी वकीलों की नियुक्ति का प्रस्ताव

8223. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध बड़ी संख्या में मामले लंबित पड़े हैं और अण्डमान और निकोबार प्रकाशन को इन मामलों में प्रभावी रूप में कार्रवाई करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी वकील कलकत्ता स्थित मंत्रालय के कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किये जाते हैं;

(ख) क्या अण्डमात और निकोबार प्रशासन ने अपने मंत्रालय को वकीलों का अपना एक अलग पैनल रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय में अण्डमान और निकोबार प्रशासन के लगभग 250 मामले लंम्बित हैं। इनमें से अधिकांश सेवा सम्बन्धी मामले हैं जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता न्यायपीठ को अन्तरित किये जा रहे हैं, जहां पर केन्द्रीय सरकार के विभागों के, जिनमें अण्डमान और निकोबार प्रशासन भी है, सेवा सम्बन्धी सभी मामलों को देखने के लिये तीन पैनल काउंसेल हैं। अण्डमान और निकोबार प्रशासन को यदि कोई कठिनाइयां हैं तो वे सम्बद्ध प्राधिकारियों से परामर्श करके दूर कर दी जायेंगी।

(ख) और (ग) यह सच है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने प्रस्ताव किया है कि उसे अपना एक पैनल रखने की अनुमति दी जाये और इस प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बिजली घर

8224. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कितने बिजली घरों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का औद्योगीकरण

8225. **श्री मनोरजन भक्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिये कोई अध्ययन किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं,

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन द्वीपों में बेरोजगारी में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इनके औद्योगिक विकास में तेजी के लिये कोई अध्ययन कराएगी,

(घ) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में वर्तमान उद्योगों की समस्याओं की जानकारी है,

(ङ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं, और

(च) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। द्वीपों के औद्योगीकरण की गति को बढ़ाने के लिये अभ्युपायों की सिफारिश करने की दृष्टि से 1982 में वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों का दौरा किया था। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र के परिवेश के संरक्षण, टिंबर हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर, टाइडल पावर आदि जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने समुद्रीय, मीन क्षेत्र के अप्रयुक्त स्रोतों का उपयोग करने और टिंबर संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करने और ऐसी अर्थ-व्यवस्था का प्रावधान करना भी सम्मिलित था, जो कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप होगी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी।

(घ) से (च) जी, हां। औद्योगीकरण की समस्याओं में 319 बड़े और छोटे द्वीपों की भौगोलिक स्थिति सम्बन्धी कठिनाइयां तथा विद्युत कुशल जनशक्ति परिवहन, औद्योगिक उत्पादों आदि की सीमित मांग जैसी अवस्थापना सुविधाओं का अभाव आदि शामिल हैं। सुधारात्मक उपायों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना करना; उद्यमियों को तकनीकी आर्थिक परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना करना; राजकोषीय रियायतों, राजसहायताओं आदि के लिए, श्रेणी "क" के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्र के रूप में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघराज्य को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना; द्वीपों के लिये उद्योग संवर्धन और निवेश निगम की स्थापना करने के लिए स्वीकृति देना तथा सातवीं योजना में लघु उद्योगों के लिये अधिक परिव्यय की व्यवस्था करना शामिल है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली ने भी पोर्ट ब्लेयर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिक्त पदों का भरा जाना

8226. **डा. वी. वेंकटेश** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (घ) कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा की गई सिफारिश भारत सरकार के विचाराधीन है।

नैवेली लिग्नाइट खान ताप विद्युत क्षमता का विस्तार तथा बीरकुटिंग संयंत्र

8227. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नैवेली लिग्नाइट खान तथा ताप विद्युत बीरकुटिंग संयंत्र की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) दूसरी लिग्नाइट खान की क्षमता का विकास 4.7 मिलियन टन से बढ़ाकर 10.5 मिलियन टन प्रति वर्ष करने और दूसरे ताप बिजली घर की क्षमता का विकास 630 मे. वा. से बढ़ाकर 1470 मे. वा. करने की योजनाओं की स्वीकृति सरकार ने फरवरी, 1983 में दी थी और इन योजनाओं का काम चल रहा है।

एक 1500 मे. वा. (3 × 500 मे. वा.) क्षमता वाले तृतीय ताप बिजलीघर से संयोजित 11.00 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक तृतीय लिग्नाइट खान खोलने, पहली लिग्नाइट खान की क्षमता 6.5 मिलियन से बढ़ाकर 10.5 मिलियन टन करने और 4 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले ब्रिकेटिंग और कोकर संयंत्र के लिए नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत साध्यता रिपोर्टों पर सरकार विचार कर रही है। परन्तु साधनों की कमी के कारण इन नई योजनाओं/परियोजनाओं में से किसी को भी सातवीं योजना में नहीं शामिल किया जा सका है।

[हिन्दी]

मारुति कारों के फालतू पुर्जों का निर्माण

8228 **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों के निर्माताओं ने कारों के मूल्य बढ़ा दिये हैं और कारों के फालतू पुर्जों का निर्माण बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप भारत को मारुति कार के मामले में पूर्णत: जापान पर निर्भर रहना पड़ेगा और वित्तीय हानि उठानी पड़ेगी;

(ख) क्या सरकार का कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार है/कर रही है जिसके अन्तर्गत हमें विदेशी सहयोग प्राप्त हो किन्तु हमें पूर्णत: विदेशों पर निर्भर रहना पड़े; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड जिसने मार्च, 1986 में कारों के मूल्यों में संशोधन करके वृद्धि की है फालतू पुर्जों को उपलब्ध कराता रहेगा। सरकार ने एक चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम स्वीकृत किया है जिसका उद्देश्य पांचवें वर्ष तक 95% स्वदेशीकरण प्राप्त करना है जिससे आयात पर निर्भर न रहना पड़े।

[अनुवाद]

कालीकट में चोम्बाला ओटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

8229. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में चोम्बाला ओटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज की लाइन क्षमता में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) चोम्बाला टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं; और

(ग) क्या चोम्बाला एक्सचेंज के लिये स्थायी भवन का निर्माण किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय चोम्बाला एक्सचेंज की प्रतीक्षा-सूची में 83 आवेदक हैं।

(ग) चोम्बाला एक्सचेंज के लिए स्थायी भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ताप विद्युत संयंत्र चालू करना

8230. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान कितने ताप विद्युत संयंत्र चालू हुए हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं और उनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या इन ताप विद्युत यूनिटों ने अपने कार्यचालन के प्रथम वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान चालू की गई कोयले पर ताप आधारित विद्युत यूनिटों के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1985-86 के दौरान चालू की गई कोयले पर आधारित ताप विद्युत यूनिटें

क्रम संख्या	ताप विद्युत संयंत्र का नाम और क्षमता	स्थान	1985-86 के दौरान विद्युत उत्पादन		लक्ष्य को पूरा न करने के कारण
			लक्ष्य	वास्तविक	
1.	पानीपत यूनिट-3 (210 मेगावाट)	हरियाणा	30	7	जेनरेटर ट्रांसफार्मर का फेल होना। शीतलन टावर का तैयार न होना आदि

1	2	3	4	5	6
2.	अनपारा 'क" यूनिट-1 (210 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश	...	...	
3.	बानकबोरी यूनिट-4 (210 मेगावाट)	गुजरात	100	...	यूनिट को चालू करने में विलम्ब आदि।
4.	कोरबा पश्चिम यूनिट-4 (210 मेगावाट)	मध्य प्रदेश	...	...	
5.	चन्द्रपुर यूनिट-3	महाराष्ट्र	200	90	भेल के उपस्कर में समस्या आदि।
6.	चन्द्रपुर यूनिट-4 (210 मेगावाट)	महाराष्ट्र	...	...	
7.	रायचूर यूनिट-2 (210 मेगावाट)	कर्नाटक	...	...	
8.	नेवेली लिग्नाइट दूसरा माइन कट यूनिट-3 (210 मेगावाट)	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	...	...	
9.	कोलाघाट यूनिट-2 (210 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल	...	..	
10.	मुजफ्फरपुर यूनिट-2 (110 मेगावाट)	बिहार	...	...	
11.	बोकारो "ख" यूनिट-1 (210 मेगावाट)	दामोदर घाटी निगम	...	...	
12.	दुर्गापुर परियोजना लि. यूनिट-6 (110 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल	...	...	
13.	फरक्का यूनिट-1	रा. ता. वि. नि.	200	1	यूनिट को चालू करने में विलम्ब
14.	पतरातू यूनिट-10 (110 मेगावाट)	बिहार	...	...	

पन, ताप तथा परमाणु बिजली संयंत्रों की विद्युत उत्पादन-लागत

8231. **श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पन, ताप तथा परमाणु बिजली संयंत्रों के बिजली की उत्पादन लागत तथा उसके उत्पादन में क्रमश: कितना अनुपात है; और

(ख) परमाणु बिजली रियक्टरों से भारत में कितने प्रतिशत बिजली तैयार की जाती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) एक राज्य से दूसरे राज्य और एक विद्युत केन्द्र के बीच विद्युत उत्पादन की लागत निम्नलिखित कारणों से भिन्न-भिन्न होती है:—

(1) परियोजना की पूंजीगत लागत;
(2) संयंत्र की अवस्था;
(3) क्षमता समुपयोजन;
(4) केन्द्र का स्वरूप-व्यस्ततमकालीन भार के लिए है अथवा आधारभूत भार के लिए है;
(5) प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और
(6) स्थापना संबंधी लागतें आदि।

15 राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में, जिनके लेखे उपलब्ध हैं, 1983-84 में जल-विद्युत और ताप-विद्युत केन्द्रों की उत्पादन लागत संलग्न विवरण में दी गई है। बिजली बोर्डों की परमाणु विद्युत केन्द्रों से विद्युत की बिक्री की वर्तमान टैरिफ 35-40 पैसे प्रति यूनिट के बीच है। वर्ष 1983-84 में यूटीलिटीज में विद्युत का कुल उत्पादन 1,39.956 मिलियन यूनिट था जिसमें जल-विद्युत से 49,842 मिलियन यूनिट, ताप-विद्युत से 86,622 मि. यू. तथा न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों से 3,492 मि. यू. विद्युत उत्पादन शामिल है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान हुए विद्युत के कुल उत्पादन में न्यूकलीय संयंत्रों से हुआ विद्युत उत्पादन 2.93% था।

विवरण

1983- के दौरान विद्युत उत्पादन (जल विद्युत और ताप विद्युत) की लागत

(आंकड़े पैसे प्रति यूनिट)

क्रम संख्या	राज्य बिजली बोर्ड	विद्युत उत्पादन की लागत	
		ताप-विद्युत	जल विद्युत
1.	आंध्र प्रदेश	33.55	6.79
2.	बिहार	48.01	33.15
3.	गुजरात	38.85	6.56
4.	हरियाणा	77.59	8.22
5.	हिमाचल प्रदेश	...	11.68
6.	कर्नाटक	...	6.32
7.	केरल	...	8.15
8.	मध्य प्रदेश	31.57	8.98
9.	महाराष्ट्र	40.37	5.84

1	2	3	4
10.	उड़ीसा	22.69	6.93
11.	पंजाब	51.1	5.80
12.	राजस्थान	34.80	8.45
13.	तमिलनाडु	70.55	15.08
14.	उत्तर प्रदेश	56.24	17.40
15.	पश्चिम बंगाल*	30.37	30.29

*1982-83 के लेखों पर आधारित। 1983-84 के लेखे की अभी लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा तेल शोधक कारखानों की स्थापना

8232. **श्री आर. एम. भोये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर सरकारी कम्पनियों को देश में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन गैर सरकारी कम्पनियों के ब्यौरे सहित यह तेल शोधक कारखाने किन-किन स्थानों में स्थापित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा पर आधारित एकक

8233. **श्री सी. सम्बु:** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आन्ध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा पर आधारित कुल कितने विद्युत यूनिट स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के और यूनिटों को आन्ध्र प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना के अन्तर्गत (22 किलोवाट क्षमता का) एक प्रयोगिक सौर तापीय विद्युत उत्पादन एकक हैदराबाद के निकट एक गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसी गांव में पहले से स्थापित एक 7.30 किलोवाट उच्च क्षमता वाला एक सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र 33 सड़क रोशनियों, एक सामुदायिक टी. वी. एकक और दो पम्पों को विद्युत प्रदान कर रहा है इसके अतिरिक्त 63 ग्रामों को सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी एकक उपलब्ध

किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थापित करने हेतु 34 सौर प्रकाशवोल्टीय पम्पन एकक एवं तीन सामुदायिक रोशनी या टी. वी. एककों की भी सप्लाई की जा चुकी है। यह कार्यक्रम जारी है और अतिरिक्त एककों की स्थापना के लिए राज्य एजेन्सियों द्वारा स्थानों का पता लगाया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा नमक पर आधारित उद्योग स्थापित करने का अनुरोध

8234. **श्री सी. सम्बु** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में नमक पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृति मांगी है,

(ख) क्या देश के सम्पूर्ण तकवर्ता क्षेत्र में नमक पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैदराबाद में "भेल" अनुसंधान केंद्र द्वारा फ्ल्यू गैस आटोमेटिक एनलिसिस एण्ड मानिटरिंग इक्विपमेंट का विकास

8235. **श्री सी. सम्बु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में "भेल" अनुसंधान केन्द्र ने फ्ल्यू गैस आटोमेटिक एनालिसिस एण्ड मानटरिंग इक्विटमेंट का विकास किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये फ्ल्यू गैस आटोमेटिक एनालिसिस एण्ड मानिटरिंग इक्विपमेंट ताप विद्युत घरों, उर्वरक संयंत्रों और पेट्रो रसायन संयंत्रों के लिए लाभदायक होंगे; और

(ग) यदि हां, तो अनुसंधान और उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचम) : (क) हैदराबाद में बी. एच. ई. एल. कारपोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने आनलाईन फ्ल्यू गैस एनालाईजर के एक आदर्शरुप एकक का विकास किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) आनलाईन फ्ल्यू एनलाइजर क्रोमोटोग्राफिक सिद्धान्त पर आधारित है और यह फ्ल्यू गैस में कार्बनडाइआक्साइड के प्रतिशत का परिणाम अंकों में देता है।

यह उपकरण निम्नलिखित से बना हुआ है:—

(1) गैस सैम्पल क्लीनिंग एण्ड पार्जिंग सिस्टम

(2) गैस एनलाइजर

(3) इलेक्ट्रानिक प्रोसेसर एण्ड प्रर्सन्टेज इन्डिकेटर

उद्योगों की लागत लेखा के मानदण्ड

8236. **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या उद्योग मन्त्री मुख्य उद्योगों के लिए अनिवार्य लागत लेखा के बारे में 25 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) किसी उद्योग विशेष की लागत लेखा कराने के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय किन मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है; और

(ख) किन परिस्थितियों में ये मानदण्ड लागू किये जाते हैं और लागत लेखा कराई जाती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) जबकि कम्पनी अधिनियम में लागत लेखा अभिलेख नियमों को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिये उद्योगों के चयन के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अन्तर्गत किन्हीं विशेष मानदन्डों की व्यवस्था नहीं है, उद्योगों के चयन के लिये विचार करने वाले मानदण्ड साधारणत: कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अन्तर्गत लागत लेखा अभिलेख निर्धारण करने के लिये प्रथम दृश्या निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं:—

(i) क्या उद्योग उपभोक्ता मूलक है;

(ii) क्या उद्योग आवश्यक औद्योगिक कच्ची सामग्री का उत्पादन करता है जो उपभोक्ता उद्योग का मुख्य आधार है;

(iii) क्या उद्योग इस प्रकार से कोई अधिक लाभ कमा रहा है; और

(iV) क्या उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद एक ऐसा है जो एकाधिकारिक प्रवृत्ति का है अर्थात् उत्पादन क्या केवल एक उत्पादक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उपभोक्ता मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

उत्तर प्रदेश में नए डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

8237. **डा. बी. एल. शेलेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कितने नये डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) किन-किन स्थानों पर वर्तमान टेलीफोन एक्सचजों का आधुनिकीकरण करने और उत्तर प्रदेश में तथा बाहर एस. टी. डी. की सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों में डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज आरम्भ किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश सर्किल में नए डाकघरों को खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव

नहीं है फिर भी, 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में 12 स्थानों पर छोटे ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव हैं, बशर्ते कि प्रत्येक स्थान पर इसकी आवश्यक मांग की जाए। इसके अतिरिक्त वर्ष 1986-87 के दौरान बहराइच और बाराबंकी में 2 विभागीय तारघर खोलने का भी प्रस्ताव किया गया है।

(ख) जैसा कि नीचे दिया गया है, 1986-87 के दौरान 10 टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

(1) फतेहपुर, (2) गाजीपुर, (3) ललितपुर, (4) पौड़ी, (5) पिथौरागढ़, (6)उरई (7) सुल्तानपुर, (8) बांदा, (9) रानीखेत, (10) मऊनाथभंजन।

क्रम संख्या 1 से 9 : इनको इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

क्रम संख्या 10 : सी. जी. एम. को एम. ए. एक्स.-11 में परिवर्तित किया जाना है। वर्ष 1986-87 के दौरान एस. टी, डी. सुविधा संभवतः मथुता, ऐटा तथा बिजनौर में प्रदान कर दी जाएगी।

(ग) 1986-87 के दौरान उत्तरदेश के किसी भी स्थान पर डिजिटिल टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम्पनियों में चेयरमैन का पद

8238. **डा. बी. एल. शैलेश** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधिकार क्षेत्र से बाहर चेयरमैन ऐमिरिटिस का पद बनाने की वैधता, उपयोगिता और औचित्य के बारे में किसी अवस्था में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति के सम्बन्ध में उनका मूल्यांकन क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) कुछ पब्लिक कम्पनियों में चेयरमैन ऐमिरिटस के पद नाम निर्दिष्ट करने के कुछ दृष्टान्त सूचना में आए थे उनका परीक्षण करने पर यह पाया गया कि उन मामलों में कम्पनी अधिनियम, 1956 के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं किया गया था। तथापि, प्रबन्ध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक या प्रबन्धक की किसी भी नाम द्वारा नियुक्ति या अंशकालिक निदेशक को पारिश्रमिक प्राप्त करने या पब्लिक कम्पनियों में परिलब्धियां लेने या प्राइवेट कम्पनियों में जो पब्लिक लि. कम्पनी की सहायक कम्पनी ही के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 269,309/198 और 387/388 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

धर्मशाला में "टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग डिवीजन" के बीच 'डिवीजन जंक्शनों' सर्किटों की स्थापना

8239. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में "टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग डिवीजन" में (एक) नाडौन-हमीरपुर (दो) गागरैट-उन्ना, (तीन) हमीर-पुर-उमा (चार) हमीरपुर-धर्मशाला,

(पांच) चितपूर्णी-गागरेट और (छः) श्री नैना देवी-बिलासपुर के बीच नए/अतिरिक्त जंक्शन/सर्किट स्थापित करने की निर्धारित तारीखें क्या हैं;

(ख) क्या इन जंक्शनों पर अधिष्ठापन कार्य चल रहा है; और

(ग) प्रत्येक मामले में हुई प्रगति का नवीनतम ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभिन्न स्थानों के बीच सीधे जंक्शन/ट्रंक सर्किटों के संस्थापना का लक्ष्य निम्न प्रकार है।

(एक) **नाडौल हमीरपुर** : नाडौर तथा हमीरपुर के बीच ट्रंक सर्किट पहले से ही कार्य कर रहा है। दूसरे ट्रंक सर्किटों का औचित्य पाया गया है जिसके लिए आवश्यक प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है। अतिरिक्त ट्रंक सर्किटों के 1986-87 के दौरान उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

(दो) **गागरेट-उना** : इन दोनों स्थानों के बीच कोई सीधी ट्रंक सर्किट नहीं है। एक ट्रंक सर्किट का औचित्य पाया गया है जिसके लिए आवश्यक प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 1986-87 के दौरान नया ट्रंक सर्किट प्रदान किये जाने की संभावना है।

(तीन) **हमीरपुर-उना** : इन स्थानों के बीच एक ट्रंक सर्किट कार्य कर रहा है। अतिरिक्त ट्रंक सर्किट का औचित्य नहीं बनता।

(चार) **हमीरपुर धर्मशाला** : इन स्थानों के बीच तीन डाइरेक्टर ट्रंक सर्किट पहले से ही काम कर रहे हैं। अतिरिक्त ट्रंक सर्किट का औचित्य नहीं बनता।

(पांच) **चितपूर्णी गागरेट** : चितपूर्णी 99 लाइनों की क्षमता वाला एक आटोमेटिक एक्सचेंज है तथा देहरा ट्रंक एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है। चितपूर्णी तथा गागरेट के बीच कोई डाइरेक्ट ट्रंक सर्किट नहीं काम कर रही है। एक सीधी सर्किट का औचित्य पाया गया है जिसके लिए आवश्यक प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है। इस ट्रंक सर्किट के 1986-87 के दौरान चालू होने की संभावना है।

(छः) **श्री नैनादेवी-बिलासपुर** : श्री नैनादेवी 25 लाइनों की क्षमता का छोटा आटोमेटिक एक्सचेंज है तथा आनन्दपुर साहिब मैनुअल एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है। श्री नैनादेवी तथा बिलासपुर के बीच कोई सीधा ट्रंक सर्किट नहीं काम कर रहा है। सीधी ट्रंक सर्किट की व्यवस्था के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया था परन्तु इन एक्सचेंजों के बीच साइट लाईन नहीं है परन्तु अब इस ट्रंक सर्किट के श्री नैनादेवी-नांगल-चंडीगढ़-बिलासपुर मार्ग पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। यह ट्रंक सर्किट श्री नैनादेवी तथा नांगल के बीच रेडियो प्रणाली (वी: एच. एफ.) चालू हो जाने के पश्चात प्रदान की जाएगी (नांगल तथा चंडीगढ़ के बीच रेडियो प्रणाली (यू. एच. एफ.) संस्थापनाधीन है। चंडीगढ़ तथा बिलासपुर के बीच एक यू. एस. एफ. प्रणाली पहले से ही काम कर रही है। श्री नैनादेवी तथा बिलासपुर के बीच सीधे ट्रंक सर्किट का लक्ष्य, इन दोनों स्थानों के बीच रेडियो प्रणाली (वी. एच. एफ.) के उपलब्ध तथा चालू होने पर निर्भर करता है।

(ख) उपर्युक्त जंक्शनों के लिये जब कभी आवश्यक होता है अधिष्ठापन कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये व्यवहार्य नहीं।

दक्षिण कलकत्ता डिवीजन के अन्तर्गत ईस्ट बरीशा डाकघर का बन्द किया जाना

8240. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कलकत्ता डिवीजन के अन्तर्गत ईस्ट बरीशा डाकघर को बन्द किए जाने के आदेश जारी किए गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र के अन्य डाकघरों को भी बन्द किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी. हां।

(ख) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेसर्स जेसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा नकली फालतू पुर्जों की सप्लाई

8241. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स जेसप एंड कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का एक बड़ा उपक्रम) और उसके वितरक मेसर्स ग्रीव्ज काटन एन्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को माडल 810 भार 8/10 टन रोड रोलरों के लिए कथित नकली पुर्जों की सप्लाई का मामला सरकार के नोटिस में लाया गया है ;

(ख) क्या मेसर्स ग्रीव्ज काटन एन्ड कम्पनी विभिन्न सरकारी विभागों को कथित नकली हिस्से पुर्जों की सप्लाई अभी भी कर रहा है; .

(क) क्या उक्त शिकायात पर किसी प्रकार की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की जांच का स्वरूप क्या है और यदि नहीं तो कोई जांच न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) यद्यपि जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा निर्मित रोड रोलरों के माडल 810 (8-10 टन वजन) के संबंध में सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके लिए मै. न्यू राइटवे मशीन टूल कंपनी, नई दिल्ली द्वारा बिना किसी पेटेंट अथवा जैसप से या सरकार से बिना किसी लाइसेंस प्राप्त किये उपर्युक्त उपकरणों के लिये फालतू हिस्से पुर्जे निर्मित किये जा रहे थे। यह भी आरोप था कि इन फालतू हिस्से-पुर्जों की बिक्री मै. ग्रीव्ज काटन एण्ड कम्पनी द्वारा की जा रही थी।

(ख) नवम्बर, 1985 से जैसप के 8-10 रोड रोलरों के लिए फालतू हिस्से-पुर्जे डी. जी. एस. एण्ड डी. के दर संविदा पर सीधे ही जैसप एन्ड कम्पनी नाम से प्राप्त किये गये हैं तथा विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त क्यादेशों की सप्लाई सीधे जैसप द्वारा की जा रही है और जैसप के रोड रोलरों के फालतू हिस्से-पुर्जों के लिये ग्रीव्ज काटन अब वितरक का कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) मामले की जैसप एण्ड कम्पनी ने जांच पड़ताल की है। यह पाया गया था कि मै. न्यू राइटवे मशीन टूल कम्पनी की मै. ग्रीव्ज काटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड से रोड रोलरों के उपयुक्त फालतू हिस्से पुर्जों का निर्माण करने के लिये जो मै. ग्रीव्ज काटन एण्ड कम्पनी द्वारा दिये गये नमूने के आधार पर थे, पिछले 8-10 वर्षों से कभी-कभी क्यादेश प्राप्त होते रहे हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इन पर जैसप-उत्पाद अंकित नहीं थे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सातवीं योजना अवधि के लिए उत्पादन लक्ष्य में परिवर्तन करना

8242. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सभी निर्माण एककों के उत्पादन लक्ष्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिवर्तन किया गया है और अधिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभ अर्जित करने की आशा है; और

(ग) वर्ष 1986-87 में और सातवीं योजना में भी प्रत्येक सरकारी क्षेत्र एकक के लिये कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिये कुछ उपक्रमों जो पहले औद्योगिक विकास विभाग का एक हिस्सा थे, द्वारा उच्चतर लक्ष्यों का अनुमान लगाया गया है।

(ख) इन उपक्रमों द्वारा दिये गये अनन्तिम गैर-लेखापरीक्षित लाभ तथा हानि के आंकड़ों से यह पता चलता है कि चार निर्माणकारी उपक्रमों ने 1985-86 में लाभ कमाया है।

(ग) इन उपक्रमों के लिये वर्ष 1986-87 के उत्पादन लक्ष्यों तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिये अनुमानित लक्ष्यों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के निर्माणकारी उपक्रमों, जो पहले औद्योगिक विकास विभाग के अधीन थे के उत्पादन लक्ष्य

लाख रु. में

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1986-87	सातवीं योजना (1989-90) (अनन्तिम)
1.	एन्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी	6346	13058**
2.	भारत आप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड	386	455

1	2	3	4
3.	हिन्दुस्तान कैबिल्स लिमिटेड	23322	43307
4.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै. कम्पनी	13000	20700
5.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो.	18330	23532
6.	इन्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	4800	5500
7.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	1342	1693
8.	नेशनल बाइसिबिल कारपोरेशन	700	1320
9.	साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	1865	4250
10.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	15927	28800
11.	नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड	4828	8200
12.	टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	2569	6124
13.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड	632	1513
14.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड*	—	—

* हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड एक मौसमी उद्योग है। इसका लेखा वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक है। अतः आंकड़े विवरण में शामिल नहीं हैं।

** इस धारणा पर आधारित है कि 1.4.86 को 6 चाय कम्पनियों का एण्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी के साथ विलय हो जायेगा।

टिप्पणी : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एन आई डी सी) तथा भारत लैदर कारपोरेशन परामर्शदात्री/ठेके लेने वाले गैर-निर्णयकारी एकक हैं।

क्षय रोग रोधी थियासिटाजोन औषधि के उत्पादन में कमी

8243. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग रोधी थियासिटोजोन औषधि का उत्पादन प्रति वर्ष कम होता जा रहा है;

(ख) क्या थियासिटाजोन नितान्त सुरक्षित और दमावी क्षय रोग रोधी औषधि है;

(ग) वर्ष 1978 के दौरान औषध नीति, 1978 की घोषणा के समय और वर्ष 1979 के दौरान इस औषधि का कुल कितना उत्पादन हुआ था; और

(घ) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) इस औषधि के उत्पादन में गिरावट आने का क्या कारण है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान थियासिटाजोन प्रपुंज औषध का उत्पादन घटता बढ़ता रहा है।

(ख) देश में तपेदिक के निवारण के लिये इस्तेमाल की जाने वाली औषध में थियासिटाजोन भी एक है।

(ग) संगठित क्षेत्र में 1978-79 और 1979-80 के दौरान थियासिटाजोन का कुल उत्पादन क्रमशः 11.7 और 12.55 टन था।

(घ) और (ङ) संगठित क्षेत्र में इस प्रपुंज का कुल उत्पादन 1083-84 में 12.40 टन था और 1984-85 के दौरान 20.39 टन था।

पिपराजाइन के उत्पादन में कमी

8244. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिपराजाइन और उसके साल्टस को औषध मूल नियंत्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत आवश्यक औषधियों का श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) क्या इस औषधि के उत्पादन करने वाली लाइसेंस शुदा कम्पनियों ने या तो इस औषधि का उत्पादन करना बन्द कर दिया हैं;

(ग) उत्पादन में वमन आने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 की प्रथम सूची में निर्दिष्ट पिपराजाईन एवं उसके लक्षण श्रेणी 2 फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिये अपेक्षित हैं।

(ख) 1983-84 में पिपराजाइन एवं उसके लवण का कुल उत्पादन 53.45 टन था तथा 1984-85 में उत्पादन 26.78 टन था।

(ग) और (घ) पिपराजाईन फार्मूलेशनों की कोई कमी सूचित नहीं की गई है तथा पाइरेन्टल पामोएट, नेवेन्ड.जोल तथा फेन्वेन्डाजोल इत्यादि जैसे कई नये कृमिनाशक औषधों को देश में पिछले वर्षों में चालू किया गया है। सामान्य रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत अन्तरीय मार्क-अप के कारण श्रेणी 1/2 फार्मूलेशनों में प्रयोग किए जाने वाले प्रपुंज औषधों के उत्पादन में वृद्धि अन्य प्रपुंज औषधों से कम रही है।

गैर-सरकारी संगठनों अथवा व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही समानन्तर डाक सेवाएं

8245. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि गैर सरकारी संगठनों अथवा व्यक्तियों द्वारा देश में समानान्तर डाक-सेवाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस प्रथा को बन्द करने और गैर सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को ऐसी सेवाएं चलाने से रोकने के लिए, क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) देश में अनेक ऐसी सेवाओं के चलने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) कुछ मामलों में ऐसे संगठनों या व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया है। जब कभी भी ऐसे मामले ध्यान में आते हैं, तो उन पर भारतीय डाकघर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन के लिये पुलिस को रिपोर्ट की जाती है। ऐसे मामलों में नियम के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई करने तथा पर्यवेक्षण सख्त करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

मद्रास रिफाइनरीज का विस्तार

8246. **श्री के. प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, जिसका हाल ही में विस्तार किया गया था, की तेल शोधन क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना और इस तेल शोधक कारखाने के अवरोधों को दूर करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) 1986-87 के दौरान अन्य कौन से तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाई जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोयाली, मथुरा और बोंगाईगांव रिफाइनरियों के विस्तार कार्यक्रम सातवीं योजना में शामिल हैं।

उड़ीसा में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

8247. **श्री के. प्रधानी** : क्या पेट्रोलिय और प्राकृतिक गैस मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कुछ स्थानों में खाली सिलेंडरों के स्थान पर भरे हुए सिलेन्डरों की सप्लाई में विलम्ब होने के अलावा खाना पकाने की गैस के मामले में उड़ीसा तथा अन्य बहुत से राज्यों से पिछड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो 1986-87 के दौरान उड़ीसा को, जिला वार खाना पकाने की गैस के कुल कितने कनेक्शन देने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1 अप्रैल, 1986 को उड़ीसा एल. पी. जी. उपभोक्ताओं की संख्या देश में 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक थी। जबकि उड़ीसा में एल. पी. जी. रिफिलों की सप्लाई सन्तोषजनक पूरी की जा रही है, फिर भी परिचालानात्मक कारणों से कभी-कभी बैकलाग बन जाता है।

(ख) उड़ीसा सहित देश में नये कनैक्शनों की रीलीज तेल उद्योग के वार्षिक उपभोक्ताओं के पंजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है और इसका निर्धारण एल. पी. जी. की उपलब्धता बाटलिंग क्षमता, परिवहन और अन्य संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करके किया जाता है। तेल

उद्योग की 1986-87 के दौरान करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को पंजीकृत करने की योजना है जिसमें उड़ीसा के करीब 33400 उपभोक्ता भी शामिल हैं। जिला-वार विवरणों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कोल इण्डिया लिमिटेड के वित्तीय निष्पादन स्थिति

8248. **श्री के. प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड की कुछ परियोजनाओं को धन दिए जाने की संभावना को देखते हुए उसकी वित्तीय निष्पादन स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ख) उनके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि. की वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिये अनेक कदम उठाए गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उपलब्ध जन-शक्ति का बेहतर उपयोग,
(2) समयोपरी लागत में कमी,
(3) प्रशासनिक खर्च को नियंत्रित करना,
(4) सामग्री लागत पर नियंत्रण,
(5) विद्युत उपभोग में बचत,
(6) ऊपरी मलबा हटाने में तेजी लाना,
(7) उपलब्ध जन-शक्ति एवं उपकरणों का अधिकतम उपयोग।

यह उपाय करने के फायदे चालू वर्ष 1986-87 से शुरू हो जाएंगे।

उड़ीसा के भीतर तथा बाहर सीधी ट्रंक डायल सेवा से जुड़े स्थान

8149. **श्री के प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन स्थानों में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाये जाने और उनका आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ख) उड़ीस राज्य के भीतर तथा बाहर किन-किन स्थानों को सीधी ट्रंक डायल सेवा द्वारा जोड़े जाने की संभावना हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उड़ीसा के निम्नलिखित स्थानों में सातवीं योजना के दौरान एस. टी. डी. सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि स्विचन और संचारण उपस्कर उपलब्ध हो जाए :-

भद्रक	बड़ागढ़
बारीपाड़ा	भवाना पटना
बोलनगीर	छत्तरपुर

धेनकनाल	थासुंगुडा
क्योंझर	कोरापुट
फूलबनी	संबलपुर
सुन्दरगढ़	

विवरण

उड़ीसा के उन स्थानों के नाम जहां सातवीं योजना में एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाने तथा उनको आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिये उपस्कर, सामग्री और भवन उपलब्ध हो जाए ।

1. निम्नलिखिति स्थानों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का प्रस्ताव है :—

क्योंझर, कोरापुट, फूलबनी, सुन्दरगढ़, बारीपड़ा, धेनकनाल, और छत्तरपुर ।

2. निम्नलिखिति स्थानों में आटोमेटिक एक्सचेंजों का प्रस्ताव है :—

जैईपौर, हीराकुड़, बुरला, जटनी. रायगाडा, त्रिक्रमपुर, जोदा, बारबकील, टीटागढ़, भाजा नगर, तलचेर, भाजागंजपुर, खुर्दा, अस्का, जाजपुर रोड, बालूगांव, केन्द्रपाड़ा, पारालखम्मडी, रैयरांगपुर, कांलाबाजी, केसींगा और नौउरंगोर ।

3. निम्नलिखिति स्थानों में एक्सचेंजों का विस्तार किया जाएगा :—

बेहरांजपुर, राउरकेरला प्लांट राउरकेरा टाउनशिप, बालासौर, पाराद्वीप, झारसुगुडा चांदौर, सुनाबेदा, पुरी, बोलांगीर, भा-ट्रक और भवानी पटना ।

विटामिन बी-6 का आयात और इसकी मांग

8250. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिये देश में विटामिन बी-6 की कुल कितनी मांग होने का अनुमान है,

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान इसका कुल उत्पादन कितना हुआ है,

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें विटामिन बी-6 का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया हैं, प्रत्येक कंपनी की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष प्रत्येक कंपनी ने कितना उत्पादन किया है,

(घ) क्या विटामिन बी-6 की प्रोद्योगिकी देश में उपलब्ध है, और

(ङ) देश में इस औषध का आयात करने के क्या कारण हैं,

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर के जयचन्द्र सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के औषध और भेषज सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि 1986-87 के लिये 60 टन विटामिन बी-6 की मांग होगी ।

(ख) और (ग) ब्यौरों की उपलब्धि की सीमा तक, संगठित क्षेत्र में आई. डी. पी. एल. विटामिन बी-6 का उत्पादन कर रहा है । ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	उत्पादन		
लाइसेंससुदा क्षमता	1982-83	1983-84	1984-85
30 टन	...	0.995	1.170

(घ) आई. डी. पी. एल. ने विटामिन बी-6 के उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी विकसित की है।

(ङ) औद्योगिक अलकोहल की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त रहा है।

रेल डाक सेवा सेक्शनों का बन्द किया जाना

8251. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल रेल डाक सेवा सेक्शनों को मार्च, 1986 के प्रथम सप्ताह से बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक प्रधान डाक मण्डल में बन्द की गई रेल डाक-सेवा सेक्शनों की संख्या तथा नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या रेल डाक सेवा सेक्शन स्थापित करने या बन्द करने के मानदण्ड हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(ङ) क्या उड़ीसा प्रधान डाक मण्डल के अन्तर्गत जालेश्वर रेल डाक सेवा सेक्शन को भी 1 मार्च, 1986 से बन्द कर दिया गया है; और

(च) क्या इस रेल डाक सेवा के बन्द होने के बाद डाक से आई वस्तुओं और पत्रों आदि के वितरण में विलंब हो रहा है; यदि हां, तो सरकार ने शीघ्र डाक वितरण के लिए इस रेल डाक सेवा को पुनः चालू करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दामोदर घाटी निगम के चंद्रपुर ताप विद्युत संयंत्र से कोयले की किस्मों के बारे में प्राप्त शिकायतें

8252. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुर ताप विद्युत संयंत्र से कोयले की किस्म के बारे में पिछले छह महीनों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन धोवनशाला (वाशरी) के अपशिष्ट को कोयले में मिला दिया जाता है और फिर यह कोयला सप्लाई किया जाता है और राख की प्रतिशता की जांच के लिए कोयले के नमूनों को हर-बार-बदल दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में वर्णक ग्रेड टोटेनियम डायोक्साइड संयंत्र की स्थापना

8253. **श्री अनादिचरण दास :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के गंजम जिले में छतरपुर में वर्णक ग्रेड टोटेनियम डायोक्साइड संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है,

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए पड़ा है,

(ग) यदि हां, तो वर्णक ग्रेड टोटेनियम डायोक्साइड संयंत्र की स्थापना में स्वीकृति देने में देरी के क्या कारण हैं, और

(घ) उक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. अवधेश सिंह) : (क) सरकार का उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले के छतरपुर के पिगमेंट ग्रेड टिटेनियम डाक्सायड संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि मैसर्स रिलायन्स स्टील्स लि. को 20,000 टन प्रतिवर्ष टिटेनियम डाक्साइड पिगमेंटट (कटाइलग्रेड) के उत्पादन के लिए उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले के छतरपुर में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए आशय पत्र स्वीकृत किया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनुपस्थिति तथा ओवरटाइम के कारण कोयले के लागत मूल्य में वृद्धि

8254. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों की अनुपस्थिति बहुत अधिक ओवर टाइम तथा कम उत्पादकता के कारण कोयले की लागत मूल्य में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड की खानों में श्रमिकों की अनुपस्थिति, ओवर टाइम तथा उत्पादकता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके परिणामस्वरूप कोयले के मूल्यों में भारी वृद्धि न हो, सरकार का उत्पादकता के इन तीन क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, समयोपरि भत्ता (ओवर टाइम) और कम उत्पादकता का भी कोयला कीमतों में वृद्धि में कुछ हाथ होता है । वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., भारत कोकिंग कोल लि., सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और नार्थ ईस्टर्न

कोलफील्ड्स द्वारा दिया गया कुल समयोपरि भत्ता (ओवर टाइम) क्रमशः रु. 73.58 करोड़, रु. 84.01 करोड़ और 100.63 करोड़ था। कोल इण्डिया लि. में उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन) वर्ष 1982-83 के 0.79 टन से बढ़कर 1983-84 में 0.81 टन एवं 1984-85 में 0.87 टन हो गई है। कोयला खानों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति में माह प्रति माह एवं कामगारों की श्रेणी दर श्रेणी आधार पर अन्तर रहता है।

कोयला कम्पनियां समयोपरि कार्य भत्ता में कमी लाने के लिए प्रयास कर रही हैं। उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इसमें अधिक वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कामगारों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति में कमी लाने के लिए, कम्पनी प्रबन्ध मंडल नियमित रूप से स्थिति की पुनरीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में किए गए उपायों में यह बातें शामिल हैं :— खनिकों/लोडरों एवं अन्य कामगारों को शिक्षित करना एवं उपस्थिति में सुधार लाने के लिए ट्रेड यूनियनों का सहयोग लेना, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कामगारों के विरुद्ध कार्रवाई, विभिन्न कल्याण एवं सुरक्षा उपाय करना तथा उन्हें चरणों में लागू करना और कामगारों की काम की दशाओं में सुधार करना एवं उनके रहन सहन की दशाओं में क्रमशः सुधार लाना।

लघु पन बिजली यूनिटों की लागत घटाने के लिये मूल्यांकन

8255. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सस्ती विद्युत उपलब्ध कराने के लिए लघु पन बिजली यूनिटों की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन परियोजनाओं की लागत घटाने के लिए साधारण डिजायन और निर्माण पद्धति विकसित करने का भी विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ऊर्जा मंत्री (श्री बंसत साठे) : (क) ऐसी क्षमता का पूर्ण रूप से मूल्यांकज नहीं किया गया है जिसका उपयोग लघु जल विद्युत जल विद्युत यूनिटों के जरिए किया जा सके। तथापि, मोटे अनुमान के अनुसार यह क्षमता लगभग 25 टी. डब्ल्यू एच प्रति वर्ष है।

(ख) जी, हां कार्यस्थलों की परिस्थितियों के अनुसार जहां तक संभव होता है, सरिता के प्रवाहों को मोड़ने के लिए खाई और बोल्डर टाइप बीयरों जैसे साधारण डिजाइनों, बिजली घर के साधारण ढांचे तथा विद्युत उत्पादन उपस्कर के मानकीकरण को अपनाया जा रहा है। माइक्रो जल विद्युत के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का विकास करने के मुख्य उद्देश्य से रुड़की विश्वविद्यालय में एक वैकल्पिक जल विद्युत ऊर्जा केन्द्र भी स्थापित किया गया है। इस केन्द्र ने माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रण और इलेक्ट्रानिक नियंत्रण के साथ टर्बाइन, गवर्नरलेस टर्बाइन के रूप में प्रतिकूल दिशा में सेंट्रीफ्यूगल पम्पों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा ताप-उपकरणों के डिजायन में सुधार

8256. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एककों द्वारा गत तीन वर्षों में निर्मित और विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को सम्भारित बायलरों और स्टीम टरबाइनों के डिजाइन अधिक राख वाले भारतीय कोयले का प्रयोग करने में दोषपूर्ण पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने उपभोक्ताओं ने इसके सम्बन्ध में शिकायतें की हैं; और

(ग) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इन उपकरणों के मूल डिजाइन में सुधार करने तथा उन एकलों की ताप-क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिनको वे उपकरण दिए गए थे, क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सम्भारित वायलरों और टरबाइनों के मौलिक डिजाइन दोषपूर्ण नहीं पाये गये हैं। किन्तु कुछ बिजली घर डिजाइन की अवस्था में निर्दिष्ट कोयले की तुलना में घटिया कोयला प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार के मामलों में अधिक राख से कुछ हिस्से-पुर्जों का तेजी से क्षरण हुआ। बी. एच. ई. एल. अपेक्षित संशोधन करता रहा है।

मुजफ्फरपुर विद्युत संयंत्र की लागत में वृद्धि

8257. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे समाचार देखे हैं जिनमें यह बताया गया है कि विलम्ब के कारण मुजफ्फरपुर विद्युत संयंत्र की लागत में 100 प्रतिशत वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) लगभग 84.39 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृत लागत की तुलना में मुजफ्फरपुर ताप विद्युत परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत लगभग 203 करोड़ रुपये है। लागत में वृद्धि के लिए केवल परियोजना के पूरा होने में हुए विलम्ब को उत्तर-दायी नहीं ठहराया जा सकता। अनुमानित लागत में वृद्धि तथा परियोजना को चालू करने में हुए विलम्ब के मुख्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं। टर्न-की ठेके को अन्तिम रूप देने में विलम्ब, प्रतिकूल भू-परिस्थितियों के कारण पाईलिंग कार्य को पूरा करने में विलम्ब, निधियों की कमी, मूल्यों में वृद्धि आदि हैं।

(ख) विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता के संबंध में राज्य प्राधिकारियों पर लगातार बल दिया जा रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण निर्माणाधीन विद्युत परियोनाओं की फानीटरिंग भी कर रहा है और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में राज्य प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता और सलाह दे रहा है।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभ और हानि

8258. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के केरल स्थित उपक्रमों के लाभ और हानि के कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) एच. एम. टी. का एक एकक केरल के कलमश्शेरी में है। इस एकक के लाभ/हानि के अलग

से आंकड़े अलग से प्रकाशित नहीं किये जाते हैं। 1885-86 के दौरान एच. एम. टी. के समस्त एककों ने लगभग 800 लाख रुपये का सम्पूर्ण लाभ (कर पूर्व) कमाया था। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक सहायक निर्माणकारी कम्पनी अर्थात मै. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड मेस्वल्डोर जिला कोट्टायम में है। 1985-86 में इसमें 171 लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का एकक पालघाट, केरल में है। 1985-86 में 4804 लाख रुपये के लाभ (कर पूर्व) का अनुमान लगाया गया है।

निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना औषधों के मिश्रण को मंजूर दिया जाना

8259. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशों के अनुसार दो या दो से अधिक औषधों के किसी मिश्रण को विपणन की अनुमति देने के प्रयोजन के लिए नई दवाई माना जाता है,

(ख) क्या निर्माता को मार्गनिर्देशों में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं का पालन करना होता है,

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना दो या दो से अधिक औषधों के किसी मिश्रण को मंजूरी दी गई थी, और

(घ) यदि हां, तो कितने मिश्रणों को अनुमति दी गई थी;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) नई औषधों का अनुमोदन औषध और प्रसाधन, अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है. जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किए जाते हैं। उस मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, औषध और प्रसाधन नियम के नियम 30 क के अन्तर्गत स्पष्टीकरण में यद्यपि ऐसी विभिन्न संभावनायें शामिल हैं जिसमें नई औषध भी निहित है फिर भी नई औषधों के प्रारम्भण के लिए मार्गदर्शन में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नई औषधें कैसी होंगी अर्थात (1) एक नया रसायन तत्व (एन.सी.ई) (2) ऐसी औषध जो निर्दिष्ट लक्षणों के लिए निर्दिष्ट माध्यम से निर्दिष्ट खुराक प्रणाली के लिये अनुमोदित की गई हों पर जिसका अब अन्य लक्षणों के लिए निर्दिष्ट माध्यम अन्य खुराक प्रणालियों में प्रयोग करने का प्रस्ताव है। (3) दो और अधिक औषधियों का संयोग, जिन्हें यद्यपि अलग उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, का पहली बार एक निर्धारित खुराक फार्मूलेशन में संयोजित करने का प्रस्ताव है। मार्गदर्शनों में अन्य उपेक्षाओं सहित वह विस्तृत पद्धति और आंकड़े दिये गये हैं जो नई औषध अणु की सुरक्षा और दक्षता के लिये आवश्यक हैं जैसे भारत में नैदानिक परीक्षण करने तथा देश में उसका विपणन करने की अनुमति देने के पूर्व अन्य देशों में उस औषध की स्थिति।

(ग) और (घ) फार्मूलेशनों के निर्माण और बिक्री के लिये राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिये जाते हैं। इन मंत्रालयों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके द्वारा कुछ ऐसी अनुमति भीदी गई है जिसमें मार्गदर्शनों में निर्धारित पद्धति की अपेक्षा की गई हो।

नई औषधों अथवा दो या दो से अधिक औषधों के मिश्रण के विपणन के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया

8260. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नई औषधों अथवा दो या दो से अधिक औषधों के मिश्रणों के जिनका देश में प्रथम बार विपणन का प्रस्ताव हो और जिनका विश्व में अन्य कहीं विपणन न किया जा रहा हो। विपणन की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ख) ऐसी औषधों अथवा औषधों के मिश्रणों के विपणन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्माता द्वारा क्या औपचारिकतायें पूरी करना आवश्यक है;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) और (ख) नये औषधों के लिये अनुमोदन औषध एवं प्रसाधन अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है जिसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। इस मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में प्रथम बार विपणन के लिये प्रस्तावित नई औषधों या दो या अधिक औषधों के संयोगों, जिनका संसार में अन्य कहीं भी विपणन नहीं किया जाता, के लिये अनुमति देने की प्रक्रिया नीचे दर्शाई गई है:—

औषध और प्रसाधन अधिनियम के विभिन्न नियम जिनके अन्तर्गत औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा नई औषध के आयात या उत्पादन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो औषध और प्रसाधन नियम के नियत 21 के अधीन किसी नई औषध को अनुमोदित करने के लिये लाइसेंसिंग प्राधिकरण है।

(2) विभिन्न परिस्थितियां, जिनके अन्तर्गत किसी नई औषध का भारत में क्लीनिकल परीक्षण करना अपेक्षित होता है, इस तथ्य के रहते हुये भी कि चाहे ऐसी औषध अन्य देशों में पहले ही अनुमोदित हो।

(3) भारत में विभिन्न चरणों में नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित विभिन्न औपचारिकतायें और आंकड़े।

(4) देश में नई औषध के नैदानिक परीक्षण करने के लिये नामित/अन्वेषक का दायित्व।

(5) देश में नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े जिनमें औषध के बारे में रसायनिक और भेषज संबंधी जानकारी पशु फार्मूकुलोजी पशु टाक्सीकालोजी, विदेशों से नैदानिक परीक्षण की रिपोर्ट, विशेष, अध्ययन आदि, यदि कोई हो, दूसरे देशों में औषध का विनियमित स्तर शामिल है।

(6) मार्गदर्शनों में उन सभी निर्दिष्ट आवश्यकताओं पर स्पष्टीकरण दिया गया है जिनको प्रस्तुत किया जाना हो और उसे आंकड़ों की मात्रात्मक तथा गुणात्मक सीमा की भी व्याख्या करता है जिन्हें भारतीय जनता में नैदानिक परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त करने और औषध नियंत्रक भारत से एक नई औषध का विपणन करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाना हो।

(6) भारत में एक नई औषध का नैदानिक परीक्षण करने के लिये औषध नियंत्रक (भारत) से अनुमोदित किये जाने वाले अध्ययन के समान मार्गदर्शन भी उक्त मार्गदर्शन में दर्शाये गए हैं।

(7) मनुष्य पर नैदानिक परीक्षण करने से पहले पशु पर जहरीलेपन के अपेक्षित अध्ययन के ब्यौरे भी मार्गदर्शनों में दिए गए हैं।

(9) नैदानिक परीक्षणों कराने वाले मरीज/उसके संबंधियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले सहमति फार्म का मूल पाठ भी मार्गदर्शनों में दिया गया है।

(10) मार्गदर्शनों का परिशिष्ट 7 निर्धारित खुराक मिश्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत करता है जो मिश्रण की किस्म पर निर्भर है। पंजीकरण प्रयोजन के लिए मिश्रों के प्रत्येक समूह के बारे में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न ब्यौरे मार्गदर्शन में दिए गए हैं।

केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास

8261. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में नारियल के रेशे और नारियल जटा उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान केरल में नारियल जुटा उद्योग के विकास के लिए सरकार ने कितनी राशि व्यय की ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) वर्ष 1985-86 में नारियल जटा उत्पादों के निर्यात से 3145 लाख रुपए की अनुमानित विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान सम्पूर्ण नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए 202.36 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त नारियल जटा उद्योग के सहकारीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अन्तर्गत, 1985-86 के दौरान केरल सरकार को अंशदान के लिए 25.75 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई थी।

निम्न आय वर्ग के श्रमिकों के लिए औद्योगिक उप-नगरों का विकास

8262. **श्री डी. वी. पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न आय वर्ग के श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक उप-नगरों का विकास किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माइक्रो-इलेक्ट्रोनिकी, कम्प्यूटरों और बायोटेक्नोलाजी में सरकारी क्षेत्र की भूमिका

8263. **डा. गौरी शकर राजहंस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस आवश्यकता पर जोर दिया है कि देश में सरकारी क्षेत्र

को माइक्रो-इलेक्ट्रोनिकी कम्प्यूटरों और बायो-टेक्नालाजी जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सूक्ष्म-इलेक्ट्रोनिकी, संगणकों एवं जैव-औद्योगिकी आदि जैसे उदीयमान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्दिष्ट की है तथा इस पर सरकारी उपक्रमों की प्रतिक्रिया अनुकूल है ।

[हिन्दी]

साउथ-ईस्टर्न कोल फील्डस बिलासपुर में स्थानीय लोगों को रोजगार

8264. **डा. प्रभात कुमार मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर के कार्यालय में 1986-87 के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ग) क्या साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय में कार्य करने वाले अधिकारियों को आवासीय तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) बिलासपुर स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. नामक कम्पनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के बिलासपुर प्रभाग एवं सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. के तालचेर क्षेत्र को मिलाकर बनाई गई है। वर्ष 1986-87 में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के कार्यालय में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता प्रारम्भ में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. एवं सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. से तबादला करके पूरी की जाएगी। जब तक वे. को. लि./से. को. लि. से कार्मिकों की उपलब्धि पूरी तरह निश्चित नहीं हो जाती तब तक यह बताना संभव नहीं है कि कितनी नई भर्ती जरूरी होगी।

(ख) वर्तमान नीति यह है कि उम्मीदवार स्थानीय रोजगार कार्यालय से बुलाए जाएं और यदि आवश्यक हो तो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएं। चयन का काम एक चयन समिति करती है जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक अधिकारी भी होता है। परन्तु स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है। किन्तु वे अन्य व्यक्तियों के साथ हमेशा प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं।

(ग) और (घ) बिलासपुर स्थित मुख्यालय कार्यालय के अधिकारियों के लिए कम्पनी के अपने मकानों का निर्माण अभी होना है। एक अन्तरिम उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की अधिकतम सीमा के भीतर ही, आवास एवं कार्यालय के लिए मकान किराए

पर लिए जा रहे हैं। किराए का निर्धारण एक समिति द्वारा होता है जिसमें राज्य सरकार का भी एक प्रतिनिधि रहता है।

साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर से कोयले की चोरी

8265. **डा. प्रभात कुमार मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर के नियन्त्रणाधीन कोयला खानों से भारी मात्रा में कोयले की चोरी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या चोरी का पता लगा लिया गया है; और

(ग) इस प्रकार की चोरी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान, लगभग 16,866 टन कोयला साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से चोरी हुआ था। इसमें से 16,450 टन कोयला केवल तालचेर क्षेत्र से ही जगन्नाथ कोलियरी साइडिंग और तालचेर रेलवे स्टेशन के बीच लगभग 8 किलोमीटर की दूरी वाले इलाके में ही चुराया गया था।

(ख) और (ग) चोरी के सभी मामलों की रिपोर्ट अनिवार्यत: पुलिस को की जाती है। अभी तक 40 मामले पकड़े गए हैं और 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा लगभग 416 टन कोयला बरामद किया गया है।

[अनुवाद]

मैसर्स इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लि. बड़ौदा के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

8266. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को जनता तथा कुछ संसद सदस्यों की ओर से मैसर्स इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स लि., इण्डिया बड़ोदा (गुजरात) के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) और (ख) जी, हां। इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि. में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सी वी आई अहमदाबाद ने तीन मामलों में जांच पड़ताल दर्ज की है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) के परामर्श से उचित जांच के पश्चात ये मामले बंद कर दिये गये। चूंकि कोई दुराशये नहीं पाया गया था अत: कोई आगामी कार्यवाही नहीं की गई। तथापि, एक मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सी वी सी के परामर्श से संबद्ध कार्मिक को एक रिकार्ड योग्य चेतावनी दी गई।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में टेलेक्स सेवा

8267. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में टेलेक्स सेवा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन स्थानों में टेलेक्स सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में टेलेक्स की मांग नहीं की गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में उप डाकघरों का बन्द करना

8268. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कुछ शाखा डाकघरों और उप-डाकघरों को आर्थिक दृष्टि से अलाभकर पाये जाने के कारण बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनकी जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रस्तावित कदम से इन पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में भारी असंतोष है ?

संचार मंत्रालयों के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) देहरादून डिवीजन में एक विभागीय उप डाकघरों को तथा पिथौरागढ़ डिवीजन में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर को बन्द किया जा सकता है। फिर भी, इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी नहीं। इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त चूंकि ये मामला अभी विचाराधीन ही है और बड़े क्षेत्र के केवल दो डाकघरों से ही संबंधित है, इसलिए यह लोगों के भारी असंतोष का कोई कारण नहीं है।

उत्तर प्रदेश में ताप, जल तथा परमाणु ऊर्जा उत्पादन

8269. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ताप, जल तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से अलग-अलग कितनी अतिरिक्त ऊर्जा (मेगावाट में) का उत्पादन किये जाने का अनुमान है और इस प्रयोजन के लिये इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या यह अतिरिक्त ऊर्जा राज्य को विद्युत संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) उत्तर प्रदेश में सातवीं योजना अवधि के दौरान कुल 1794 मेगावाट क्षमता वृद्धि किए जाने की परिकल्पना है, जिसमें 304 मेगावाट जल विद्युत संयंत्रों से तथा 1490 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्रों से शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र में हिस्सा है, जो कि प्रचालनाधीन है। राज्य को केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं से भी हिस्सा प्राप्त होगा, जिन्हें सातवीं योजना अवधि के दौरान चालू किया जाएगा।

(ख) बारहवें विद्युत सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए मांग के अनुमान के आधार पर, सातवीं योजना अवधि के अन्त तक उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी रहने की सम्भावना है।

(ग) मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को कम करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : उत्तरी क्षेत्र में गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र स्थापित करना, विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करके ताप-विद्युत संयंत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना तथा पारेषण और वितरण हानियों को कम करना।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

8270. **श्री अमर सिंह राठवा** :

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने सीमेंट संयंत्र हैं और प्रत्येक संयंत्र की सीमेंट की उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है,

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर संयंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं और उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) सरकारी क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने सीमेंट संयंत्र निर्माणाधीन हैं और कब तक उनके चालू हो जाने की संभावना है,

(घ) इस समय देश में सीमेंट की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और उनका वार्षिक अनुमानित उत्पादन कितना है,

(ङ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र में और अधिक सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) बड़े सीमेंट एककों के 1.4.86 तक के उत्पादन की स्थिति निम्न प्रकार रही :—

	संख्या	क्षमता (लाख मी. प्रति वर्ष)
1. सरकारी क्षेत्र	19	78.75
2. गैर-सरकारी क्षेत्र	62	340.45

(ख) जी, नहीं। सीमेंट उद्योग के सामने विशेष रूप से बिजली, कोयला और वैगनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में आने वाली कटिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए, केवल कुछेक मामलों को छोड़कर, सीमेंट उद्योग का कार्यनिष्पादन सामान्यतः संतोषजनक रहा है।

(ग) 31.3.86 तक लगभग 370 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए बड़े सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र स्वीकृत किए गए हैं। उपर्युक्त में से सरकारी क्षेत्र के और गैर-सरकारी क्षेत्र के 10 बड़े सीमेंट संयन्त्रों द्वारा चालू वर्ष 1986-87 के दौरान उत्पादन शुरू कर दिए जाने की संभावना है।

(घ) सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यदल ने 1986-87 के चालू वर्ष के लिए 417.40 लाख मी. टन सीमेंट की मांग होने का अनुमान लगाया था। इसकी तुलना में उत्पादन 365.0 लाख मी. टन ही होने की संभावना है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र में चल रही निम्नलिखित 4 परियोजनाओं के सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में चालू हो जाने की संभावना है :

	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)
सी.सी.आई. तेन्दुर (आंध्र प्रदेश	10.00
,, नीमच, विस्तार (म. प्र.) भटिण्डा और (पंजाब) और दिल्ली स्थित 2 पिसाई एककों सहित	10.00
,, येरगुंतला विस्तार (आ. प्र.)	10.00
दामोदर स्लैग एण्ड सीमेंट (पं. बंगाल) (सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया और वेस्ट बंगाल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी)	2.60

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन के लिए जमा कराई गई धनराशि पर ब्याज की दर

8271. **श्री बननारी लाल बेरवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ टेलीफोन केन्द्रों में ओ. वाई. टी. श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि सामान्य और विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जमाई गई धनराशि पर किस दर पर ब्याज देती है और ब्याज की ये दरें कब निर्धारित की गई थीं ;

(घ) क्या सरकार का विचार ब्याज की दरें बढ़ाने का है, क्योंकि टेलीफोन के आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 5 से 10 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ङ) क्या कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें 20 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री रामनिवास मिर्धा) (क) जी, हां।

(ख) 'ओ वाई टी', 'सामान्य', और 'विशेष' श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन निर्धारित प्रतिशत के आधार पर जारी किए जाते हैं जो कि इस समय क्रमशः 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत है। कुछ एक्सचेंजों में 'ओवाईटी' श्रेणी में टेलीफोन की मांग, 'सामान्य' और 'विशेष' श्रेणियों की मांग से कम है। इसलिये इन एक्सचेंजों में 'ओवाईटी' श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन, सुगमता से उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए, अग्रिम जमा राशि पर जमा कराने की तारीख से टेलीफोन कनेक्शन स्थापित करने की तारीख से एक दिन पहले तक की अवधि के लिये ब्याज उसी दर पर दिया जाता है जो कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा पर देय होता है और यह ब्याज, जिस तारीख को सावधि जमा कराया गया है उस तारीख को लागू दर पर पूरे महीनों के लिये परिकलित किया जाता है। उपर्युक्त देय ब्याज की दर 5-9-1975 से लागू की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

राजस्थान के टोंक जिले में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

8272. **श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में टेलीफोनों की जिला-वार और श्रेणी-वार कितनी मांग है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मांग को पूरा करने के लिये नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और टोंक जिले में किन-किन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है।

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) राजस्थान में 28.2.1986 की स्थिति के अनुसार जिलेवार तथा श्रेणीवार टेलीफोन की मांग संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) टेलीफोन की मौजूदा मांग पूरी करने के लिये नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा औचित्य पाये जाने पर वर्तमान एक्सचेंजों का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिये संसाधन उपलब्ध हों।

राजस्थान में सातवीं योजना के दौरान विभिन्न नगरों में सभी प्रकार की 59,700 एक्सचेंज उपस्कर लाइनें (जिसमें जयपुर में 9200 लाइनें शामिल हैं) चालू करने का प्रस्ताव है।

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान टोंक जिले में निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है :

1. अलीगढ़	—	25 लाइनें
2. उनियारा तहसील		25 लाइनें
3. टोंक		300 लाइनों के मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर 400 लाइनों का छोटा इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना।

विवरण

टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	ओ वाई.टी.	विशेष	सामान्य	योग
1.	अजमेर	40	115	2413	2568
2.	अलवर	36	117	979	1132
3.	बांसवाडा	13	—	39	52
4.	बेरमेर	11	67	267	345
5.	भरतपुर	27	34	214	275
6.	भीलवाडा	87	121	557	765
7.	बीकानेर	131	279	964	1374
8.	बूंदी	4	8	82	94
9.	चित्तौड़गढ़	22	24	146	192
10.	चुरू	15	21	195	231
11.	धौलपुर	10	1	26	37
12.	डूंगरपुर	—	—	1	1
13.	जयपुर	489	1141	10446	12076
14.	जालौर	—	1	67	68
15.	झलवाड	4	—	43	47
16.	झुंझुन	1	4	43	48
17.	जोधपुर	135	676	3067	3878
18.	कोटा	257	330	2068	2655
19.	नागौर	22	21	333	376
20.	पाली	2	45	854	901
21.	सवाई माधोपुर	9	3	75	87
22.	सिकार	22	41	387	450
33.	जैसलमेर	—	—	—	—
24.	सिरोही	6	1	153	60

1	2	3	4	5	6
25.	श्री गंगानगर	30	67	874	971
26.	टोंक	—	2	39	41
27.	उदयपुर	121	364	2252	2737
	योग	1494	3483	26584	31561

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोनों और टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

8273. **श्री प्रतापभानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि और 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में किन-किन स्थानों में और कुल कितने नये ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये और कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये;

(ख) क्या वे संतोषजनक रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से कितनों के ठीक कार्य न करने के बारे में हिदायतें मिली हैं; और

(घ) नये सार्वजनिक टेलीफोनों और टेलीफोन एक्सचेंजों के संबंध से वर्ष 1986-87 के लिये क्या योजना है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1986-87 के दौरान पी. सी. ओ. तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये योजना निम्न प्रकार है। प्रत्येक स्थान पर अपेक्षित संख्या में टेलीफोन कनेक्शन के लिए मांग दर्ज होने पर टेलीफोन एक्सचेंज खोलना निर्भर करता है।

जिला	सार्वजनिक टेलीफोन	टेलीफोन एक्सचेंज
विदिशा	4	2
रायसेन	5	2
सिहोर	3	1

विवरण

ऐसे ग्रामों के नाम जहां आई.डी.पी.टी. तथा एक्सचेंज छठी योजना तथा वर्ष 1985-86 के दौरान खोले जा चुके हैं।

जिले का नाम	छठी योजना के दौरान खोले गये		वर्ष 1985-86 के दौरान खोले गए	
	पी.सी.ओ.	एक्सचेंज	पी.सी.ओ.	एक्सचज
1	2	3	4	5
विदिसा	1. एसपघ कलां	1. लातेरी	शून्य	1. समसाबाद
	2. टेम्रोडा			
3.	3. मुगलसराय			
	4. परशीयेरा			
	5. भुरिया			
	6. भाटवर			
	7. पिपलखेडा कलां			
	8. रोशन पिपरिया			
	9. सांकल खेडा			
	10. अहमद नगर			
	11. चिरखेड़ी			
	12. रसोलिया शाहु			
	13. मसूदपुर			
	14. माहु			
	15. महोती			
	16. भिलदाना			
	17. चातोली			
	18. फुपेर			
	19. घटेरा			
	20. सोजन			
	22. उनरासी कलां			
	22. सियालपुर			
	23. मिर्जापुर			
	24. खामखेदा			
	25. थारा			
	26. अतरि खेजदा			
	27. पंछेदा			
	28. लेयारा			

1	2	3	4	5
	29. बारबाई			
	30. सेहुद			
	31. बलबामोडा			
	32. हसुआ			
	33. विजवासन			
	34. अहमदपुर			
	35. जोहद			
	36. लसकरपुर			
1. रायसेन	1. सुलतानगंज	1. गैरातगंज	1. झटारी	1. विकालपुर
	2. बाथी	2. सुल्तानपुर	2. हरदूत	
	3. बंकादेही	3. देहगांव		
	4. मदकी			
	5. चैनपुर			
	6. परवारिया			
	7. बेरपुर			
	8. चंडबाड			
	9. खरवाई			
	10. दबारगमलिया			
	11. पेमात			
	12. समारपुर			
	13. मनकपुर			
	14. चिकलोड			
	15. सेवासनि			
	16. दोबी			
	17. बलगांव			
	18. मैंसा			
	19. पेड्डा			
	20. जुझाड़पुर			
	21. बमोरी			
	22. चिमैटिया			
	23. केहरी			
3. सिहोर	1. लड़कुई	1. बकतरा	1. अहमदपुर	1. ककरोड
	2. पिलिखाड़	2. श्यामपुर	2. निमाटा	2. अहमदपुर
	3. बनियान	3. रेहति	3. आर्या	3. दोहराह
	4. रंगुराय	4. मैना	4. निपैनिया	—

1	2	3	4	5
सिहोर	5. तिलुड			
	6. जमाशपुर कलां			
	7. कुलहरा			
	8. चिछ			
	9 ग्यात			
	10. जवाहर खादा			
	11. जमारपुरी			
	12. तिलाडिया			
	13. धमारा			
	14. धौलपुर			
	15. माड़ाकुई			
	16. केहडी			
	17. भारकच			
	18. बंडिओ			
	19. सरदार नगर			
	20. कुरिनरायनपुर			
	21. रामपुर			
	22. बेहारा			
	23. जटाखेडा			
	24. बकताल			
	25. हाकिमाबाद			
	26. बरदेहीकलां			
	27. निपन्या घमकेडी			
	28. खांडवा			
	29. झटकी			
	30 कचरोड			
	31. विजलोन			
	32. गावाखेडा			
	33. समलियाडीड			
	34. लर्सखुर्द			
	35. सोडी			
	36. मुरवार			

मध्य प्रदेश में टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण

8274. **श्री प्रताप भानू शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मध्यप्रदेश में माण्डीदीप (रायसेन), पीतमपुर (धार) और

बिजयपुर (गूना) जैसे केन्द्रों में तेजी से बढ़ रहे उद्योगों के लिए वर्तमान टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार और इन क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने इसके संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां। मंडीद्वीप और पीतमपुर के बारे में कुछ प्रस्ताव मिले हैं।

विवरण

1. **मंडीद्वीप (रायसेन)** : इस समय यहां 150 लाइनों का मैनुअल एक्सचेंज है जिसमें 122 कनेक्शन काम कर रहे हैं तथा 7 नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। आटोमेटिक स्विचिंग उपस्कर के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण मंडीद्वीप को आटोमेटिक बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

2. **पीतमपुर (धार)** : इस समय यहां 200 लाइनों का मैनुअल एक्सचेंज है जिसमें 91 कनेक्शन कार्य कर रहे हैं तथा 138 नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। इस क्षेत्र में सागर कुटिट् नाम स्थान में 90 लाइनों का एम ए एक्स-III आटोमेटिक एक्सचेंज है जिसमें 48 चालू कनेकशन हैं तथा 40 नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। आटोमैटिक स्विचन उपस्कर मिलने में दिक्कत होने के कारण पीतमपुर में मध्यम किस्म का आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

1986-87 में पीतमपुर में 20 लाइनों का टेलेक्स एक्सचेंज खोलने तथा पीतमपुर-इन्दौर के बीच 8 चैनल कैरियर प्रणाली चालू करने की योजना है।

3. **बिजयपुर (गुना)** : इस समय यहां 90 लाइनों का एम ए एक्स-111 किस्म का आटोमेटिक एक्सचेंज है जिसमें 39 चालू कनेक्शन हैं तथा कोई नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है। मांग न होने के कारण इस एक्सचेंज का विस्तार करने का प्रयास नहीं है।

बिजयपुर और गुना के बीच 3-चैनल प्रणाली चालू हो गई है।

नेशनल फर्टिलाइजर लि. के लिए एक उपग्रह भू-केन्द्र स्थापित कर दिया गया है।

घाटप्रभा बिजली घर कर्नाटक के लिये विद्युत एककों की खरीद

8275. **डा. वी. वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटप्रभा बिजली घर के लिए 16 मेगावाट के दो एककों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित मंजूरी न दिये जाने के कारण अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को इसके संबंध में कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एककों के लिए आदेश कब तक और किसे दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) कर्नाटक में घाटप्रभा बिजली घर (2×16 मेगावाट) के लिए विद्युत उत्पादन उपस्कर प्राप्त करने के मामले पर पहले ही विचार किया जा चुका है तथा कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को सितम्बर, 1985 में यह सलाह दी गई है कि वे मैसर्ज भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. को आर्डर दें। उपर्युक्त निर्णय कर्नाटक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान व्यक्तिगत तौर पर भी दोहरा दिया गया था।

लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

8276 श्री **मोहनभाई पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने लघु सीमेंट सयन्त्र कार्य कर रहे हैं और वर्ष 1985 के दौरान देश में लघु सीमेंट संयंत्रों में सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान देश में लघु सीमेंट संयन्त्रों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार से स्वीकृति के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और इन आवेदनों को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि पहले जिन लघु सीमेंट संयन्त्रों के लिए मंजूरी दी गई थी, उनमें से कई संयंत्र अभी तक चालू नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्पादन में लगे मिनी सीमेंट संयंत्रों के ब्यौरे।

(क)

राज्य	उत्पादन में लगे मिनी सीमेंट संयंत्रों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
बिहार	1
गुजरात	11
जम्मू तथा काश्मीर	1
कर्नाटक	6
मध्य प्रदेश	6
उड़ीसा	1
राजस्थान	3
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	2
योग :	42

मिनी सीमेंट संयन्त्रों में 1985 के दौरान 4.09 लाख मी. टन सीमेंट का उत्पादन किया।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए। किन्तु गैर-सरकारी उद्यमियों से आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे आवेदनों के ब्यौरों और उनके निपटान निम्न प्रकार है :—

(1) औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र :

राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किए गए आशय पत्र	रद्द किए गए
आन्ध्र प्रदेश	7	2	5
असम	3	1	2
गुजरात	2	1	1
मध्य प्रदेश	1	—	1
महाराष्ट्र	1	—	1
मेघालय	1	—	1
उड़ीसा	1	—	1
राजस्थान	1	1	—
तमिलनाडु	1	—	1
उत्तर प्रदेश	1	—	1**
योग :	19	5	14

**तकनीकी विकास के महानिदेशालय से पंजीकरण प्राप्त करने की सलाह दी गई।

(2) तकनीकी विकास के महानिदेशालय से पंजीकरण प्राप्त करने सम्बन्धी आवेदन :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	पंजीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	8	2	6
असम	12	5	7
कर्नाटक	10	7	3
मध्य प्रदेश	6	2	4
[illegible]	7	2	[illegible]
तमिलनाडु	8	5	[illegible]
[illegible]	3	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2	1	[illegible]
उत्तर प्रदेश	3	[illegible]	3

1	2	3	4
गुजरात	2	—	2
पांडिचेरी	2	1	1
मेघालय	2	2	—
योग :	65	28	37

(ग) और (घ) मिनी सीमेंट संयन्त्रों जो 31.3.1986 को कार्यान्वयनाधीन है, की स्थापना करने के लिए, दी गई औद्योगिक स्वीकृति आदि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण	योग
आन्ध्र प्रदेश	4	4	39	47
असम	—	6	13	19
बिहार	—	1	6	7
गुजरात	5	3	15	23
हिमाचल प्रदेश	1	1	16	18
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	10	10
कर्नाटक	4	8	26	38
महाराष्ट्र	1	—	3	4
मध्य प्रदेश	1	1	37	39
मेघालय	—	2	3	5
उड़ीसा	1	2	5	8
राजस्थान	1	2	11	14
तमिलनाडु	—	—	11	11
उत्तर प्रदेश	—	2	4	6
पांडिचेरी	—	—	3	3
योग .	18	32	202	252

दी गई स्वीकृतियां समयबद्ध हैं और उद्यमियों से आशा की जाती है कि वे उसमें निर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर उत्पादन करना शुरू कर दें। इन समय सीमाओं के संदर्भ में स्वीकृतियों के कार्यान्वयन की मानीटरी की जाती है। की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विशेष समीक्षाएं भी की जाती हैं और उन स्वीकृतियों को रद्द/प्रतिसंहृत कर दिया जाता है जिनके कार्यान्वयन में उद्यमियों द्वारा पर्याप्त प्रगति नहीं की गई हो। पात्र/उपयुक्त मामलों में समय बढ़ाने की अनुमति भी दी जाती है।

केरल के अलप्पी जिले में पुलिनकुलू टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

8277. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अलप्पी जिले में पुलिनकुलू टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नही उठता।

हरिप्पाद टेलीफोन एक्सचेंज (केरल) का विस्तार

8278. **श्री वक्कम पुरुषोत्तम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तिरुवल्ला सब-डिवीजन में हरिप्पाद टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हरिप्पाद टेलीफोन एक्सचेंज में एस. टी. डी. सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। 7वीं योजना अवधि के दौरान केरल के तिरुवल्ला उप डिवीजन के हरिपद एक्जचेंज का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं।

आन्ध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में प्लेट फार्म की स्थापना

8279. **श्री वी. तुलसी राम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा तटदूर तेल क्षेत्र में एक तटदूर ड्रिलिंग प्लेटफार्म हाल में राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस प्लेटफार्म से प्रति वर्ष तेल का कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में इसी प्रकार का एक प्लेटफार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 1.25 मिलियन मी. टन प्रति वर्ष।

(ग) [illegible] अन्वेषण की स्थिति में है।

गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में खाना पकाने की गैस के संयंत्रों की स्थापना

8280. **श्री वी. तुलसी राम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या [illegible] गुजरात में [illegible] करोड़ रुपये की लागत से खाना पकाने की गैस का संयंत्र हाल ही में स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की खाना पकाने की गैस सप्लाई की वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसा ही संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां, अन्कलेश्वर में।

(ख) प्रति वर्ष करीब 48000 मी. टन

(ग) प्रति वर्ष करीब 14 करोड़ रुपये।

(घ) और (ङ) इस समय नहीं, इसलिये कि प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भण्डारों का पता लगाने के लिये आगे और खोज की जानी है।

सीमेंट परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण और इसमें आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा

8281. **श्री वी. तुलसी राम :**
श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री भट्टम श्री राम मूर्ति :
श्री टी. बाल गौड़ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सीमेंट परियोजनाओं के वित्तपोषण में भारत की सहायता करने के लिए विश्व बैंक 33.1 करोड़ डालर के दो ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ एस. डी. आर. के रूप में 12.75 करोड़ डालर का ऋण देगा;

(ख) यदि हां, तो [illegible] शर्तों का ब्यौरा क्या है और [illegible] कब तक प्राप्त होंगे,

(ग) ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसमें आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा कितना

होगा और इससे राज्य की सीमेंट उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकता किस सीमा तक पूरी होगी; और

(घ) देश में सीमेंट के मूल्य पर इसके क्या प्रभाव होंगे?

उद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने मार्च, 1986 में सभी विश्व बैंक ऋणों पर लागू मानक परिवर्तनशील ब्याज दर (चालू दर 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष) पर पांच वर्ष की रियायती अवधि के सहित 20 वर्षों की अवधि में वापस किए जाने वाला 2000 लाख डालर का ऋण मंजूर किया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

1. निम्नलिखित सीमेंट संयंत्रों की गीली प्रक्रिया को सूखी प्रक्रिया में बदलना (आई. सी. आई. सी. आई. और आई. डी. बी. आई. द्वारा ऋण) — 1635 लाख डालर

(1) एसोशिएटड सीमेंट कम्पनी लि. मधुकरै, तमिलनाडु	121 लाख डालर
(2) एसोशिएटेड सीमेंट कं. लि. शाहिबाद, कर्नाटक	280 लाख डालर
(साथ ही) प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता	18 लाख डालर
(3) इण्डिया सीमेंट लि. शंकर नगर तमिलनाडु	386 लाख डालर
(4) बिरलाजूट एण्ड इण्डस्ट्रीज सतना, मध्य प्रदेश	247 लाख डालर
(5) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया मंधार, मध्य प्रदेश	249 लाख डालर
(6) के. सी. पी. लिमिटेड मछेरला, आन्ध्र प्रदेश	47 लाख डालर
(7) श्री दिग्विजय सीमेंट कं. लि., सिक्का, गुजरात	287 लाख डालर

2. उप क्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देने के लिए आई. सी. आई. सी. आई. को 15 लाख डालर का अनुदान।

3. सीमेंट संयंत्रों के आधुनिकीकरण, पुनःस्थापना ऊर्जा संरक्षण, उत्पादकता में सुधार आदि का कार्यक्रम आरम्भ करने वाली परियोजनाओं के लिए पुनः ऋण देने के वास्ते आई. सी. आई. सी. आई. को (भारत सरकार की गारंटी के साथ) 350 लाख डालर का सीधे ऋण।

(घ) देश में सीमेंट के मूल्यों पर आधुनिकीकरण की उपर्युक्त योजनाओं के सीधे प्रभाव के सम्बन्ध में बताना सम्भव नहीं है क्योंकि एक तो उत्पादन की लागत मजदूरी के निवेश स्तर

की लागत जैसे अनेक अन्य उपादानों पर निर्भर करती है और दूसरे ये योजनाएं देश में विभिन्न सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन का केवल एक छोटा भाग होगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी अर्जुन सेन गुप्त समिति के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन में विलम्ब

8282. **श्री बी. तुलसीराम :**

प्रो. रामकृष्ण मोरे :

श्री मानिक रेड्डी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्जुन सेन गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसका समाचार 30 मार्च, 1986 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में क्या बाधायें पैदा हो रही हैं, और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

वर्ष 1986-87 के लिए सीमेंट उत्पादन के लक्ष्य में संशोधन

8283. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986-77 के लिए सीमेंट उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य में संशोधन किया है,

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में सीमेंट उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे, और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं । वर्ष 1986-87 के लिए 365 लाख मी. टन का लक्ष्य पहली बार ही रखा गया है ।

(ख) वर्ष 1985-86 में 335 लाख मी. टन के लक्ष्य की तुलना में सीमेंट का उत्पादन 331 लाख मी. टन था अत: यह लक्ष्य लगभग 99 प्रतिशत तक पूरा हो गया था ।

(ग) 1985-86 के दौरान लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन थोड़ा सा कम रहने के मुख्य कारण इस प्रकार थे—विशेष रूप से कर्नाटक और राजस्थान जैसे प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों

में बहुत अधिक मात्रा में और लम्बे समय तक बिजली की कटौती, कुछ संयंत्रों में श्रमिक समस्याएं कुछ मामलों में कोयले और वैगनों की कमी तथा कुछ नई परियोजनाओं की स्थापना में विलम्ब होना ।

(घ) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उत्पादन में बाधा डालने:वाली अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनों को दूर करके, विद्यमान क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन देने के वास्ते प्रयास किये जा रहे हैं । निर्धारित समय के भीतर स्वीकृत योजनाओं के अनुसार परियोजना की स्थापना का सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं की प्रगति की सावधिक समीक्षा की जाती है ।

ताप विद्युत एककों का अधिकतम "प्लांट लोड फेक्टर"

8284. **श्री मूल चंद डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न ताप विद्युत एककों/केन्द्रों के संबंध में स्वीकार्य अधिकतम प्लांट लोड फेक्टर क्या हैं;

(ख) देश में उन मुख्य-मुख्यताप विद्युत केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनका गत 2 वर्षों में प्लांट लोड फेक्टर 55 प्रतिशत से कम रहा है;

(ग) कम प्लांट लोड फेक्टर पर कार्य करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) ऐसे एककों से अधिकतम विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गये हैं; और

(ङ) किन-किन मामलों में अधिकतम विद्युत उत्पादन नहीं किया जा सकता है और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सरकार द्वारा स्थापित की गई विद्युत समिति ने सिफारिश की थी कि 58 प्रतिशत संयंत्र भार को प्रणाली के लिए मानदण्ड के रूप में माना जाना चाहिए ।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार अनुपात कम होने के अनेक कारण हैं जिनमें ये शामिल हैं; कोयले की गुणवत्ता में गिरावट, उपस्करों में कमियां, प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित न होना, प्रणाली भार संबंधी परिस्थितियां आदि ।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए भ्रमणशील दल तथा कृतिक बल विद्युत केन्द्रों का समय-समय पर दौरा करते हैं जिनमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि· इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के इन्जीनियर शामिल होते हैं और कमियों को दूर करने के लिये समयबद्ध कार्यवाही की योजनाएं तैयार की जाती है । इसके अलावा केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम शुरू की गई है जिसमें 32 ताप विद्युत केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए शामिल किया गया है ।

(ङ) वर्ष 1985-86 के दौरान जिन ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 52.4% के राष्ट्रीय औसत से कम था उन्हें संलग्न विवरण-II में दिखाया गया है । घटिया कार्यनिष्पादन के मुख्य कारण उपर्युक्त भाग-ग के उत्तर में दिए गए हैं ।

वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान जिन ताप बिजली केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 55% से कम था उनके नाम

1984-85		1985-86	
केन्द्र का नाम	पी. एल. एफ. (%)	केन्द्र का नाम	पी. एल. एफ. (%)
बदरपुर	47.8	सी. ई. एस. सी	45.6
फरीदाबाद विस्तार	27.9	चन्द्रपुर	52.8
पानीपत	39.7	दुर्गापुर	40.3
ओबरा	29.7	बोकारो	51.0
पंकी	48.8	चन्द्रपुर	35.0
हरदुआगंज क	32.0	[illegible]	38.2
हरदुआगंज ख व ग	29.5	बोंगाईगांव	15.9
आर. पी. एच. कानपुर	24.8	बदरपुर	46.0
उकाई	50.5	फरीदाबाद	25.2
गांधीनगर	39.8	पानीपत	39.0
नासिक	51.9	ओबरा	41.6
कोराडी	36.0	पंकी	34.2
खापरखेडा	18.6	हरदुआगंज	23.5
पारस	34.4	हरदुआगंज ख व ग	34.8
भुसावल	45.7	आर. पी. एच. कानपुर	14.2
चन्द्रपुर	45.2	परीछा	28.2
सतपुड़ा	48.5	उकाई	49.9
कोरबा 2	44.3	वानकबोरी	47.3
कोरबा पश्चिम	47.2	खापरखेडा	32.0
कोठागुडम ख	52.1	पारस	45.9
कोठागुडम ग	38.2	चन्द्रपुर	44.7
[illegible]	44.5	उराई	27.4
एन्नोर	36.5	नेल्लोर	54.8
बासिन ब्रिज	14.2	रामागुंडम	51.7
पतरातू	30.0	कोरबा विस्तार	54.9
बरौनी	21.3	कोरबा पश्चिम	45.7
तलचेर	32.2	कोठागुडम क	45.0
संथालडीह	48.4	कोठागुडम ख	56.0
कोलाघाट	24.1	कोठागुडम ग	54.6

1	2	1	2
नेल्लौर	45.3	कोलाघाट	28.6
रायचुर	33.5	सी. ई. एस. सी.	49.8
एन्नौर	52.2	चन्द्रपुर	47.1
बेसिन ब्रिज	3.6	दुर्गापुर	52.6
पतरातु	40.0	बोकारो	51.8
बरौनी	21·3	चन्द्रपुर	50.3
मुजफ्फरपुर	42.8	नामपुर	46.6
तलचेर	31.7	बोंगईगांव	1,9
संथालडीह	51·3		

विवरण II

वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान जिन ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 55% से कम था उनके नाम

केन्द्र	पी. एल. एफ. (%)	केन्द्र	पी. एल. एफ. (%)
1. बदरपुर	46.0	19. नेल्लौर	45.0
2. फरीदाबाद विस्तार	25.2	20. रायचूर	33·5
3. पानीपत	39·0	21. इन्नौर	52.2
4. ओबरा 1—13	41.6	22. बेसिन ब्रिज	3.6
5. पंकी	34.2	23. पतरातू	40.0
6. हरदुआगंज क	23·5	24. बरौनी	17.0
7. हरदुआगंज ख व ग	34.8	25. मुजफ्फरपुर	42.8
8. आर. पी. एच. कानपुर	14.2	26. तलचेर	31.7
9. परीछा	28.2	27. बंडेल	51.3
10. उकई	49·9	28. संथालडीह	28.6
11. वानकबोरी	47.3	29· कोलाघाट	50.3
12. खापरखेड़ा	32,0	30. डी. पी. एल.	26.3
13. पारस	45.9	31. चन्द्रपुर	47.1
13. चन्द्रपुर	44.7	32. बोकारो	51.8
15. उरान (जी.टी)	27.4	33. चन्द्रपुर	40.3
16. सतपुड़ा	51.7	34. नामरूप	46.6
17. कोरबा पश्चिम	45.7	35. बोंगईगांव	1.8
18. कोठागुडम ख	36.0	36. लकवा (असम)	40.1

विवाह-विच्छेद के मामलों का अध्ययन

8285. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाह-विच्छेद के मामलों के कारणों और विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए, विवाह-विच्छेद के मामलों का कोई अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अब कोई अध्ययन का है; और

(ङ) पिछले दस वर्षों के दौरान विवाह-विच्छेद संबंधी विधियों/नियमों में कितनी बार संशोधन किए गए हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ङ) विवाह-विच्छेदों के कारणों और उन पर किए गए विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए विवाह-विच्छेद संबंधी मामलों का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु हिन्दू विवाह-अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के पारित किए जाने के पश्चात् से संसद सदस्यों और जनसाधारण से विवाह-विच्छेद के आधारों के बारे में भिन्न-भिन्न सुझाव प्राप्त हुए थे। इन सुझावों को दृष्टि में रखते हुए विधि आयोग ने इन मामलों का अध्ययन किया था और उसने अपनी 59वीं और 71वीं रिपोर्टों में अपनी सिफारिशें की थी।

विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए विवाह (विधि संशोधन) अधिनियम, 1976 मुख्यतया विवाह-विच्छेद से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने और ऐसी कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारे के लिए पारित किया गया था।

विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1981 को विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए पुरःस्थापित किया गया था, जिसमें हिन्दू विवाह अधिनियम, 155 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में विवाह के असमाधेय भंग के लिए उपबंध है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उसने उस समय तक जब तक कि कुटुम्ब न्यायालय आदि जैसी आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की स्थापना के लिए उपबंध नहीं कर दिया जाता तब तक विधेयक को वापस लेने की सिफारिश की थी।

हिन्दू विवाह अधिनियम में वर्ष 1964 में इस आधार पर विवाह के विघटन के लिए एक उपबंध जोड़ा गया है कि न्यायिक पृथककरण की डिक्री के पारण के पश्चात् एक वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर विवाह के पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारम्भ नहीं हुआ है या दाम्पत्याधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री के पश्चात् एक वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर, विवाह के पक्षकारों के बीच दाम्पत्याधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है।

पिछले दस वर्षों के दौरान विवाह-विच्छेद संबंधी कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं। इस समय सरकार के समक्ष इस विषय का अध्ययन करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक और तार विभाग का विभाजन

8286. **श्री मूल चंद डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग का विभाजन कब हुआ था और इस विभाजन के उद्देश्य क्या थे;

(ख) इसके लाभ और हानि क्या हैं;

(ग) उन जिलों और सर्किलों में जहां वृद्धि हुई है, विभाजन से पहले और विभाजन के बाद प्रथम श्रेणी के पदों की संख्या कितनी-कितनी थी; और क्या इसमें कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी;

(घ) विभाजन से पूर्व के दो वर्षों के संबंध में डाक और तार विभाग के लाभ और हानि तथा वार्षिक वित्त संबंधी विवरण क्या हैं; और

(ङ) दिसम्बर, 1985 तक डाक और तार विभागों की वित्तीय स्थिति पृथक-पृथक क्या थी और विभाजन के बाद तत्संबंधी वार्षिक आकड़ों का ब्यौरा क्या है।

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत सरकार के 41.85 को जारी आदेशों के अन्तर्गत संचार मंत्रालय का दो पृथक विभागों अर्थात् डाक विभाग और दूर संचार विभाग में पुनर्गठन कर दिया गया था

प्रचालन टैक्नालाजीकल और प्रबंधकीय पहलुओं की दृष्टि से दूरसंचार प्रणाली की कार्य-कुशलता में सुधार लाना विभाजन का उद्देश्य था। डाक सेवा श्रम प्रधान थी जबकि दूरसंचार सेवा अत्याधिक टैक्नालाजी प्रधान थी।

(ख) विभाजन से यह लाभ होगा कि डाक और दूरसंचार दोनों अपने-अपने विभागों की सेवाओं में सुधार लाने के लिए बेहतर ध्यान देने में समर्थ हो सकेंगे। विभाजन की इस योजना से कोई हानि नहीं है।

(ग) डाक सेवा

विभाजन से पूर्व श्रेणी I के पदों की संख्या	विभाजन के बाद श्रेणी I के पदों की संख्या
441	443

विभाजन के बाद दो पदों की वृद्धि हुई है।

दूरसंचार सेवा

विभाजन के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(घ) 1983-84 और 1984-85 का राजस्व कार्यकारी व्यय, अतिशेष/कमी इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

	1983-84 (वास्तविक)		1984-85 (वास्तवित)	
	डाक सेवा	दूरसंचार सेवा	डाक सेवा	दूरसंचार सेवा
	1	2	3	4
राजस्व प्राप्ति	434.54	1028.12	444.41	1191.32
कार्यकारी व्यय	507.77	681.38	568.66	810.89

	1	2	3	4
लाभांश	9.07	87.89	11.84	123.13
कुल व्यव	516.84	769.27	580.50	934.02
अतिशेष (+)				
कमी	(—)	(—) 82.30 (+) 258.85	(—) 135.09	(+) 257.30

(ङ) 1985-86 और 1986-87 का संशोधित प्राक्कलन और बजट प्राक्कलन इस प्रकार है+

(करोड़ रुपये में)

	1985-86 (संशोधित प्राक्कलन)		1986-87 (बजट प्राक्कलन)	
	डाक	दूरसंचार	डाक	दूरसंचार
राजस्व प्राप्ति	500.00	1360.00	550.00	1370.00
कार्यकारी व्यय	689.29	925.00	773.60	904.50
लाभांश	—	166.18	—	191.70
कुल व्यय	689.29	1091.18	773.60	1096.20
अतिशेष (+)				
कमी	(—) 189.29	(+) 268.82	(—) 223.60	(+) 273.80

नकली गैस सिलेंडर पकड़े जाना

8287. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नकली गैस सिलेंडरों के अब तक कितने मामले पकड़े गये हैं;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के फटने के कितने मामलों में बीमा संबंधी दावों का निपटारा किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जब कि नकली सिलिण्डरों के सम्बन्ध में तेल उद्योग द्वारा आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं, नकली सिलिण्डरों सहित खराब सिलिण्डरों की छटनी बाटलिंग संयंत्र में ही चाक्षुष निरीक्षण और साबुन झाग (वाटर बाथ) परीक्षण के दौरान ही की जाती है।

(ख) जब कभी कोई नकली सिलिण्डर परिवहनकर्ता अथवा वितरक द्वारा दिया जाता है अथवा उसका पता चल जाता है, तो पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जो जुर्माने की दर से वसूली करने से लेकर ठेका समाप्त करने तक होती है।

(ग) तेल उद्योग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, ऐसे दावे बीमा कम्पनियों द्वारा ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से निपटाये जाते हैं।

स्वामित्व की विदेशी मुद्रा में अदायगी

8288. **डा. डी. एम. रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों के लिए निरन्तर स्वामित्व की अदायगी की स्वीकृति बहुत ही कम मामलों में प्रदान की जाती है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यातोन्मुख उद्योग या इसी प्रकार के अन्य मामले शामिल हैं,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिन मार्गनिदेशों का पालन किया जाता है, वे क्या हैं;

(ग) क्या उन विदेशी कम्पनियों के नामों सहित, जिनको गत तीन वर्ष के दौरान स्वामित्व की अदायगी विदेशी मुद्रा में की गई है, उन मदों की मंत्रालय-वार एक सूची का संकलन किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रति वर्ष कितने स्वामित्व की अदायगी की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार की सामान्य नीति के अनुसार विदेशी कंपनियों को रायल्टी का भुगतान करने के लिये सामान्यतया 5 वर्षों की प्रारम्भिक अवधि के लिए अनुमति दी जाती है। परंतु असाधारण मामलों में जहां सम्बद्ध तकनोलोजी हो या उत्पादन का अधिकांश भाग आयतित हो वहां गुण अवगुणों के आधार पर रायल्टी की अधिक दर दी जा सकती है।

(ग) और (घ) वस्तुओं सहित उन विदेशी कंपनियों जिनको रायल्टी की अदायगी विदेशी मुद्रा में की गई थी के नामों की मंत्रालयवार सूची सरकार द्वारा नहीं बनाई जाती। परंतु पिछले कुछ वर्षों में भुगतान की गई कुल रायल्टी नीचे दी गई है।

	(करोड रु. में)
1980-81	8.88
1981-82	15.99
1982-83	39.72

कलकत्ता में त्रुटिपूर्ण टेलीफोन सेवा के सम्बन्ध में शिकायतें

8289. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं की ओर से टेलीफोन सेवा सम्बन्धी शिकायतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं;

(ख) क्या कलकत्ता टेलीफोन विभाग बड़े पैमाने पर ऐसी त्रुटिपूर्ण टेलीफोन सेवाओं की जिम्मेदारी कलकत्ता बिजली विभाग, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण और नगर-पालिका जैसे अन्य विभागों पर, यह कह कर टाल देता है कि ये विभाग सड़कें खोदते हैं जिससे टेलीफोन केबिलों को नुकसान पहुंचाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और गत छः महीनों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में ऐसे टेलीफोनों की संख्या क्या है जो 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाली छः महीने की अवधि के दौरान 30 दिन से अधिक समय तक खराब पड़े रहे ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। संलग्न विवरण के अनुसार कुल मिलाकर कार्य निष्पादन के इस पैरामीटर में पिछले 5 वर्षों से सुधार आया है।

(ख) यह सही है कि विभिन्न जनोपयोगी एजेंसियों द्वारा टेलीफोन केबिलों को क्षति पहुँचाने के कारण खराबियों की संख्या अधिक रही है।

(ग) (1) अक्तूबर 1985 से मार्च, 1986 के दौरान प्रतिमाह शिकायतों की औसत संख्या प्रति 100 टेलीफोन 33.9 थी।

(2) 31-3-86 को समाप्त 6 महीने की अवधि के दौरान निरन्तर 4 सप्ताह से अधिक समय तक गैर-मरम्मत योग्य पड़े टेलीफोनों की कुल संख्या संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण I

पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रति 100 स्टेशन/माह शिकायतें

वर्ष	औसत/महीना
1981-82	44.6
1982-83	35.7
1983-84	41.4
1984-85	42.6
1985-86	37.7

विवरण II

निम्न तारीखों को 4 सप्ताह से अधिक समय तक लंबित पड़े दोष

टेलीफोन एक्सचेंज	31.10.85	19.11.85	31.12.85	31.1.86	28.2.86	31.3.86
21/24/29	87	61	67	59	6	5
23	29	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25/26/27	837	487	78	61	56	80
31/32/33/34	942	518	133	53	198	341
35/36	269	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
41/42/46	153	79	16	7	17	7
43/44	219	16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
45/49	410	188	116	3	शून्य	14
52	96	7	शून्य	1	3	शून्य
54.55	1209	243	103	58	77	73
57	14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
64	19	2	10	शून्य	शून्य	शून्य
66	234	155	106	57	43	42
67	203	105	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
72	42	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
77	140	54	4	शून्य	5	1
अर्द्ध शहरी एक्सचेंज	48	8	शून्य	1	शून्य	6
एच ,, ,,	11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एन ,, ,,	110	50	1	2	शून्य	शून्य
योग	5072	2004	634	302	405	572

पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

8290. **श्री अतीशचन्द्र सिन्हा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक** गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 की विपणन योजना के अन्तर्गत "इन्डेन" खाना पकाने की गैस के लिए आवंटित की जाने वाली डिस्ट्रीब्यूटरशिप अथवा एजेन्सी विभिन्न स्थानों में अभी तक आबंटित नहीं की गई है;

(ख) क्या हुगली, 24 परगना और मुर्शिदाबाद जिलों के अन्तर्गत घनी आबादी के अनेक क्षेत्रों को उनविपणन योजनाओं में अभी तक शामिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां- तो तत्संबधी लक्ष्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस प्रयोजन हेतु भारतीय तेल निगम लिमिटेड की आगामी विपणन योजना में उन जिलों में क्षेत्रों का चयन करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इण्डियन आयल कार्पोरेशन की पश्चिम बंगाल राज्य में 1982-84 (भाग-II) 1894-85 तथा 1985-86 की विपणन योजनाओं में कुल 47 एल. पी. जी. वितरणशिपें खोलने की योजना है, जिसमें से 17 खोल दी गई हैं तथा 11 वितरणशिपों के लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं। शेष 19 वितरणशिपों के वास्ते चयन कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा हैं :

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तेल उद्योग वितरणशिपों की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए प्रर्याप्त तत्व उपलब्ध होने पर हुगली, 24 परगना तथा मुर्शिदाबाद जैसे जिलों सहित 20.000 की आबादी वाले शहरों में चरणबद्ध रूप से एल. पी. जी. देना आरम्भ कर रहा है।

(ङ) पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों में एल. पी. जी. उपभोक्ताओं की कुल संख्या इस प्रकार थी :

1-4-1984	1-4-1985	1-4-1886
3,44,785	3,87,705	4,96,099

रुग्ण सरकारी क्षेत्र की एककों का विलय करके धारक कम्पनियां स्थापित करना

8291. **श्री सी माधव रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण सरकारी क्षेत्र की एककों अर्धक्षम कम्पनियों में विलय करने और उसी तरह का उत्पादन करने वाली एककों को मिलाकर धारक कम्पनियां स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या रुग्ण सरकारी क्षेत्र की एककों को फिर से आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए किसी अन्य प्रस्ताव की जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) अनुमान है कि यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित है। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों में विलय करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार कुछ क्षेत्रों में धारक कम्पनियां बनाने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

(ग) और (घ) सरकार, सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को स्वस्थ बनाने का निरन्तर प्रयास कर रही है। इस दिशा में किए गए सदुपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं कार्य निष्पादन का नियमित रूप से परिवीक्षण करना, जहां-कहीं व्यवहार्य जान पड़ा तो निजी उपयोगार्थ बिजली पैदा करने की व्यवस्था करना, संतोलक सुविधाओं में पूंजी लगाना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, सयंत्रों का आधुनिकीकरण तथा पुर्नस्थापना करना, उत्पादों में विविधता लाना, कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुनर्प्रशिक्षण दिलाना, विभिन्न लागत नियंत्रण तथा लागत घटाने के उपाय अपनाना तथा प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए योजनायें

8292. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा कोई दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारी उद्यर के कार्य-निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक दोनों ही प्रकार के सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, प्रौद्योगिकी समुन्नयन संयंत्र एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण उत्पाद मिश्र का विविधिकरण, संतोलक सुविधाओं और निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों में पूंजीनिवेश की व्यवस्था करना। जहां कहीं आवश्यक जान पड़ने पर संगठन के ढांचे में परिवर्तन करना तथा सामूहिक योजनायें तैयार करना।

विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

8293. **डा. टी. कल्पना देवी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय की वर्ष 1981 में गठित समिति ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के लिए किसी विधान की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो आरक्षण के लिये क्या कारण बताए गए थे;

(ग) समिति की अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है

(घ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ;

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) मंत्रालय ने ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्लांट लोड फैक्टर में सुधार

8294. **श्री टी. कल्पना देवी** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों के वर्तमान 50 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर में सुधार कर 60 प्रतिशत करना संभव है,

(ख) क्या ऊर्जा के पारेषण में हाने वाली हानि 21 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे बिजली की वर्तमान कमी दूर हो जाएगी (हिन्दुस्तान टाइम्स 31 मार्च, 1986) ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) सरकार द्वारा स्थापित विद्युत सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि 58% संयंत्र भार अनुपात प्रणाली के लिए एक मानक होना चाहिए। इस स्तर तक संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) पारेषण तथा वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने और ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए प्रणाली सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा देश में पारेषण तथा वितरण हानियों

में कमी लाई जा सकती है। प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा इनमें सुधार लाने के लिए पर्याप्त निधियों की आवश्यकता होगी तथा इसके लिए स्कीमों के क्रियान्वयन में समय लगेगा।

(ग) निधियों की उपलब्धता के अनुसार, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि अगले 4 से 5 वर्षों के दौरान विद्युत की स्थिति में काफी सुधार हो सके।

विटामिन फार्मूलेशनों के मूल्यों में कटौती

8295. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन**

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विटामिन फार्मूलेशनों के मूल्य में 40 प्रतिशत तक कटौती करने के बारे में समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उस विटामिन उत्पादों के नाम क्या हैं जिनके मूल्यों में कटौती की गई है,

(ग) प्रत्येक विटामिन उत्पाद का पहले मूल्य कितना निर्धारित किया गया था और प्रत्येक उत्पाद का संशोधित मूल्य कितना निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस समय प्रत्येक उत्पाद किस मूल्य पर बेचा जा रहा है,

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर के जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) निर्माताओं के मूल्यों में कमी के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है तथा अभी तक घटे हुए मूल्यों का अनुपालन नहीं किया है।

विवरण

क्रम सं.	फार्मूलेशन का नाम	पैक आकार	पहले का मूल्य	संशोधित मूल्य
1	2	3	4	5
1.	**फाइजर लि.**			
1.	वेकासुल केप	20 का बी.	8.85	7.58
2.	वेकासुल केप.	100 का बी.	33.13	33.30
3	वेकासुल सिरप	50 मिलि	4.98	4.08
4.	मल्टीविप्लेक्स फोर्ट	20 का.	8.67	7.00
5.	मल्टीविटाप्लेक्स फोर्ट	100 का	32.12	30.43
6.	मल्टीविप्लेक्स फोर्ट ड्राप्स	15 मिलि. बी.	4.49	4 25
7.	मल्टीविटाप्लेक्स इलीक्सर	100 मिलि. बी.	9.61	9.44

1	2	3	4	5
8.	डुमासुल केप.	20 का बी.	7.96	6.03
9.	डुमासूल केप.	100 का बी.	29.52	25.87
10.	टेरामाइसिन एस.एफ. केप.	25/4 का पत्ता	63.72	68.44
2.	**सेन्ड्रोज (इंडिया) लि.**			
1.	केलसियम गोलियां विटा. सी. डी. और वी 12 सहित	50 का बी.	5.78	5.78
2.	—वही—	200 का बी.	16.41	18.84
3.	म्युट्रिसन केप	30 का बी.	9.52	8.03
4.	—वही—	90 का बी	23.70	21.66
5.	—वही—	450 का बी.	104.80	92.40
6.	हेमाट्रिन केप.	40 का बी.	11.57	9.72
7.	—वही—	500 का बी.	112.36	93.04
8.	हेमाटिन तरल	85 मिलि बी.	5.11	5.19
9.	—वही—	200 मिलि बी.	9.22	9.33
10.	मिटुलस केप.	30 का	11.68	9.84
11.	वही	90 का	30.19	27.09
12.	केलगुकार गोलियां	100 का बी.	7.47	8.00
13.	केलगुफार गोलियां	500 का बी.	27.39	28.19
14.	मेकालबिट सिरप	85 मिलि.	7.00	6.54
15.	वही	200 मिलि-	13.15	12.51
3.	**अबोट लेब्स (इंडिया) प्रा. लि.**			
1.	इब्युरोल-500	90 मिलि	11.11	9.43
2.	इबीरोल-500	240 मिलि	24.30	22.28
3.	इबीरोल गोलियां	25 का	7.62	5.97
4.	इबीरोल गोलियां	100 का	23:05	20.71
5.	ओप्टीलेटस एम.	25 का	9.57	7.94
6.	पेरामिलेटस	25 का	8.37	6.05
7.	सरवेक्स टी	25 का	8.88	8.08
8.	सरवेक्स टी	100 का	33.00	29.18
9.	बिडाइलिन सिरप	90 मिलि	7.04	5.35
10.	विडाइलिन सिरप	240 मिलि.	13.97	11.38
11.	बेडाइलिन सिरिप	480 मिलि	26.21	19.77
12.	बेडाइलिन एम ड्राप्स	15 मिलि	5.22	4.74
13.	बेडाइलिन ड्राप्स	30 मिलि	8.00	7.22
14.	बेडाइलिन ड्राप्स	15 मिलि	5.15	4.66
15.	बेडाइलिन ड्राप्स	30 मिलि	7.82	7.05

1	2	3	4	5
16.	बेडाइलिन एम सिरप	40 मिलि	8.40	6.43
17.	बेडाइलिन एम सिरप	240 मिलि	17.83	14.26
18.	बेडाइलिन एम सिरप	80 मिलि	34.05	25.53
19.	इबीरोल तरल	90 मिलि	10.83	6.64
20.	इबीरोल तरल	240 मिलि	18.38	13.83
21.	ओप्टीलेटस गोलियां	25 का	10.24	8.42
22.	सरबेक्स सिरप	90 मिलि	10.73	8.19
23.	सरबेक्स	25 का	5.97	4.10
24.	सरबेक्स	100 का	16.75	13.26
25	सरबेक्स	500 का	64.03	53.69
26.	वेवीडोक्स तरल	90 मिलि	13.15	10.77
27.	सरवेक्स टी तरल	90 मिलि	10.02	8.05

केरल में औषध निर्माता फर्मों द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के उपलब्धों का उल्लंघन

8296. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेल में औषधों का निर्माण करने वाली कोई फर्में हैं जिन्होंने औषध (मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1979 का उल्लंघन किया है ।

(ख) इस प्रकार के उल्लंघनों का स्वरूप क्या है और ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं, और

(ग) क्या उन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) केरल में औषध निर्माण एककों द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के उपबंधों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बिजली के घरेलू कनेक्शन देना

8297. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बिजली के घरेलू कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन सभी अपेक्षित शर्तें पूरी किये जाने के बावजूद लम्बित पड़े हैं तथा वे कितने समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) इस प्रकार प्रभावित गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सभी आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जिला मुख्यालयों में खाना पकाने की गैस के वितरक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

8298. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय में खाना पकाने की गैस का कम से कम एक वितरण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) तेल कम्पनियों को आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर जिला मुख्यालयों में एल. पी. जी. की सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के समीप उप्पल गांव में अति उच्च वोल्टेज विद्युत घर

8299. **श्री जी. भूपति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संगठन का विचार आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के समीप उप्पल गांव में अति उच्च वोल्ट के विद्युत घर की स्थापना करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस विद्युत घर से आन्ध्र प्रदेश को कितनी बिजली आबंटित की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बंगलौर अति उच्च बोल्टता ए. सी. पारेषण लाइनों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के समीप उप्पल गांव में एक प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इथाम्बुटोल के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती (इन्टरमीडिएट) औषध के नाम पर उपान्तिम (पेनल्टीमेंट) औषध का आयात

8300. **श्री शांति धारीवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ औषध कम्पनियां "इथाम्बूटो" के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती (इन्टरमीडिएट) औषध के नाम पर उपान्तिम (पेनल्टी मेंट) औषध की आयात करती हुई पाई गई है,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचंद्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए संगठन

8301. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का मूल्यांकन करने और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए क्षेत्रों का पता लगाने और अनुसंधान संवर्धन और उद्योग में दक्षता विकसित करने के लिये संगठन बनाने का विचार है, और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने मार्च, 1986 में निम्नलिखित क्षेत्रों में 9 प्रौद्योगिकी विकास परामर्श दलों की स्थापना इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी पर बल दिए जाने हेतु सलाह देने के लिए की थी :—

1. कृषि मशीनरी (विशेष रूप से ट्रैक्टर और उपकरण),
2. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इलैक्ट्रो-मैकेनीकल इन्सट्रूमेंट्स।
3. ऊर्जा सक्षम विद्युत पारेषण और वितरण उपकरण (मोटर ट्रांसफारमर एण्ड स्विचगियर),
4. सूचना प्रौद्योगिकी, उसके हार्डवेयर और सांफ्ट वेयर,
5. कार्बाइड, सिरेमिक और डायमण्ड औजार,
6. नई फोर्जिंग और कास्टिंग्स तकनीलोजी,
7. किण्वन तकनोलोजी और बायो-तकनोलोजी का औद्योगिक उपयोग,
8. प्लास्टिक्स/सिंथेटिक फाइबर उद्योग के लिए अरवरत पोलीसंघनन जैसे पेटेंटिड आपरेशनस।
9. खोई पर आधारित पेपर।

इन दलों के विचारार्थ विषयों में देश में विद्यमान प्रौद्योगिकी और समकालिक अन्तर्राष्ट्रीय तकनोलोजी का मूल्यांकन करना, प्रौद्योगिकी की अन्तराल का पता लगाना, 1990 के लिए प्रौद्योगिकी लक्ष्यों को अन्तिम रूप देना और समय-वद्ध कार्यक्रम के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए महत्वपूर्ण संगठनों का निर्धारण करना शामिल है।

कलकत्ता में टेलीफोन सेवा

8302. **श्री पी. आर. कुमार मंगलम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में और अन्य महानगरों में, विशेषकर कलकत्ता में टेलीफोन सेवाएं लगातार असंतोषजनक हैं और क्या यह आपरेटरों और सुपरवाइजरी स्टाफ को अपर्याप्त प्रशिक्षण

देने के कारण हैं और यदि हां, तो इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या टोक्यो और लन्दन आदि जैसे बड़े नगरों की भांति टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि करने से उपरि खर्चे स्वयं कम हो जाएंगे; और कार्य कुशलता भी बढ़ेगी और पूंजी निवेश में भी कमी आएगी; और

(ग) क्या "न्यूयार्क में प्रति व्यक्ति 1.7 टेलीफोन के मुकाबले हमें प्रत्येक राज्य की राजधानियों में प्रति परिवार एक टेलीफोन देने की आशा है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजधानी (दिल्ली) तथा अन्य महानगरों जैसे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में टेलीफोन सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक हैं। फिर भी, कलकत्ता में टेलीफोन सेवाओं के असन्तोषजनक कार्य करने के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। लेकिन इन शिकायतों के लिए सामान्यत: प्रचालकों और पर्यवेक्षकों के अपर्याप्त प्रशिक्षण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

खेतिहर अपशिष्ट उत्पादों से अल्कोहल का निर्माण

8303. **श्री पी. आर. कुमार मंगलम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य प्रयोगशालाओं ने टैपियोका सहित अन्य खेतिहर अपशिष्ट उत्पादों से अल्कोहल का निर्माण करने की विधि खोज निकाली है और इसका दावा किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रक्रियाएं इस समय प्रयोग में लाई जा रही हैं, और

(ग) यदि हां, तो इससे निर्मित अल्कोहल की मात्रा कितनी है ?

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) आई. सी. ए. आर. के अधीन सेन्ट्रल ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इन्सटीट्यूट त्रिवेन्द्रम ने पावर अल्कोहल (इथानोल) के उत्पादन के लिए टेपिओका के प्रयोग हेतु पद्धति विकसित की है।

(ख) पद्धति अभी वाणिज्यिक उपयोग में नहीं लाई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों को रियायती दरों पर टायरों की सप्लाई

8304. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टायरों का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) किसानों द्वारा कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है।

(ग) क्या सरकार अनुदान के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर टायर उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार किसानों को किस प्रकार रियायती दरों पर टायर उपलब्ध करायेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1985 के दौरान टायरों के सभी वर्गों का कुल उत्पादन 123.03 लाख था। ट्रेक्टर और पशु से चलने वाले वाहन के टायरों का उत्पादन 9.50 लाख और 4.50 लाख था जो कुल उत्पादन का क्रमश: 8% और 4% है। किसानों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ट्रेक्टर और (पशु से चलने वाले वाहन के) टायरों के सम्बन्ध में ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उद्योग निदेशालय दिल्ली द्वारा कम दरों पर भूमि का आबंटन

8305. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों के निदेशालय दिल्ली प्रशासन ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई कीमत से कम कीमत पर भूमि आबंटित की है,

(ख) यदि हां तो क्या इससे विभाग को काफी हानि हुई है,

(ग) क्या ऐसा करने से पहले जनता से आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए थे,

(घ) यदि हां तो क्या यह नियमों के विरुद्ध किया गया है, और

(ङ) यदि हां तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय ने केवल आवसीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें निर्धारित की हैं औद्योगिकी भूमि की नहीं। किन्तु उद्योग निदेशालय, दिल्ली प्रशासन अपनी नीति के अनुसार पूर्व-निर्धारित दरों पर भूमि आबंटित करता है।

(ग) से (ङ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, जनता से आवेदन पत्र मांगे बगैर बादली इण्डस्ट्रियल एस्ट्रेट एण्ड (फेज) 3 में केवल एक औद्योगिक भूखण्ड अखण्ड आवंटित किया है। कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में सरकार की सिफारिश पर उक्त भूखण्ड, पालिश किये हुए चावलों का निर्यात करने वाले एक एकक को आवंटित किया गया था। इस भूखण्ड के आवंटन के बारे में लगाए गए कुछ आरोपों की जांच की गई थी किन्तु कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

टायरों के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग

8306. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या टायर उद्योग के मालिकों ने टायरों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या उनका अनुरोध सरकार के विचाराधीन है,

(ग) यदि हां तो सरकार का विचार मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का है,

(घ) क्या किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये सरकार टायरों के मूल्यों को संतुलित रखने का प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) टायरों के मूल्यों और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है ।

(घ) और (ङ) आटोमोटिव टायरों के मूल्यों को उचित स्तर पर स्थिर करने के लिए सरकार राजकोषीय रियायतों सहित अनेक उपायों की निरन्तर समीक्षा कर रही है ।

8307. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी फूड स्पेसीलिटी लिमिटेड ने अपने उत्पादों के लिए लैक्टोजेन, मैंगी, नैंसल, नेस्टम, नैस्कैफे आदि जैसे विदेशी नामों का प्रयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति ली थी,

(ख) यदि नहीं तो इस कम्पनी को छूट देने का क्या आधार है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे उत्पाद अन्तराष्ट्रीय मानक के हैं; और

(ग) देश के कानूनों का पालन सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता और मानक के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने हेतु भी सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ग) मैं. फूड स्पेशिएलिटीज लिमिटेड की स्थापना स्विटजरलैंड के मै. नेसल एस. ए. द्वारा की गई थी और वे लगभग आरंभ से ही इनमें अधिकांश व्यापार चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 के उपबंधों के अधीन व्यापार चिन्हों के प्रयोग हेतु पूर्वानुमति लेना भी आवश्यक नहीं हैं ।

जहां तक गुणवत्ता बनाए रखने का संबंध है, यह व्यापार चिन्हों के स्वामियों का कार्य है कि वे इस बात का सुनिश्चिय करें कि जिस वस्तु पर उनका सुप्रसिद्ध व्यापार चिन्ह है उसकी गुणवत्ता का स्तर भी इतना ऊंचा अवश्य हो कि व्यापार चिन्ह की साख बनी रहे ।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में आंध्र सीमेंट कारखाने के कारण प्रदूषण

8308. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** । : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाडा शहर में आंध्र सीमेंट कारखाने के आस पास रहने वाले लोग कारखाने से निकलने वाले धुंए के कारण उत्पन्न प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं,

(ख) यदि हां तो कारखाने के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जो प्रेसिपेटर नामक प्रदूषण निवारण उपकरण लगाने में असफल रहे हैं; और

(ग) आंध्र सीमेंट कारखाना, विजयवाड़ा द्वारा ऐसा प्रदूषण निवारण उपकरण कब तक लगा लिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) विजयवाड़ा में आंध्र सीमेंट कम्पनी बहुत पहले 1938 में स्थापित की गई थी और तब से कारखाने के चारों ओर शहर बस गया है। धूल और धुएं को रोकने के लिए आंध्र सीमेंट कम्पनी ने पहले से ही भट्टों में तीन इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपेटर, अपनी सीमेंट मिलों के लिए एक इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपेटर, और कोयला मिलों के लिए बेग फिल्टर अधिष्ठापित किए हैं। तथापि, इनके एक भट्टे का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपेटर फरवरी, 1986 में खराब हो गया था जिसकी मई, 1986 तक मरम्मत हो जाने की आशा है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा डेमरेज पर अत्यधिक धनराशि का व्यय किया जाना

8309. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा डेमरेज पर क्रमश: 94.31 लाख रुपए और 73.4 लाख रुपए व्यय किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक डेमरेज प्रभार भुगतान करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इतना अत्यधिक डेमरेज औचित्यपूर्ण है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) रेलवे द्वारा निर्धारित मुक्त लदान समय के बाद वैगनों को रोकने पर डेमरेज लगाया जाता है। वैगन जिन परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण रुकते हैं वे हैं लदान उपकरण में खराबी, हड़तालें, बिजली जाना, साइडिंगों तक सड़क परिवहन में कठिनाई, मुक्त लदान समय का अलगाववादी होना और रेलवे द्वारा वैगनों की सप्लाई की समय अनुसूची का पालन नहीं होना, आदि।

(ग) और (घ) वैगनों का रुकना कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में जो उपाय किए जा रहे हैं वे हैं : लदान कुशलता बढ़ाना और मुक्त लदान समय की क्रियाविधि को युक्तिपूर्ण बनाना, रेलवे द्वारा समय अनुसूची का पूरा पालन और साइडिंगों पर पर्याप्त कोयला स्टाक बनाए रखना।

कच्चे माल के अभाव में एम्पिसिलिन तथा अमोक्सिलिन ट्राईहाईड्रेट का उत्पादन करने वाले संयंत्र का बेकार पड़े रहना

8310. **डा. जी. एस. ढिल्लों** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक औषध कम्पनियों के एम्पिसिलिन तथा अमोक्सिसलिन ट्राइहाइड्रेट का उत्पादन करने वाले संयंत्र कच्चे माल के अभाव में बेकार पड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन एककों द्वारा अपेक्षित कच्चे माल को कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एम्पीसिलिन तथा अमोक्सीलिन ट्राइहाइड्रेट के निर्माण के लिए अपेक्षित कच्चा माल 6 एपी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस माल के अभाव में कोई एकक बेकार नहीं पड़ा है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों से ज्ञापन

8311. **डा. ए. के. पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 238 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में से बहुत से उपक्रमों के अधिकारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बहुत से उपक्रमों की क्षमता के कम उपयोग के लिए उत्तरदायी अपनी नीतियों को संशोधित करने सहित कतिपय मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) और (ख) प्रत्येक सरकारी उद्यम के अधिकारी संघों एवं महासंघ तथा अधिकारी संघों के परिसंघ ने सरकार को अनेक ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत किये हैं। ये मुख्यत: बोनस अधिनियम के अधीन अधिकतम राशि समावेशन हटाने, नौकरी की सुरक्षा की व्यवस्था करने, सरकारी उद्यम के निदेशक मंडल में अधिकारियों को नामित करने, उपदान संदाय की अधिकतम राशि में वृद्धि करने तथा वर्तमान सेवानिवृत्ति अनुलाभों के अलावा अधिवर्षिता योजना लागू करने से सम्बन्धित हैं। इन सुझावों के विषय में सरकार द्वारा जांच की गई है तथा उन्हें स्वीकार करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है। परन्तु सरकारी उद्यमों की क्षमता के उपयोग के विषय में सुधार के लिए उनसे कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, सरकार ने सरकारी उद्यमों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए अपनी ओर से ही अनेक उपाय किए हैं।

श्रेणी "क" उद्योग विहीन जिलों की घोषणा और लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

8312. **श्री पी नामग्याल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर उनके औद्योगिकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने हेतु श्रेणी "क" के रूप में घोषित किया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और काश्मीर के सभी 14 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा है,

(ग) क्या यह सच है कि राज्य के उद्योगों को लोह और इस्पात प्लास्टिक सामग्री पैराफिन बैक्स आदि जैसे आधारभूत कच्चे माल की सप्लाई करने वाले सरकारी संगठनों द्वारा सरकार के आवंटन के अनुसार उक्त मदों की सप्लाई नहीं की जा रही है; और

(घ) क्या उक्त मदों की राज्यवार सूची, जिसमें मांग, आवंटन और वास्तविक सप्लाई का उल्लेख हो, सभा पटल पर रखी जाएगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) श्रेणी "क" में शामिल किए गए जिलों की सूची 9.4.1985 के प्रेस टिप्पणी सं. 14/2/83-डी. बी. ए. -1 के साथ पठित "इन्सैंटिक्स फार इण्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज-अप्रैल, 1984" नामक पुस्तिका के परिशिष्ट-I में दी गई है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । असम, हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर, मेघालय- मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के समस्त क्षेत्र अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और द्वीव, लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों को श्रेणी "क" में "उद्योग रहित जिलों और विशेष क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है ।

(ख) जी: हां ।

(ग) लोहा और इस्पात सामग्री लघु उद्योग एककों को या तो राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक उपलब्धता के अनुपात में क्षमता/पिछली कुल बिक्री के अनुसार आपूर्ति की जाती है । इस समय प्लास्टिक सामग्री और मोम (पैराफीन वैक्स) के आवंटन की कोई प्रणाली नहीं है ।

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से लोहा और इस्पात सामग्री की मांग और किए गए आवंटन और आपूर्ति को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं ।

विवरण I

वर्ष 1984-85 के लिए पिग आइरन की मांग और लघु उद्योग निगम द्वारा किए गए आवंटन और आपूर्ति ।

क्र. सं.	राज्य लघु उद्योग निगम	मांग	आवंटन	आपूर्ति
1.	असम	3000	1000	50
2.	बिहार	5000	5000	...
3.	उड़ीसा	20300	1000	21
4.	पश्चिम बंगाल	60000	60000	3433
5.	चण्डीगढ़	10000	4500	3210
6.	दिल्ली	...	12000	...
7.	हरियाणा	345000	44000	19911
8.	हिमाचल प्रदेश	7000	1500	164
9.	जम्मू और कश्मीर	1800	1800	559
10.	पंजाब	380100	162000	26815
11.	राजस्थान	65000	16100	...
12.	मध्य प्रदेश	15000	7000	2214
13.	उत्तर प्रदेश	...	104000	1995
14.	गुजरात	400000	156000	139379
15.	महाराष्ट्र	180000	48000	16962

1 2	3	4	5
16. आन्ध्र प्रदेश	50000	22000	5564
17. कर्नाटक	118800	22000	...
18. केरल	10000	4500	498
19. पाण्डिचेरी	3000	450	40
20. तमिलनाडु	...	66000	...
योग :	1674000	738748	210815

स्रोत : लोहा और इस्पात नियंत्रक ।

विवरण-II

वर्ष 1983-85 के लिए इस्पात सामग्री की मांग लघु उद्योग निगम द्वारा किए गए आवंटन और आपूर्ति

क्र. सं. राज्य लघु उद्योग	मांग	आवंटन	आपूर्ति
1. आन्ध्र प्रदेश	101380	29100	15025
2. अरूणाचल प्रदेश	लागू नहीं होता	1400	175
3. असम	17914	12000	728
4. बिहार	15460	10600	3150
5. चण्डीगढ	26240	14600	17357
6. दादर और नगर हवेली	लागू नहीं होता	1400	कुछ नहीं
7. दिल्ली	456400	33500	20674
8. गोवा	6350	5400	174
9. गुजरात	300000	53000	14525
10. हिमाचल प्रदेश	26760	6000	2232
11. हरियाणा	238000	41000	24114
12. जम्मू और कश्मीर	13440	13600	6328
13. कर्नाटक	112196	29900	13107
14. केरल	31000	14400	653
15. मध्य प्रदेश	34125	21500	12760
16. महाराष्ट्र	101500	45700	25210
17. मणिपुर	लागू नहीं होता	1400	कुछ नहीं
18. मेघालय	लागू नहीं होता	800	164
19. मिजोरम	3100	1300	95
20. नागालैंड	910	1500	422
21. उड़ीसा	31322	16600	9275

1	2	3	4	5
22.	पांडिचेरी	21500	3510	777
23.	पंजाब	104160	47000	21366
24.	राजस्थान	100550	26900	7456
25.	तमिलनाडु	34172	28100	12732
26.	त्रिपुरा	2790	3300	150
27.	उत्तर प्रदेश	52300	28000	11632
28.	पश्चिम बंगाल	66475	31000	6665
	योग	1898046	529214	226946

स्रोत : लोहा और इस्पात नियंत्रक

कोयला पन बिजली घर के चतुर्थ चरण की प्रगति

8313. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला पन बिजली घर के चतुर्थ चरण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस परियोजना में बिजली पैदा करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जा रहा है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) कोयला पन बिजली परियोजना बांध के चतुर्थ चरण के पूरा होने पर कितनी बिजली पैदा होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत परियोजना (750 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है और निवेश संबंधी अनुमोदन के लिए योजना आयोग से सिफारिश की है।

(ख) और (ग) कोयना चरण-4 परियोजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन के लिए किसी प्रकार की नई प्रौद्योगिकी शामिल नहीं की गई हैं।

(घ) कोयला परियोजना की वार्षिक ऊर्जा शक्यता 2085 मेगावाट आंकर आंकी गई है। कोयला चरण 1 और 2 के अन्तर्गत 560 मेगावाट की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता के लिए इस शक्यता का समुयोजना करना ही पर्याप्त होगा। कोयला चरण-4 महाराष्ट्र पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली को मुख्य रूप से व्यस्ततमकालीन के दौरान क्षमता उपलब्ध कराने के लिए है तथा इस चरण के अन्तर्गत किसी प्रकार का अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन उपलब्ध नहीं होगा।

पवन चक्कियों से ऊर्जा उत्पादन

8314. **श्री हुसैन दलवाई** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पवन चक्कियों के गैर-परम्परागत माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए पश्चिम तट पर कई उपयुक्त स्थान हैं;

(ख) क्या प्रारम्भिक सर्वेक्षण से इन स्थानों का पता लगाना संभव हो सका है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पवन चक्कियों के माध्यम से कितनी मात्रा में ऊर्जा पैदा होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ग) : जी हां। उपलब्ध पवन आंकड़ा एवं प्रारंभिक पवन सर्वेक्षणों से पता लगता है कि पवन विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिमी तट पर कई उपयुक्त स्थान हैं और विशेष रूप से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तटों एवं महाराष्ट्र के कोंकणतट पर।

(ग) 2.1 मेगावाट के कुल क्षमता वाले 3 पवन फार्म पहले ही प्रारम्भ हो चुके हैं। 1.1 मेगावाट के कुल क्षमता वाले दो और पवन फार्मों के शीघ्र ही शुरू होने की आशा है। पवन विद्युत शक्ति की बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की सम्भावना है। इस पर भी सातवीं योजना अवधि के दौरान, स्थापित क्षमता की सीमा वित्तीय स्रोतों की उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की पूर्ति में कमी

8315. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत केन्द्रों पर भारी आवर्ती व्यय होता है;

(ख) क्या रेल यातायात पर खाद्यान्नों, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई का अत्यधिक भार होने के कारण कोयले की ढुलाई को अन्तिम प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) क्या कोयले की पूर्ति में कमी के कारण कुछ ताप विद्युत परियोजनायें विद्युत उत्पादन की अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही है; और

(घ) क्या सरकार ने कोयले का विकल्प ढूंढने के लिए कोई अनुसंधान किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) ताप विद्युत केन्द्रों का आवर्ती व्यय अधिक होता है क्योंकि प्रचालन व्यय में ईंधन की लागत शामिल होती है जो कि विद्युत केन्द्र के स्थान तथा विद्युत के प्रति यूनिट उत्पादन की खपत पर निर्भर करती है।

(ख) जी, नहीं। रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई को सर्वाधिक उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान विद्युत केन्द्रों की कोयले की आवश्यकताएं कुल मिलाकर पूरी की गई थीं।

(घ) विद्युत के कुल उत्पादन में कोयले पर आधारित ताप-विद्युत उत्पादन का हिस्सा काफी अधिक बैठता है और यह स्थिति बनी रहेगी।

अनुपात मानदण्डों सम्बन्धी प्रावधान में संशोधन

8316. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने अनुपात मानदंडों सम्बन्धी प्रावधान में संशोधन किया है।

(ख) क्या कुछ ऐसी औषध कंपनियों को कतिपय शर्तों के साथ क्षमता का पुनः अनुमोदन करने की अनुमति दी गई थी जिन्होंने अनुपात मानदंडों का पालन नहीं किया था,

(ग) क्या इन कम्पनियों ने शर्तों को पूरा नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) नहीं।

(ख) से (ङ) पुनः पृष्ठांकन जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अनुपात मानदण्डों को पूरा करने की शर्तों पर मै. अबोट लैबरेटरीज (इन्डिया) लिमिटेड, मै. डाबर (डा. एस. के. बर्मन) प्राइवेट लि. मैं. अमृताजन लि. लेबोरेटरीज वाइफर (इन्डिया) लि. को क्षमताओं के पुनः पृष्ठांकन प्रदान किये गये थे। मै. लेबोरेटरीज वाईफर (इंडिया) लि. को छोड़कर, जिनके पास शर्तों को पूरा करने के लिए 24.2.8987 तक का समय है, अन्य कम्पनियों को शर्तें पूर्ण न करने के लिए "कारण बताओ" नोटिस जारी किए गए हैं।

विदेशी सामान्य शेयर पूंजी वाली औषध कम्पनियां

8317. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों में यदि किसी कम्पनी में केवल 5 प्रतिशत से अधिक विदेशी भागीदारी है तो उसे विदेशी कम्पनी मान लिया जाता है.

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारे देशों में 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी भागीदारी की कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों के रूप में माना जाता है,

(ग) यदि हां तो क्या जिन विदेशी औषध कम्पनियों में 40 प्रतिशत विदेशी भागदारी है उनकी तुलना में शतप्रतिशत भारतीय औषध कम्पनियों को अधिक सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव है।

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) : (क) इसे समान रूप देना कठिन होगा क्योंकि विदेशी निवेश पर राष्ट्रीय विनियमन अलग-अलग देश में भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 तथा 1978 की औषध नीति के अंतर्गत, 40 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष साम्य वाली कम्पनी को ही विदेश कम्पनी माना जाता है।

(ग) और (घ) नई औषध नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राज्य बिजली बोर्डों में आर्थिक हानि

8318. **श्री पी. एम. सईद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को भारी आर्थिक हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 के अन्त तक प्रत्येक बोर्ड को कुल कितनी हानि हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1986 तक विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों का संचयी लाभ/हानियां नीचे दिए गए अनुसार हैं:—

(आकड़े करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बोर्ड का नाम	लाभ (+)/ हानि (—)
1.	आंध्र प्रदेश	+76.3
2.	बिहार	—129.3
3.	गुजरात	+7.8*
4.	हरियाणा	—291.0*
5.	हिमाचल प्रदेश	—93-1
6.	कर्नाटक	+123.8
7.	केरल	+24.2
8.	मध्य प्रदेश	—50.7*
9.	महाराष्ट्र	—51.3*
10.	उड़ीसा	—34.6*
11.	पंजाब	—96.1
12.	राजस्थान	—161.9
13.	तमिलनाडु	+73.0
14.	उत्तर प्रदेश	—683.7*
15.	पश्चिम बंगाल	—151.4*
16.	असम	—224.1*
17.	मेघालय	—30.9*
	हानियां	—1998.1
	जोड़ लाभ	+305.1
	निवल	—1693.0

*अनन्तिम/लेखा परीक्षा नहीं की गई ।

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र के गोबर गैस के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य

8319. श्री आर. एम. भोये : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को गोबर गैस के उपयोग को प्रोत्साहित कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिला वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस लक्ष्य को पूरा करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) जी. हां। बायो-गैस योजना खादी तथा ग्रामोद्योग योजना के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों में से एक है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	जिला	वर्ष					
		1983-84		1984-85		1985-86	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमद नगर	750	621	1000	1153	750	1025
2.	औरंगाबाद	20	49	20	7	20	13
3.	अमरावती	50	32	50	18	50	6
4.	अकोला	100	22	100	56	50	39
5.	भोंदरा	58	8	50	13	50	8
6.	बीद	20	4	20	2	20	—
7.	बुलदाना	100	129	100	56	50	19
8.	बम्बई	—	—	—	—	—	—
9.	कलंद्रापुर	50	35	50	1	50	—
10.	धुले	100	60	100	60	60	40
11.	गदचिरोली	20	—	20	—	20	—
12.	जलगांव	50	14	50	4	50	—
13.	जलना	20	—	20	—	20	—
14.	कोल्हापुर	750	928	900	686	750	666
15.	लतूर	20	—	20	—	20	—
16.	नागपुर	100	10	100	46	100	13
17.	नासिक	150	49	150	66	150	79
18.	नंदेद	50	25	50	13	50	1
19.	ओसमानाबाद	20	21	20	3	20	—
20.	परभनी	20	47	20	6	20	2
21.	पुणे	250	159	250	104	250	67

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	रायगढ़	100	36	100	38	100	6
23.	सतारा	50	9	50	14	50	3
24.	रतनागिरि	100	73	100	45	100	34
25.	सोलापुर	150	38	150	120	150	8
26.	सांगली	100	11	100	30	100	62
27.	सिंधु दुर्ग	50	—	50	—	50	38
28.	थाणे	160	249	160	32	160	19
29.	वर्धा	50	13	50	6	50	5
30.	यवतमाल	50	67	50	29	50	12
	योग	3000	2709	3500	6212	2860	2173

* अनन्तिम

विदेशों में भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों की मांग

8320. **श्री आर. एम. भोये** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भी भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों की मांग है;

(ख) यदि हां तो किन-किन देशों में किन-किन भारतीय औषधियों की मांग है,

(ग) क्या सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह) (क) से (घ) आयुर्वेदिक औषध से संबंध प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से उपलब्धि की सीमा तक जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों के लिए बायलरों हेतु भारत हंगरी करार

8321. **श्री के. वी. शंकर गौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने भारत में विद्युत संयंत्रों के लिए बायलरों की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पेशकश स्वीकार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या हंगरी के साथ कोई करार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) इस मंत्रालय को हंगरी से केवल बायलरों

के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है; तथापि हंगरी ने भारत में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने में भाग लेने में रुचि दिखाई है।

खाना पकाने की गैस की विपणन परियोजना के तृतीय चरण की लागत में वृद्धि

8322. **श्री के. वी. शंकर गौडा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों की खाना पकाने की गैस की विपणन परियोजना के तृतीय चरण की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या परियोजना के तृतीय चरण की लागत का मूल प्राक्कलन 528.50 करोड़ रुपए था;

(ग) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) लागत में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एल. पी. जी. चरण-III परियोजना की मौलिक अनुमानित लागत 529.2 करोड़ रुपए थी।

(ग) 846.2 करोड़।

(घ) लागत में वृद्धि के होने के निम्नलिखित कारण हैं :

(I) वासुदेव सुरक्षा समिति द्वारा की गई अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी सिफारिशों का कार्यान्वयन।

(II) परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन।

(III) मूल्य में वृद्धि।

27 तटवर्ती ब्लाकों में तेल की खोज के संबंध में विदेशी कंपनियों को अपनी पेशकश प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

8323. **श्री के. वी. शंकरगौडा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने भारत में 27 तटवर्ती ब्लाकों में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के संबंध में सरकार को अपनी पेशकश प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो समय बढ़ाने का अनुरोध करने के क्या कारण हैं;

(ग) पेशकश प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने कितना समय बढ़ाया है; और

(घ) निर्धारित तारीख तक कितनी विदेशी कंपनियों ने इस देश में तेल की खोज करने के संबंध में अपनी पेशकश प्रस्तुत की थी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) विदेशी तेल कम्पनियों को भारत में 27 अपतटीय ब्लाकों में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए अपनी आफर भेजने के वास्ते समय सीमा बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है। बोलियां भेजने की अन्तिम तारीख 30 नवम्बर, 1986 है। अभी तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है।

तमिलनाडु में प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र

8325. **श्री एम. डैनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए सरकार और विश्व की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) इन विद्युत केन्द्रों को क्या विशेषज्ञ परामर्श सेवायें उपलब्ध हैं और विशेषज्ञ परामर्श सेवाओं का किस आधार पर चयन किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) तमिलनाडु में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्यों को वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह किसी विशिष्ट कार्यक्रम/परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती है। विश्व वित्तीय संस्थानों से सहायता इनमें से किसी परियोजना से सम्बद्ध नहीं की गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम और क्षमता	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1.	नार्थ मद्रास (3×210 मेगावाट)	547.79 करोड़ रु.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी है।
2.	बेसिन ब्रिज में गैस टर्बाइन सेट (4×30 मेगावाट)	56.48 करोड़ रु.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी है, बशर्ते ईंधन तेल उपलब्ध हो जाए।
3.	नेवेली ताप विद्युत केन्द्र (तीसरा चरण) (3×500 मेगावाट)	1401.24 करोड़ रु.	संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके स्कीम की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है और आवश्यक निवेशों के सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध हो जाने के बाद इसका तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा सकता है।

शहद का उत्पादन

8326. **श्री एम. डेसिन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहद का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष शहद का कितना उत्पादन होता है, और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों को शहद उत्पानन में वृद्धि करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं और मधुमक्खी पालन करने वाली सहकारी समितियों को मधुमक्खी पालन उद्योग का विकास करने के लिए 40.99 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई थी। इसके अलावा, इस प्रयोजन के लिए तकनीकी सहायता भी दी गई थी। इस सहायता में मधुमक्खियों के लिए उपकरणों मधु-मक्खियां रखने के लिए डिब्बों और शहद निष्कर्षकों का वितरण मधुमक्खी नर्सरियों की स्थापना करना, मझौले और अर्द्ध-वाणिज्यिक मधुवाटिकाओं की स्थापना करने के लिए धनराशियों की व्यवस्था करना, स्कूलों में मधुमक्खी पालन को शुरू करने में सहायता करना तथा मधुमक्खी पालन गृहों का निर्माण आदि शामिल है। इसके अलावा, शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए मधु-मक्खियों का प्रवेचन और कृषिबागवानी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पुणे में केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एकक और देश के विभिन्न भागों में अवस्थित इसके केन्द्र भी इस सम्बन्ध में व्यावसायिक सहायता प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भी आयोजित किया जाता है तथा संस्थानों/समितियों की शहद को विपणन करने में सहायता दी जाती है जिसमें मधुमक्खी पालकों से शहद खरीदने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण भी शामिल है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	शहद	
		मात्रा	मूल्य
			(लाख रु. में)
1.	2.	3.	4.
	(क) **राज्य**		
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,39,286	23.68
2.	असम	2,93,896	49.96
3.	बिहार	1,77,203	29,10
4.	गुजरात	159	0.03
5.	हरियाणा	3,710	0.63
6.	हिमाचल प्रदेश	14,900	2,53

1.	2.	3.	4.
7.	जम्मू तथा काश्मीर	71,266	12.12
8.	कर्नाटक	6,61,254	112.41
9.	केरल	18,61,865	316.52
10.	मध्य प्रदेश	32,712	5.56
11.	महाराष्ट्र	55,872	9.50
12.	मनिपुर	1,25,507	21.34
13.	मेघालय	34,696	5.90
14.	नागालैंड	9,418	1.60
15.	उड़ीसा	3,56,783	60.65
16.	पंजाब	45,316	7.70
17.	राजस्थान	33	0.01
18.	सिक्किम	3,147	0.53
19.	तमिलनाडु	12,56,816	213.66
20.	त्रिपुरा	45,425	7.72
21.	उत्तर प्रदेश	10,191	1.73
22.	पश्चिम बंगाल	3,03,223	51.55
	योग : (क)	54,96,678	934.43
	(ख) संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अरुणाचल प्रदेश	6,087	1.04
2.	दिल्ली	543	0.09
3.	गोवा, दमन तथा द्वीव	154	0.03
4.	पाण्डिचेरी	1,720	0.29
योग—(ख)		8,504	1.54
	(ग) अन्य		
	केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे	2,184	0.37
	योग—(क)+(ख)+(ग)	55,07,366	936.25

दिल्ली में पाइप लाइन द्वारा खाना बनाने की गैस की सुविधा का विस्तार

8327. **श्रीमती शीला दीक्षित :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में पहले से विद्यमान खाना पकाने की गैस की पाइप लाइन द्वारा सप्लाई की सुविधा का अन्य कालोनियों/क्षेत्रों में भी विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यह सुविधा किन कालोनियों/क्षेत्रों में उपलब्ध किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) : दिल्ली नगर निगम दक्षिण दिल्ली की कुछ कालोनियों को पाइपों से सीवेज गैस (न कि एल पी जी) सप्लाई कर रहा है। देश के किसी भाग में पाइप लाइनों के द्वारा एल. पी. जी. सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई परियोजनाओं से ऊर्जा के उत्पादन का अनुमान

8328. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के लिए किए गए 30 प्रतिशत से अधिक के परिव्यय से नई परियोजनाओं के माध्यम से और मौजूदा परियोजनाओं का कार्य सुचारु बनाकर और उनका दर्जा बढ़ा कर ऊर्जा के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि किस सीमा तक पूरी होगी; और

(ख) यदि कोई कमी रहेगी, तो वह कितनी होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मारुती कारों के माडल में परिवर्तन का फालतू पुर्जों की उपलब्धता पर प्रभाव

8329. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग लिमिटेड के कार का माडल बदलने के निर्णय से वर्तमान माडल की कारों के मालिकों के लिए फालतू पुर्जों की समस्या पैदा हो जायेगी ; और

(ख) क्या इस धारणा को, कि वित्तीय कराधानों और "येन" के मूल्य में वृद्धि से लागत में वास्तव में 12,000 रुपए प्रति वाहन वृद्धि हुई है, ध्यान में रखते हुए प्रति कार 7,000 रुपये से अधिक वर्तमान वृद्धि उचित है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) मूल्य निर्धारण करना एक वाणिज्यिक मामला है जिस पर निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाता है जिन्होंने वित्तीय शुल्कों तथा येन के मूल्य में वृद्धि के प्रभाव पर विचार कर लिया है।

सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

8330. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कोई सुपर ताप विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उक्त परियोजना कहां

स्थापित की जाएगी और उस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है तथा उसकी कितनी उत्पादन क्षमता होगी;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली किसी विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक से बात-चीत की जा रही है, और यदि हां तो परियोजना का ब्यौरा क्या है, उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी तथा विश्व बैंक के साथ हो रही बातचीत में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या उडीसा की इस परियोजना को विश्व बैंक ने मुख्य रूप से अनुमोदित कर दिया है और उन्होंने परियोजना के लिए धनराशि देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निम्नलिखित सात सुपर ताप विद्युत केन्द्र क्रियान्वित किए जा रहे हैं :

क्रम सं.	परियोजना/स्थान	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित निवेश (पारेषण प्रणाली सहित) (करोड़ रुपए में)
1	सिंगरौली, उत्तर प्रदेश	5×200+2×500	1001.17
2.	कोरवा, मध्य प्रदेश	3×200+3×500	1138.44
3.	रामगुंडम, आंध्र प्रदेश	3×200+3×500	1702.18
4.	फरक्का, पश्चिम बंगाल	3×200+2×500	1626.21
5.	विन्ध्याचल चरण-1, मध्य प्रदेश	6×210	1110.42
6.	रिहन्द चरण-1, उत्तर प्रदेश	2×500	1614.70
7.	कहलगांव चरण-1बिहार	4×210	1058.64

उपयुक्त परियोजनाओं में से सिंगरोली में 5×200 मेगावाट की यूनिटें, कोरवा में 3×200 मेगावाट की यूनिटें तथा रामगुंडम में 3×200 मेगावाट की यूनिटें प्रचालनाधीन है; फरक्का में 200 मेगावाट की एक यूनिट जनवरी, 1986 में समकालित की गई थी।

(ख) और (ग) कवास (गुजरात), औरैया (उत्तर प्रदेश) और अन्टा (राजस्थान) में कुल 1630 मेगावाट क्षमता के गैस पर आधारित तीन संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। गैस पर आधारित इन विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक 485 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के समीप राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (4×210 मेगावाट) तथा उड़ीसा में तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण एक (2×500 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा विवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। इन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही चल रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उप डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण

8331. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में उप-डाकघरों के लिए विभागीय भवनों के निर्माण में ग्रामीण क्षेत्रों को उचित स्थान दिया गया था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी उन्हें उचित महत्व दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर-पश्चिमी पोस्टल सर्कल की प्रत्येक एकक में उन उप-डाकघरों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनके लिए भवनों का निर्माण करने की मंजूरी दी जा चुकी है और कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा प्रत्येक मामलेमें कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभागीय भवनों के निर्माण को सर्याप्त महत्व सुनिश्चित करेगी ?

संचार मंत्रालयों के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पश्चिम सर्किल के जिन उप डाकघरों के लिए भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है तथा कार्य शुरू कर दिया गया है, उनके नाम, राज्यों के नाम तथा अनुमानित लागत सहित नीचे दिये गये हैं :

क. छठी पंचवर्षीय योजना

क्र. सं.	डाकघरों और डाक मंडलों के नाम	राज्य	अनुमानित लागत (रुपयों में)
1.	नंगल चौधरी (गुड़गांव मंडल)	हरियाणा	2,96,000
2.	पूह (शिमला मंडल)	हिमाचल प्रदेश	6,93,615
ख. सातवी पंचवर्षीय योजना			
1.	नागर कंसल (मंडी मंडल)	हिमाचल पदेश	10,(0,000
2.	किलर पंगी (चम्बा मंडल)	हिमाचल प्रदेश	8,00,000
3.	सराहान बुसहर (शिमला)	हिमाचल प्रदेश	5,00,000
4.	छाबो (शिमला)	हिमाचल प्रदेश	8,00,000

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में टेलीग्राफ इन्जीनियरी डिवीजन में कार्यभार

8332. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1986 को हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक टेलीग्राफ इन्जीनियरी डिवीजन और धर्मशाला के प्रत्येक टेलीग्राफ इन्जीनियरी सब-डिवीजन में कार्य का भार कितना था;

(ख) क्या धर्मशाला टेलीग्राफ इन्जीनियरी डिवीजन में किसी सब-डिवीजन का विभाजन किया जा रहा है या किया जाना है और क्या किसी नई सब-डिवीजन की स्वीकृति देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सर्किल कार्यालय के अनुसार 1-4-86 को कार्यभार इस प्रकार है :

(1) शिमला तार इन्जीनियरी मण्डल	—	ग्रेड "क" वेतनमानों पर 12237 यूनिटें
(2) धर्मशाला तार मण्डल	—	ग्रेड "क" वेतनमानों पर 12870 यूनिटें

धर्मशाला तार इन्जीनियरी मंडल के अन्तर्गत उप मंडलों का कार्यभार इस प्रकार है :

(1)	चम्बा	ग्रेड "ख" वेतनमानों पर 6200 यूनिटें
(2)	मण्डी	ग्रेड "ख" वेतनमानों पर 11950 यूनिटें
(3)	धर्मशाला	ग्रेड "ख" वेतनमानों पर 11900 यूनिटें
(4)	हमीरपुर	ग्रेड "ख" वेतनमानों पर 11580 यूनिटें

(ख) से (घ) सेकेण्डरी स्विचन क्षेत्रीय योजना के चालू हो जाने के कारण हिमाचल प्रदेश में मौजूदा मंडलों/उप मंडलों के कार्य क्षेत्र को पुनर्गठित करना पड़ेगा। इस काम को किया जा रहा है तथा पुनर्गठन को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद नए उप मंडलों की व्यवहार्यता का पता चलेगा।

हिमाचल प्रदेश में विभागीय उप-डाकघरों/रेल डाक वितरण कार्यालयों तथा विभागेत्तर शाखा डाकघरों का दर्जा कम किया जाना और बन्द किया जाना

8333. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के दौरान और वर्ष 1986 के जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल

महीनों में हिमाचल प्रदेश में अनेक विभागीय उप-डाकघरों/रेल डाक विलगन कार्यालयों और विभागेत्तर शाखा डाकघरों का या तो दर्जा घटा दिया गया हैं अथवा उन्हें बन्द कर दिया गया है जिसके कारण जनता को बहुत असुविधा हो रही है, यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार ने न लौटाये जाने वाले अन्शदान के भुगतान करने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो (एक) बन्द किए गए डाकघरों तथा (दो) दर्जा घटाये गए डाकघरों के मंडल-वार नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा न लौटाये जाने वाले अन्शदान के भुगतान किये जाने पर पूर्ववत स्थिति लाई जायेगी ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) ऐसे डाकघरों/छटाई कार्यालयों की संख्या तथा नाम जिन्हें बन्द कर दिया गया/दर्जा घटा दिया गया, उसके कारणों सहित संलग्न विवरण में दिया गया हैं। नाभा पूर्व ई.डी.एस.ओ. के संबंध में राज्य सरकार द्वारा एन.आर.सी. उस डाकघर के बन्द करने के पश्चात प्राप्त हुआ। तीन डाकघरों अर्थात् नाभा पूर्व, डागसाई बाजार और पुरानी मन्डी के बारे में जनता से प्रतिवेदन प्राप्त हुई हैं।

(ख) छटाई कार्यालयों के मामलों में एन.आर.सी. योजना लागू नहीं होती। अन्य मामलों में, राज्य सरकार द्वारा एन. आर. सी. का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा नए पत्रों के सृजन पर लगी मौजूदा पाबंदी में छूट हटा लिये जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

विवरण

(एक) बन्द किये गये डाकघर :

क्रम सं.	माडल का नाम	कार्यालन का नाम	कारण
1.	शिमला	नाभा एस्टेट ई. डी. एस. ओ.	यह डाकघर शहरी क्षेत्र में स्थित है और इसका कार्यभार 4 घंटे से कम था।
2.	सोलन	डागसाई बाजार ई. डी. एस. ओ.	
3.	,,	एच.जी.आर. एण्ड टी फैक्टरी, ई.डी.एस.ओ. नहान	,,
4.	मण्डी	पुरानी मन्डी ई. डी. एस. ओ.	,,
5.	शिमला	क्योरिक-बी	भूचाल के कारण सिविल
6.	,.	रोहणी ई. डी. एस.ओ.	जन संस्था में शिफ्ट किया गया निकटतम डाकघर से एक कि.
7.	आर. एम. एस. I मण्डल	मोरिण्डा छंटाई कार्यालय	मी. दूर डाक प्रेषण में विलंब कम करने के लिए

1	2	3	4
	(दो) बन्द हटाए गए डाकघर		
1.	शिमला डिवीजन	नाभा स्टेट ई.डी. एस. ओ.	एन. आर. सी. की राशि 1170:0 89 रुपए अदा न करने पर।
2.	सोलन मण्डल	बोलेरा ई. डी. एस. ओ.	कार्यभार 4 घंटे से कम।
3.	,,	बगान ई.डी.एस. एस.ओ.	,,
4.	,,	कैथलीघाट ई. डी.एस.ओ.	,,
5.	,,	कोठार ई. डी. एस. ओ.	,,
6.	,,	मामलीध ई. डी. एस. ओ.	,,
7.	,,	सालोगरा ई. डी एस. ओ.	,,
8.	,,	सिया चांबरौण ई. डी. एस. ओ.	,,
9.	,,	सिरी ई. डी. एस. ओ.	,,
10.	,,	त्रिलोकपुर ई. डी. एस. ओ.	,,
11.	शिमला मण्डल	मारोग ई. डी एस. ओ.	,,
12.	,,	चियोग ई. डी. एस. ओ.	,,
13.	,,	कूपरी ई. डी. एस. ओ.	,,
14.	,,	सामदू ई. डी. एस. ओ.	,,
15.	,,	देहा-बेलकन ई. डी. एस. ओ.	,,

1	2	3	4
16.	शिमला मन्डल	शिल्लारो ई. डी. एस. ओ.	कार्यभार 4 घन्टे से कम।
17.	,,	ड्योरी खाटी ई. डी. एस. ओ.	,,
18.	,,	मोन्डा घाट ई. डी. एस. ओ.	,,
19.	,,	गुम्मा ई. डी.एस.ओ.	
2.0	,,	छलीला ई.डी.एस.ओ.	,,
21.	,,	जब्बर हट्टी ई. डी. एस. ओ.	
22.	,,	बाहली ई.डी.एस.ओ.	,,
23.	,,	गौरा ई.डी.एस.ओ.	,,
24.	,,	लूहरी ई.डी.एस.ओ.	,,
25	,,	धाना घाटी ई. डी. एस. ओ.	,,
26	,,	शर्माबिल ई.डी.एस. ओ. कैम्प	,,
27.	धर्मशाला मण्डल	खंडवाल ई.डी.एस.ओ.	,,
28.	,,	बानूरी ई.डी.एस.ओ.	,,
29.	मण्डली मन्डल	बालोरा ई.डी.एस.ओ.	,,
30.	,,	चाम्बी ई.डी.एस.ओ.	,,
31.	,,	गिरी ई.डी.एस.ओ.	,,
32.	,,	कांगो ई.डी.एश.ओ.	,,
33.	,,	पांगना ई.डी.एस.ओ.	,,
34.	,,	पान्सारा ई.डी.एस.ओ.	,,
35.	,,	टिक्कर ई.डी.एस.ओ.	,,
36.	,,	जनजोहली ई.डी.एस.ओ.	,,
37.	,,	जमघट सुख ई.डी.एस.ओ.	,,
38.	देहरा मंडल	बग्गी ई.डी.एस.ओ.	,,
39.	,,	मासरूर ई.डी.एस.ओ.	,,

1	2	3	4
40.	देहरा मन्डल	छलीली ई.डी.एस.ओ.	कार्य भार 4 घन्टे से कम
41.	,'	कथोग ई.डी.एस.ओ	''
42.	''	कुन्होट ई.डी.एस.ओ.	''
43.	छम्बा मंडल	साज्जी आर. ई.डी.एस.ओ.	''
44.	''	कियानी ई.डी.एस.ओ.	प्रतिदिन का कार्य 4 घन्टे से कम होने के कारण।
45.	''	खारोल ई.डी.एस.ओ	''
46.	कमीरपुर मण्डल	मोहनी ई.डी.एस.ओ.	कार्यभार 4 घंटे
47.	''	अवाह देवी ई.डी.एस.ओ.	''
48.	''	भानीयारी ई.डी.एस.ओ.	''
49.	''	कुंबराट ई.डी.एस.ओ.	''
50.	''	शोथ सिद्ध ई.डी.एस.ओ	''
51.	''	नसबाल ई.डी.एस.ओ.	''
52.	''	स्वाहन ई.डी.एस.ओ.	''
53.	''	बंसल ई.डी.एस.ओ.	''
54.	''	पलखवाह ई.डी.एस.ओ.	''
55.	''	लेहरा ई.डी.एस.ओ	''
56.	सिमला मंडल	छानगो बो (विभाग)	शाखा डाकघर बढ़ाने की विभाग की नीति के अनुसार।
57.	''	थाको	''
58.	''	बांगटो	''
59.	''	नामधीआ	''

कोल्हापुर में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के भण्डारण और सप्लाई की पद्धति की जांच

8334. **श्री आर. एस. माने :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर कोल्हापुर में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों की आपूर्ति तथा उनके भंडारण की पद्धतियों के बारे में कभी आकस्मिक जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो डीलरों द्वारा कदाचार के कितने मामले पकड़े गये; और

(ग) इस आधार पर कितनी एजेंसियां रद्द की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एल. पी. जी. सिलेन्डरों की सप्लाई और भण्डारण के तरीकों से संबंधित कदाचारों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, साबित हुए कदाचार की प्रकृति के अनुसार विपणन अनुशासन सिद्धान्तों के अन्तर्गत दोषी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में चार वितरणशिपें समाप्त की गई हैं।

पर्यावरण का प्रदूषण रोकने के लिए कचरे का उपयोग

8335. **श्री निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने हेतु शहरों में कचरे से सस्ती दरों पर खाना पकाने की गैस तथा खाद तैयार करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बंसत साठे) : जी हां। सेनिट्री लैंड फिल से बायोगैस के निष्कर्षण के लिए एक प्रयोगात्मत संयंत्र आपरंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा दिल्ली में सफलतापुर्वक स्थापित किया जा चुका है। निष्कर्षित गैस विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन खाना पकाने के प्रयोग में भी लाई जा सकेगी। प्रायोगिक संयंत्र का स्तर ऊंचा उठाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। नगर ठोस अपशिष्टों से खाद के उत्पादन के लिए कम्पोस्ट संयंत्र कुछ नगर नियमों द्वारा पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

छिद्रण कार्यों से होने वाला प्रदूषण

8336. **श्री सुदर्शन दास** : क्या पेट्रोलिय और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के छिद्रण कार्यों से पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की क्षति में कमी लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। एकीकृत पर्यावरणीय प्रबन्ध कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए विशेष उपाय करना आरम्भ किया गया है। इसमें निम्न लिखित शामिल है :—

(1) स्थलों के चारों ओर रिंग बंधों को सुदृढ़ करना तथा ऊंचा उठाना और गड्ढों पर पोलिथीन लाइनिंग की व्यवस्था करना।

(2) निस्राव उत्पादन को न्यूनतम करने के लिए गहरे ड्रिलिंग रिंगों के नजदीक पुन: जल का प्रयोग करना।

(3) खुदाई स्थलों पर तेल एकत्रित करने की प्रणाली स्थापित करना।

(4) संगठित रूप से पेड़ लगाने की योजना लागू करना।

अल्प-सूचना प्रश्न

[अनुवाद[

सरकारी क्षेत्र के एककों में वेतन वृद्धि पर रोक लगाना

डा. दत्ता सामंत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी एककों में वेतन-वृद्धि पर रोक लगाने का गम्भीरता से विचार कर रही है,

(ख) क्या एक प्रस्ताव यह है कि भविष्य में वार्षिक वेतन-वृद्धि स्वतः नहीं दी जाएगी और यह उत्पादकता सूचकांक पर आधारित होगी, और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विभिन्न श्रमिक संघों से बातचीत की है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, बिहार में हरिजनों की हत्या के बारे में हमें मंत्री महोदय से वक्तव्य लेना है ?·····(**व्यवधान**) । तब से दस दिन बीत गए ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मुझे एक बात कहनी है । मैं अब तक संतुष्ट नहीं हुआ हूं । यदि आपको मेरे साथ तर्क-वितर्क करना है अथवा मुझे इस बात से अवगत कराना है कि यह वह समस्या है कि जिस पर आप सदन में बोल रहे हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं क्योंकि मैं कानून तथा व्यवस्था की स्थिति चाहता हूँ ···· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । कोई प्रश्न नहीं । बिल्कुल नहीं·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूँ । प्रश्न मत पूछिए··· (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह गलत है । बीस हरिजन नहीं हैं । यह मूलतः गलत है, बिल्कुल गलत है··· (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है · (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : ये सज्जन जो कुछ कहते हैं यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता । मैं अनुमित नहीं दूंगा···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये । (**व्यवधान**)**

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं। अनुमति नहीं दी जाती है। इस विषय पर कुछ भी कहने के लिए मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : हरिजनों के बारे में कोई प्रश्न नहीं। बिल्कुल गलत है ··· आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : यदि एक बार आप मेरी बात सुनें तो हम सदन में दो बातों पर चर्चा करेंगे, जो ऐसी बात से संबंधित हैं जिनका प्रभाव हरिजनों पर पड़ा है। दूसरी बात है साम्प्रदयिक तदाव की। हमने सदन में इस चर्चा की है। ये दो बातें हैं। यह बात विशेष रूप से हरिजनों की नहीं हैं। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मुझे इस तथ्य के बारे में बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलिए। मेरी बात सुनिये ··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो कह रहा हूं। यदि आप मुझे सन्तुष्ट कर सकते हैं तो मेरे पास आइए और कहिए कि "महोदय, यह ऐसा है," और यदि मैं आपको बताऊं कि ये पांच हरिजन हैं और पन्द्रह दूसरे लोग थे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, इधर देखिए। मैं अब कुछ बातें स्पष्ट कर रहा हूँ। अपको मेरी बात सुननी होगी··· (**व्यवधान**)

श्री श्री. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : क्या आप संख्या की बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री देव, मैं केवल यह चाहता हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। आपका कहना ठीक नहीं है। यह नियम है, एक कानून है जो संविधान में मौजूद है। मैं यह नहीं चाहता कि लोग कानून को बन्दूक की नोक पर अपने हाथ में लें। यह आपका ही नियम है··· (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मैं अनुमति नहीं दूंगा (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिलिये और मुझे बताईये···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आश्वस्त नहीं हूं। मुझे अपनी बात पर पूरा विश्वास है। मैं तथ्यों को जानता हूं और यदि कोई तथ्य सामने आते हैं तो मुझे उसका पता चलेगा। और मैं इसके अनुसार चलूंगा··· (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आइये। यह कोई तरीका नहीं है···(**व्यवधान**)**

** कार्यवाही-वृत्तान्त में समिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं । मैंने किसी माननीय सदस्य को कोई बात कहने की अनुमति नहीं दी है (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है ··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए प्रत्येक सदस्य का जीवन बहुत महत्पूर्ण है ·· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। आपको अनुमति नहीं दी जाती है । यदि आप कुछ कहना चाहते है तो बाहर चले जाइये और कहिए (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है ... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । मेरा विनिर्णय अन्तिम है। यदि आप मुझे नहीं बताते तो मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दी है। जहां हरिजनों के हितों का सवाल होगा वहां मैं उन्हें अनुमति दूंगा अन्यथा नहीं । (व्यवधान)**

श्री आशुतोष लाहा (दम दम) : महोदय, यह निश्चित आंकड़े नहीं हैं गैर-सरकारी क्षेत्र में भविष्य निधि की बकाया राशियां (व्यवधान) यह निश्चित आंकड़े नहीं हैं । यह बताया गया है, श्रीमन् ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए । (व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : मैं एक बहुत गम्भीर मामला उठा रहा हूं और चाहता हूं कि सभा में उपस्थित सभी सदस्य मेरी बात सुनें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है ।

प्रो. के. के. तिवारी : हमारे एक विख्यात कांग्रेस (ई) विधायक को पंजाब में गोली मार दी गई है और उग्रवादी पंजाब में स्वर्ण मंदिर तथा पूजा के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सक्रिय हैं। महोदय, हमने उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है कि मंदिर को उग्रवादियों की गतिविधियों से दूर रखा जाए । (व्यवधान)

सरकार ने इस संबध में अब तक कुछ नहीं किया है। अध्यक्षा महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । (व्यवधान)

महोदय, इसीलिए हम अध्यक्ष पीठ से कोई निर्देश चाहते हैं । एक सीमा होती है । हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सरकार कोई न कोई कार्यवाही करेगी और अन्ततः पंजाब में स्वर्ण मन्दिर तथा पूजा के अन्य स्थान इन उग्रवादियों और हत्कारों की गतिविधियों से मुक्त रहेंगे किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं । इसलिए महोदय, इस सभा, विशेष रूप से आपको कोई मार्ग निर्देश देना चाहिए । हमें जानना चाहिए कि पंजाब में क्या हो रहा है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । (व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कल तकलीफ होगी।

12.06 म. प.

[अनुवाद]

कल आपके साथ वही बात होगी। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं अपने नियमों को भंग नहीं कर सकता हूं। मैं राज्य सरकार की शक्तियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : इस मामले में मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूँ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आश्वस्त नहीं हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभा को यह जानना चाहिए। राज्य की विधान सभा को राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री अशोक कुमार सेन की ओर से मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा 5), के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा. का. नि. 484 (अ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2571/86]

भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा एक विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1988 की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 117 में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्य-

करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2573/86]

भारतीय डाक घर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं भारतीय डाक घर अधिनियम, 1896 के अन्तर्गत जारी किए गए भारतीय डाक घर (तीसरा संशोधन) नियम, 1986 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 16 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 637 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखी गई . देखिए संख्या एल. टी. 2574/86]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना टैनरी एण्ड

फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की एक धारा 18क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक.एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का.आ. 142(अ), जो 31 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स अलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2575/86]

(दो) का.आ. 144 (अ), जो 31 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2576/86]

(तीन) का. आ. 145 (अ), जो 31 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इन्डियन हैल्थ इन्स्टीट्यूट एण्ड लाबारटरि लिमिटेड कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों, से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2577/86]

(2) उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा

(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का. आ. 47 (अ), जो 11 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल लिमिटेड, उज्जैन के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2578/86]

(दो) का. आ. 66 (अ), जो 24 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स ब्रेन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (इन्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2579/86]

(तीन) का. आ. 77 (अ), जो 28 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बंगाल पाट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 2580/86]

(चार) का. आ. 116 (अ), जो 27 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स महादेव टैक्सटाइल मिल्स, हुगली के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 2581/86]

(पांच) का. आ. 118 (अ), जो 27 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स सोमसुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स मुतेनेंडल के प्रबंध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखे गए : देखिए संख्या एल. टी. 2582/86]

(छः) का. आ. 119 (अ), जो 27 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2583/86]

(सात) का. आ. 143 (अ), जो 31 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2584/86]

(आठ) का. आ. 146 (अ), जो 31 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स अपोलो जिपर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों के आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2585/86]

(नौ) का. आ. 180 (अ), जो 9 अप्रैल, 1986 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स डाक्टर पाल लोहमन (इण्डिया) लि., कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2586/86]

(दस) का. आ. 188(अ), जो 11 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोन्नागर के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2587/86]

(ग्यारह) का. आ. 934 (अ), जो 31 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स सोमसुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुतैनेंडल के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2588/86]

(3) कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(एक) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2589/86]

(5) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1856 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी 2590/86]

12.07 म. प.

लोक लेखा समिति

42वां, 43वां, 44वां 45वां तथा 46वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1983-84 के अग्रिम प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के रेल भर्ती बोर्डों से सम्बन्धित पैरा 41 के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1983-84 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1, उत्पादन-शुल्क से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष कर—रैफरीजिरेटरों और टायरों के मूल्यों पर शुल्क में कटौती के प्रभाव से सम्बन्धित पैरा 2.68 के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982-83 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) के रक्षा रसद विभाग के कार्यकरण की समीक्षा से सम्बन्धित पैरा 5 के बारे में 44वां प्रतिवेदन।

(4) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1983-83 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) के घटिया एयर फील्ड के निर्माण से सम्बन्धित पैरा 18 के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

(5) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982-84 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास श्रीनगर से सम्बन्धित पैरा 39 के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

———

12.08 म. प.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

7वां और 9वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

अनुवाद

श्री के. राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) दुर्गापुर इस्पात सयन्त्र के बारे में समिति (सातवीं लोक सभा) के 89वां प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन।

(दो) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड—उद्देश्य और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में समिति का नवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

13वां तथा 16वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) कल्याण मंत्रालय—आन्ध्र प्रदेश में समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के कार्यकरण के बारे में समिति का तेरहवां प्रतिवेदन ।

(दो) ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)—इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा अन्य तेल कम्पनियों द्वारा वितरक एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में समिति (सातवीं लोकसभा) के 47वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में समिति का 16वां प्रतिवेदन ।

12.09 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से संबंधित इस समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण भी सभा पटल पर रखता हूं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हूं । बिल्कुल नहीं । अब नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं ।

(तत्पश्चात् श्री सी. माधव रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा-भवन से बाहर चले गए ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा । (व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : पंजाब में जो कुछ हो रहा है इस सदन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, मैं तो इस हाउस में कई बार कह चुका हूं और जब तक मेरी आवाज में शक्ति है, कहता रहूंगा कि जब तक इस कमुनलिज्म के कैंसर को, बाहर हो, भीतर हो, चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो कुछ भी हो, वहां बाहर के आदमी लाकर धर्म के नाम पर बदतमीजी बन्द नहीं की जायेगी, इस देश का भविष्य बहुत ठीक नहीं रहेगा। आप यह सुन लीजिये, यह हाउस भी जानता है और सब जानते हैं। जब तक आप सारे मिलकर इस काम को नहीं करेंगे, ऐसी बातों में लगे रहेंगे जिसमें सिर्फ पोलिटिकल बातें हों तो यह ठीक नहीं रहेगा। देश के भविष्य की बात करनी चाहिये सरकार को भी और आपको भी।

[अनुवाद]

प्रो. के. के. तिवारी : चूंकि ये सब गतिविधियां जारी हैं अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस समस्या का पूरा निदान करना होगा। श्री विजय राघवन।

श्री वी. एस. विजय राघवन (पालघाट) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाता हूँ। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देश के लिए सोचो। कानून की लड़ाई कानून से होनी चाहिये। मैं यहां भी करने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं तो कभी रोकता नहीं। मैं तो जब भी कहीं भी किसी भी हरिजन के खिलाफ अत्याचार होता है तो मैं इस हाउस में कराता रहा हूं और कभी भी करने के लिये हमेशा तैयार हूं लेकिन चीज ऐसी होनी चाहिए, जिस पर ठोस बात हो। एक हरिजन के ऊपर कहीं हमला करने के लिये आ रहे हैं कानून अपने हाथ में लेकर, बन्दूक से अपना राज्य चलाना चाहते हैं तो यह आपका प्रजातंत्र कहां जायेगा ?

[अनुवाद]

बन्दूक के बल पर ऐसा हो, मैं नहीं चाहता। जनमानस से यह बात फूटनी चाहिए क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं। उसे ही शासक होना चाहिए। इस देश में उनकी हुकूमत चले, बन्दूक की नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैं तो इसके खिलाफ हूँ।

अब श्री विजयराघवन अपना भाषण जारी रखें।

12.11½ म.प.

नियम ३७७ के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) केरल में पालघाट में प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक स्विचिंग फैक्ट्री स्थापित करने की आवश्यकता

*श्री वी. एस. विजयराघवन (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र का एक एकक,

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज, 2 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के साथ पालघाट में 1976 में शुरू किया गया था। इसमें प्रतिवर्ष 6000 लाइनों का उत्पादन करने की मूल योजना थी। इस एकक का वार्षिक कारोबार केवल तीन करोड़ रुपये है। यद्यपि इस एकक के विकास की भारी गुन्जाइश है पर यह सरकारी क्षेत्र के एकक का एक संकेत मात्र रह गया है।

12.12 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए]

यह सर्वविदित है कि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का इलैक्ट्रानिक स्विचिंग उपकरण का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि 7वीं योजना के दौरान एक तीसरी इलैक्ट्रानिक स्विचिंग फैक्टरी को स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं। इस फैक्टरी की स्थापना के लिए केरल में पालघाट सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि इस फैक्टरी को इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के निकट स्थापित किया जाए तो इस पर केवल आधा ही पूंजी निवेश करना पड़ेगा। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का इस फैक्टरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। पालघाट स्थित इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज सी आई टी—ए.एल. सी. ए. टी. ई. एल. (सिट-एल्काटेल) कम्पनी के सहयोग से डिजिटल ट्रंक एक्सचेंज लाइनों का उत्पादन पहले ही शुरू कर चुकी है। चूंकि डी टी ए एक्स और इलैक्ट्रानिक स्विल के उत्पादन में इस्तेमाल प्रौद्योगिकी समान किस्म की है, वहां इन दोनों के लिए, उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अतः केरल के, विशेष रूप से पालघाट के औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक स्विचिंग फैक्टरी पालघाट में ही स्थापित की जाए।

(दो) **उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन पर नीलांचल और न्यू नीलांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रुकवाने की व्यवस्था करने की मांग**

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : महोदय, जाजपुर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से केवल उड़ीसा का नहीं बल्कि समूचे भारत का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। हजारों तीर्थयात्री प्रति दिन इस नगर के दर्शन करते हैं। इसका निकटस्थ रेलवे स्टेशन जाजपुर—क्योंझर रोड है। नई दिल्ली और पुरी के बीच चलाई जा रही 175/176 नीलांचल एक्सप्रेस और 915/916 न्यू नीलांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशन से होकर गुजरती हैं। उत्तरी राज्यों से अपने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के लिए इन रेलगाड़ियों से जाजपुर कस्बे में आने वाले यात्रियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जाजपुर-क्योंझर रोड पर इन रेलगाड़ियों का कोई स्टाप नहीं है। क्योंझर जिले में कई स्पंज लौह संयंत्र, लौह अयस्क तथा मैंगनीज खानें स्थित हैं। इसी तरह धनकनाल जिले में तालचेर में देश का एक बहुत बड़ा कोयले का भंडार और ताप विद्युत संयंत्र और आंगुल में एक बड़ी अल्युमिनियम परियोजना स्थित है। इन जिलों में कार्यरत हजारों लोग दिल्ली और उत्तरी राज्यों को जाने के लिए नीलांचल एक्स-

प्रेस पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए जाजपुर-क्योंझार रोड सर्वाधिक सुविधाजनक स्टेशन है। यह उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र भी है।

इस प्रकार जाजपुर-क्योंझर रोड पर इन दो रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करवाना हर तरह से युक्तियुक्त है। इससे इन दो जिलों की जनता और कटक जिले की जाजपुर-क्योंझर रोड़ के आस पास रहने वाली जनता को भारी राहत पहुंचेगी क्योंकि उन्हें इस समय कटक-रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ियों को पकड़ने के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं यह मांग करता हूं कि इन रेलगाड़ियों को जाजपुर रोड़ पर रुकवाने की अविलंब व्यवस्था की जाए।

(तीन) **उड़ीसा के ब्रजराजनगर और तालचेर में वायु और जल प्रदूषण निवारण के लिए उपाय करने की आवश्यकता**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय यह बहुत चिंता की बात है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर उड़ीसा में स्थित सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उद्योग पर्यावरणीय पहलू के प्रति बिल्कुल उदासीन है। उड़ीसा राज्य प्रदूषण निवारक और नियंत्रण बोर्ड ने इस समय 236 ऐसे बड़े और मझोले उद्योगों का पता लगाया है जिन पर प्रदूषण क्षमता की दृष्टि से विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। परन्तु ये उद्योग, कुल मिलाकर, प्रदूषण-प्रतिरोधी उपाय करने के मामले में बोर्ड और सरकार के सुझावों के प्रति अनुकूल रुख नहीं अपना रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वायु और जल प्रदूषण विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में एक गंभीर संकट के रूप में उभर रहा है। इनमें सम्भलपुर जिले में ब्रजराजनगर और धनकाल जिले में तालचेर विशेषरूप से उल्लेखनीय है। ब्रजराजनगर में, ओरियंट पेपर मिल से नदी में गिरने वाले अपशिष्ट पदार्थ और तालचेर में ताप विद्युतघर से निकलने वाली राख के साथ-साथ तापविद्युत घर और उर्वरक संयन्त्र से ब्राम्हणी नदी में गिरने वाले अपशिष्ट पदार्थ इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।

स्थिति की गम्भीरता और कामगारों और आम जनता में व्याप्त असंतोष को ध्यान में रखते हुए इन दो स्थानों में वायु और जल प्रदूषण को रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए अविलम्ब आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

(चार) **कानपुर के निकट बिठूर कस्बे को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता**

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर औद्योगिक नगर से 30 किलोमीटर दूर गंगा तट पर बसा हुआ एक पौराणिक तथा ऐतिहासिक नगर बिठूर है। इस स्थान को महर्षि बाल्मीकि ने अपनी तपस्या से, लव और कुश ने अपने शौर्य और पराक्रम से तथा नानासाहब, झांसी की लक्ष्मीबाई तथा टात्या टोपे ने अपनी वीरता से पवित्र किया। इस स्थान पर प्रतिदिन हजारों तीर्थ यात्री तथा पर्यटक आते हैं। कानपुर की औद्योगिक बस्ती से भी लोग सप्ताहन्त छुट्टियां बिताने जाते हैं। यहां पर विशाल मेले लगते हैं जिनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग अपनी भक्ति तथा श्रद्धा दर्शित करने के लिए लम्बी दूरियां नाप कर आते हैं। यह

नगर खण्डहरों का अवशेष मात्र रह गया है। प्राचीन पक्के घाट, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल गंगा तट पर अब जीर्ण प्रायः हो रहे हैं।

ऐसी स्थिति में पर्यटक विभाग का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं कि इस प्राचीन ऐतिहासिक नगर में पर्यटकों के लिए सुविधायें प्रदान की जायें। यात्री आवास विकास समिति को भी आदेश दिए जायें कि यहां याचिकायें बनायें। पर्यटकों के लिए गंगा में बोट क्लब बनाए जायें। कानपुर से बिठूर नगर तक यात्रियों की सुविधा के लिए शटल ट्रेन्स चलाई जायें। इस समय चलने वाली एक डीजल कार यात्रियों के लिए काफी नहीं है। आशा है भारत सरकार इस कार्य को पूरा करके बिठूर को यथा शीघ्र पर्यटक केन्द्र घोषित करेगी।

(पांच) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में आवश्यक संशोधन करने की मांग

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति की सूची में प्रकाशित संशोधन न होने के कारण उनमें घोर असंतोष व्याप्त हो रहा है, जो कि चिन्ता का विषय है। दरअसल सन् 1967 में ही सूची संशोधन करने हेतु एक विधेयक संसद में सरकार द्वारा लाया गया था। परन्तु वह इसलिए नहीं पास हो सका क्योंकि उस पर प्रवर समिति बैठाई गई और उसकी रिपोर्ट आने के बाद लोक सभा ही भंग कर दी गई थी। इधर समय-समय पर संसद में सरकार द्वारा बराबर आश्वासन मिलता रहा है कि सूची में संशोधन कर व्याप्त त्रुटियां समाप्त कर दी जायेंगी। परन्तु किसी न किसी कारणवश अभी संशोधन नहीं लाया जा रहा है। फलस्वरूप लाखों हरिजन एवं आदिवासी संवैधानिक सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं पर बड़े पैमाने पर अनुसूचित जन जाति का अनुसूचित जाति में रहने तथा अनुसूचित जाति का अनुसूचित जन जाति में रहने से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के 5 जन-जातियों को छोड़कर शेष सभी जातियां अनुसूचित जाति की सूची में हैं। इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपर्युक्त सूची में संशोधन करने हेतु एक विस्तृत विधेयक संसद में प्रस्तावित किया जाए।

[अनुवाद]

(छह) उड़ीसा की विद्युत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्तर्राज्यीय दुर्गापुर जमशेदपुर 400 किलोवाट लाइन का कार्य पूरा करने की मांग

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, उड़ीसा का फरक्का सुपर ताप परियोजना में 75 मेगावाट और भूटान में चुख ताप परियोजना में से 30 मेगावाट हिस्सा है। इन केन्द्रों से विद्युत प्राप्त करने के लिए उड़ीसा के लिए कोई सीधी लाइन नहीं है। समुचित ट्रांसमिशन लाइन न होने की वजह से उड़ीसा को डी. वी. सी और पश्चिम बंगाल ट्रांसमिशन प्रणाली के माध्यम से सीमित मात्रा में विद्युत सप्लाई होती है जिसके कारण कार्य चालन संबंधी और वाणिज्यिक समस्यायें पैदा होती हैं। चूंकि जोडा-जमशेदपुर 200 किलोवाट लाइन पहले ही पूरी हो चुकी है, अन्तर्राज्यीय दुर्गापुर-जमशेदपुर 400 किलो वाट लाइन के शीघ्र पूरा होने पर ही उड़ीसा को सुचारु रूप से विद्युत प्राप्त हो सकेगी।

उपर्युक्त अंतर्राज्यीय लाइन को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र को प्रस्ताव भेजा गया है। मैं केन्द्रीय उर्जा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अंतर्राज्यीय दुर्गापुर-जमशेदपुर 400 कि. वा. लाइन को यथा शीघ्र पूरा करवाने के लिए शीघ्र कदम उठायें। चूंकि उड़ीसा में विद्युत की सप्लाई की स्थिति बहुत खराब है। अतः इस अन्तर्राज्यीय लाइन को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

(सात) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नौकरी से हटाए जा रहे योग शिक्षकों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता

डा. सुधीर राय (वर्दवान) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने देश भर में लगभग 500 केन्द्रीय विद्यालयों में योगा शिक्षकों की एक योजना वर्ष 1980-81 में शुरू की थी। 425 750 रुपए के वेतनमान में लगभग 800 योगा शिक्षकों की नियुक्ति की गई और उनकी इन विद्यालयों में तैनाती की गई उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से की गई थी और प्रति वर्ष 30 अप्रैल को उनकी नियुक्ति को अगले आदेशों तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी गई।

योजना बहुत लोकप्रिय हुई और योगा शिक्षक अपनी सेवाओं को नियमित किए जाने की प्रतीक्षा करते रहे हैं। लेकिन केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पर इन विद्यालयों में योगा के अध्यापन को बंद करने का निर्णय किया है और उन्होंने इन 800 योगाशिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने का भी निर्णय किया है और इनमें से इस समय बहुत से अध्यापक उम्र बढ़ने के कारण दूसरे स्थानों पर नियुक्ति के लिए भी योग्य नहीं रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि न्याय के नाम पर इन बदनसीब शिक्षकों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाये।

(आठ) सिक्किम राज्य में बीमा सेवा का प्रसार करने की मांग

श्रीमती डी. के. भंडारी (सिक्किम) : सिक्किम राज्य में बीमा योजना शुरू किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। आज तक यह सेवा न्यूनतम है बीमा योजनाओं के लाभों को जनता को बताने के लिए समुचित प्रयास नहीं किये गये हैं कि बीमा योजनायें लोगों को लाभ प्रदान करती हैं और साथ ही राज्य में अति आवश्यक आधारभूत ढांचा भी स्थापित नहीं किया गया है दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीयसामान्य बीमा निगम की किसी भी सहायक कम्पनी ने अपने अपने आबंटित क्षेत्रों में लगभग पिछले एक दशक से कोई रचनात्मक कार्य शुरू नही किया है। अतः यह पूर्ण रूप से वांछनीय है कि बीमा सेवा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजधानी गंगतोक में शीघ्रातिशीघ्र एक मंडल कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। यह उत्सुकतापूर्वक महसूस किया गया है कि सिक्किम में बीमा के दावों का निपटान करने में बहुत समय लगता है जिससे दावेदारों को बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उनको राज्य से बाहर स्थापित कार्यालयों में जाना पड़ता है। राज्य की जनता की यह एक उचित और न्यायोचित मांग है कि राज्य में स्थापित किये गये कार्यालयों में स्थानीय युवकों को नियुक्त होने का अवसर दिया जाए। यह भी आवश्यक है कि सिक्किम में फसल बीमा सुविधाएं लागू की जानी चाहिए। यह विशेष रूप से इलाइची, संतरा, अदरक और अन्य नकदी फसलों के लिए आवश्यक है। यह आशा की जाती है कि सरकार इन मामलों पर

सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और बीमा योजनाओं से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

13.25 म. प.

[अनुवाद]

चाय संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 को लेंगे। चाय (संशोधन) विधेयक।

तथा

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि चाय अधिनियम 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

चाय अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत गठित बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में चाय के उत्पादन और निर्यात को नियमित करने के अतिरिक्त, चाय उत्पादकता में वृद्धि, चाय की किस्म में सुधार करना, अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करना, भारतीय चाय को संवर्धन देना तथा चाय उत्पादन में नियोजित वृद्धि के लिए प्रोत्साहनों का उपबंध करना और चाय उद्योग के आधुनिकीकरण जैसे चाय उद्योग के विकास सम्बन्धी उपाय भी शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड चाय संवर्धन के क्रियाकलापों तथा अन्य बहुत सी योजनाओं के सम्बन्ध में खर्च करता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए चाय अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत 8 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से अन्यून दर पर उपकर लगाने का भी प्रावधान है। पिछले वर्षों में चाय बोर्ड के व्यय में वृद्धि होती रही और है 27-11-1975 को उपकर 4 पैसे प्रति किलो से बढ़ाकर 6 पैसे प्रति किलो और 11-8-1978 से बढ़ाकर 8 पैसे प्रति किलो कर दिया गया।

जिस समय वर्ष 1978 में 8 पैसे प्रति किलो की दर से उपकर निर्धारित किया गया था उस समय चाय का औसत मूल्य 14 रुपए प्रति किलो था। वर्ष 1985 में चाय का औसत नीलामी मूल्य 25 रुपए प्रति किलो था।

यद्यपि लगाए गए उपकर की दर चाय अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत अधिकतम उपकर के लगभग बराबर है। फिर भी चाय बोर्ड की विकास सम्बन्धी योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए उपकर की वसूली प्रयाप्त नहीं है। वर्ष 1983-84 में व्यय की तुलना में उपकर की वसूली 47 लाख रुपए कम हुई। और वर्ष 1984-85 में इससे वसूली 115 लाख रुपए हुई जबकि खर्च इससे अधिक हुआ था। यदि चालू दर पर उपकर लगाया जाता है तो व्यय और वसूली के अन्तर का बढ़ने की सम्भावना है। क्योंकि सातवीं योजना में व्यय की अधिक परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त उपकर की कम वसूली से भारत में चाय के संवर्धन के कार्यों के विस्तार करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से योजना परिव्ययों के संबंध में संसाधन प्रतिबंधों के संदर्भ में इसकी विकास के कार्यकलापों के सम्बन्ध में चाय बोर्ड की क्षमता कम हो जाएगी।

मूल्य वृद्धि तथा पिछले सात वर्षों में लाभ जिससे उपकर की उच्चदर को सहन करने की उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है और बढ़े हुए प्रोत्साहनों की आवश्यकता तथा चाय बोर्ड के

व्यय को ध्यान में रखते हुए दर में वृद्धि करके संशोधन करना पूर्णत: न्याय संगत है। उन कतिपय चुनिन्दा क्षेत्रों में उत्पादित चाय, जहां लाभ कम है, जिसके लिए रियायती उत्पादन शुल्क लगाया गया है उसे बढ़ी हुई दर से छूट दी जा सकती है और उस पर 8 पैसे प्रति किलो की दर से उपकर देना जारी रह सकता है। यह अन्तर विशेष स्थल विज्ञान, और कृषि जलवायु के कारणों तथा इन क्षेत्रों में चाय उद्योग को विशेष विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत है।

अत: इस समय पूरा न होने वाली हानि को बट्टे खाते डालने के लिए चाय बोर्ड को शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में चाय अधिनियम में इस समय कोई उपबंध नहीं है। इस विधेयक के द्वारा चाय अधिनियम में यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है। मेरा अनुरोध है कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि चाय अधिनियम 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा. जी. विजय रामा राव (सिद्दीपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि अपने चाय विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

श्रीमन् हमारे देश में चाय पीने की एक परम्परा बन गई है। यहां तक कि देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप चाय की दुकानें देख सकते हैं। न केवल ग्रामीण क्षेत्र का एक आम आदमी भी दिन में दो या तीन बार चाय पीता है बल्कि शहरी क्षेत्र का आम आदमी भी दिन में दो तीन बार चाय पीता है। यहां तक कि गरीब व्यक्ति भी चाय पीता है। इसमें क्या होता है। वे चाय क्यों पीते हैं ? रसायनिक रूप से इसमें कुछ कैफिन कुछ निकोटिनिक एसिड़ और टैनिन होता है। इन चीजों से दिमाग को प्रेरणा मिलती है और इससे मनुष्य के लिए सुखबोध होता है। (**व्यवधान**)

श्री पी. शिवशंकर : भय उत्पन्न करने का मामला है।

डा. विजय रामा राव : चाय पीने से अस्थायी सुख से व्यक्ति कार्य करने लग जाता है और इससे कार्य के केवल स्वरूप में ही सुधार नहीं होता है बल्कि उसके गुण और मात्रा में भी सुधार होता है। हमारे देश में छात्र, अध्यापक प्राध्यापक, डाक्टर और वस्तुत: प्रत्येक व्यक्ति चाय पीता है। इस शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय लोग चाय नहीं पिया करते थे लेकिन अंग्रेज लोग भारतीयों को मुफ्त चाय पिलाया करते थे। चाय पीने की आदत पड़ने पर उहोंने उचित मूल्य लेना शुरू कर दिया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1953 में चाय बोर्ड का गठन किया गया और लोगों को अब चाय के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है।

चाय बोर्ड का गठन अदभुत कार्यों के लिए किया गया है। चाय बोर्ड को उत्पादन का नियमित करना होता है और चाय पैदा करने वाले क्षेत्रों में चाय के कृषि क्षेत्र को बढाना होता है। उन्हें चाय की किस्म में भी सुधार करना होता है लेकिन पिछले तीस से भी अधिक वर्षों के दौरान क्या हुआ है ? यदि आप वर्ष 1972 से 1983 के चाय उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि उत्पादन निरन्तर स्थिर रहा है।

श्री पी. शिवशंकर : आपसे किसने कहा ? क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं ?

डा. जी. विजय रामा राव : हां, मेरे पास हैं ।

श्री पी. शिव शंकर : मुझे खेद है कि आपको बिल्कुल गलत सूचना दी गई है । आप चाय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं ।

डा. जी. विजय रामा राव : इन वर्षों में उत्पादन 560 मि. किलोग्राम पर स्थिर हो गया था । वर्ष 1970 और 1971 में 199 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया था । वर्ष 1983 में यह घटकर 187 मिलियन किलोग्राम रह गया । चाय का निर्यात हमारे देश के उत्पादन पर निर्भर करता है ।

श्री पी. शिव शंकर : वर्तमान स्थिति क्या है ? यह 222 मिलियन किलोग्राम है ।

डा. जी. विजय रामा राव : चय बोर्ड को किसानों की सहायता करनी पड़ती है और उत्पादन में सुधार करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने में भी किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ता है । लेकिन पिछले दस वर्षों के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन ज्यादा नहीं है, इसमें प्रत्येक वर्ष केवल 151 मिलियन किलोग्राम की वृद्धि हो रही है । बोर्ड के द्वारा किये गये उपाय प्रभावी नहीं हैं । उनका किसानों को लाभ नहीं हो रहा है । वर्तमान चाय बागान आज से लगभग 50 वर्ष पहले रोपे गये थे पिछले 50 वर्षों में चाय के पौधे दुबारा नहीं रोपे गये बोर्ड की भारत में तथा अन्य देशों में प्रचार एकक हैं । चाय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संसद् भवन, योजना भवन आदि में भी एककें हैं लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई एकक नहीं है । हमारे देश में चाय की खपत चाय बोर्ड के प्रचार के कारण नहीं, बल्कि इसलिये है कि लोग जागरुक हैं और कुछ लोगों की जीवन निर्वाह स्थितियां अब अच्छी हो गयी हैं । इसलिये चाय ले रहे हैं, बोर्ड के प्रचार के कारण नहीं । चाय पर शुल्क वसूली की वर्तमान दर प्रतिकलो 8.8 पैसे हैं, 1983 में यह केवल 4 पैसे थी । 1978 में इसमें पुन: वृद्धि करके इसे लगभग 0.08 पैसे और अधिक कर दिया गया । अब मन्त्री महोदय इसे और 0.05 पैसे तक बढ़ा देना चाहते हैं जो कि लगभग छः गुना अधिक होगा अत: इस वर्धित शुल्क के कारण चाय की कीमत बढ़ गई है और आम आदमी के लिये दिन में एक कप पीना भी मुश्किल हो गया है । यही नहीं, मन्त्री महोदय चाय की किस्म के आधार पर शुल्क में वृद्धि करना चाहते हैं । यदि ऐसा हुआ तो, इससे भ्रष्टाचार फैलेगा । इसलिए इस तरह शुल्क को बढ़ाना विवेकपूर्ण नहीं होगा । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय मन्त्री अनुरोध करता हूँ कि वे आम व्यक्ति के हित में इस विधेयक को वापस ले लें ।

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारणों सम्बन्धी विवरण से बोध होता है कि उद्ग्रहित शुल्क की राशि चाय बोर्ड के विभिन्न विकासात्मक कार्यों और अन्य कार्यकलापों के खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। मुझे खुशी हुई होती यदि सरकार ने चाय बोर्ड के विकास कार्यों सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा होता । इस विषय में मुझे कुछ शकायें हैं और मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान भी है । किन्तु समयाभाव के काकण मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता किन्तु और स्पष्टीकरण देना आवश्यक है । चाय बोर्ड क्या

विचारात्मक कार्य कर रहा है : पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय द्वारा सुझाई गई वृद्धि बहुत अधिक है। इससे देश में उपयोग होने वाली सामान्य चाय की कीमतों में ही वृद्धि नहीं होगी, अपितु उससे भी बड़ा खतरा ये होगा कि इससे छोटे चाय उत्पादकों पर भी असर पड़ेगा और चाय बागान साफ हो जायेंगे और उनके लिए फिर से पनपना कठिन हो जायेगा शुल्क में इस वृद्धि का यह असर होगा।

अब उन्होंने ये सुझाव दिये हैं कि किस्म के आधार पर चाय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग कीमतें होगीं। हां, किस्म मौसम के अनुसार होती है और मिट्टी, बीज और कई अन्य बातों पर निर्भर करती है ; किन्तु इन मामलों में चाय बोर्ड राजनीति चाल से काम लेता है। मैं चाहता हूं कि सरकार और माननीय वाणिज्य मंत्री इस पहलू का ध्यान रखें। विधेयक में इस खंड को शामिल किए जाने के कारण चाय बोर्ड कुछ चाय बागानों और बड़ी चाय कम्पनी के पक्ष में तथा लघु चाय बागानों के विरुद्ध राजनीतिक चाल खेल सकता हैं। विधेयक के अनुच्छेद 28 क का अभिचयन इस प्रकार है :

"बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके उक्त धनराशि अथवा घाटे को पूर्णतः बट्टे खाते डालने के लिए स्वीकृति दे सकता है।"

अब तक ऐसा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से किया जाता रहा, मैं आश्वस्त रहूंगा क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय इसका ध्यान रखेगा। किन्तु परवर्ती उपबन्ध तो बहुत खतरनाक हैं। यह इस प्रकार है—

"बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां इस प्रकार वसूल न की जा सकने वाली धनराशि अथवा घाटे की राशि किसी भी मामले में अधिक न हो जिस किसी वर्ष में ऐसी धनराशि निर्धारित की जाये, उससे कुल मिलाकर अधिक न हो, तो ऐसे मामले में केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई स्वीकृति आवश्यक न होगी।"

मैं सारे विधेयक में इस धारा को बहुत खतरनाक मानता हूं। चाय बोर्ड किस के प्रति जवाबदेह है ? अन्ततः जिम्मेदार सरकार होगी। यदि चाय बोर्ड को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना ऋण और घाटे को बट्टे खाते डालने के बारे में, लिए पूर्ण अधिकार दे दिए जायें, तो मेरे विचार से हम गंभीर संकट में फंस जायेंगे। अतः सरकार को इस विधेयक की इस धारा विशेष पर पुनः विचार करना चाहिए।

चाय बोर्ड आन्तरिक राजनीति का शुल्क पूल है। इसमें बड़ी कम्पनियों का वर्चस्व है और किन्हीं बड़ी कम्पनियों और चाय बागान विशेष के पक्ष में निधियों का उपयोग किया जाता है जब कि बाकी उपेक्षित अथवा काम से वंचित रह जाती हैं। यह समग्र स्थिति है। शुल्क वृद्धि से चाय उत्पादक क्षेत्र, दक्षिण भारत असम का कछार जिला और बंगाल के छुआर्स क्षेत्र पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा।

चाय बोर्ड को चाय बागान के मजदूरों के लिए खाद्यान्न सप्लाई में सहायता देनी चाहिए क्योंकि चाय मजदूर को चावल अनियमित तथा अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जाता है। भार-

तीय खाद्य निगम द्वारा चाय बोर्ड अथवा राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों से जो भी हों, मैं नहीं जानता, मिलकर कभी-कभी घटिया चावल सप्लाई किया जाता है।

गोहाटी में अन्तर्राज्यीय कन्टेनर डिपो खोलने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इससे गोहाटी नीलामी केन्द्र अधिक आकर्षक बन गया है। यह सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और मैं उसे बधाई देता हूँ।

चाय के उत्पादन में भारत विश्व में शीर्ष पर है। द्वितीय स्थान श्री लंका, तृतीय स्थान सोवियत संघ, चतुर्थ स्थान टर्की, पांचवां स्थान केनिया, छठा स्थान इन्डोनेशिया आदि का है। हमारे लिए चाय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो देश में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा चाय से प्राप्त होती है।

श्री पी. शिवशंकर : 1985 में हमने 711.90 करोड़ रुपये के।

श्री विपिन पाल दास : इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन भारतीय चाय संस्था द्वारा जारी किए गए एक प्रलेख से मुझे पता चला है कि 1984 और 1985 की परस्पर तुलना की जाये तो ब्रह्मपुत्र घाटी कछार जिले में दुआर्स और तराई में चाय के उत्पादन में वृद्धि हुई है। किन्तु अन्य क्षेत्रों में तो इसके उत्पाद में गिरावट आई है। मैं आंकड़े दे सकता हूं, किन्तु समयाभाववश मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा क्यों है ? इसके लिये चाय बोर्ड जवाबदेह है। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने क्या विकासात्मक कार्य किए हैं और क्या वाणिज्य मंत्रालय ने इस ओर ध्यान दिया है। केवल तीन या चार क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है और अन्य क्षेत्रों में उत्पादन गिरा है।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, उसमें वृद्धि हो रही है। चाय का सर्वाधिक निर्यात 1984 में हुआ था जब कि चाय की कीमत 34.12 प्रति किलोग्राम थी और 1985 में भी जबकि चाय का यूनिट निर्यात मूल्य घट गया था। यह भी देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ ?

कछार में चाय का उत्पादन काफी अधिक है किन्तु कीमतें बहुत कम हैं। इलाज क्या है चाय बोर्ड को इसका ख्याल रखना चाहिए और इस बारे में कुछ तो किया ही जाना चाहिए।

भारतीय चाय संघ खासकर उत्पादन शुल्क में करों में और छूट देने के लिए कह रही है। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पादन और निर्यात बाजार दोनों में वृद्धि हो रही है। यदि सरकार शुल्क में इस छूट को स्वीकार कर लेती है तो इससे केवल बड़ी कम्पनियों को लाभ होगा, न कि राज्य को अथवा छोटी कम्पनियों अथवा रुग्ण चाय बागानों को।

मैं सरकार के माध्यम से चाय बोर्ड से यह जानना चाहता हूं कि दार्जिलिंग की चाय के लिए ही उत्पादन शुल्क क्यों घटाया जाये। दार्जिलिंग की चाय विश्व विख्यात है। बाहर जहां कहीं जाता हूं, दार्जिलिंग चाय की खूब तारीफ सुनता हूँ। दार्जिलिंग चाय पर उत्पादन शुल्क क्यों कम किया जाये। दार्जिलिंग चाय पर उत्पादन शुल्क कम करने का क्या परिणाम निकला। अब ठोस और दीर्घावधिक निर्यात नीति की आवश्यकता है। एक सुदृढ़ नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

मैं पाकिस्तान के विषय में एक बात कहूंगा जिसके साथ हम अच्छे सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ हम कुछ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं 1984 में पाकिस्तान ने भारत से 158 मी. टन चाय भारत से खरीदी जबकि 11,137 मी. टन बांग्ला देश से और 6976 मी. टन श्री लंका से और 10,668 मी. टन के करीब इन्डोनेशिया से, केनिया से 22732 मी. टन और अर्जेन्टिना से 10611 मी. टन चाय की खरीद के लिए वे अर्जेन्टिना तक पहुंच गये जबकि भारत से उन्होंने 1984 में केवल 1158 मी, टन चाय ही खरीदी।

श्री पी. शिवशंकर : राजनीतिक कारण हैं।

श्री विपिन पाल दास : क्या राजनीतिक कारण। हमारी बातचीत चल रही है। हम इसका ख्याल रखेंगे। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि वे भारत से अधिक चाय खरीदें क्योंकि हम दुनिया में चाय के सबसे बड़े उत्पादक हैं।

दार्जिलिंग चाय के नाम से मिलावटी चाय बेची जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

कुछ विशेषज्ञों ने चाय पैक करने के लिए बैकल्पिक प्रणाली के बारे में सुझाव देने हैं, जो उनके अनुसार सस्ती और टिकाऊ होगी।

क्या सरकार और चाय बोर्ड ने इस प्रस्ताव की जांच की है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस प्रस्ताव की जांच करे। यदि वास्तव में यह पैकिंग बहुत सस्ती और टिकाऊ है तो इससे उद्योग को अत्यधिक फायदा होगा।

सामान और सामग्री को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर शुल्क लगता है। अब आई. टी. ए. तथा चाय बोर्ड के अगुआ, चाय के सामन्त, जिनका इस आई.टी.ए. पर एकाधिकार है, चाहते हैं कि यह शुल्क समाप्त किया जाये। यदि यह शुल्क समाप्त किया जाता है तो इसका किस पर प्रभाव पड़ेगा ? यदि यह समाप्त कर दिया जाता है तो गुवाहाटी नीलामी केन्द्र पूर्णतया अशक्त हो जायेगा। मैं सरकार को सचेत करता हूं कि आई.टी.ए. अथवा चाय बोर्ड की ओर से जोर दिये जाने के बावजूद इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए।

गूवाहाटी नीलामी केन्द्र को और सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है। स्वार्थी तत्वों द्वारा शुल्क समाप्त करने की मांग को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी और उनका मंत्रालय तथा चाय बोर्ड उनके द्वारा किए जा रहे विकास संबंधी कार्यकलापों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। चाय बोर्ड पर बड़ी कम्पनियों का प्रभुत्व क्यों होने दिया गया है ?

श्री पी. शिवशंकर : संशोधन बहुत छोटा है और भाषण बहुत लम्बा है।

श्री विपिन पाल दास : लेकिन उलझनें बहुत हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे आवश्यक कार्यवाही के लिऐ माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाए जायें।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : विधेयक में चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25 और 49 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य उपकर की उच्चतम सीमा को 8.8 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे

करने का है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में मंत्री जी ने बताया है कि यह आवश्यक हो गया है क्योंकि चाय बोर्ड ने सातवीं योजना के दौरान विकासात्मक और अन्य अनेक कार्यकलाप शुरू किये हैं। मैं समझता हूं कि उपकर को 8.8 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे कर देना बहुत अधिक है। यदि सरकार का यही निर्णय है, तो फिर हमें चाय बोर्ड के कार्यकर्ताओं की समीक्षा करनी ही चाहिये। चाय बोर्ड के कार्यकलापों की समीक्षा किये बिना, सरकार को उपकर में इतनी वृद्धि करने देना उचित नहीं होगा।

चाय उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। वह हमारी अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। वर्ष 1985 में इस उद्योग से 711 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई। वर्ष 1984 में इससे 745 करोड़ रुपए की आय हुई। इस उद्योग में लगभग 11.6 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से सेवारत हैं। अतः यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है।

मुझे आशंका है कि यदि उपकर को 8.8 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे कर दिया गया तो इसका गम्भीर परिणाम होगा। आप इसे युक्ति संगत मान सकते हैं किन्तु मुख्य मुद्दा यह नहीं है। किन्तु आप इस सभा में इसे 8.8 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे करने के लिए आए हैं, जो कि इसकी अधिकतम निर्धारित सीमा है।

मुझे आशंका है कि घरेलू बाजार में चाय का मूल्य फिर बढ़ेगा और इसका चाय के निर्यात पर, जो कि एक प्रमुख उद्योग है, गम्भीर प्रभाव पड़ेगा और इससे हमारी विदेशी मुद्रा की आय में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी।

वर्ष 1984 के दौरान चाय उपकर की कुल वसूली 4.90 करोड़ रुपए की हुई। यदि उपकर की नई दर लागू कर दी जाती है, तो यह 30 करोड़ रुपए हो जाएगी। चाय बोर्ड को सरकारी अंशदान कितना है ? यह सिर्फ 6.20 करोड़ रुपए है।

आप सातवीं योजना के दौरान चाय उद्योग का विकास करना चाहते हैं और चाय उद्योग के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने इस प्रायोजन के लिए चाय बोर्ड को अधिक धन क्यों नहीं दिया है ? यदि चाय बोर्ड को धन की आवश्यकता है, तो वह बजटगत सहायता में से दिया जा सकता है। आप चाय बोर्ड को केवल 6.20 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बिना और उपकर लगाए आगे आएं तथा चाय बोर्ड की मदद करें।

श्री पी. शिवशंकर : लोगों पर कर लगाकर ?

श्री अजय बिश्वास : आप एकाधिकार वालों की सहायता कर रहे हैं। आप उन्हें उद्योग और अन्य चीजों के विकास के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं। आप यह कर सकते हैं। वर्ष 1984-85 में चाय बोर्ड का कुल व्यय 5.60 करोड़ रुपए है। उसमें से भारत से बाहर चाय भेजने को बढ़ावा देने के लिए 2.81 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। कुल व्यय 5.66 करोड़ रुपए था। 5.66 करोड़ रुपए में से भारत से बाहर चाय भेजने को बढ़ावा देने के लिए 2.81 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इसका क्या तात्पर्य है ? इसका तात्पर्य यह है कि चाय बोर्ड के अधिकारियों ने विदेशों को दौरा किया।

लगभग 2.81 करोड रुपए, व्यय की राशि का एक बड़ा भाग, अधिकारियों के विदेशों के दौरों पर व्यय किया गया। उनका उद्देश्य भारत से बाहर चाय भेजने को बढ़ावा देना था। इस अवधि के दौरान अधिकारियों ने क्या किया ? उन्होंने अनेक विदेशी दौरे किए। इन दौरों पर 2.81 करोड़ रुपए व्यय किए गए जो कुल व्यय का आधा भाग है। वर्ष 1984 में चाय का विश्व निर्यात 9260 लाख किलोग्राम था और उसमें हमारा योगदान सिर्फ 2150 लाख किलो ग्राम चाय का था। हमारा देश चाय का मुख्य निर्यातक है। वर्ष 1985 में ब्रिटेन ने केवल 193 लाख किलोग्राम चाय का आयात किया जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1984 में ब्रिटेन ने 439 लाख किलो ग्राम चाय को आयात किया था अतः आपने 2.81 करोड़ रुपए विदेशी दौरों और अन्य बातों में खर्च कर दिए किन्तु ब्रिटेन में हमारा निर्यात कम हो गया है। यदि आप उपकर बढ़ाते हैं तो इससे उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा। किन्तु इससे अफसरशाहों और अधिकारियों को अपने विभिन्न प्रयोजनों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। शीर्षस्थ अधिकारी वर्ग राजकोष की बलि देकर विदेशों की सैर करता है और मजे उड़ाता है। कुछ अधिकारियों के अपने निहित स्वार्थ हैं और उन्होंने व्यापारियों के साथ कुछ निहित सम्बन्ध बना लिए हैं।

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। यह दार्जिलिंग चाय के बारे में है। यह बात न केवल दार्जिलिंग चाय के बारे में है बल्कि यह पूरे देश में उत्पादित चाय की अन्य किस्मों के बारे में भी है : 51 से 52 प्रतिशत चाय के पौधे लगभग 50 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। अतः मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि चाय बागानों का विकास किया जाए और चाय बागान लगाने तथा अन्य इन सभी बातों की ओर ध्यान देने के सम्बन्ध में है। किन्तु इस सम्बन्ध में चाय बोर्ड पूरी तरह विफल रहा है।

अब मैं त्रिपुरा की बात करता हूं। वहां पर लगभग 40 से 45 तक चाय बागान हैं और अधिकांश चाय बागान रुग्ण हैं। सरकार ने रुग्ण चाय बागानों का अधिग्रहण करने और उनका श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा संचालन करने का निर्णय किया है। त्रिपुरा में सरकार द्वारा पहले ही 10 चाय बागानों का अधिग्रहण किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि हमारी सरकार ने चाय बोर्ड से समस्त चाय—लगभग एक लाख किलोग्राम चाय का विपणन करने का अनुरोध किया है। किन्तु अब उसे चाय बोर्ड की सहायता के बिना बेचना सम्भव नहीं है। वह त्रिपुरा में पड़ी है। मेरा मुद्दा यह है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उपकर को 8.8 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे न करें क्योंकि इसका चाय उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा; इसका चाय की कीमत पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अतः, हमारी मुख्य मांग चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की है और इसके बिना चाय उद्योग की समस्या हल नहीं होगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले और देश में चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने वाला एक दूसरा विधेयक लाए।

1.00 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे मध्याह्न पश्चात् तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.05 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

चाय संशोधन विधेयक—(जारी)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (इदुक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो कि चाय पर लगने वाले उपकर को 8 पैसे से बढ़ाकर अधिकतम 50 पैसे किए जाने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सरकार को कुछ निश्चित धनराशि पर उपकर में कमी बेशी करने का अधिकार दिया गया है। सरकार, अधिसूचना जारी करके, उपकर की राशि निर्धारित कर सकती है। अतः मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय चाय उत्पादकों को नुकसान पहुँचाने के लिए इस घटाने-बढ़ाने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

उपकर की सीमा 8 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे कर दी गई है। मुझे आशा है कि आप पहली किस्त में 4 पैसे अर्थात 50 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे और इससे अधिक नहीं बढ़ाएंगे। चूंकि इसका अधिकार सही व्यक्ति के पास है, इसलिए इस घटाने-बढ़ाने के अधिकार के संबन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

विधेयक में किए गए नए उपबन्ध अर्थात खण्ड 28(क) को देखते हुए जिसमें चाय बोर्ड को कतिपय धनराशि को बट्टे खाते डालने का अधिकार दिया गया है—जो कभी-कभी आवश्यक भी हो सकता है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु किसी राशि को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। ऐसे मामलों में यदि यह उचित समझा जाता है, तो सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए।

एक अतिरिक्त परन्तुक भी है जिसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में व्यक्तिगत मामलों में, सरकार बोर्ड को कुछ राशि बट्टे खाते डालने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है। उन्हें सरकार के पास भेजने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं इससे असहमति व्यक्त करता हूं। बट्टे खाते डालने के सभी मामलों में चाहे राशि कुछ भी हो और इसके जो भी कारण रहे हों, प्रत्येक मामले को अलग-अलग सरकार के सामने लाया जाना चाहिये और इसके लिए सरकार की पूर्व-स्वीकृति ली जानी चाहिये। अन्यथा इससे धन का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

गत वर्ष के कार्य-निष्पादन को लें। यह सच है कि हमारी निर्यात-आय में वृद्धि हुई है, मैं यह बात वाणिज्य मन्त्रालय की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। निर्यात-आय में वृद्धि पिछले दो वर्षों में यूनिटवार अधिक मूल्य की प्राप्ति के कारण हुई है। किन्तु मात्रा-वार निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

श्री पी. शिवशंकर : यह तो अन्य बात है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं पिछले वर्ष की रिपोर्ट में से उद्धृत कर रहा हूं :

> "पिछले दो वर्षों में निर्यात-आय में वृद्धि का मुख्य कारण विश्व में चाय की कीमतों में वृद्धि था जिसके कारण यूनिटवार अधिक मूल्य की प्राप्ति हुई।"

श्री पी. शिवशंकर : यह वर्ष 1983-84 से सम्बन्धित है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : जी हां, यह पिछले दो वर्षों के लिये है। मैं अब चालू वर्ष की बात करूंगा। चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध में भी निर्यात की मात्रा में कमी आयी है।

श्री पी. शिवशंकर : चालू वर्ष की स्थिति यह है कि हमने पिछले वर्ष के 21.70 करोड़ किलो. की तुलना में 22.20 करोड़ किलो. का निर्यात किया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह नवीनतम आंकड़े हैं। मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं; मैंने इसे ठीक कर लिया है। इसलिए, मैं समझता हूँ कि निर्मित-आय में भी वृद्धि हुई है।

श्री पी. शिवशंकर : यूनिट मूल्य में गिरावट आई है। यही कारण है कि हमने निर्यात से 740 करोड़ रुपये की अपेक्षा 711.90 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : धन्यवाद महोदय। यह नवीनतम आंकड़े हैं। मैंने इसे ठीक कर लिया है।

मुझे प्रसन्नता है कि यद्यपि पिछले दो वर्षों में मात्रा-वार गिरावट रही है, फिर भी इस वर्ष इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है।

अपने निर्यातों में और वृद्धि करने के संबन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं समझता हूं कि हमारी चाय, विशेष रूप से दार्जीलिंग चाय का विश्व में अच्छा बाजार है। मैं जानता हूं कि यह दुनिया की सबसे अच्छी चाय है और हमें इस पर गर्व होना चाहिये।

अब हम दक्षिण की ओर दृष्टिपात करें। नीलगिरि चाय भी तुलनात्मक दृष्टि से एक अच्छी चाय है, किन्तु दक्षिण में नीलगिरि बागानों को छोड़कर दूसरे बागानों में निम्न कोटि की चाय का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण भारतीय चाय उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण भारतीय चाय की उत्पादन-लागत अधिक है। आपको इसके स्पष्ट कारणों की जानकारी है। वे कारण हैं, अधिक मजदूरी, निर्वाह-व्यय से सम्बद्ध मंहगाई भत्ता कोयला-खानों से दूरी आदि। इन सभी के कारण उत्पादन की लागत अधिक होती है, किन्तु इसके अलावा चाय निम्न कोटि की होती है और इसकी कीमत कम मिलती है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध दक्षिण भारतीय चाय उद्योग के लिए हानिकारक सिद्ध हुए हैं। निम्न कोटि, उत्पादन की अधिक लागत और निम्न उत्पादकता आदि के कारण दक्षिण भारतीय चाय उद्योग की विशेष समस्याए हैं। पिछले वर्ष हमने न्यूनतम निर्यात मूल्य पर रोक लगाई थी। अब यद्यपि न्यूनतम निर्यात मूल्य पर रोक हटा ली गई है, फिर भी, इससे दक्षिण भारतीय चाय उद्योग को हानि हुई है। इस न्यूनतम निर्यात-मूल्य के कारण क्या हुआ ? दक्षिण भारतीय चाय, जिसकी कीमत, निम्न कोटि की चाय होने के कारण, अन्यथा कम है, परम्परागत बाजारों को

निर्यात नहीं की जा सकी। परम्परागत बाजार हैं, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि। न्यूनतम निर्यात मूल्य होने के कारण हम इन देशों को चाय का निर्यात नहीं कर सकें। हमारे द्वारा निर्यात न किये जाने की इस अवधि के दौरान श्रीलंका निर्यात के लिए आगे आया और उसने इन देशों को चाय का निर्यात किया और हमने इन बाजारों को खो दिया। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन बाजारों पर फिर से कब्जा जमाने के लिए उपाय किये जायें। निस्संदेह, न्यूनतम निर्यात-मूल्य हटा लिया गया है, किन्तु हानि तो हो चुकी है। इन बाजारों पर कारगर उपायों द्वारा फिर से कब्जा जमाने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, चाय विपणन नियन्त्रण आदेश है। मैं इस आदेश के प्रयोजन से सहमत हूं। किन्तु चाय विपणन नियन्त्रण आदेश भी दक्षिण भारतीय चाय उद्योग के हितों के लिए हानिकारक ही रहा है। इस आदेश को लागू किये जाने के पश्चात् चाय के व्यापारी दक्षिण के नीलामी केन्द्रों से अपने को दूर रख रहे हैं। ये व्यापारी भी न्यूनतम मूल्य के लिए मोल-भाव करते हैं। किन्तु उन्हें जो लाभ होता है वह उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच पाता है। अतः विक्रेताओं को लाभ होता है, और उत्पादकों को हानि होती है। मैं यह स्थिति आपके ध्यान में लाना चाहता था।

चाय बोर्ड के विकास-सम्बन्धी कार्यों के बारे में एक माननीय सदस्य पहले ही बता चुके हैं कि यह संतोषजनक नहीं है। चाय बोर्ड अपने क्रियाकलापों को देश के भीतर नहीं फैला रहा है। चाय बोर्ड द्वारा दक्षिण में किये गये विकास-संबंधी कार्यों की संख्या नगण्य है। विभिन्न योजनाओं के शुरू किये जाने के समय से चाय बागान वित्त योजना के लिए 1855 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई और दक्षिण में केवल 130 लाख रुपये की राशि ही खर्च की गई जोकि मात्र सात प्रतिशत है। पुनर्रोपण के लिए भी, कुल राशि का केवल 14 प्रतिशत ही दक्षिण में व्यय किया जाता है। यही बात चाय मशीनों किराया-खरीद इत्यादि के मामले में भी है। चाय बोर्ड द्वारा दक्षिण में चाय के विकास पर खर्च की गई कुल राशि का केवल 14 प्रतिशत ही व्यय किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चाय बोर्ड सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इसके अनेक कारण हैं। इसका एक कारण दक्षिण-स्थित चाय बागानों और चाय बोर्ड के कलकत्ता-स्थित कार्यालय के बीच दूरी का होना है। इसलिये हाल में यह सुझाव दिया गया था कि चाय बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण में होना चाहिये और भारत सरकार ने कोयम्बतूर में एक क्षेत्रीय कार्यालय की मजूरी दी थी। इस कार्यालय की मंजूरी दो वर्ष पहले दी गई थी, किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसे अभी तक भी शुरू नहीं किया गया है। यह कार्य नहीं कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय, आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मुझे थोड़ा और समय दें ताकि मैं आपके राज्य के बारे में बोल सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। पीठासीन अधिकारी के रूप में, मैं सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : जैसा कि मैं कह रहा था कोयम्बतूर कार्यालय अभी तक शुरू नहीं किया गया है। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस संबंध में तत्काल कदम उठायें। कोयम्बतूर कार्यालय को प्रर्याप्त धनराशी दी जानी चाहिए ताकि वे आवेदन पत्रों को आमंत्रित करना और उनकी जांच करना शुरू कर सकें। सहायता के विषय में कोयम्ततूर कार्यालय में वहीं पर निर्णय किया जाना चाहिए। तभी इससे उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिल पाएगी। दक्षिण में चाय के अनेक लघु उत्पादक हैं। यह उत्तरी क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल की तरह नहीं है। चाय के कुल 40,000 लघु उत्पादकों में से 20,000 केरल में हैं। **व्यवधान**

इन लघु उत्पादकों को चाय बोर्ड से विशेष सहायता मिलनी चाहिए। चाय बोर्ड इन लघु उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए समुचित कार्यक्रम नहीं अपना रहा है। बोर्ड को उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाने चाहिएं ताकि उत्पादकों को लाभ प्राप्त हो सके।

मैं चाय अनुसंधान के बारे में एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। उत्तर भारत में चाय अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा और दक्षिण भारत में उपासी द्वारा चाय अनुसंधान का कार्य किया जाता है। मुझे मालूम हुआ है कि सरकार का इसमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। यदि वे इस कार्य को बेहतर और सही ढग से कर रहे हैं, तो अनुसंधान को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसे विना किसी कारण के बन्द नहीं करना चाहिए।

मैं कुछ और मुद्दों के विषय में भी कहना चाहता हूँ, किन्तु समय के अभाव के कारण मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और इन्ही शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं कुछ तथ्यों और सुझावों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री महोदय प्रगतिशील विचारधारा के हैं। वे काफी न्यायप्रिय भी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक के कतिपय भागों की न्यायोचित ढंग से जांच करें।

सर्वप्रथम इस विधेयक का आशय चाय बोर्ड के समग्र व्यय को वहन करने के लिए 8 पैसे प्रति किलोग्राम उपकर बढ़ाने हेतु सभा की स्वीकृति प्राप्त करना है। मंत्री महोदय ने आरम्भ में बताया कि इस विधेयक पर बहस की गुंजाइश कम है। मेरा इस बात पर मंत्री महोदय से मतभेद है। वास्तव में जब आप चाय बोर्ड के सभी कार्यकर्ताओं को इस उपकर के क्षेत्र के अन्तर्गत ला रहे हैं तो इस विधेयक पर बहस की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है।

क्योंकि समय कम है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं कुछ ही बातों को माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात उन समितियों के बारे में है जो ऋण को बट्टे खाते डालने के संबंध में आप चाय बोर्ड के अधिकारियों को देना चाहते हैं। कृपया आप ऐसा मत कीजिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। यदि आप कुछ संशोधन अथवा कुछ प्रावधान करना चाहते हैं तो वर कीजिए। इसी संसद को एक वर्ष में या उससे पहले इस विषय पर बहस करनी पड़ेगी। ऋण माफ करने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के अनेकों घोटाले हुए हैं। कृपया ऐसा मत कीजिये, क्योंकि चाय बोर्ड की संरचना इस तरह की है कि यदि आप न्यायोचित ढंग से भी

करना चाहें तो भी वे इससे जुड़े हुये निहित स्वार्थ से अलग नहीं हो सकते। यह मेरा एक अनुरोध है।

दूसरा, जब आप उपकर को बढ़ाकर 50 पैसे कर दोगे जो कि सामान्य दर से 6 गुना अधिक हैं तो इससे चाय उद्योग क्षेत्र में जरूर सनसनी पैदा होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि जब वे चाय की विभिन्न किस्मों पर उपकर लगायें मैं आपके 50 पैसे पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं और न मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ लेकिन कृपया समय-समय पर चाय कर दाताओं को विश्वास में अवश्य लें और जब वे समय-समय पर चाय पर उपकर लगाएं तो कम से कम उन्हें भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर अवश्य प्रदान करें अन्यथा चाय बोर्ड के स्वविवेकाधिकार का प्रयोग करने से चाय उद्योग में चाय उत्पादकता के लिए अच्छा वातावरण नहीं बन सकता।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय के लाभार्थ तथा इस सभा के माननीय सदस्यों के लाभार्थ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यह वह मुद्दा है जिसके लिए मैं इस बहस में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं, और मैं केवल इसी के लिए आया हूं।

महोदय, भारतीय चाय व्यापार निगम के गठन का एक मात्र उद्देश्य चाय का निर्यात करना था। यदि माननीय मंत्री महोदय इस संगठन के कार्यकलापों को देखें तो एक दयनीय दृश्य सामने आयेगा। राज्य व्यापार निगम भी उनके मंत्रालय के अधीन है और भारतीय चाय व्यापार निगम भी उनके मंत्रालय के अधीन है। लेकिन पिछले एक वर्ष से भारतीय चाय व्यापार निगम के माध्यम से राज्य व्यापार निगम ने एक किलोग्राम चाय का भी निर्यात नहीं किया है जबकि वे गैर सरकारी क्षेत्र से उप ठेकेदारों को अनुबंधित कर रहे हैं। भारतीय चाय व्यापार निगम का भविष्य इतना गम्भीर है कि यह कभी भी बन्द हो सकता है। आपके संगठन के होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है ? ऐसा सब कुछ हो रहा है।

जहां तक सोवियत चाय का सम्बन्ध है भारतीय चाय व्यापार निगम की बिक्री केवल तीन प्रतिशत है। आप इसे कम से कम दस प्रतिशत क्यों नहीं कर देते ? मैं शतप्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास कई अन्य एजेन्सियां भी हैं, लेकिन भारतीय चाय व्यापार निगम का हिस्सा कम से कम दस प्रतिशत होना चाहिए जो कि केवल तीन प्रतिशत है। निर्यात खरीद के मामले में, जैसा कि मैं कह चुका हूं। राज्य व्यापार निगम भारतीय चाय व्यापार निगम को जानबूझकर समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि भारतीय चाय व्यापार निगम में भ्रष्टाचार के बारे में एक जांच हुई थी तथा उसके लिए कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध काफी कार्यवाही की गई थी। मैं उन मामलों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह संगठन अब क्षीण होता जा रहा है।

मैं, माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूँ एक ही सरकार के अधीन दो सरकारी क्षेत्र के एकक हैं। एक का नाम बालमेर लारी एन्ड कम्पनी लिमिटेड है। इसका भी एक चाय विभाग है। दूसरे एकक का नाम एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड है। इसमें भी एक चाय विभाग है। ये चाय विभाग बहुत लाभ कमा रहे हैं बालमेर लारी पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन है जबकि एण्ड्रयू यूले इन्जीनियरिंग कार्यकलापों के कारण

उद्योग मंत्रालय के अधीन है। मेरा अनुरोध यह है कि बालमेर लौरी चाय विभाग तथा एन्ड्रयू यूले चाय विभाग का संचालन इस मंत्रालय प्रशासन तथा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भारतीय चाय व्यापार निगम के माध्यम से क्यों न किया जाए ? मैं नहीं जानता कि इसमें सालों साल क्यों विलम्ब किया जा रहा है। जिनके हाथों में चाय का प्रबन्ध है वे नहीं जानते हैं कि चाय क्या है। यही कारण है कि वे इन एककों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। विचार करने के लिए यह मेरा तीसरा सुझाव है।

चाय बागानों के सम्बन्धों में बिपिन पाल दास जी ने ठीक ही कहा है कि कछार और असम के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तर बंगाल के डूरास और तराई क्षेत्रों में उत्पादकता, सामान्य उत्पादन तथा विकास की दर बेहतर हो गई है। वास्तव में कहा जाए तो चाय अनुसंधान एकक को जलवायु सम्बन्धी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नई बागान कार्यक्रम तैयार करने होंगे।

वन कटाव के कारण कई भागों में वर्षा के पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप, डारस और तराई के कुछ भागों मे, इसे अन्यथा न लें, मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं—शीघ्र ही गंभीर संकट आ जायेगा वास्तव में उक्त क्षेत्र में बागान कार्यक्रमों के विस्तार के लिये तिरकी जी भी मुझसे सहमत होंगे इसलिये यदि आप वास्तव में चाय बागान का आगे विस्तार चाहते हैं। चाय उत्पादन में और वृद्धि चाहते हैं। तो आपको वन या पर्यावरण मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक नियमित निकाय का गठन करना पड़ेगा। यदि वे सभी पहलुओं पर विचार कर कार्यक्रम के विस्तार के लिए व्यापक प्रस्ताव पेश करें तो अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक ओर यदि वन कटाव जारी रहा तो सूर्य की और अधिक तेज गर्मी पड़ेगी, पानी संचित नहीं हो पाएगा और यदि संचित हो भी गया तो उसका निकास रुक जायेगा। तब 5 साल बाद उस क्षेत्र में चाय की पैदावार नहीं हो पाएगी। मैं उसी क्षेत्र से हूँ। मैं बालपन से उस क्षेत्र में रहा हूं। 10 साल बाद क्या होगा यह कहना बहुत कठिन है। इन दो पहलुओं को आपको ध्यान में रखना है।

अन्त में 'मैं' कहूंगा कि वित्तीय अधिकार आपके हाथ में नहीं हैं। मैं जानता हूं यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हाथ में है। इस वित्तीय सत्ता को एक निश्चित और नियमित वैधानिक सत्ता क्यों नहीं बना दिया जाता। इसे वित्त मन्त्रालय के अधीन रहने दिया जाए और इसका आपके साथ समन्वय हो आप जानते हैं बंगाल में आज क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे। युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया जानबूझ कर यह करने पर दृढ़संकल्प है कि बंगाल के चाय बागान उनके दलालों द्वारा चोर बाजारी करने वालों के हाथ में चले जाएं ये गरीब लोग एक साल में लाभ कमाते हैं तो दूसरे साल हानि उठाते हैं। मैं कम से कम 10 बागानों के बारे में जानता हूँ। काम के जोर के दिनों में मशीनरी टूट जाती है क्योंकि वे पुरानी होती हैं। वे यूनाइटेड बैंक जाते हैं। यूनाइटेड बैंक ने अपने गलियारों में एजेन्ट के रूप में दलाल रखे हुवे हैं। यदि दलाल सन्तुष्ट नहीं होते तो उन्हें समय पर अग्रिम रूप से मशीनरी प्राप्त नहीं होती परिणाम यह होता है कि वे नकद हानि से भी नहीं बच पाते। एकाएक यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया के अध्यक्ष दिल्ली से जाते हैं वे ऐसा दिखाते हैं कि जैसे देश में वे ही एक मात्र ईमानदार

व्यक्ति हैं और अन्य सभी चोर तथा डाकू हैं वे उनके साथ इस तरह पेश आने की कोशिश करते हैं कि एक ओर वे उन्हें मशीनरी दे रहे हैं दूसरी ओर उनके दलाल बहार बहुत कम कीमतों पर बागान हथियाने का इन्तजार करते रहते हैं। यह एक दयनीय स्थिति है। मैंने अनेक बार इस मामले के बारे में कहा है। मैंने पत्र लिखे हैं। मैं किसी चाय बागान का प्रतिनिधित्व नहीं करता न मेरा इसमें कोई निहित स्वार्थ है। यदि यह रवैया चलता रहा तो बंगाल में चाय का समूचा उद्योग वर्ष प्रतिवर्ष बुरी तरह समाप्त होता चला जायेगा। मैं किसी संकुचित दायरे में बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग कह चुके हैं कि चाय बोर्ड को गोहाटी में स्थानांतरित करना चाहिए। मंत्री महोदय मेरा आपसे नम्र निवेदन है तथा मैं आपसे तथा अन्य माननीय सदस्यों से नम्रता-पूर्वक कहता हूँ कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां लोग प्रान्तीयवाद, जाति, पन्थ और धर्म की कभी बात नहीं करते। बम्बई की तरह हमारे पास कोई शिव सेना नहीं है। अहमदाबाद की तरह हमारे पास कोई अन्य नियमित शहर नहीं है। कलकत्ता केवल भारतीय लोगों के लिये ही नहीं अपितु विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के लिये कलकत्ता स्वतन्त्र है। वे वहां जा कर रह सकते हैं और अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं। चाय बोर्ड कलकत्ता में है क्योंकि वहां बन्दरगाह हैं। वहां संचार नेट वर्क है। केवल चाय बोर्ड को स्थानान्तरित या परिवर्तित करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ अन्य वस्तुएं आप कुछ अन्य लोगों को दे सकते हो। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि चाय बोर्ड विकास परियोजना की सभा में चर्चा की जानी चहिये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस पर स्पष्टीकरण देते समय यह बतायें कि चाय बागानों में आधुनिकीकरण और विकासशील कार्यों के बारे में चाय बोर्ड के नये कार्यक्रम क्या हैं।

अन्य सदस्यों द्वारा चावल सप्लाई का मुददा उठाया गया था। मैं जानता हूं। हमें चावल की घटिया किस्म का पता है, हम जानते हैं कि इसे कामगारों में कैसे वितरित किया जाता है। मैं जानता हूं यह कितनी गम्भीर बात है। प्रतिदिन सदैव दलाली चलती रहती है। श्री पीयूष तिरकी यहां हैं; वे दूसरे दल से हैं। आप स्वंय उक्त स्थानों का दौरा करके स्थिति का जायजा लें। आप कामगारों की हालत देखें कहां वे रहते हैं, क्या वे खाते हैं, और जब मैं उनके द्वारा लिये जाने वाले चावल की किस्म देखता हूं तो मेरे आंसू निकल आते हैं। घटिया किस्म का चावल उन्हें सप्लाई किया जाता है। उत्तम किस्म के चावल की कुछ अन्य लोग ले जाते हैं और केवल घटिया किस्म का चावल ही उन्हें दिया जाता है और वह उन्हें खाना पड़ता है पचाना पड़ता है। यदि मजदूर संघ के नेता उनका बचाव करने आते हैं को पुलिस आ जाती है और उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है। हम यहां सदैव कपड़ा श्रमिकों, कोयलाखान श्रमिकों, डाक-तार श्रमिकों, आदि की ही सोचते हैं। लेकिन चाय बागान के श्रमिकों को इन हालातों को हमेशा भुला दिया जाता है। आपको इनकी स्थिति पर गौर करना चाहिय। अन्यथा आप नहीं समझ सकते कि किन परिस्थितियों में वे जीवन यापन करते हैं। ये मेरे कुछ प्रश्न हैं। कृपया आप सही परिप्रेक्ष्य में इन पर विचार करें और उचित कदम उठायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि विधेयक पारित करने के बाद मंत्री महोदय मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों पर न्यायोचित विचार करेंगे। अन्त में मैं यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि भारतीय चाय व्यापार निगम अधिकाधिक विकसित हो। कृपाया इसे समाप्त न होने दें। धन्यवाद

श्री पीयूष तिरकी : (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, मैं इस विधेयक में

संशोधन करने का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक समय में 8 से 50 पैसे की एकाएक वृद्धि की गई है। इससे प्रबन्धकों अथवा चाय बोर्ड अथवा और किसी को नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे गरीब श्रमिकों को नुकसान होगा। हमेशा ही दबाव केवल श्रमिकों पर पड़ता है। इस धन को पूरा करने के लिए उनसे अधिक काम लिया जाता है। वे जो काम करते हैं वह दफ्तर का कार्य अथवा डैस्क कार्य नहीं है। यह हाथ से करने का काम है। 8 घंटे की ड्यूटी उनके लिए काफी अधिक है। यह 8 घटे का हाथ का काम है। आप इसका अन्दाजा कैसे लगा सकते हैं ? वह एक मशीन नहीं है। उसको 8 घंटे लगातार काम करना है। लेकिन यदि कार्य के घंटे नहीं रखे जाते है तो प्रबन्ध अधिकारी श्रमिकों को अधिक काम देगे और श्रमिकों के लिए उसको भी पूरा करना काफी कठिन है। इन लोगों के आने से रोजगार के अवसर पूरी तरह से समाप्त हो जायेंगे। अब भारतीय चाय उत्पादक लाभ कमाने लगे हैं क्योंकि विश्व बाजार में चाय की अच्छी खपत है। वे वास्तव में मूल चाय उत्पादक नहीं है। उनका चाय बागानों से कोई प्यार नहीं है। चाय की पौध रोपण और पुन: रोपण के संबंध में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। वे केवल चाय की पत्तियां तुडवाकर और उन्हें बेचना जानते है क्योंकि इसकी खपत अच्छी है। चाय बायानों को अच्छी खाद मिलनी चाहिए। अच्छे विकास के लिए खाद की आवश्यकता है। सिचाई की भी आवश्यकता है। पुन:रोपण की भी आवश्यकता है। अब पूंजी पति और भारतीय लोग इस क्षेत्र में आए हैं क्योंकि इसकी खपत अच्छी है। ऐसी स्थिति में, यह एक बिल्कुल अलग उद्योग है क्योंकि यह उत्पादन और मौसम पर भी निर्भर करता है क्योंकि आप हर जगह सिचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते। यदि मौसम ठीक है तो इससे अच्छी फसल होगी। लेकिन एक बार यदि एक किलों पर आप इतना कर लगा देंगे तो शायद यह काफी अधिक है और इसलिए आपको इस पर फिर से विचार करना चाहिए। इस उद्योग को नुकसान नहीं होना चाहिए और इसको भी अन्य उद्योगों की तरह घाटे का उद्योग नहीं बनने दिया जाना चाहिए जैसाकि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इसलिए इसको घाटे का उद्योग बनाने की कोशिश न करें। बहुत से छोटे चाय बागान मालिक इससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे और शायद इससे धन प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे और उनकी पूंजी कुछ अन्य उद्योगों में लगाई जा सकती है। यदि चाय बागान रुग्ण हो जाते हैं अथवा इनके काम किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है, तो इन लोगों के लिए जोकि अनपढ़ हैं, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए रोजगार के बहुत बड़े अवसर समाप्त हो जायेंगे। वे अनपढ़ हैं और उनको अभी तक गुलामों की तरह रखा हुआ है। उनके लिए शिक्षा के कोई अवसर नहीं हैं, यहां तक कि वहां प्राथमिक शिक्षा भी नहीं है। क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि श्रमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे चाय बागान में काम करने के इच्छुक नहीं रहेंगे। यही उद्देश्य हैं। स्वतंत्रता के 40 वर्षों के बाद अब तो लोगों की समानता के बारे में विचार करना चाहिए। वे कैसे उन्नति कर सकते हैं ? श्रमिकों के बच्चों को केवल श्रमिक कार्य दिया जाता है। शाम होने के बाद भी उन्हें कार्यालय में काम करने का अवसर नहीं दिया जाता उन्हें लिपकीय न अन्य ज्ञान अथवा इस प्रकार के अन्य कार्य का इन दरों के लिए, वे बाहर से लोगों को लेते हैं। चाय बागान से लेकर कार्यालय तक और यहां तक कि स्वयं बोर्ड में भी श्रमिकों के बच्चों के लिए 80-90 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए आप चाय बोर्ड के कार्यालय अथवा उसके प्रबन्धक मंडल में कर्मचारी वर्ग और श्रमिक वर्ग के किसी व्यक्ति पुरुष अथवा महिला अथवा और किसी और किसीको नहीं पायेंगे

जबकि वे इसके लिए योग्य हैं। स्वभाविक रूप से वहां बेरोजगारी की समस्या है क्योंकि वे अनपढ़ हैं और वे और कोई काम नहीं जानते हैं । ये चाय कम्पनियां लाभ कमा रही हैं। 1985 में अपने 745 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है, हो सकता है कि इन आंकड़ों को ठीक करना पड़ा, और यह धन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और ऐसे अन्य देशों में आ रहा है । लेकिन इन लोगों को रोजगार देने तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र बनाने के लिए आप कुटीर उद्योग उपाय अथवा कुछ अन्य सहायक उपाय उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र को क्यों नहीं देखते हैं। ये देश को काफी धन दे रहे हैं। कम से कम आपको उनकी परिस्थितियों की ओर भी देखना चाहिए। मुझे काफी प्रसन्नता है कि श्री शिवशंकर आया है और वह इसकी देख रेख कर रहा है। मुझे आशा है कि चाय बागान श्रमिकों की स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा कम से कम वे अनुष्य के समान रहे और वे अन्य समुदायों के स्तर तक आ सकें। उन्हें बहुत ही उपेक्षित माना जाता है। उन्हें उपेक्षित रखा जाता है क्योंकि केवल तभी वे काम के इच्छुक होंगे। इन नियोक्ताओं द्वारा ऐसी धारणा बनाई हुई है। इसलिए उन पर दबाव डाला जाता है क्योंकि शुरू में, शायद आप उनका इतिहास जानते हैं। उनको छोटा नागपुर, संथाल परगानों, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से लाया जाता है। अब, अभी भी वे स्थितियां जारी हैं। वे अभी भी उसी तरह जीवन गुजार रहे हैं। उनकी ओर कोई ध्यान नही देता। वे केवल लाभ कमा रहे हैं। प्रबन्धकों पर सरकार का दबाव पड़ रहा है। उद्योग स्वयं खतरे में है। यह बहुत ही कठिन स्थिति में है।

आप इस विधेयक को पारित करा सकते हैं क्योंकि आपका भारी बहुमत है। लेकिन इस विधेयक को पारित हो जाने के बाद, कृपया यह देखें कि चाय श्रमिकों के हितों की रक्षा हो और उनको शिक्षा और अन्य चीजें दी जाएं। इससे पहले श्री प्रिय रजन दास मुंशी कह ही चुके हैं कि चाय बागान श्रमिकों को टूथपेस्ट, साबुन, मिट्टी का तेल, चीनी और अन्य वस्तुएं दी जानी चाहिए। चाय बागान श्रमिक ही केवल ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की यह सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। देश में अन्य सभी श्रमिकों को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इसका क्या कारण है ?

चाय बागान श्रमिकों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान चाय श्रमिकों को विद्यमान शिक्षित समाज के स्तर तक आने में 200 या 300 वर्ष लगेंगे।

चाय उद्योग घाटे का उद्योग नहीं है . अब काफी लाभ कमा रहे हैं। मेरी कामना है कि यह उद्योग फले फूले। आप न केवल 700 करोड़ अथवा 800 करोड़ रुपए कमा सकते हैं बल्कि हजारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो श्रमिक चाय उद्योग में काम कर रहे हैं उनका भी विकास होना चाहिए . हम चाय उद्योग के कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी वेतन आयोग नियुक्त करने के बारे मे सोच रहे हैं। आप उनसे तीन घटे काम कराने के बाद केवल 21 रुपए दे रहे हैं। वे भी भारतीय लोग हैं और उनके हितों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। चाय बागान श्रमिकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। केवल यही ऐसा उद्योग है जो कि आपको धन दे रहा है। चाय उद्योग में काम करने वाले इन लोगों का भी स्वतन्त्र और समाजवादी भारतीय नागरिकों की तरह सम्मान किया जाना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। फूल-पत्तों को इस देश में बहुत सुन्दर माना जाता है। विशेष रूप से मुझे, क्योंकि मैं भारत के उस क्षेत्र से हूं जहां 113 बागान हैं। इनमें से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 35 बागानों की हालत खस्ता है और हम प्रतिवर्ष 300 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन करते हैं।

मेरे विचार से इस विधेयक की, जो कि आज प्रस्तुत किया गया है, चाय बोर्ड द्वारा 1982 में सिफारिश की गई थी तब मैं चाय बोर्ड में संसद का प्रतिनिधि था। उस समय श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने इस विधेयक के बारे में उद्योग के साथ चर्चा का मामला उठाया था। चाय बोर्ड में उपभोक्ता मजदूर संघ, उद्योगपति के साथ-साथ भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। यह विधेयक चाय बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से पारित और अनुशासित है। इस विधेयक पर चाय बोर्ड के मंच पर विस्तार से चर्चा हो जाने के बाद ही इसे यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं नहीं समझता कि 50 पैसे के लिए कोई आपत्ति की जा सकती है। इस विधेयक द्वारा धनराशि अर्जित की जानी चाहिए और चाय उद्योग के विकास, इसके अनुसंधान और उत्पादन बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा।

परन्तु मैं माननीय वाणिज्य मन्त्री से यह बताने का आग्रह करता हूं कि चाय बोर्ड पिछले तीन वर्षों से बिना किसी स्थायी चेयरमैन के क्यों चल रहा है ? यहां तदर्थ चेयरमैन कार्य कर रहे और अभी तक किसी स्थायी चेयरमैन का चयन नहीं किया गया है। स्थायी चेयरमैन की जितनी जल्दी नियुक्ति हो, उतना ही बेहतर है। मैं माननीय मन्त्री महोदय, से यह भी आग्रह करता हूं कि वे इस प्रश्न पर विशेष ध्यान करें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी, जो मेरे सहयोगी और इसी दल के हैं, ने चाय बोर्ड को असम को स्थानांतरित करने की मांग पर आपत्ति की है। मेरे विचार से भी चाय बोर्ड कलकत्ता में होना चाहिए। परन्तु असम का कोई अधिकारी चाय बोर्ड का चेयरमैन क्यों न हो ? असम की बहुत समय से यह मांग थी। आप उत्तर प्रदेश संवर्ग के एक अधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं जिसने इससे पहले कभी चाय के बागान नहीं देखे हैं। असम के प्रत्येक जिले में एक चाय बागान है। अतः उप-आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे प्रत्येक अधिकारी को चाय के बारे में अनुभव है।

मैं अनुरोध करता हूं कि असम के मौजूदा चाय बोर्ड को सशक्त बनाया जाए और संबंधित अधिकारियों को अधिक शक्तियां प्रदान की जायें ताकि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव कलकत्ता मुख्यालय में भेजने की बजाए अधिकांश निर्णय गुवाहाटी में ही किए जायें।

श्री पीयूष तिरकी : वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो सकता है। यह आप कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको जब बोलने का अवसर दिया था उस समय आप यह बात कह सकते थे।

श्री सन्तोष मोहन देव : उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि चाय बागानों को वित्तीय अनुदान देने के लिए बोर्ड को कलकत्ता कार्यालय में स्थानांतरित करने की बजाए गुवाहाटी कार्यालय में ही उच्च स्तर पर निर्णय किए जा सकें।

चाय बोर्ड का एक पहलू और अधिक क्षेत्रों का विकास करना भी है। इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए आपको ऐसे क्षेत्र अधिक से अधिक प्राप्त हो रहे हैं जहां चाय का उत्पादन नहीं होता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चूंकि आप अधिक धनराशि नियत कर रहे हैं और सातवीं योजना में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में कई नई योजनायें शुरू की जा रही हैं. वहां परती भूमि उपलब्ध है और इस परती भूमि का पहले विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिये। यहां पुनः बागान लगाने और उन्हें नया रूप प्रदान करने जैसी नई योजनायें शुरू की जानी चाहिये। पश्चिम बंगाल में परती भूमि है, यह असम में उपलब्ध है। चाय बागानों में उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। कुछ नई योजनायें शुरू की जानी चाहिए ताकि उन्हें विकास के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी जानकारी हासिल हो क्योंकि उनके पास ऐसे क्षेत्रों में विकास के लिये बेहतर बुनियादी सुविधायें मौजूद हैं।

दूसरी. बात यह है कि आप उपकर में वृद्धि कर रहे हैं। हमने जब चाय बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा की थी तो उस समय एक प्रमुख मुद्दा जो प्रस्तुत किया गया था वह चाय बागान श्रमिकों के कल्याण से संबंधित था। हम अस्पतालों के लिए कुछ सहायता प्रदान कर रहे हैं, हम कुछ कल्याणकारी उपाय कर रहे हैं। इसके अलावा, जो लोग पश्चिम बंगाल अथवा असम में चाय बागानों में कार्य कर रहे हैं वे प्रायः उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के है। वे वहां बहुत समय पहले से गये हुए हैं, वे वहां बस चुके हैं। अब वे अपने-अपने मूल निवास स्थानों को नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी कोई योजना बनाई जानी चाहिए ताकि जो लोग इन चाय बागानों में कार्य कर रहे हैं, उनके सेवा निवृत होने पर उन्हें किसी नवीकरण योजना में शामिल किया जाए। केन्द्रीय सरकार को ऐसे लोगों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से कोई योजना बनानी चाहिए।

मेरे क्षेत्रों में अधिकांश चाय बागान श्रमिकों ने मेरे जिले की सीमा को नहीं लांघा है। उन्होंने कलकत्ता नहीं देखा है, उन्होंने दिल्ली और देश के विभिन्न स्थानों को नहीं देखा है। अतः नेहरू युवा केन्द्र जैसी कल्याणकारी योजना में भारत दर्शन का आयोजन किया जाना चाहिए। जब वे कल्याणकारी कार्य करते हैं तो उपकर की रकम में से उन्हें कुछ ऐसी योजनायें चालू करनी चाहिए जिससे चाय बागान श्रमिक चाय बागान से देश के अन्य भागों में ले जाए जायें। आप बंगाल से असम, असम से बंगाल, दक्षिण से बंगाल आदि के भ्रमण का आयोजन कर सकते हैं, ताकि वे हमारे देश के बड़े भागों के बारे में जान सकें।

मैं विश्व व्यापार में मूल्य वर्धित चाय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। नि. भा. ए. और अन्य क्षेत्रों में अधिक अनुसंधान किए जाने चाहिए ताकि हम बेहतर मूल्य वर्धित चाय के साथ विश्व व्यापार में प्रवेश कर सकें, यह वर्तमान समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरूरत है। यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आपको अपने बाजार में अपना नियंत्रण कायम रखना पड़ेगा और कुछ और बाजारों में भी प्रवेश करना होगा। जनता शासन काल में उन्होंने अधिक शुल्क लगा दिया था और हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने लक्ष्य से पिछड़ गए। इस अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को कायम रखने के लिये और मूल्य वर्धित चाय का उत्पादन किया जाना चाहिए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। चाय विपणन नियंत्रण आदेश लागु हो चुका है। इस आदेश के अनुसार कछार और करीमगंज क्षेत्र से हमें 75 प्रतिशत नीलामी में बेचना पड़ता है और शेष 25 प्रतिशत खुले बाजार में। हम सरकार से यह अपील कर रहे हैं कि इस अनुपात को 50:50 कर दिया जाए क्योंकि कच्छार में निश्चित रूप से 300 लाख कि. ग्रा. चाय का उत्पादन हो रहा है। परन्तु दुर्भाग्य से कच्छार की चाय की किस्म असम की चाय जैसी उत्तम नहीं है। इसके परिणामस्वरूप जब क्रेता नीलामी में भाग लेता है तो यदि वह पहली नीलामी में अपेक्षित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे पांच या छह नीलामियों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इससे उसे बैंक ब्याज अदा करना पड़ता है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पहलू पर विचार करें। हमारे अस्तित्व के लिये यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं। हमें जो नीलामी शुल्क प्राप्त हो रहा है उसके कारण 35 बागान बन्द हो चुके हैं और कुछ बागानों को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कभी-कभी तो हमें 2 रु. से लेकर अधिकतम 13 रु. प्रति किलोग्राम प्राप्त होता है जबकि दूसरे क्षेत्रों में उन्हें 25 रु. से 30 रु. प्रति किलोग्राम प्राप्त हो रहा है।

कारबोया और सिंधलाचेरा दो चाय बागान हैं जिनकी प्रबन्ध व्यवस्था प्रारम्भ में भारतीय चाय व्यापार निगम के अधीन थी लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने यह प्रबन्ध व्यवस्था छोड़ दी है। उन बागानों में काम करने वाले श्रमिक वास्तव में भूखों मर रहे हैं। गत चुनावों में प्रधान मंत्री जी के दौरे के दौरान श्रमिक उनसे मिले और उन्हें अपना ज्ञापन दिया तथा प्रधान मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके ज्ञापन की पूरी तरह जांच की जायेगी और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये कुछ किया जायेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नहीं किया गया है, मैंने स्वयं मंत्रालय को ज्ञापन भेजा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर संघ (इन्टक) ने भी ज्ञापन दिया है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि भारतीय चाय व्यापार निगम को उन चाय बागानों की प्रबन्ध व्यवस्था को अपने हाथ में लेने को कहा जाय अथवा वहां मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिये कुछ किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं कच्छार के बारे में चाय विपणन नियंत्रण आदेश के लिए पहले ही निवेदन कर चुका हूँ क्योंकि हमारे चाय बागान छोटे हैं और वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। हमारे चाय बागानों में प्रबन्ध व्यवस्था अच्छी है, वे चाय बागानों को अच्छी तरह देख-भाल कर रहे हैं और मजदूरों से सम्बन्ध भी अच्छे हैं। लेकिन यह नीति हमारे लिये गम्भीर स्थिति पैदा कर रही है। इसलिये मैं आपसे इस पर विचार करने का आग्रह करता हूँ। चाय अधिनियम की धारा 17 के अनुसार चाय बोर्ड के चेयरमैन को, मन्त्रालय को चाय की बिक्री के अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार है। यह अनुपात आधा आधा होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें कहकर ही अपनी बात समाप्त करूंगा। आप पूछेंगे कि बिहार से आने वालों का चाय में क्या इन्ट्रेस्ट

सकता है। मन्त्री जी ने जैसा कहा है कि यह अमेन्डमेन्ट बहुत छोटा है और भाषण बड़े बड़े हैं इसलिए मैं बड़ा भाषण नहीं दूंगा, केवल दो एक बातें ही कहूंगा।

मैं जानना चाहूंगा कि 8.8 पैसे से बढ़ाकर आप सेस को 50 पैसे करना चाहते हैं, करीब करीब 6 गुना करना चाहते हैं लेकिन जहां तक मेरी नालेज है पिछले कुछ वर्षों में किसी भी चीज में 6 गुनी बढ़ौतरी नहीं हुई है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : रुपए की कीमत 15 पैसे ही रह गई है।

डा. गौरी शंकर राजहंस : एक मेरा निवेदन और होगा। हमारे सभी साथी भूल गए, किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया कि पिछले तीन-चार वर्षों में चाय के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड चाय पीता हूँ जिसका नाम है "लेप्चू"। हमारे बंगाल के साथी जानते होंगे, बंगाल बिहार में यह चाय मिलती है, इधर कम मिलती है। आज से चार साल पहले यह चाय 15 रुपए में सौ ग्राम मिलती थी, तीन साल पहले 25 रुपए में सौ ग्राम मिलने लगी और आज तो 60-70 रुपए में सौ ग्राम मिलती है और वह भी ब्लैक-मार्केट में। और मैं केवल लेप्चू चाय की ही बात नहीं करता, आप चाय की कोई भी वेरायटी ले लीजिए, उसके पिछले तीन-चार साल में कितने दाम बढ़े हैं यह पता लगाने की कोशिश कीजिए। पहले कोई भीख मांगने वाला आदमी भी कहता था दस पैसे दे दीजिए, चाय पियेंगे और अब कहते हैं एक रुपए दे दीजिए चाय पियूंगा। आज एक रुपए में भी चाय का प्याला नसीब नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि चाय के दाम में बहुत ज्यादा बढ़ौतरी हुई है और इस सेस को लगाने के बाद इसका सारा भार कंज्यूमर पर पड़ने वाला है। किसी दूसरे पर इसका भार नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर पर ही पड़ने वाला है। यह ठीक है आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर चाय के हैं लेकिन ईस्ट एफ्रीकन् कन्ट्रीज से आप कांप्टीशन फेस कर रहे हैं। आप बढ़ाइए दाम और देखिए कि एक्सपोर्ट्स की क्या हालत होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप सेस को बढ़ाइए, अपर लिमिट जरूर कर दीजिए लेकिन एक्चुअल प्रेक्टिस में आप उतना ही बढ़ाइए जितना कि वाजिब है। आप ओवरहेड को कम करके टी बोर्ड की एफीशियेन्सी बढ़ा सकते हैं। क्या कोई कमेटी है, जिस ने टी बोर्ड की वर्किंग का पता लगाने का प्रयास किया है। टी बोर्ड में चेयरमैन के अलावा 30 और सदस्य हैं जोकि टी गार्डन्स के ओनर्स हैं, टी गार्डन्स के एम्पलाइज के रेप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, ट्रेड यूनियन के रेप्रेजेन्टेटिव्ज हैं और पार्लियामेंट के भी रेप्रेजेन्टेटिव्ज हैं लेकिन उसमें सिर्फ इन्ट्रेस्ट टी गार्डन ओनर्स का ही होता है।

एक और बात है। आपने कभी गौर किया है कि पिछले 3, 4 और 5 साल में चाय बागानों की कीमत बहुत बढ़ गई है और कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स ने चाय बागानों को खरीद लिया है। इसको मन्त्री जी भी जानते होंगे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत मोटे मोटे नाम हैं, जिन्होंने उनको खरीदा है। चाय बागानों में जितना दो नम्बर का पैसा बनता है, उतना कम जगहों पर बनता है। मैंने उसके वर्किंग को देखा है, इसलिए मैं बताता हूँ। नई नई मशीन आती है और साल भर में मशीन स्क्रेप करके फैंक दी जाती है और यह कह दिया जाता है कि मशीन बेकार हो गई है। आप के पास इसका कोई चैक नहीं है कि मशीन बेकार है या नहीं। मशीन को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और पानी के भाव चाय बागान वाले उसको खरीद लेते हैं। चाय बागान में जितना दो नम्बर का पैसा बनता है, कहीं नहीं बनता और मैं उसके बारे में बताने लगूं

तो घण्टों लग जाएंगे । वहां पर मजदूरों का शोषण होता है । बिहार से जो मजदूर जाते हैं, उन का शोषण होता है । बंगाल और दूसरी सब जगहों से जो मजदूर जाते हैं, उनका शोषण होता है । बिहार में कहा जाता है कि चाय बागानों में आसाम में जो मजदूर जाते हैं, वे भेड़ा बनाकर जाते हैं । ये भेड़ा कैसे बनते हैं ? लोगों ने कहा कि भेड़ा कुछ नहीं जानता है । ये जो चाय बागान के मालिक हैं, ये इनको हफ्ते में तीन, चार दिन दारू पिलाते हैं और उन से जानवरों की तरह काम लेते हैं । इसलिए कहते हैं कि वे भेड़ा बनते हैं ।

एक बात और कहूंगा और दूसरे साथियों ने भी कहा कि टी बोर्ड को आप यह अधिकार कभी मत दीजिए कि एक सरटेन एमाऊन्ट को, चाहे वह दो लाख रुपए का हो, बिना आपकी परमिशन के वह राईट आफ करे । यह राईट आफ का चक्कर एक बहुत बड़ा चक्कर है और मैं इसको जानता हूँ । प्राइवेट कम्पनीज में 5 पैसे भी राईट आफ करने का अधिकार जनरल मैनेजर को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स नहीं देता है । यहां पर 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपये राईट आफ करने का अधिकार आप देंगे, तो मेनेजमेंट कोई न कोई बहाना लगा कर यह लिख देगा कि यह रिकवर होने वाला नहीं है और इसे राईट आफ कर दिया जाए । एक तरफ तो राईट आफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ, जिस पर पैसा बकाया है, उस से सौदा कर लेगा । इसलिए राईट आफ किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए ।

मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय कम है । मैं इतना कह कर खत्म करूंगा कि चाय बागानों में व्हील विदइन व्हील है और आप इसका पता लगाने की कोशिश कीजिए । इसमें बहुत बड़ा रेकेट है और हमारा बहुत सारा फोरेन एक्सचेन्ज दूसरे मुल्कों में जा रहा है । मैं अलग से मन्त्री जी को इसके बारे में बताऊंगा । इसमें गरीबों का शोषण बहुत बुरी तरह से होता है । यह जो सेस आप 50 पैसे करना चाहते हैं, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको 50 पैसे से कम करें और एक्चुअल प्रेक्टिस में यह 10, 11 पैसे से ज्यादा न हो।

[अनुवाद]

श्री पी. कुलनदईवेल्यू (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय उठाये गये मेरे कुछ मामलों पर ध्यान दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन आपकी कुछ मांगों को पहले ही पेश कर चुके हैं ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं न तो उनका समर्थन कर रहा हूं और न ही विरोध ।

श्री पी. कुलनवेईवेलू : पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि चाय बोर्ड में स्थाई चेयरमैन नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है । चाय बोर्ड के चेयरमैन का पद पिछले दो वर्षों से खाली पड़ा हुआ है लेकिन सरकार इस रिक्ति को भरने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसके कारण अच्छी तरह वही जानती है ।

श्री पी. शिव शंकर : अब उसका चयन किया जा चुका है ।

श्री पी. कुलनदईवेलू : धन्यवाद । फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि भारतीय प्रशा-

सनिक अधिकारियों में से कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो आप सत्ता पक्ष से गैर-सरकारी चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं।

दूसरा कोयम्बटूर में चाय बोर्ड का जोनल कार्यालय है लेकिन उस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है जोनल कार्यालय तीन राज्यों के कार्यों को देखता है। अधिकारियों के लिये कार, टेलिफोन की कोई सुविधा नहीं है। जोनल कार्यालय वहां पर बिना किसी सुविधा के चल रहा है। इसलिये इस कार्यालय को प्राभावी ढंग से कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता है।

आपने कहा कि आप उपकर निधि का उपयोग विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए करना चाहते हो। वे विकास-कार्यकलाप क्या हैं जिनके लिए आप इस निधि का उपयोग करना चाहते हो ? मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि चाय बोर्ड में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। मैं गत एक वर्ष से चाय बोर्ड का सदस्य हूं और मैं यह जानता हूं।

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब है कि आप भी इसके लिये कुछ हद तक उत्तरदायी हैं।

श्री पी. कुलनवईवेलू : चाय बोर्ड में इस सभा से केवल दो सदस्य हैं। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन चाय बोर्ड में बड़े-बड़े अधिकारी हैं। चाय बोर्ड में पहले ही उनके निहित स्वार्थ हैं। वे अपने उत्पादों को काफी अच्छी कीमत पर बेच रहे हैं लेकिन छोटे उत्पादक ऐसा करने में असमर्थ हैं। छोटे उत्पादक अधिकांशत: दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में हैं। वे काफी हानि उठा रहे हैं।

यह विधेयक का आशय धारा 25 और 49 का संशोधन करना है। अब आप धारा 25(क) जोड़ रहे हैं। इसके द्वारा केन्द्र सरकार प्रति किलोग्राम 8.8 पैसे से 50 पैसे की दर से उपकर वसूल कर सकती है। चाय बोर्ड पहले ही उपकर ले रही है जो कि 6 करोड़ रुपए बैठता है। यदि इसे बढ़ाकर 50 पैसे कर दिया जाता है तो यह राशि कितनी होगी हम हिसाब लगा सकते हैं, यह राशि 30 करोड़ रुपए से अधिक बैठेगी जिसे वे उपकर के रूप में प्राप्त करेंगे। 6 करोड़ रुपए से जोकि उनके पास पहले ही उपलब्ध है वे कोई विकासात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं। यह आप कह ही चुके हैं कि विकासात्मक कार्यों के लिए धनराशि पर्याप्त नहीं है और यही कारण है कि उपकर प्रतिकिलोग्राम 8.8 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे कर दिया गया है वास्तव में मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप 30 करोड़ रुपए से क्या करने जा रहे हैं। आप चाय के निर्यात से सात सौ करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा कमा रहे हो ' हम प्रति वर्ष 2200 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात कर रहे हैं। यद्यपि हम चाय बोर्ड में इतनी अधिक विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, तथापि चाय बोर्ड को देश में चाय उत्पादकों की परिस्थितियों के अनुरूप सरल और कारगर नहीं बनाया गया है।

3.00 म. प.

पुन: पौध लगाने के सम्बन्ध में भी जो धनराशि का उपयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है, मैं इस बारे में अच्छी तरह जानता हूं। बिरला, टाटा लिप्टन ब्रुकबांड कन्नान देवन आदि जैसी बड़ी-बड़ी कम्पनियां वास्तव में इन ऋणों को प्राप्त कर रही हैं और वे उक्त

ऋण का उपयोग इस प्रयोजन के लिए न कर मात्र अन्य प्रयोजनों के लिए कर रही हैं। वास्तव में यही चाय बोर्ड में हो रहा है। (व्यवधान)

कल की तरह आज भी दार्जिलिंग में चाय बोर्ड की बैठक हो रही है। लेकिन मैं इस चाय (संशोधन) विधेयक के कारण वहां जाने में असमर्थ हूं। अन्यथा मैं चाय बोर्ड की गतिविधियों पर नजर रखने नहीं अपितु वहां की जलवायु का आनन्द लेने दार्जिलिंग जाता।

आप चाय बोर्ड को इतनी अधिक शक्तियां दे रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बाद भी ऋण माफ करने के अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है। चाहे 2 लाख रुपए हो या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हो। वे वास्तविक रूप से ऋण बट्टे खाते डाल सकेंगे और हमें वास्तविक कारण का पता नहीं लग पाएगा क्योंकि मन्त्री महोदय अथवा अधिकारी गण इसके बारे में पता नहीं लगा पायेंगे। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि बोर्ड के अधिकारों में कटौती की जाए।

अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि हमें एक स्थायी चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए और वह भी गैर सरकारी चेयरमैन हो। उसे जनहित को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए जोकि एक सरकारी चेयरमैन नहीं कर सकता। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि चाय बोर्ड में गैर सरकारी चेयरमैन होना चाहिए।

आजकल चाय की अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं कल के समाचार पत्र में भी यही कहा गया है कि "चाय की कीमतें गिर रही हैं।" हमें अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। इसलिए सरकार को कम से कम छोटे चाय उत्पादकों के लिए एक निर्धारित कीमत पर आश्वासन दिया जाना चाहिए। केवल तभी हम चाय उत्पादकों को बचा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भोलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब 4 पैसे आप टैक्स लेते थे तब कितना पैसा इकट्ठा होता था और उसमें से कितना पैसा डवलपमेंट पर खर्च होता था और जब 8 पैसे लेते थे तब कितना पैसा इकट्ठा होता था और उसमें से कितना पैसा डवलपमेंट पर खर्च होता था और अब 50 पैसे आप करने जा रहे हैं तो कितना पैसा डवलपमेंट पर खर्च करेंगे, अब यह हिसाब आप बता दीजिए। ताकि टैक्स बढ़ने से अब लोगों को यह विश्वास हो जाए कि आप विकास पर कुछ न कुछ खर्च करेंगे।

सभी माननीय सदस्यों ने कहा हैं कि टी बोर्ड पर एक पैसा भी विकास पर खर्च नहीं हुआ। चाय की प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए, गरीब काश्तकारों को राहत देने के लिए टी बोर्ड ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए मैं सबसे पहले इस बारे में जानना चाहता हूं आप जो पैसा वसूल करेंगे उसको सरकारी अधिकारियों का बड़े बड़े डायरेक्टर्स पर ही खर्च करेंगे या गरीबों पर खर्च करेंगे। जैसा कि मालूम हुआ है टी बोर्ड ने आज तक कोई काम नहीं किया है। उनने किसानों के संबंध में, उनके विकास के संबंध में, प्रोडक्टिव बढ़ाने के संबंध में कोई काम नहीं किया है। आप स्वयं बता दीजिए हमको मालूम नहीं है। हमको तो इतना मालूम है कि टी

बोर्ड पैसा इकट्ठा करता है और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को देता है, इसके सिवाय कोई काम नहीं करता है।

दूसरा निवेदन है आपने इसमें प्रोविजन किया है कि चाय की अलग अलग किस्मों की अलग-अलग दर रखेंगे। यदि आप दर लगाने का काम टी बोर्ड के अधिकारियों पर छोड़ेंगे तो वे गरीब किसानों का मामला साफ कर देंगे। इसलिए आपको पहले से ही तय कर देना चाहिए कि कौन-कौन सी किस्म के लिए कितनी दर लगेगी। वर्ना टी बोर्ड तो भ्रष्टाचार के लिए पहले से ही मशहूर है, यदि आपने यह काम उस पर छोड़ दिया तो आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं इसलिए पहले से ही पूरी जानकारी प्राप्त करके आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि लोगों को इस प्रकार के कारनामे करने का अवसर ही न मिल सके।

तीसरा प्वाइन्ट उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यहां मंत्री जी ने कहा टी-बोर्ड की ओर से जिनको कर्जा दिया जायेगा, यदि वह वसूल नहीं हो सका, कुछ हानि रह जाए तो उसको छुट प्रदान करने का अधिकार टी-बोर्ड को होगा। मेरा आपसे निवेदय है कि आप टी बोर्ड को इतना बड़ा अधिकार मत दीजिए बल्कि इस अधिकार को सरकार के पास ही रहने दीजिये। यदि आपने टी बोर्ड को कर्ज माफ करने का अधिकार दे दिया तो फिर ये उसका मिसयूज करने लगेंगे और अपने चहेतों को खूब पैसा देकर बाद में ये दिखला देंगे कि उसका तो दिवाला निकल गया और इसलिए वह पैसा वसूल नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रावधान पर आप फिर से विचार कीजिए ताकि आप सभी पैसे को वसूल करके टी-बोर्ड के कामकाज को बढ़ाने और टी-प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगा सकें।

सारा देश चाहता है कि हिन्दुस्तान में चाय का उत्पादन बढ़े और उसके साथ-साथ हमारा चाय का निर्यात भी बढ़े जिससे हमें अधिक से अधिक फारेन एक्सचेंज मिले और देश की उन्नति हो, तरक्की हो। यही हमारा मुख्य ध्येय भी होना चाहिए। यदि आप इस दिशा में पैसा खर्च करेंगे तो फिर आप 50 पैसे की जगह एक रुपया भी यदि सैस लगाना चाहें फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने और टी-मजदूरों, काश्तकारों को मदद देने का काम निश्चित तरीके से होना चाहिये। तभी हमारी सारी व्यवस्था ठीक तरह से चल सकती है।

3.06 म. प.

[श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुये]

जब आप इतना पैसा वसूल कर रहे हैं तो आपको मजदूरों के हितों की तरफ भी समुचित ध्यान देना चाहिए। टी-एस्टेटों से जिस तरह बड़े-बड़े लोग पैसा कमाते हैं और अब तो इसमें बहुत से नए लोग भी शामिल हो गये हैं, जैसा अभी यहां डा. साहब कह रहे थे कि उनके यहां बहुत बड़े पूंजीपतियों ने टी-गार्डन्स खरीद लिए हैं। आप इस पर कोई इण्डस्ट्री क्यों नहीं कायम करने पर विचार करते ताकि टी-मजदूरों को तमाम सुख-सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें जो दूसरी इण्डस्ट्री में उन्हें मिलती हैं। उनको आप मिनियम वेज दिलवाइये, प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध करवाइये, ई. एस. आई. की फेसिलिटी दिलवाइये और बोनस और ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी करवाइए ताकि उनको अन्य इण्डस्ट्रीज के समान सारी सुविधायें मिल सकें। जब आप टी-

गार्डन के मालिकों से उनको सारी सुविधायें दिला पायेंगे तभी सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकती हैं। क्योंकि जितने बड़े पूंजीपति इस उद्योग में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं वे इस इण्डस्ट्री से ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने या अपनी जेबें भरने के लिए ही प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ गरीब मजदूरों को भी उनके अधिकार मिल सकें, इसकी व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी आप पर है :

यहां अभी हमारे एक माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दास मुन्शी की ट्रेडिंग कारपोरेशन के संबंध में जिक्र कर रहे थे, और मैं भी उनसे सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि जितने आपके ट्रेडिंग कारपोरेशन हैं, जैसे काटन कारपोरेशन है, माइका कारपोरेशन है, एन. टी. सी. है या अन्य कारपोरेन्स हैं, उनको आप ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग पूंजीपतियों के साथ मिलकर उसके उद्देश्य को फेल करना चाहते हैं। जैसा अभी यहां पर एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया, मैं नहीं जानता उसमें कितनी सच्चाई है उसका पता मंत्री महोदय स्वयं लगायेंगे परन्तु यह बात सही है कि टी ट्रेडिंग कारपोरेशन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य वही था कि हम ज्यादा से ज्यादा विदेशी बाजार में टी का एक्सपोर्ट कर सकें और किसानों को वाजिब पैसा दिलवा सकें और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हम देखते है कि उसके स्थान पर कारपोरेशन ने अपने कुछ एजेंट मुकर्रर कर दिये या दूसरे लोगों के जरिये से एक्सपोर्ट का काम करवाया जा रहा है। फिर हमारे लिये इस कारपोरेशन का क्या उपयोग रह जाता है। यदि इसका कोई उपयोग नहीं है तो इसे बन्द कर दिया जाये क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इस पर लाखों रुपया खर्च किया गया था, अधिकारियों और दूसरे लोगों को तनख्वाह आदि दी जा रही है, वह हम नहीं कर पाये। हम चाहते थे कि इससे गरीबों को मदद मिले। मंत्री महोदय आप तो बातें कर रहे हैं, हमारी बात कौन सुनेगा, हमने जो आपको सुझाव दिये हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान कैसे जाएगा। इसलिये हमारे यहां यह टी ट्रेडिंग कारपोरेशन एक सफेद हाथी की तरह काम कर रहा है। आप या तो इसको एबोलिश कीजिये अथवा ऐसी व्यवस्था कीजिये ताकि यह कुछ उपयोगी सिद्ध हो सके। यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

हम तो आपके विभाग की बात कर रहे हैं, यदि आप कुछ फायदा करना चाहते हो तो हमारे सुझावों पर ध्यान दीजिए वर्ना आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, विभाग के मालिक हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि इसकी लोनिंग की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। हमारे साउथ में बहुत से छोटे-छोटे किसान हैं, आसाम में भी हैं और अभी कछार के प्रतिनिधि बोल रहे थे कि उनके यहां भी छोटे-छोटे किसान टी-गार्डन्स लगाते हैं, वैसे तो अब बड़े-बड़े पूंजीपति भी टी-गार्डन्स खरीद रहे हैं, क्योंकि वे माल कमाना चाहते है इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि 50 पैसे जो आप सैस के रूप में वसूल कर रहे हैं, आप उसको बढ़ा कर भले ही एक रुपया कर दीजिये। यह मेरा आपसे निवेदन है, लेकिन आप लोनिंग की व्यवस्था में सुधार अवश्य कीजिये ताकि किसानों को पैसा मिल सके। आजकल जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, उससे किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है। मेरा सुझाव है कि उनके डेवलपमेंट के लिए, नए प्लांटेशन के लिए आप बिना ब्याज पैसा दीजिए सबसिडी के तौर पर दिलवाइए ताकि वे लोग टी कीप्रोडक्शन बढ़ा सकें और ज्यादा लाभ कमा सकें। इससे आपका डिपार्टमेंट

भी मजबूत बनेगा और ज्यादा से ज्यादा उनकी वेल्फेयर पर, प्रोडक्शन को बढ़ाने पर खर्च कर सकेगा। इन सारी व्यवस्थाओं की तरफ आपको अविलम्ब ध्यान देना चाहिए।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि टी-बोर्ड में अधिक से अधिक जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, इसमें मजदूरों के रिप्रेजैंटेटिव भी ज्यादा से ज्यादा लिए जाने चाहिए और ग्रोअर्स के रिप्रेजैंटेटिव्ज को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। आजकल आपके टी-बोर्ड में कुछ ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जो पैसे वाले लोग हैं या टी-गार्डन्स के मालिक हैं। उसमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व कम है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाइए, ग्रोअर्स का प्रतिनिधित्व बढ़ाइए। टी-ग्रोअर्स का प्रतिनिधित्व बढ़ाइए और पार्लियामेंट के मैंबर का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाइए। अलग-अलग स्टेट्स में जहां-जहां टी पैदा होती है, उन स्टेट असेंबलीज के मैम्बर को भी आप इसमें लीजिए ताकि वे अपने इन्टरेस्ट सेफगार्ड कर सकें। ये व्यवस्थाएं निश्चित तरीके से होगी तो आपका बोर्ड मजबूत बनेगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ इससे हो सकेगा।

आखिर में, मैं आपसे यह विवेदन करूंगा कि इस बोर्ड को मजबूत और सशक्त बोर्ड बनाइए इसको ऐसा कमजोर और निकम्मा बोर्ड मत रखिए जो केवल खर्चे-खाते और सैर-सपाटे विदेशों में करता रहे। इस बोर्ड को तो यह देखना चाहिए कि टी का प्रोडक्शन कैसे बढ़े, बोर्ड किस तरह से मजबूत हो, किसानों की किस प्रकार से सहायता हो, मजदूरों को किस प्रकार से सारी सहूलियतें मिल सकें। अगर यह सारी व्यवस्थायें टी-बोर्ड करता है तो निश्चित तरीके से यह स्वागत योग्य कदम होगा। आप जैसे सशक्त मंत्री महोदय हैं, वैसे ही इस बोर्ड को सशक्त और मजबूत बना कर लोगों को वाजिब मदद कराने की कोशिश करेंगे, मुझे यह आशा है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, मुझे चाय संशोधन विधेयक, 1986 पर बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक समय भारतीय चाय अपनी बढ़िया किस्म के कारण विश्व बाजार में बहुत प्रसिद्ध थी और इसलिए इसने विश्व बाजार में अपनी ख्याति अर्जित की है किन्तु अब इसकी ख्याति कम हो गई है। क्यों ? क्योंकि प्रबन्ध अकुशल है और चाय के निर्माण में मिलावट की जा रही है। और इसलिये अब यह विश्व बाजार में स्पर्धा नहीं कर सकती।

भारत में चाय का उत्पादन 5600 लाख किलोग्राम के आस पास तक स्थिर रहने के बाद अब इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, 1983 में चाय का उत्पादन 5815 लाख किलोग्राम था जो 1984 में बढ़ कर 6451 लाख किलोग्राम हो गया। वर्ष 1984 के 6451 लाख किलोग्राम के उत्पादन स्तर से पता लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत उत्पादन बढा है और इससे पिछले सभी रिकार्ड पीछे रह गए हैं। उन्नत कृषि कार्य उर्वरकों का इस्तेमाल कीट नियंत्रक उपायों को अपनाना और उच्च पैदावार देने वाले पौधों का रिकार्ड उत्पादन में बड़ा योगदान रहा है।

चाय बागान के मजदूर, देश में बहुत कम मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूर हैं। विद्यमान भूमि कानूनों के संबन्ध में सरकार का यह दायित्व और कर्तव्य है कि वह उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारे। आप चाय की कीमतों के संबन्ध में विचार कर रहे हैं किन्तु उन लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है जो देश के हित में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं? श्रमिक देश के हित में अपना खून-पसीना बहाते हैं। किन्तु उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। हमारा यह दायित्व है कि उनकी स्थिति को सुधारें। आप कीमतें बढ़ाते जाते हैं किन्तु अपने देश के श्रमिकों की जीवन दशा पर ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रगति नहीं कर सकते। आपने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, बाल श्रम रोजगार अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम आदि जैसे अनेक कानून बनाए हैं। ये सभी अधिनियम बनाए गए हैं किन्तु आपने इन कानूनों को कभी लागू नहीं किया है। भारत में 1300 चाय बागान हैं। इनसे 20 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। किन्तु आपने चाय उद्योग के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे चाय उद्योग के कामगारों और चाय उद्योग के सामान्य हितों की सही ढंग से जांच करें। केवल कीमतें बढ़ाने अथवा उपकर लगाने से इन लोगों की हालत में सुधार नहीं होगा। मेरी मांग है कि चाय बोर्ड का कार्यालय तत्काल असम में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि यहां विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन होने लगी है। असम में 775 चाय बागान हैं। इनमें 10 लाख श्रमिक कार्य करते हैं। चाय बोर्ड का चेयरमेन असम का होना चाहिए। बोर्ड के वित्त पोषण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाय बोर्ड उच्च अफसर शाही का तन्त्र तो नहीं बन गया है। इस बात की जांच की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपकर में वृद्धि हो जाने के कारण घरेलू बाजार में कीमतें न बढ़ें। मैं उपकर का समर्थन करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि चाय बोर्ड के व्यय को सीमित किया जाना चाहिए और इन चाय कम्पनियों को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि चाय बोर्ड का मुख्यालय और चाय कम्पनियों के प्रधान कार्यालय असम में तत्काल स्थानांतरित किए जाने चाहिएं। चाय बोर्ड के श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं पर बिना विलम्ब किए उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : चेयरमैन असम संवर्ग का होना चाहिए; इस सभा में प्रत्येक सदस्य की यही मांग रही है। इस विचार का सभी ने समर्थन किया है।

श्री पीयूष तिरकी : वह जनजाति का अथवा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। [हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, मैं इस मौके पर एक ही प्वाइन्ट को मेक-आउट करना चाहता हूँ कि चाय-बागान में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रावीडेंड फंड का मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है।

7 जनवरी को अर्जेया साहब ने वायदा किया था कि गवर्नमेंट इस सवाल पर कदम

उठायेगी और कुछ कानूनी सख्ती का रुख अख्तियार करेगी। आज स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। टी एस्टेट के मैनेजमैंट के लोग मजदूरों के प्रावीडैंड फंड के सारे पैसे को गड़बड़ कर रहे हैं। इसकी वजह से जो फिगर है, अकेले वैस्ट बंगाल में 1977 में 14.40 करोड़ रुपये मजदूरों का प्रावीडेंड फंड का बकाया था और 1985 में यह बढ़कर 73.70 करोड़ हो गया है। इसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों ने यह सवाल बार-बार उठाया और इस बात की मांग की कि गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो जैसे जूट और दूसरे कारखाने बंद हो गये और उसके सारे प्राविडेंट-फंड खत्म हो गये, वही स्थिति इसके अन्दर भी आ जायेगी।

आज हमारे यहां 775 टी स्टेट्स हैं। वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, अगर उनके पूरे प्रावीडेंट-फंड के एकाउन्ट को लिया जाये तो मालूम होगा कि काफी रकम मजदूरों की इसमें इनवाल्व है। मजदूर यूनियन की ओर से भी यह मांग की जाती रही है कि सरकार क्लेम फाइल करती है तो उसमें काफी समय लग जाता है। आज जो इम्पलाइज प्रावीडेंट-फंड ऐक्ट है, उसमें जब तक पिनल सैक्शन की व्यवस्था नहीं की जायेगी और ऐसे लोग जो कि दोषी हैं, उनको कानून के जरिये दण्डित नहीं किया जायेगा, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसलिये हमारी सरकार से मांग है कि वह इस सवाल को बहुत गम्भीरता से ले और इम्पलाइज प्रावीडेंट-फंड ऐक्ट में अमेंडमेंट किया जाये। इसके साथ-साथ जो व्यवस्थापक हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरती जाये जिससे मजदूरों को पैसा मिल सके।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मुझे पता है, श्री शिवशंकर जी केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक बुद्धिमान मंत्री हैं। लेकिन मुझे खेद है और अत्यधिक आश्चर्य है, जब मैंने देखा है कि वे यह विधेयक ला रहे हैं। यह विधेयक उपकर को 8.8 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे करने के बारे में है। यह एक बहुत अधिक वृद्धि है। और क्या इसे इस बजट के बाद न्यायोचित कहा जा सकता है ? इस तरह से कीमतें बढ़ जाएंगी।

(व्यवधान)

वे कहते हैं, प्राप्त उपकर की राशि विभिन्न विकास कार्यों और चाय बोर्ड के अन्य कार्यकलापों के व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो गई है। चाय बोर्ड के क्या कार्यकलाप हैं ? यह चाय बोर्ड की वर्ष 1984-85 की 31वीं रिपोर्ट है। वर्ष 1984-85 का कुल व्यय 5,66,83,017.58 रुपए बैठता है। इसमें से भारत में चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि व्यय की गई है ? यह सिर्फ 15,67,002.65 रुपए है। अब हम भारत से बाहर चाय उत्पादन को बढ़ावा देने की बात पर आते हैं जिसमें चाय बोर्ड के सदस्यों की बहुत अधिक रुचि है, चाय बोर्ड के प्रशासकों की विदेशों में जाने, वहां अपने रात्रि भोज, दोपहर भोज और नृत्य करने में अत्यधिक रुचि है। इसका व्यय केवल 2,81,63,378.03 रुपए है। कुल व्यय 5.66 करोड़ रुपए का है। अतः, यह व्यय भारत के अलावा, विदेशों में किए गए व्यय की कुल राशि का 50 प्रतिशत से भी अधिक है। बाहर यह चाय कहां उगाई जाएगी ? क्या वह ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका अथवा किसी अन्य देश में उगाई जाएगी ? जो भी हो, मुझे इस मुद्दे पर भी आने दीजिए। अब मैं चाय संवर्धन की बात करता हूं।

सभापति महोदय, क्या आपको पता है कि चाय के पौधों की इस समय क्या स्थिति है ? तीन वर्षों तक चाय के पौधे लगाए जाने चाहिए। 3 और 5 वर्षों के बीच पौधों से चाय की पत्तियां चुनी जा सकती हैं। 5 वर्षों से 20 वर्षों के बीच की अवधि पत्तियां चुनने के लिए बहुत अच्छी अवधि होती हैं क्योंकि इस अवधि में महक, लिकर सब कुछ बहुत अच्छा होता है। 20 वर्षों से 40 वर्षों की अवधि के दौरान सामान्यतया चाय की पत्तियां नहीं चुनी जाती हैं। 50 वर्षों के पश्चात् पौधों को धीरे धीरे उखाड़ा जाना चाहिए और नए पौधे लगाने चाहिए। इन चाय बागानों में 100 वर्षों और यहां तक कि इससे भी अधिक पुराने पौधे मिल सकते हैं। भारत में चाय के पौधों के वर्तमान आयु समूह की मौजूदा स्थिति क्या है ? 5 से 20 वर्ष पुराने चाय के पौधे केवल 21 प्रतिशत हैं। 50 वर्षों से अधिक पुराने चाय के पौधे 53 प्रतिशत हैं। स्थिति यह है। आपने अब तक क्या किया है ? चाय बोर्ड ने चाय के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। चाय से प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपए से भी अधिक विदेशी मुद्रा की आय हो रही है। इस प्रयोजन के लिए और अधिक उपकर लगाने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता।

दूसरे, चाय बोर्ड का क्या कार्य है ? दार्जिलिंग ब्याज राज सहायता योजना ने, 31 योजनाओं में 31 अक्तूबर, 1985 तक दार्जिलिंग चाय बागान के पुन: विकास के लिए 8.67 लाख रुपए की सहायता दी है तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 7,80,00,0001-रुपए की सहायता दी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सहायता राशि कब आवंटित और स्वीकृत की गयी ? चाय बोर्ड और चाय बागानों के बीच काफी लम्बे समय तक सौदेबाजी होती रही थी। चाय बोर्ड को कौन मोटी रकम देगा ? बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया (व्यवधान)

अब मैं आपका ध्यान चाय की नीलामी की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्पादित समस्त चाय नीलामी केन्द्र पर नहीं आई। वर्ष 1984 में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल उत्पादन 6450 लाख किलोग्राम है। किन्तु नीलामी केन्द्र पर सिर्फ 4700 लाख किलोग्राम चाय ही पहुंची। चाय में कालाबाजारी को रोकने के लिए, मेरे विचार से नीलामी के लिए पूरी चाय लायी जानी चाहिए।

हम दार्जिलिंग चाय, विश्व में सबसे अच्छी समझी जाने वाली चाय पर, विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। यह नीलगिरि चाय अथवा असम चाय अथवा दोआस अथवा तराई की चाय हो सकती है, किन्तु हम दार्जिलिंग चाय की छाप अंकित करके विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि इसका कुल कितना उत्पादन होता है ? यह लगभग 130 लाख किलोग्राम प्रतिवर्ष है।

क्या माननीय मन्त्री जी हमें यह बतायेंगे कि दार्जिलिंग चाय के नाम पर देश में अथवा विदेशों में कुल कितनी चाय बेची गई जो या तो ब्रक बांड द्वारा तैयार की गई थी अथवा लिप्टन्स द्वारा तैयार की गई ? यह लगभग 1000 लाख किलोग्राम बेची गई। किन्तु आप दार्जिलिंग के चाय उत्पादकों को अधिक धन नहीं देते। यह दुख का विषय है।

मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : क्या मैं दो प्रश्न पूछ सकता हूं ?

सभापति महोदय : जब माननीय मन्त्री जी बोलें, तो आप पूछ सकते हैं।

श्री विपिन पाल दास : यदि माननीय मन्त्री महोदय सहमत नहीं हुए, तो मैं बैठ जाऊंगा। चूंकि यह विधेयक वित्तीय तौर पर चाय बोर्ड के हाथ मजबूत करने जा रहा है, अतः कुछ बागान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का लाभ क्यों प्राप्त कर रहे हैं और जिसके कारण किसानों के अन्य वर्ग सहायता प्राप्त किए जाने से वंचित हो गए हैं ? (व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, दो प्रकार के चाय मजदूर हैं। पहले प्रकार के मजदूर चाय बागानों के नियमित कर्मचारी हैं। दूसरे प्रकार के मजदूर भूतपूर्व चाय बागान मजदूर कहलाते हैं जो बहुत गरीब हैं। इन भूतपूर्व चाय बागान मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार अथवा चाय बोर्ड क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री पी. शिव शंकर: महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है। मैं यह मानता हूँ कि संशोधन विधेयक बहुत अच्छा विधेयक है। लेकिन माननीय सदस्यों ने विभिन्न बातों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। अल्प समय में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मैंने माननीय सदस्यों द्वारा आमतौर से उठाये गये मुद्दों को संक्षिप्त कर दिया है। मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

मैं उपबंधों पर तथा उन विभिन्न आशंकाओं पर विचार करना चाहूंगा जिनको माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया है ताकि मामला स्पष्ट हो सकें।

धारा 25 के अन्तर्गत, जिस संशोधन का प्रस्ताव है वह यह है कि 8.8 पैसे प्रति किलोग्राम की बजाय अब 50 पैसे प्रतिकिलो अर्थात 50 पैसे प्रतिकिलोग्राम तक के लिए अधिकार दिया जाये। अब प्रश्न यह है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि उपकर को आवश्यक रूप से 50 पैसे प्रति किलो निर्धारित किया जायेगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : अधिकार आपके पास है।

श्री पी. शिवशंकर : अधिकार होना एक अलग बात है। स्थिति यह है कि हमने इसे 15 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने का निर्णय किया है जिसके परिणामस्वरूप क्या होगा यह है··· (व्यवधान) वस्तुतः आपको यह देखकर प्रसन्नता होगी कि विभिन्न स्थान, जलवायु और उत्पादन के अनुसार ये आंकड़े अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग हैं। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उपबंध में ही इस बात का ध्यान रखा गया है। दिये गये तर्कों में से एक मुख्य तर्क यह था कि इसका चाय के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं यह नहीं जानता कि इसका चाय के मूल्य पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आज चाय का मूल्य 27 रुपये प्रति किलो. है। अब यदि 27 रुपये से सात पैसे बढ़ा दिये जाते हैं तो मैं यह नहीं समझता कि चाय के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी। वस्तुतः विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात् मेरी यह जानकारी है—क्योंकि मैंने अपने प्राधिकारियों को जाकर सम्पूर्ण स्थिति की जांच करने के लिए कहा था और इस संबंध में मैंने रिपोर्ट मांगी थी। हमारा विचार यह है कि इसे उत्पादक स्वयं ही आत्मसात कर लेंगे। 7 पैसे प्रतिकिलो. की वृद्धि से बाजार मूल्य पर किसी रूप में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी कीमत 27 रुपये प्रतिकिलो. है। मैंने इसके आंकड़ों का अध्ययन कर लिया है और

मैं उनसे संतुष्ट हूं। मैंने यह सोचा कि हमारे पास इसका अधिकार होना चाहिए। और यह अधिकार हमारे पास क्यों होनी चाहिए यह एक अलग बात है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि 27 रुपये प्रतिकिलो. पर 7 पैसे प्रतिकिलो. की वृद्धि करने में चाय से बाजार मूल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न वास्तव में कानून के अन्तर्गत है। मैंने यह क्यों विचार किया कि इस स्थिति में सीधे 50 50 पैसे तक की वृद्धि की जाये क्योंकि मैं प्रत्यक बार 5 पैसे अथवा 6 पैसे बढ़ाने के लिये संसद के सम्मुख नहीं आना चाहता। वर्ष 1953 में 8.8 पैसे प्रति किलो निर्धारित किया गया था और उस समय से बहुत से परिवर्तन हुए हैं और यह स्पष्ट रूप से इस कारण से है। इसकी सम्पूर्ण शिकायतों को देखने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि उत्पादक 7 पैसे प्रति किलो को वहन कर सकते हैं और हुमने 15 पैसे तक पहुंचने का निर्णय लिया है। मैं भविष्य में इसे 50 पैसे प्रति किलो तक बढ़ाने के लिए शक्ति प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संसद के समक्ष आया है। और मैं आकस्मिक खर्चों के बारे में इस स्थिति में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वृद्धि लाने के लिए हमारे पास यह अधिकार होना चाहिए।

इसका दूसरा भाग यह है कि धारा 28-क के संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है।

(व्यवधान)

अब मैं यह बताने जा रहा हूं कि इसका स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा। इस समय चाय बोर्ड को अपनी अपनी प्रशासनिक शक्तियों के अन्तर्गत विभिन्न दावों को बट्टे खाते डालने का अधिकार प्राप्त है। वस्तुतः लोकसभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने इसकी जांच की है और उन्होंने सामान्य रूप से एक रिपोर्ट दी है कि सभी कानूनों के अन्तर्गत जहां दावों को बट्टे खाते डाला जाता है वहां पर कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करने की बजाय, यह वांछनीय है कि इस सम्बन्ध में एक उपबंध किया जाना चाहिए। वस्तुत यह उपबंध लोक नभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप ही किया गया है। मान लीजिए यदि उपबंध नहीं है फिर भी शक्ति का उपयोग किया जाना था। इस शक्ति का इस कानून के अन्तर्गत ही उपयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि इस संबंध में कुछ अन्य कानून भी है जिनके अनुसार प्राधिकारियों ने प्रशासनिक रूप से दावों को बट्टे खाते डाला था। यह विचार किया गया था कि स्वयं इसे कानून की परिधि में लाया जाना चाहिये।

इसलिए इस धारा को जोड़ना है। इसमें नई कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड द्वारा अनुचित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक नई धारा शामिल करने का विचार है। ऐसी कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : परन्तुक के बारे में क्या है ?

श्री पी. शिव शंकर : बोर्ड द्वारा इस समय भी दावों को बट्टे खाते डालने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कि उपबंध का ध्यान रखते हुए माननीय सदस्यों ने बोर्ड को दिए जा रहे अधिकार से अधिक अधिकार का प्रयोग किया हो। जो वस्तुतः इस समय भी बोर्ड को प्राप्त है। मुझे पता है कि माननीय सदस्य हमेशा यह वकालत

करते रहे हैं कि शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। उन सरकारी उपक्रमों के संदर्भ में भी जिनके बारे में चर्चा की गई थी सदन के उस ओर से यह तर्क दिए गए कि शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के मामले में केवल यह किया गया है कि जैसा कि नियमों के अन्तर्गत निर्धारित है के अनुसार एक विशेष स्तर तक बोर्ड को दावों को बट्टे खाते डालने की शक्ति होगी। इसकी कितनी धनराशि होनी चाहिए एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं यह ध्यान रखूंगा कि धनराशि इस ढंग से निर्धारित की जाये ताकि किसी ओर से भी शिकायत करने का मौका न मिले। मैं इसके उस भाग का ध्यान रखूंगा। लेकिन अन्यथा धारा का प्रमुख भाग सरकार को अथवा अन्य प्राधिकारियों को दावों को बट्टे खाते डालने के सम्बन्ध में शक्ति प्रदान करता है। मैं केवल यह अनुरोध करने का प्रयास कर रहा था कि व्यवहार में वास्तव में जो हो रहा है उसे अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कानून के एक उपबंध के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त एक तर्क यह दिया गया था कि चाय बोर्ड के वास्तविक कार्य क्या हैं। कार्यों के संदर्भ में मैं यह अनुरोध करता हूँ कि बोर्ड उत्पादन को विनियमित करता है चाय की किस्म में सुधार करने का प्रयास करता है सहकारी समितियों के प्रयासों को बढ़ावा देता है, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान करता है, मारकेटिंग का नियंत्रण करता है, चाय की बिक्री और निर्यात को विनियमित करता है, लाइसेंस धारियों और निर्माताओं व्यापारियों आदि को पंजीकृत करता है, चाय के विपणन में सुधार करने का प्रयास करता है और श्रम कल्याण को सुनिश्चित करता है।

श्री अमलदत्त (डायमंड हार्बर) इन उद्देश्यों के लिये ही चाय बोर्ड का गठन किया गया है।

श्री पी. शिव शंकर : ये कार्य हैं जिनको करने की बोर्ड से अपेक्षा की जाती है।

श्री अमलदत्त : लेकिन बोर्ड द्वारा इन्हें नहीं लिया जा रहा है ?

श्री पी. शिव शंकर : ये बोर्ड के कार्य हैं। मैंने यही कहा है। मैंने यह नहीं कहा है कि बोर्ड उन कार्यों को श्री अमलदत्ता की संतुष्टि के अनुसार कर रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) क्या आप संतुष्ट हैं ? वह यह पूछ रहे हैं।

श्री पी. शिव शंकर : ये श्रीमती गीता मुखर्जी की संतुष्टि के अनुसार नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप संतुष्ट हैं ?

श्री पी. शिव शंकर : मैं इस बात पर आऊंगा। जहां तक श्रम कल्याण का प्रश्न है। उन्हें कतिपय कार्य करने होते हैं। मेरे पास यह सूचना है कि यह ऐसी कुछ कल्याण योजनाओं पर कार्य करता रहा है जो बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध योजनाओं की पूरक हैं इन योजनाओं में श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्तियां, सस्ती दरों पर राशन, चाय बागान क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं तथा अस्पतालों के लिए धनराशि स्वीकृत करना, मजदूरों के बच्चों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण कराना और कैंसर और टी. बी. आदि के इलाज के लिए विशिष्ट अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण आदि कराना शामिल है। यदि मान-

नीय सदस्य चाहें तो मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा। वर्ष 1984-85 के दौरान श्रमिकों के 401 छात्रों बच्चों को छात्रवृत्तियां दी गई।

मैं आंकड़े बता रहा हूं ताकि यदि वे गलत हों तो आप उन्हें मेरी जानकारी में लायें, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी रहूंगा। मुझे कुछ आंकड़े दे दिये गये हैं। मैं इस प्रयोजन के लिए उस स्थान पर मौजूद नहीं रह सकता। हो सकता है आप उसके निकट हों। आप मुझे कुछ अधिक आंकड़े दे सकते हैं।

चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, असम में 9.05 रुपये है, पश्चिम बंगाल में 10.59 रुपए, केरल में 15.59 रुपये और तमिलनाडु में 16.32 रुपए है यदि कुछ थोड़ी राज-सहायता भी दी जानी होती है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है।

श्री विपिनपाल दास : वे 20 सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित धनराशि का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी. शिव शंकर : मैंने बताया है कि ये कार्य हैं जिनकी इस संस्थान से किए जाने की अपेक्षा है। यह भी संभव है कि कुछ कमजोरियां हों। एक माननीय सदस्य ने बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और मैं यह नहीं समझता कि वह एक सही आरोप है कि यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा है (**व्यवधान**) श्री दास, क्या आप थोड़ी देर तक मेरी बात सुनेंगे। मैं आपकी बात से दब नहीं रहा हूं। मैं भी खड़ा हुआ हूं। आप एक बहुत पुराने सांसद हैं।

यह कह कर उन्होंने संगठन की उपेक्षा की है कि यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा है।

मैं इस प्रकार के बेकार के आरोपों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। यदि उनके पास सामग्री की और यदि उन्हें कुछ कहना था तो मैं इन मामलों पर अवश्य विचार करता। मेरे लिए, यह कह कर कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा है सारे संगठन को दंडित करना बहुत कठिन है। मैं इस प्रकार के आरोपों पर कार्यवाही नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। यह संभव है कि वहां कई दोष हों।

कुछ सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वहां काफी समय से कोई अध्यक्ष नहीं है। हम अब इस ओर ध्यान देंगे कि वह कुछ ही दिनों में अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। नाम स्वीकृत हो चुका है। केवल अधिसूचना जारी करना शेष है। यह शीघ्र ही जारी की जाएगी।

(**व्यवधान**)

महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि वह एक भारतीय है। मैं यह नहीं जानता कि वह असम अथवा केरल के हैं। मुझे इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी मालूम नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उत्पादन के आंकड़ों का भी हवाला दे रहे थे। वास्तव में, मैंने सोचा था कि मैं इन आंकड़ों को ठीक कर दूं, क्योंकि मैंने पाया कि कुछ माननीय सदस्यों के आंकड़े सही नहीं थे। में यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि वर्ष 1951 में उत्पादन के आंकड़े 2854 लाख किलोग्राम थे। वर्ष 1982 में यह 5607 लाख किलोग्राम के 1983 में 5,815 लाख किलोग्राम थे।

1984 में 6,451 लाख किलोग्राम और 1985 में 6,570 किलोग्राम थे। अतः यह उत्पादन में वृद्धि का मामला है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि कुछ माननीय सदस्य यह कहने का प्रयत्न कर रहे थे कि जहां तक निर्यात का संबंध है उसमें गिरावट आ रही है। यह सही नहीं है कि। वास्तव में मैंने बीच में पहले ही कह दिया है कि वर्ष 1985 में चाय के निर्यात आंकड़े 2,220 लाख किलोग्राम के और 711.90 करोड़ रुपये मूल्य की चाय का निर्यात किया गया था। 1984 में 2170 लाख कि.ग्रा. चाय का निर्यात किया गया था। परन्तु उस समय इसका यूनिट मूल्य अधिक था जिसके परिणाम स्वरूप 741 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया। अब यूनिट मूल्य में गिरावट आई है परन्तु जहां तक मात्रा का संबंध है इसमें वृद्धि हुई है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि जब उपकर में वृद्धि की जाये तो चाय संगठन को विश्वास में लिया जाना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उपकर में वृद्धि करके इसे 50 पैसे किया गया है; परन्तु यह समान दर पर नहीं है वरन इस धारा में, जिसमें संशोधन किया जाना है दी गई शर्तों के अनुसार है। उसके बारे में भी जैसाकि मैंने कहा है कि यह निर्णय मंत्रीमंडल स्तर पर लिया गया था और सारे आंकड़ों की जांच के पश्चात लिया गया था। वास्तव में, मैंने स्वयं आंकड़ों का अध्ययन किया है और एक परिणाम पर पहुँचने के पश्चात ही यह निर्णय लिया गया था।

श्री पी. कुलन्दईवेलु : आप इसे 50 पैसे तक कैसे बढ़ा सकते हैं जबकि मंत्रीमंडल का निर्णय 15 पैसे तक वृद्धि करने का है ? इसे 50 पैसे तक बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

श्री पी. शिवशंकर : जहां तक इस धारा में संशोधन करने का संबंध है मैंने मंत्रीमंडल से इसे पचास पैसे तक बढ़ाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। मैंने अब यह भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। मैंने अब यह भी अधिकार प्राप्त कर लिया है कि मुझे इस धारा में उल्लिखित भिन्नताओं के अनुसार इसे 15 पैसे तक बढ़ाने की अनुमति दी जाये। मुद्दा यह है। मैं आपको यह बता दूं कि पहले भी कई स्तरों पर हमें यह क्यों करना पड़ा। उपकर की धनराशि लगभग 6 करोड़ रुपये। परन्तु वास्तव में हुआ यह था कि वर्ष 1983-84 में उपकर के 47 लाख रुपये अधिक का व्यय हुआ था। इसकी वसूली की गई। वर्ष 1984-85 में व्यय बढ़कर 115 लाख रुपये से अधिक हो गया। अब मुद्दा यह था कि क्या किया जाये, श्री कुलन्दईवेलु और चाय बोर्ड के उनके साथियों को संतुष्ट करने के लिए इस व्यय को किस प्रकार समायोजित किया जाये ? मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि व्यय में कमी किये जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आरोप यह लगाया गया है कि ऐसे क्षेत्रों में बहुत अधिक व्यय किया गया जहां यह आवश्यक नहीं था।

श्री पी. शिवशंकर : मुद्दा यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यय किया गया है। वास्तव में, श्री प्रधान ने कुछ अंशों को ठीक ही पढ़ा है। परन्तु उन्होंने केवल इसका लघु अंश ही पढ़ा है। मैं

समझता हूं कि मैं एक बुरा वकील नहीं था। उन्होंने चाय संवर्धन के सम्बन्ध में आंतरिक व्यय के बारे में ही पढ़ा है। परन्तु इसके अलावा, श्रम कल्याण उपायों पर भी धन कम किया है, इसके न केवल विपणन अंश पर वरन उत्पादन के अंश पर भी, जहां उपकर भी एकक किया जाना है और जहां नए क्षेत्रों में बागन लगाए जाने हैं, पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि जब देश के बाहर व्यय का प्रश्न उत्पन्न होता है तब यह अधिक मालूम देता है। परन्तु हमारे कुछ कार्यालय भी हैं विशेषकर लन्दन और अन्य स्थानों पर कार्यालय जहां हमें अपनी चाय का सवर्धन करना है। परन्तु क्या इतना अधिक व्यय होने पर उन कार्यालयों को चालू रखना चाहिए यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस व्यय का औचित्य बताया जाना चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : हम वहां जाकर इसकी जांच करने को तैयार हैं।

श्री पी. शिवशंकर : यदि श्री गोस्वामी इससे संबद्ध सभी कागजात देखना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उन्हें यह कागजात देने को तैयार हूं लेकिन लंदन में नहीं वरन दिल्ली में ही। परन्तु कम से कम मैं इसकी जांच अवश्य करूंगा कि क्या 2 करोड़ रुपए का व्यय औचित्यपूर्ण है और इस मामले पर सभी सदस्य चिंतित हैं तथा इस मामले की अवश्य जांच होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। परन्तु वे सभी तथा कथित कार्यालयों आदि के संबंध में आम चर्चा के विषय थे। माननीय सदस्य द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा भविष्य निधि के बारे में उठाया गया है। मैं उनके इस तर्क को महत्वपूर्ण मानता हूँ और मैं इस बात की जांच करूंगा कि श्रमिकों को भविष्य निधि की अदायगी क्यों नहीं की गई। यह एक ऐसा मामला है जिसकी अवश्य जांच होनी चाहिये। और मैं उचित अवसर पर इस मुद्दे का सदन में उत्तर दूंगा मैं अब इस पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि यह एक अहनिकर संशोधन है। मैं केवल यह आग्रह कर रहा हूं कि केवल दो खंड जोड़े जाने हैं एक 8.8 पैसे से 50 पैसे प्रति किलोग्राम वृद्धि और दूसरी अप्राप्य के रूप में हानियों को बट्टे खाते डालने केप्रयोजन के लिए अधीनस्थ विधान संबन्धी समिति की सिफारिशों के आधार पर उपबन्ध करने से सम्बन्धित है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित करेंगे और सरकार द्वारा शक्तियां प्राप्त करने की मांग को व्यापक हितों की दृष्टि से मंजूर करेंगे :

प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या आप चाय की सभी किस्मों पर उपकर को बढ़ाकर 50 पैसे प्रति किलोग्राम करना चाहते हैं ?

श्री पी. शिवशंकर : यदि माननीय सदस्य धारा 25 में संशोधन के बारे में जानना चाहें तो इसके परन्तुक में यह प्रावधान है :

> "परन्तु चाय की भिन्न भिन्न किस्मों या श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न दरें ऐसी किस्मों या श्रेणियों की चाय का उत्पादन करने वाली चाय संपदाओं या बागानों की अवस्थिति और उनमें विद्यमान जलवायु संबंधी दशाओं और ऐसे उत्पादों को लागू किन्हीं अन्य परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए नियत की जा सकेंगी।"

इन मार्ग निर्देशों के आधार पर जलवायु की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग स्थान पर और चाय की किस्मों के आधार पर उपकर में भिन्नता होगी

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय अधिनियम 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री पी. शिवशंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) विधेयक

3.52 म. प.

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1947 का निरसन करने के लिए और उससे अनुषंगिक कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यों ने विधेयक से संलग्न उद्देश्य और कारणों के कथन का अध्ययन कर लिया होगा जिससे इस विधेयक के प्रतिपादन की भूमिका बनती है। जिसके द्वारा कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947, को निरस्त करने का प्रस्ताव है। मैं आपकी अनुमति से विधेयक, के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना चाहूंगा।

मूल अधिनियम बहुत पहले 1947 में अधिनियमित किया गया था जब कि लगभग सम्पूर्ण

कोयला क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र के अधीन था। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि कोयला उद्योग का 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अब टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की कुछ रक्षित खानों को छोड़कर सम्पूर्ण कोयला उद्योग सरकारी क्षेत्र में है। जब हमने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया को पाया कि तत्कालीन कोयला खान मालिक जो कुछ अपने मजदूरों के कल्याण पर खर्च करते थे वह 6 करोड़ रुपये से भी कम था। राष्ट्रीयकरण के बाद और अब तक हमने 400 करोड़ रुपया से भी अधिक खर्च किया हैं। एक वर्ष में अब व्यय 105 करोड़ रुपये है। सातवीं योजना में हमारा कल्याणकारी प्रयोजनों पर 800 करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है। इसलिए आप पायेंगे कि कल्याणकारी कार्यों को राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों, कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों न अपने हाथ में ले लिया है। छोटा सा प्रश्न यह है कि यह अधिनियम उस समय लाया गया था जबति गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग में कर्मचारियों के कल्याण के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही कारण है कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि नाम का अधिनियम लागू किया गया था।

विचार यह था कि प्रतिदिन पर कोयले पर उपकर लगाया जाये जिससे समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहे। उस समय यह 4 आना था और अब यह 75 पैसे प्रति टन हो गया है। इस उपकर से एकत्रित की गई राशि का कल्याण कार्यों के लिये एक निधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुल राशि कितनी थी ? उस उपकर से कुल राशि मुश्किल से 12 करोड़ रुपये एकत्रित होती हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि बधुआ इस निधि का अन्याधिक भाग इसकी व्यवस्था में ही व्यय हो जाता है और वास्तव में थोड़ी सी राशि लाभ भोगियों तक पहुँच पाती है। इसलिए में हमने यह महसूस किया कि इससे केवल दोहरा काम ही होता है। एक छोटे से संगठन के तहत छोटी सी राशि से कुछ कल्याण कार्य किये जा रहे हैं और वही कार्य काफी बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं। अस्पताल और आवास दो मुख्य योजनाएं हैं जिनके लिये मुख्यत: निधि का प्रयोग किया जा रहा था लगभग 40 प्रतिशत का प्रयोग आवास के लिये और 60 प्रतिशत का प्रयोग सामान्य कल्याण के लिये जाता था। यह 12 करोड़ की निधि का विवरण है। जहां तक $7\frac{1}{2}$ लाख श्रमिकों और उनके परिवारों का सम्बन्ध है यह एक नगण्य राशि है। इसलिये हमने महसूस किया इससे इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाय है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पुराना अधिनियम अनावश्यक हो गया है क्यों कि सारे कल्याण कार्य राष्ट्रीयकृत कम्पनियों द्वारा अपने हाथ में ले लिये गये हैं और इन कल्याण कार्यों की देख-रेख करना उनका दायित्व है। यही कारण है कि इसमें औपचारिकता निभाने के बजाय (क्योंकि यह विधेयक जो अनावश्यक रूप से कानून बना हुआ है समस्या पैदा कर रहा है क्योंकि इससे वही कार्य दोहरा हो रहा है) हम इस प्रावधान के निरमन के लिए उस विधेयक को लाये हैं। इस विधेयक का केवल यही प्रयोजन है।

कल्याण कार्य जारी रहेंगे और उनमे वृद्धि होगी। मैं आपको आंकड़ें देता हूँ। पहले कहां 6 करोड़ रुपये खर्च किये जाते थे कहां अब प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं ? इसके बावजूद भी किसी को पूर्णरूप से कभी भी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि अभी हमें बहुत कुछ करना है और इसके लिये हमें श्रमिकों को विश्वास में लेना होगा। आप कहेंगे कि यह मेरा तकिया कलाम है। मैं लगातार कहता रहा हूँ कि सरकारी क्षेत्र की सम्पूर्ण

कार्य-प्रणाली में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब तक प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की वास्तविक भागीदारी नहीं होती है तब तक कल्याण कार्यक्रमों को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, मैं स्वयं इसके प्रति काफी उत्सुक हूं और मुझे विश्वास है कि सभा के माननीय सदस्य गण भी इसके प्रति काफी उत्सुक होंगे। इसलिए हम परिस्थितियों को सुधारने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्या-गणों के सुझाव और विचार से हमेशा मेरा मार्ग दर्शन होता रहेगा। इन टिप्पणियों के साथ मेरा सुझाव है कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जी. भूपति (पेद्दापल्ली) : माननीय सभापति महोदय, जो मजदूर लोग कोयला खानों में काम करते हैं उन लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारे वसन्त साठे साहब ले रहे हैं इसमें हमको कोई एतराज नहीं है, अगर उनको पूरी तरह से मजदूरों की देखभाल करनी है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि हम तो इस कार्य में उनके साथ हैं। मगर जहां पर कोल-माइन्स के मजदूर करते हैं वहां पर प्राइवेट डाक्टर चले जाते हैं और अस्पताल तथा नर्सिंग होम खोल लेते हैं और लोग भी कई प्रकार की दुकानें खोलते हैं। उससे भी ज्यादा खराबी होती है लिकर की दुकानों के खुलने से। कोल माइन्स के मजदूरों के रहने के कारण वहां के लिए लिकर के लाइसेंस भी ज्यादा तादाद में दे दिए जाते हैं जिसके कारण वहां ज्यादा नुकसान होता है। ये लोग सरकारी लोगों को कहते हैं कि जाओ वहां छापा मारो और इस प्रकार से अव्यवस्था एवं गड़-बड़ी फैलती है। वहां पर हजारों की संख्या में मजदूर होते हैं और वहां पर खुले मैदान में लोग शराब पीते रहते हैं। वहां एक परेड मैदान जैसा बड़ा ग्राउण्ड है वहां पर लोग शराब बेचते रहते हैं और कोल माइन के मजदूर लोग तनख्वाह वाले दिन जाते हैं और अपनी सब तनख्वाह को अपने साथ ही रखते हैं और वहां पर इस प्रकार से खुले में शराब पीते रहते हैं। वहां पर चोर भी आते हैं और वहां पर कई प्रकार के जानवर भी आते हैं। अपने खाने की तलाश में सूअर आते हैं, कुत्ते भी आते हैं और गधे भी आते हैं। इस प्रकार से वहां पर गन्दगी फैलती है और डिसीप्लिन नहीं रहता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार से वहां पर खुले में शराब न बेची और न पी जानी चाहिए। उन लोगों के लिए आप कम से कम एक क्लब या रेस्टोरेंट बना दें ताकि वे उसके अन्दर बैठकर शराब पी सकें और उनमें इनडिसिप्लिन न फैले और डिसिप्लिन बना रहे।

4.00 म. प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मान्यवर, आपको वहां पर लेबर के लिए अच्छी हाउसिंग कालोनी बनानी चाहिए और उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल करनी चाहिए। सिर्फ उत्पादन को बढ़ाने की ही बात नहीं सोचनी चाहिए। हालांकि जितना उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं, उतना बढ़ा नहीं है। उत्पादन भी बढ़े तथा वहां लेबर की रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था हो, इन सभी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

जहां पर कोल माइन्स होती हैं, वहां पर पुलिस वाले भी ज्यादा रहते हैं। पुलिस वाले

मजदूरों को पकड़ कर किसी न किसी बहाने से ले जाते हैं कि आपने शराब पी रखी है या आपने कुछ और ऐसा कर रखा है जिसके कारण आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे जितने पैसे होते हैं, वे ले लेते है। जहां पर ये लेबर रहते हैं वहां की उन्नति के लिए कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इन लेबर के लिए जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर कोल माइन्स में से कोल निकाल कर देश की उन्नति में लगे हुए हैं, उनके लिए आपको जरूर सोचना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में जो सरकार नहीं सोचती है और उनकी उन्नति नहीं कर सकती है, वह सरकार कभी ऊपर नहीं उठ सकती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहां पर ये कोल माइन्स हैं और जहां पर बड़ी भारी तादाद में मजदूर रहते हैं वहां पर सुपर बाजार खोले जाएं ताकि उनको सरकारी रेट पर और अच्छी चीजें मिल सकें जहां पर लोग खुले में लिखकर बेचते हैं और पीते है, उनको पीने दीजिए क्योंकि हमारे मना करने से वे रहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो कीजिए कि उनके लिए कोई क्लब या रेस्टोरेंट बना दीजिए ताकि वे इस प्रकार से बाहर बैठकर नहीं बल्कि अन्दर बैठकर पी सकें जिससे आस-पास का माहौल खराब न हो और डिसीप्लिन बना रहे। सरकार को कम से कम इतनी इज्जत तो उन लोगों की रखनी चाहिए कि वे सरे आम और खुले बाजार में शराब न पिएं बल्कि रेस्टोरेंट के अन्दर बैठकर पिएं।

आपने कोल माइन्स में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे मैजर्स लिए हैं, लेकिन जितने उत्पादन तक हमें पहुंचना है, अभी तक हम उतने उत्पादन तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को ज्यादा प्रयास करने चाहिएं और कदम उठाने चाहिएं।

मान्यवर, तीन-चार साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोल माइन्स में कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है। कभी कार्बन मोनोआक्साइड गैस रिसने से कोई न कोई इंसीडेण्ट हो जाता है तो कभी खदान की छत बैठने से दुर्घटना हो जाती है। इसी सम्बन्ध में मैंने मन्त्री जी से एक सप्लीमेंट्री क्वश्चन में भी पूछा था कि कितने मजदूर पिछले तीन साल में इन दुर्घटनाओं में मरे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी से अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि लोगों को मारने से बचाने के लिए आप वहां पर अच्छी मशीनरी का इन्तजाम कीजिए और ऐसे लोगों को वहां पर भेजिए जिससे इस प्रकार की चीजें न हों।

मान्यवर, मजदूरों के बारे में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि जहां पर कोल माइन्स हैं वहां पर मजदूरों की चिकित्सा की पूरी व्यवस्था नहीं है जिससे लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी वहां पर अच्छे डाक्टर और चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उनको अपने मरीजों को दूसरी जगह ले जाना पड़ता है जिसमें उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इससे उनको बहुत कष्ट होता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे क्षेत्रों में अच्छे-अच्छे डाक्टर और खासकर स्पेशलिस्ट रहने चाहिएं ताकि उनको वहीं चिकित्सा की सारी व्यवस्था हो जाए और सभी तरह की सुविधाएं मिलें और हर बीमारी की टैस्ट और डायगनोसिस हो और उन बीमारियों का पूरा इलाज वहां हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था आप जरूर करिए। घर के आस-पास साफ-सुथरा रहना चाहिए और उन लोगों को हर तरीके से मदद मिलनी चाहिए। कई ब्रोकर्स वहां जाकर कहते हैं कि नौकरी दिला देंगे और उनसे 4,4 और 5,5 हजार रुपया वसूल करते हैं। ऐसे लोगों को वहां पर बन्द करना चाहिए।

कोल माइन्स में जो लेबर है, उनके कोल माइन्स के अन्दर जाने से बहुत से लोगों की परिस्थिति अच्छी नहीं है। आप कोल माइन्स के लोगों के लिए अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए और उनकी उन्नति के लिए जो बिल कानून में संशोधन करने के लिए लाये हैं, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, हम इसको सपोर्ट करते हैं।

श्री दामोदर पाण्डे (हजारीबाग) : सभापति महोदय, इस बिल को यहां रखते हुए मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रीयकरण करने के बाद कोयला खदान के मजदूरों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें जो अलग-अलग विभाग और एजेंसियां हैं, उनकी बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है और इसीलिए यह महसूस किया गया कि कोयला माइन्स वैलफेयर आर्गेनाइजेशन को समाप्त कर दिया जाये। लेकिन एक चीज के सम्बन्ध में थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया कि कोयला माइन्स वैलफेयर एसोसियेशन की पहले और बाद में कुछ गतिविधियां ऐसी थीं जो कोयला कम्पनी अभी तक नहीं कर पाती हैं। कुछ गतिविधियां ऐसी थीं जहां दोनों तरफ से काम होता था। उसके सम्बन्ध में आगे क्या व्यवस्था होगी, इस बिल में कोई व्यवस्था उसके लिए नहीं है।

मेरा ख्याल था कि इसको खत्म करने के पहले कुछ आपस में विचार-विमर्श हो जाना चाहिये था, उनसे जिनके कल्याण की बात आप करते हैं और कम-से-कम उनसे जो कोयला माइन्स वैलफेयर फंड की एडवाइजरी कमेटी है। उसकी सलाह लेनी चाहिए थी कि आगे का कार्यक्रम किस तरह चले। अभी तक इस आर्गेनाइजेशन में मजदूरों और सरकार के प्रतिनिधि थे और कोयला खदान कम्पनी के प्रतिनिधि भी थे। सब लोग मिलकर सलाह-मशिवरा किया करते थे और मिलकर काम करते थे। मेरा आज से नहीं बहुत दिनों से, व्यक्तिगत तौर पर 25 साल से इस संगठन से सम्बन्ध रहा है और वह किसी न किसी रूप में, एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर की हैसियत से या हाउसिंग बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से या कोयला फील्ड सब-कमेटी के मेम्बर की हैसियत से मेरा सम्बन्ध रहा है। मैं जानता हूं कि इस तरह के प्रतिनिधि बैठकर विचार-विमर्श करते थे और देखते थे कि उनका मुद्दा क्या है। आप पायेंगे कि 1947 में उसकी सलाह के कारण जो कल्याणकारी कदम उठाये गये थे तो उससे कुछ तो सराहनीय कार्य हुआ। आगे हम उस काम को किस तरह से पूरा कर सकते थे, उसके बारे में थोड़ा और अधिक विचार करना ज्यादा उत्तम होगा।

मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि कोयला कंपनी कल्याणकारी योजनाएं तो चलाती हैं, लेकिन उनके पास मल्टी-परपज इंस्टीट्यूट चलाने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास बोर्डिंग हाउस बनाने की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए कोई प्रावधान अभी तक नहीं है।

वहां मल्टी-परपज स्कूल चलते हैं, कोई भी कोयला कंपनी ऐसे ही एक दो जगह तो अपने स्कूल चलाती हैं, लेकिन जो स्कूल चलता है, उसके बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं है। हालिडे होम जो कि सिर्फ इसी संगठन के माध्यम से कोल मजदूरों के लिए चलते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से महिलाओं के लिए जो कुछ कल्याणकारी योजनायें थीं, उसमें और सुधार करने के लिए आप और क्या करने जा रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था नहीं हैं। सिर्फ इतना ही कहा

गया है कि जो कुछ भी पैसा बाकी है, या जो भी लायबिलटी है, वह अब सरकार के जिम्मे आ जायेगी। सरकार की मिल्कियत तो पहले भी थी और वह आज भी हो जाएगी, लेकिन जो काम करने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में थोड़ा अधिक विस्तार में जिक्र कर देते तो अच्छा होता।

मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम जो कि कोयला खदान की कम्पनियां भी चलाती हैं और अस्पताल भी करीब-करीब सभी कोल कम्पनियों ने खोल दिये है, वह चलते रहे, लेकिन इन सब कामों को देखने के लिए कोई व्यवस्था अवश्यक की जानी चाहिए। श्रमिकों के क्या विचार हैं, वह क्या चाहते हैं, उनका किस तरह कल्याण होना चाहिए, यह सब देखने के लिए आपके यहां कोई व्यवस्था नहीं है।

आप साझेदारी की बात करते हैं और कहते हैं कि साझेदारी कबूल करो। मैं चाहता हूं कि इसमें और थोड़ा गम्भीरता से विचार हो। अभी तक सभी विरोधी दल के लोग और विरोधी दल की यूनियन वाले आई,एन.टी.यू.सी का नाम लेकर गंगा पार उतर जाते हैं। हम चाहते हैं कि साझेदारी की बात और अधिक स्पष्ट हो जाये। जो कल्याण की योजनायें हैं, इसका साझेदारी ही उपाय हो सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता। कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिस तरह से पहले परामर्शदात्री समितियां हुआ करती थीं, उसी तरह की परामर्शदात्री समितियां अभी भी बनाई जा सकती हैं। हम नहीं समझते कि उनके लिए हमें कोई दिक्कत होगी। जब साझेदारी होगी और उसमें हमारे डायरेक्टर रहेंगे तो जब हम लोग उसमें बैठकर कम्पनी चलाने का फैसला करेंगे तो उस समय साझेदारी की भी बात करेंगे। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अविलम्ब निर्णय करें। जैसा कि इस पर साल में 12 करोड़ रुपये खर्च हुआ। यह 12 करोड़ रुपया खर्च होने में भी हमारी साझेदारी है। हम मिलजुलकर फैसला करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हम ही निर्णय करते हैं कि कैसे उस पैसे को खर्च करें। यह सब करके हमें काफी संतोष भी होता है। अतः मैं भी इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि साझेदारी अवश्य होनी चाहिये, लेकिन इसके साथ-साथ इस विचार में कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए।

आज आप कहते हैं कि सब को पीने का पानी अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन आपने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि कब तक सब को पीने का पानी मिलेगा। इसका राष्ट्रीयकरण किये 14-15 साल हो गये हैं, मालूम नहीं अभी और कितना इन्तजार करना पड़ेगा। अतः इसके बारे में भी थोड़ी सी बात अवश्य होनी चाहिए।

आपने कोल इण्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करके इसे पब्लिक सेक्टर में डाल दिया, लेकिन पब्लिक सेक्टर की जो मान्यतायें हैं, वह भी इसमें आनी चाहियें। आप कोई भी पब्लिक सेक्टर खड़ा करते हैं तो पहले मजदूरों के लिए मकान बनाते हैं, उसके रहने की व्यवस्था करते हैं, नार्म्स तय करते हैं कि इस डिजाइन का मकान बनेगा। उसमें आदमी जो काम करता है उसकी तनख्वाह के मुताबिक मकान बनेगा, उसकी डिजाइन बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोल माइन्स में जब मकान की बात करते हैं तो बैरक और चीप हाउसेज की बात उनके लिए की जाती हैं। जब भी उनके इसके लिए कहा जाता है तो वह कहते हैं कि मकान बनायेंगे लेकिन तुम्हें बैरक में

रहना पड़ेगा, चीप हाउसेज में रहना पड़ेगा। जब जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि यह टेम्पोरेरी फेज है। कितने दिन इन चीप हाउसेज और बैरक्स में वह रहेंगे। उसकी भी क्या अवस्था है कि आज तक इतने दिन के राष्ट्रीयकरण के बाद भी हम 40 प्रतिशत लोगों को भी मकान मुहैया नहीं कर पाये। यह पब्लिक सेक्टर के बारे में हमारी क्या कल्पना है ? किस तरह की बात करना चाहते हैं ?

हम रिक्रिएशन की बात करते हैं। बहुत तरह की बात करते हैं। खर्चा तो करते हैं। हम यह नहीं कहते कि खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हर साल सिवाय कांस्ट्रक्शन ऐक्टिविटी के कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है, कोई ऐसी ऐक्टिविटी नहीं है जिसके लिए आप पैसा रखते हैं, उसके बाद वह लैप्स नहीं होता है। इसलिए कि आपका पैसा किसके माध्यम से खर्च होता है—आखिरकार आपके जनरल मैनेजर और मैनेजर जो भी हैं वही फाइनल एथारिटी हैं आपका कितना पैसा खर्च होता है—उन्हीं के माध्यम से होता है···(**व्यवधान**)···जनरल मैनेजर, मैनेजर और एजेंट के माध्यम से वैलफेयर भी करना चाहते हैं, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी सेफ्टी भी इसी के माध्यम से करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि वह बहुत क्षमता का आदमी है इसलिये वह मैनेजर और जनरल मैनेजर बन गया। लेकिन वह कोई भगवान की क्षमता लेकर तो बैठा नहीं है कि वह सारे काम कर लेगा ? एक मैनेजर और जनरल मैनेजर के माध्यम से आप सारे कार्यक्रम करना चाहते हैं। अगर प्रोडक्शन कम हुआ थोड़ा भी तो उसको मार पड़ने वाली है, उसका सर्विस रेकार्ड खराब होने वाला है। सेफ्टी कमजोर हुई तो वह भी उसकी जिम्मेदारी है और लास्ट प्रायरिटी, सब से अन्तिम जो उसका कार्यक्रम है, वह सोचता है कि जब इतना ठीक होगा तो थोड़ा सा वेलफेयर ऐक्टिविटी भी कर लें। लास्ट प्रायरिटी में उनके लिये कल्याणकारी काम वह रखता है।

इतना बड़ा बैकलाग आपने लिया, 7 लाख कोयला खदान मजदूर और हजारों कोयला खदान के मालिक जिन्होंने जिन्दगी भर उनको लूटा, जिसकी सेवा के लिए इतना बड़ा आर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया था, सेस की व्यवस्था की, कोई मालिक पैसा खर्च करने नहीं जाता था, जनता ने यह पैसा इकट्ठा करके दिया था : देश की जनता पर कन्ज्यूमर के माध्यम से यह सेस लगाया गया था ताकि और नहीं तो कम से कम पीने के पानी, मकान और दवादारू आदि की व्यवस्था तो हो जाय। बहुत बड़ी लायबिलिटी और बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने लिया था। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिये थी, दुर्भाग्यवश उस व्यवस्था में कमी रह गई है। आपने देखा होगा, ऐन्युअल रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे यहां वेलफेयर बोर्ड हैं और वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से काम कराते हैं। हम ने आपके एक बहुत बड़े अधिकारी से पूछा कि मैंने अपनी जिंदगी गंवा दी इन कोयला खदान मजदूरों के बीच में, यह बताइये कि आपका यह वेलफेयर बोर्ड है कहां ? कौन इसके मैम्बर हैं, कौन इसका चेयरमैन है ? आज तक हमको तो खबर नहीं मिल सकी कि तह वेलफेयर बोर्ड कहां है और यह भी उसमें कह दिया गया कि वेलफेयर बोर्ड केवल सी.आई.एल में नहीं है, सभी कम्पनियों में हैं। अब इतना कहने के बाद हमारी तो तबियत खुश हो गई। इसलिए कि भगवान कहीं भी नहीं है तो हम समझ लेते हैं कि भगवान हैं और वह भगवान सर्वव्याप्त हैं। वैसे ही अगर सर्वव्याप्त आपका बोर्ड भी है तो हमें कुछ नहीं

कहना है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि इस तरह से कैसे काम चलेगा ? सिर्फ कहने से तो काम चलेगा नहीं।

हमारा यह निश्चित मत है कि आप जिसके लिए कल्याण की बात करते हैं उसकी इसमें साझेदारी नहीं, बल्कि उसका वर्चस्व होना चाहिए। आप उसी के लिए तो पैसा खर्च करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि मजदूर अपने हाथ में लेकर यह काम करेगा तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। हमने अपने खुद के कांट्रीब्यूशन से एक कम्पनी में मजदूरों का अपना पैसा इकट्ठा करवाया। मजदूरों ने अपना पैसा इकट्ठा किया, दो रुपया प्रति महीना करके इकट्ठा किया। हर महीने दो रुपए चन्दा करके उससे जो फण्ड इकट्ठा होता है उसको खुद अपनी साझेदारी से वह चलाते हैं। हमारी साझेदारी तो पता नहीं आपको कितनी कबूल है लेकिन हम अपनी साझेदारी से वह कल्याणकारी कार्यक्रम अपनी कम्पनी में चलाते हैं और आप जानकर जानते होंगे उस कल्याणकारी काम में जितनी हम स्कालरशिप दे पाते हैं, जो दुरवस्था में कोयला खदान के मजदूर पहुंच जाते हैं उनको जितनी राहत पहुंचा पाते हैं, आपकी किसी और कम्पनी ने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया है हम भी कार्यक्रम चला सकते हैं इसको तो हमने साबित करके दिखलाया है हम चाहते हैं कि आप हमपर थोड़ा सा विश्वास करें। हम तो आप पर विश्वास करते ही हैं। आपके फंड में हमने अपना पैसा जमा कर रखा है और अपने खर्चे का हम आडिट भी करवाते हैं, कोई बेजा खर्चा न हो इसकी व्यवस्था करते हैं। आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8 सौ करोड़ रुपया खर्च करना चाहते है तो ऐसे कार्यक्रम में चलाये जाने चाहिए जिससे कि मजदूरों को संतोष हो। आप बताइए कि आप मजदूरों को विश्वास में लेकर उनके निर्णय के अनुसार और उनका वर्चस्व कायम रखते हुए अपने कार्यक्रमों को चलाना चाहते है। हमको कोई गिला नहीं है कि कोलमाइन्स वेलफेयर आर्गेनाईजेशन खत्म हो गया। मैं एडवाइजरी कमेटी का आज भी मेम्बर हूं। पुराने जितने भी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। आजतक जो वहां पर काम हुये है वह सराहनीय हुए हैं। आज उनको हम विदाई दे रहे हैं और हमारा विश्वास है कि वैसा काम करने वालों की सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था होगी। वहां जो काम करते हैं, जो जिस स्थान पर हैं उनके माध्यम से आप भी अच्छा काम कराने के लिए आप सोचेंगे और हम साझी लोगों के लिए सेवा भाव रखेंगे। और जब सरकार में मर्ज कर दिया है तो उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी जबकि कम्पनी में देंगे, तो उसके बारे में भी स्पष्ट निर्णय हो जाना चाहिए। यही मेरे सुझाव थे। और अधिक क्या कहूँ, आपकी घटी जोर से बज रही है, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा सुझाव है मन्त्री जी इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और जो उनकी मंशा है, नीयत है उस पर हमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन उनकी मंशा और नीयत कार्यरूप में परिणित करने के लिए भी कदम उठाए जायें इसके बारे में भी विचार होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, उत्पादन, विकास और कल्याण का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए इन खनिज संसाधनों का विदोहन करने की दृष्टि से खनिकों के कल्याण कार्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार की मूल नीति श्रमिक वर्गों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को

ऊंचा उठाने की है। कोयला उद्योग का यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि श्रमिक कल्याण का ध्यान रखा जाएगा।

कोयला खनिकों के जीवन और कार्य करने की स्थितियों में सुधार करने और उन्हें आवास जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के संबंध में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 1944 में एक अध्यादेश जारी किया था, जिसे बाद में कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के रूप में परिवर्तित किया गया था।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, कोयला खान कल्याण निधि की स्थापना उस समय की गई थी, जबकि कोयला खानें गैर सरकारी मालिकों के स्वामित्व में थी। उस समय यह विचार नहीं था कि इसके द्वारा सम्पूर्ण कल्याण की देखभाल की जाएगी। केवल यही विचार था श्रमिक वर्गों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। वस्तुत: श्रमिकों के सम्पूर्ण कल्याण पर ध्यान देने के लिए कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया था।

कुछ भी सही, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण कार्य की देखभाल करने के लिए सरकार द्वारा कम से कम उत्तर दायित्व का निर्वाह किया जाता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के ऐसे जोखिमपूर्ण उद्योग द्वारा समितियों सम्मेलनों, स्थायी समितियों आदि द्वारा उद्योग के लिए की गई सिफारिशों का पूरी तरह पालन करने का प्रयास किया गया है. कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी समिति अथवा सम्मेलन की तरह, खान अधिनियम और नियम तथा विनियम भी विद्यमान है जो कोयला खानों में श्रमिकों की सुरक्षा और कार्य स्थितियों पर नजर रखने के लिए कानूनी आधार तैयार करते हैं।

कोयला खानों की सुरक्षा और कार्य स्थितियों को विनियमित करने तथा श्रमिक कल्याण कार्य पर नजर रखने के लिए खान अधिनियम और नियम-विनियम तथा सांविधिक निकाय मौजूद हैं।। अत: इसके लिए दो-दो निकाय न होने चाहिए। अब वहां श्रमिकों के कल्याण की ओर ध्यान देने के लिए छोटे निकाय के बजाय एक बड़ा निकाय है। इसीलिए 1947 के अधिनियम का निरसन आवश्यक है और हम इसका स्वागत करते हैं।

खानों के भीतर और बाहर श्रमिकों के कल्याण कार्य की देखभाल करने की दृष्टि से कोयला खान सुरक्षा सम्बन्धी समिति द्वारा विभिन्न उपाय करने की सिफारिश की गई थी और उन सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वे सिफारिशें इस प्रकार हैं जैसे कोयला खानों में आन्तरिक सुरक्षा संघ की स्थापना, ओपन कास्ट खनन का विकास करने तथा कोयला खनन के गड्ढों की सुरक्षा के प्रति सक्रिय होने के संबंध में हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रति 10 लाख टन कोयले के खनन में मृत्यु दर को घटाकर एक करने के लक्ष्य को वर्ष 1990 तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। वर्ष 1976 से 1981 तक मृत्यु दर में निरंतर कमी हुई है। हमें इस बात पर प्रसन्नता है चूंकि हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं, अत: 5 वर्षों की क्योंकि वर्ष 1981 में मृत्यु दर 1.28 तक इस स्थिति में कुछ सुधार होना चाहिए। किन्तु वर्ष 1982-83 के दौरान स्थिति ऐसी नहीं थी और 1982 और 1983 में यह बढ़कर क्रमश: 1.31तथा 1.33 हो गई। निसंदेह रूप से बाद में यह कम हो गई थी।

महोदय, हम श्रमिकों के कल्याण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जहां तक मृत्यु का संबध है इसमें कुछ कमी होनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, हमें ओपन कास्ट पद्धति अपनानी चाहिए । जो प्रौद्योगिकी, भूमिगत खनन प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक सुरक्षित है । निस्सदेह हमारे पास भूमिगत खनन में भी भूमिगत खनन प्रोद्योगिकी उपलब्ध है । इसके लिए कोई उपयुक्त प्रोद्योगिकी होनी चाहिए ताकि खनन में काम करने वाले व्यक्तियों को जोखिमपूर्ण स्थितियों में कम से कम संख्या में छोड़ा जाए। कोयला खान श्रमिकों को दुर्घटना से बचाने के लिये सुरक्षापायों में सुधार किया जाना चाहिए। जब भी कभी दुर्घटना के कारण किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती हैं तो उसके परिवार के सदस्यों को तत्काल नौकरी दी जानी चाहिये और उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिये ।

महोदय सरकारी क्षेत्र द्वारा आवास, चिकित्सा, पेयजल सुविधाओं, शिक्षा सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी उपायों का और गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । जहां तक आवास का संबंध है, हम देखते हैं कि 27 प्रतिशत कोयला खनिकों को मकान दे दिये गये हैं । सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्योगों के मुकाबले बहुत कम लोगों को यह सुविधा मिली है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्योगों में 40 प्रतिशत कर्मचारियों को आवास सुविधा प्राप्त है। किन्तु जहां तक कोयला खनिकों का सम्बन्ध है, यहां तक कि कुछ स्थानों पर तो हम देखते हैं कि 27 प्रतिशत कर्मचारियों को भी आवास सुविधा प्राप्त नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आवास सुविधा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है ।

चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि दैनिक दवाइयों के वितरण के संबंध में कोयला खनिकों को वास्तव में बहुत कम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये दवाइयां प्रयाप्त भी नहीं होती . कोयला खनिक वास्तव में जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं । उनके पास रहने क लिए समुचित सफाई सुविधाओं वाले उपयुक्त आवास भी नहीं हैं । सफाई की स्थिति बहुत असंतोषजनक है । कोयला खान श्रमिकों में काफी संख्या में क्षय रोग पाया जाता है । इसके लिए उपचारात्मक और निवारक उपाय किये जाने चाहिये । आज कल भी श्रमिकों को अस्पतालों में इलाज के लिये भर्ती होने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; उन्हें लम्बे अर्से तक प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं; सैनीटोरियम इलाज के लिए कभी-कभी तो उन्हें एक वर्ष से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह संभव नहीं हो, तो कुछ कोयला खानों में एकत्रीकरण की प्रणाली द्वारा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है ।

यह कहा जाता है कि आवधिक चिकित्सीय जांच के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं की हुई हैं । किन्तु ऐसा है नहीं । इस प्रयोजनार्थ, विशेषज्ञों की मदद से, यहां तक कि गैर-सरकारी डाक्टरों की मदद से भी, कामगारों की चिकित्सीय जांच के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिये ताकि समुचित निगरानी प्रणाली के अन्तर्गत यथोचित समय-सीमा के भीतर कामगारों को पूरी सुविधा प्रदान की जा सके । इसके अतिरिक्त, एक क्षेत्रीय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अस्पताल निर्मित किये जाने चाहिए ताकि निटकवर्ती क्षेत्रों से उचित इलाज के लिए उनका स्थानान्तरण किया जा सके क्योंकि वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त और अनुपयुक्त है ।

पीने के पानी के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उचित रूप से उपलब्ध नहीं

है और पीने के पानी के संकट को देखकर मन में बड़ा दुःख होता है। प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिलना चाहिये। यह दशक 'स्वास्थ्य रक्षा दशक' है। इन कामगारों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए। जब खान में पानी भर जाता है, तो कामगारों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोयला-खान में से पानी को पम्प द्वारा बाहर निकाला जाना चाहिये। पानी के संरक्षण का कोई अच्छा और वैज्ञानिक तरीका नहीं है। यदि पानी का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण किया जाये, तो इस पानी का सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि यह संभव है या नहीं। इस संबंध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की कोई योजना बनाई गई है।

शैक्षिक क्रिया कलापों के बारे में यह देखकर मुझे प्रसन्नता है कि इन क्षेत्रों में बहुद्देशीय संस्थान स्थापित किये गये हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि महिलाओं को बड़े पैमाने पर शिक्षित किया जाये और यदि आवश्यक हो, तो कुछ प्रोत्साहन भी दिये जायें। इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

समापति महोदय : यह एक मात्र अधिनियम को निरस्त करने वाला विधेयक है। इस समय श्रमिक कल्याण के सभी उपायों पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। कृपाया समाप्त करें।

श्रीमती जन्यती पटनायक : उड़ीसा में अनेक कोयला क्षेत्र हैं। ईब घाटी को रोजगारोन्मुख और कल्याणोन्मुख बनाने के लिए इसका विदोहन किया जाना चाहिए और इसे ईब घाटी परियोजना के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिये। उड़ीसा की जनता इस वृहत क्षमता को और उन क्षेत्रों में रहने वाले श्रमजीवी वर्ग को दृष्टि में रखते हुए काफी लम्बे समय से एक अलग कम्पनी के गठन की मांग करती आ रही है। एक अलग कम्पनी के गठन द्वारा उनके कल्याण कार्यों पर ध्यान रखा जा सकता है। एक अलग कम्पनी के गठन पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। कम से कम उड़ीसा के लिए एक कोयला डिवीजन बनाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का निरसन करने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कामगारों के कल्याण का मसला, विशेषतया कोयला-खान कामगारों का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मालूम है कि कोयला खान कामगार किन परिस्थितियों में रहते हैं। वे 'धौरस' में रहते हैं, खानों मेंबने मकानों को 'धौरस' कहा जाता है, इसमें एक अकेला कमरा होता है, सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं, कोई बातायन नहीं और पीने के लिए शुद्ध पानी की आपूर्ति नहीं लाखों कोयला-खान कामगारों ने 9 अप्रैल को हड़ताल की थी और यह हड़ताल पूरी तरह सफल रही थी। उनकी क्या मांगे थीं ? उनकी मांगे प्रायः कामगारों के कल्याण-कार्यों अर्थात कोयला खान कामगारों के लिये एक पेंशन योजना तैयार करना समूचे कोयला उद्योग के लिए समान स्थायी आदेशों को अन्तिमरूप देना, बोनस-सीमा का हटाया जाना, समयबद्ध प्रोन्नति योजनाएं, इत्यादि से संबंधित थीं। उनकी एक प्रमुख मांग

कोयला-खान कामगारों के आश्रितों में से एक की भर्ती करने की थी। इसके बारे में सरकार ने कहा है कि यह असंवैधानिक है। किन्तु, इस बारे में एक करार किया गया था। दोनों पक्षों, श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और जेबी सी. सी. आई. में कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि ने इस करार पर हस्ताक्षर किये थे। उस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कोल इण्डिया लिमिटेड और सरकार ने नहीं सोचा था कि यह असंवैधानिक होगा। इस करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् तीन वर्ष बीत चुके हैं। तीन वर्षों के बाद भी, जितने मकानों के निर्माण का वायदा किया गया था उसमें अभी तक केवल 40 प्रतिशत मकानों का निर्माण ही हो पाया है। यद्यपि इस बात का दावा किया गया है कि कोल इण्डिया लि. के प्रबन्ध द्वारा 16 लाख लोगों को पानी की सप्लाई की जा रही है अधिकांश कोयला-खान कामगारों को कोयला-खानों में जमे हुए अशुद्ध जल पर निर्भर करना पड़ता है।

शिक्षा के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विद्यालयों के अनावश्यक अनुदान, जिसपर एन. सी. डब्ल्यू. ए. में सहमति व्यक्त की गई थी, वितरित नहीं किये गये हैं। कोयला-खान कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा-संबंधी सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। कोल इण्डिया लि. के अपने स्कूल क्यों नहीं हैं जबकि सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों जैसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अपने शैक्षिक संस्थान हैं? कोल इण्डिया लिमिटेड के कोई अपने स्कूल क्यों नहीं हैं?

उस करार के किये जाने के बाद अभी तक कोयला-खनिकों के लिए उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं में कोई सुधार नहीं किया गया है। यहां तक कि कोयला-खनिकों के लिए आवश्यक एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं है। कामगारों की कालोनियों और बस्तियों में सफाई-सुविधाएं भी विद्यमान नहीं हैं।

अनुपस्थिति को कुचलने के नाम पर कामगारों को निकाला जा रहा है एक दिन की अनुपस्थिति के लिए आठ दिनों की मजदूरी काटी जाती है। कामगारों को निकाला जा रहा है और नये सिरे से भर्ती की जा रही है। अनिवर्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी राशि को कामगारों के भविष्य निधि में जमा किया गया है और उन्हें इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। माननीय मन्त्री महोदय ने मुझे यह यह आश्वासन दिया है कि एक उपयुक्त विधान लाया जायेगा जिसके अन्तर्गत अनिनार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई राशि को कामगारों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा और कामगारों को इस राशि का भुगतान किया जा सकेगा। रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद अभी तक 31 दिसम्बर 1985 तक केवल 125927 और मकान बनाये गए हैं जिससे कुल कामगारों के 32-29 प्रतिशत कामगारों को ही संतुष्ट किया जा सका है।

सभापति महोदय : क्या यह सब तर्क संगत है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह कामगारों के कल्याण-उपायों से संबंधित है।

सभापति महोदय : हम निरसन कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : जी हां, आप निरसन कर रहे हैं, किन्तु आप इस अधिनियम का

निरसन करने के पश्चात् कामगारों के कल्याण की जिम्मेदारी ले रहे हैं।

महोदय, कुछ दिन पहले श्री साठे ने यह आश्वासन दिया था कि इस शताब्दी के अन्त तक सभी कोयला खान कामगारों को मकान दे दिया जायेगा। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार किया जा सकता है जबकि अभी तक केवल 31.29 प्रतिशत कामगारों को ही मकान दिये गये हैं। महोदय, कोयला-खनिकों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात् अभी-भी अवैज्ञानिक तरीके से खनन जारी है और खान सुरक्षा महानिदेशालय के स्टाफ की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण समुचित रूप से निरीक्षण नहीं किया जाता है। यहां तक कि महानिदेशक, खान-सुरक्षा के कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया है परिणाम स्वरूप अनेक खाने बनती जा रही हैं और पिछले पांच वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। खान-सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। खान श्रमिक कल्याण निधि विधेयक में संशोधन किये जाने के बावजूद जानलेवा दुर्घटनाओं से संबन्धित स्थिति की गंभीरता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। 1980 में 141 दुर्घटनाएं हुई और इसमें, 160 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1981 में, दुर्घटनाओं की संख्या 165 थी और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 184 थी 1982 में, दुर्घटनाओं की संख्या 158 थी। और मरने वाले व्यक्तिओं की संख्या 185 थी। 1983 में, 156 दुर्घटनाएं हुई और 191 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1984 में, दुर्घटनाओं की संख्या 160 थी और मरने वालों की संख्या 171 थी।

महोदय, सुरक्षा सम्मेलनों की कुछ सिफारिशों को अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी क्रियान्वयन नहीं किया गया है और दुर्घटनाओं की केवल 5 जांच रिपोर्टें ही उपलब्ध हैं तथा सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, परिणामस्वरूप घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। महोदय, सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन मात्र दिखाने की बात है और इससे कामगारों में सुरक्षा-जानकारी को विकसित करने में कोई मदद नहीं मिलती। सुरक्षा पहलू के संबन्ध में कामगारों को शिक्षित करने के प्रश्न को खान-प्रबन्धकों द्वारा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। प्रबन्ध की यह सामान्य प्रथा है कि एक ही व्यक्ति उत्पादन और सुरक्षा दोनों का प्रभारी-अधिकारी होता है। इस प्रकार, उत्पादन-पहलू को प्राथमिकता मिल जाती है और सुरक्षा पहलू पृष्ठभूमि में चला जाता है।

महोदम, उन्होंने पहले ही कहा है कि कामगारों को भागीदार बनाये जाने की आवश्कता है। यद्यपि मन्त्री महोदय ने इसकी पहल की है, फिर भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है मैं नहीं जानता कि इसे क्यों रोका गया है। प्रक्रिया रोक दी गई है। ऐसा क्यों है कि प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतपत्र पर विचार नहीं किया जाता। एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है भूमि का धसना, विशेष रूप से रानीगंज क्षेत्र में। समितियों का गठन किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सम्पूर्ण रानीगंज शहर खतरे में है। सरकार को रानीगंज शहर को बचाने के लिए तथा रानीगंज के असुरक्षित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्षति से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। महोदय, मैं आशा करता हुं कि इस विधेयक के निरसन के पश्चात् कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद यह अधिनियम अभी भी अस्तित्व में है। अब सरकार कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम को निरस्त करना चाहती है।

इस अधिनियम को निरस्त करने के पश्चात् सरकार को कल्याण उपायों विशेषतया कोयला खान मजदूरों को आवासीय सुविधा प्रदान करने, पीने के पानी की व्यवस्था करने, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने और कोयला खानों में काम की स्थितियों में सुधार लाने की जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में ठोस उपाय करेंगे।

डा. फूलरेणु गुहा (कन्टई) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, यद्यपि मैं ऐसा महसूस करती हूं कि इसे बहुत विलम्ब से पुरःस्थापित किया गया है। कोयला उद्योग का 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, किन्तु सरकार इस विधेयक को 1986 में 13 वर्षों के पश्चात् ला रही है। फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं।

विधेयक में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों ने कर्मचारियों के कल्याण कार्यों की देखभाल करने की जिम्मेवारी ली है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि यह कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि किस प्रकार के कल्याण कार्य कोयला खानों में किए जा रहे हैं। यदि किसी ने कोयला खानों का दौरा किया है, तो वह मुझसे सहमत होगा/होगी कि वहां मुश्किल से ही कोई कल्याण कार्य किया जा रहा है। वहां पर मुश्किल से कोई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए अस्पताल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बच्चों के लिए कोई शिशु-गृह नहीं है नाम के लिए मुश्किल से कोई स्कूल है, आवास सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं और वहां जो हैं भी, वे अच्छी स्थिति में नहीं हैं। वहां पर पानी की किल्लत है, और बच्चों तथा वृद्धों के मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं हैं। इन कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए मनोरंजन के समुचित इन्तजाम किए जाने की आवश्यकता है। मनोरंजन का कोई इन्तजाम नहीं होने का परिणाम यह होता है कि उनके पास शराब पीने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता जिसके परिणामस्वरूप गृहणियों को घर पर आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं और साथ ही शारीरिक रूप से भी वे पीड़ित होती हैं। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे सूचित किए बिना किसी कोयला खान का दौरा करें। यह मसला इस पार्टी की सरकार या उस पार्टी की सरकार, कांग्रेस (आई) या किसी अन्य पार्टी की सरकार का नहीं है। जब भी कोई मन्त्री कहीं जाता है तो वहां सारी बातों की व्यवस्था पहले से ही की हुई होती है। वह मन्त्री कांग्रेस पार्टी का हो सकता है अथवा किसी अन्य पार्टी का हो सकता है क्योंकि हमारे देश में अनेक पार्टियां हैं और हमारे देश के कुछ भागों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं।

सुरक्षा की व्यवस्था दुःखद है। मैं सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में भी बोलना चाहती थी किन्तु मेरे पूर्व वक्ता ने विस्तार से बातें बताई हैं इसलिए मैं इस सम्बन्ध में और बातें नहीं करना चाहती।

मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे इस बात की ओर ध्यान दें कि विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय कक्षों को सही ढंग से स्थापित किया जाये। ये समुदाय कक्ष केवल नाम के लिए ही नहीं होने चाहिए। मैंने औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक घरानों द्वारा चलाये जा रहे अनेक समुदाय कक्षों का दौरा किया है। समुदाय कक्ष तो ऐसे स्थान होने चाहिए जहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपना खाली समय बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के विभिन्न

शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल साधनों में व्यतीत कर सकें। सरकार ने कहा है कि इस शताब्दी के अन्त तक सभी लोगों को शिक्षित हो जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए कोयला खान क्षेत्रों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वयस्क शिक्षा केन्द्र व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र और बच्चों के लिए विद्यालय होने चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों के सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनमें से अनेक बहुत प्रतिभाशाली और वे चीजों को सहज-भाव से ही सीख लेते हैं। लेकिन उनके लिए कोई सुविधायें नहीं हैं। उनमें से कुछ गा सकते हैं, कुछ नाच सकते हैं और कुछ विभिन्न वाद्य-यन्त्र बजा सकते हैं। किन्तु उनके जीवन में उनके हुनरों को विकसित करने के लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती। अतः मेरा मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि इन लोगों को कुछ अवसर प्रदान किये जायें। इसे अभी तुरन्त करना आपके लिए संभव नहीं है। किन्तु यदि आपके पास कोई योजना है, तो इसे धीरे-धीरे किया जा सकता है। और इनमें से हमें बहुत प्रतिभाशाली लोग मिल सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : माननीय सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947 को निरस्त करना है जिसे कोयला-खान उद्योग में लगे कामगारों को आवास, जलपूर्ति, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन और परिवहन सुविधाओं के रूप में सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत पहले अधिनियमित किया गया था।

माननीय मन्त्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण को अधिक महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता। अब चूंकि यह सरकारी क्षेत्र में है, इसलिए इन श्रमिकों के कल्याण-कार्यों को देखना अब सरकारी क्षेत्र और भारत सरकार का कर्तव्य है। यह हमारी सरकार का लक्ष्य भी है। जैसाकि मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है, इन कल्याण-कार्यों को चलाने के लिए इस अधिनियम की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि अकेले सातवीं योजना में ही इन कल्याण-कार्यों पर 800 करोड़ रुपये से भी अधिक के व्यय किये जाने की बात कही गई है।

मैं विधेयक के खण्ड 5 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो किसी सरकारी कम्पनी में अधिकारों को निहित करने हेतु निदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति के बारे में है। क्या मैं सभी मजदूरों के हित में एक सुझाव दे सकता हूं ? सभी मजदूरों, जिसमें कोयला क्षेत्र के मजदूर भी हों, के मामलों और उनके कल्याण कार्यों की देख भाल के लिए एक केन्द्रीय कल्याण बोर्ड बनाने के बारे में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। निःसंदेह विभिन्न कंपनियां अपने पृथक-पृथक बोर्ड बना सकती हैं। किन्तु सम्पूर्ण कल्याणकारी कार्यकलापों और अधिक प्रभावकारी समन्वय करने तथा इन कल्याण बोर्डों को अवश्य निर्देश देने के लिए उन मजदूरों के हितों में एक व्यापक विधेयक लाया जाये ताकि न केवल कोयला खानों में काम करने वाले बल्कि अन्य कारखानों आदि में भी कार्यरत मजदूरों को वास्तविक लाभ पहुंच सके। मैं मन्त्री महोदय से इस पहलू पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

इसी तरह खण्ड 6(2) में यह बताया गया है कि " किसी वाद या कार्यवाही का संस्थित किया जाना अथवा ऐसी अपील करना नियत दिन के पूर्व वर्जित नहीं था ....." । मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां स्पष्ट कारणों की अपीलें फाइल नहीं की गई हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अपील समय पर फाइल नहीं की गई हैं, जो नियत समय से वर्जित हो गई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करें कि क्या यह वाक्य "अपील नियत दिन के पूर्व वर्जित नहीं थी" का लोप किया जा सकता है ताकि अपीलों को आवेदन के साथ फाइल किया जा सके, यदि उसमें किन्हीं अन्य कारणों से समय वर्जित हो गया हो और उसके वैध कारण हों।

कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 में किया गया था। कोयला उद्योग में मजदूरों को इससे निश्चित रूप से काफी लाभ प्राप्त हुआ है और हम चाहते हैं कि उन्हें और लाभ दिये जाने चाहिए। किन्तु यह सरकार की उपलब्धि है।

भारत में नीति मुख्यत: श्रम सम्मेलन में हुई वार्ता और उसकी सिफारिशों पर निर्भर है। हाल ही में खानों में श्रमिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक सम्मेलन हुआ था। मन्त्री महोदय ने भी उस सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने सम्मेलन में केवल भाग ही नहीं लिया बल्कि उन्होंने चर्चा में भी हिस्सा लिया था और कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए थे। इस सम्मेलन में श्रमजीवी वर्ग, कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों और स्वयं मन्त्री महोदय ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिए। सम्मेलन में अनेक पहलुओं पर सिफारिशें की गई थी। मैं यहां उन सिफारिशों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मन्त्री महोदय जानते हैं। इस सम्पूर्ण मामले पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। माननीय मंत्री महोदय ने भी प्रबन्ध में श्रमिक योगदान की बात उठाई है। यह संविधान के अनुच्छेद 43 क में उल्लिखित है जिसमें बताया गया है :

> "राज्य, उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।"

वर्ष 1956 से पूर्व औद्योगिक नीति संकल्प इस प्रकार था :

> "एक समाजवादी लोकतंत्र में मजदूर विकास के सामान्य कार्य में एक भागीदार के रूप में है और उसे इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। इस संबंध में संयुक्त रूप से परामर्श होना चाहिए और जब कभी संभव हो, मजदूर प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में अधिकाधिक रूप से सम्बन्ध होना चाहिए।"

इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय, जो कि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के पक्ष में हैं, से अनुरोध करता हूँ कि इसे जल्दी ही कार्यान्वित किया जाये।

सम्मेलन में सुरक्षा के पहलू पर भी चर्चा हुई है। संयुक्त महा-निदेशक, खान, को खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों को लागू करने का लोप सौंपा गया है। खानों में श्रमिकों की सुरक्षा अभी भी पूरी नहीं है। विभिन्न वर्षों के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है और मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस पहलू की

ओर आकर्षित करता हूं। वर्ष 1961 में घातक दुर्घटनाओं की संख्या 222 थी जबकि वर्ष 1983 में यह संख्या 149 थी। वर्ष 1961 में 268 व्यक्ति मारे गए थे और 1983 में 182 व्यक्ति। मैं यहां कोयला खानों के बारे में बोल रहा हूँ, अन्यों के बारे में नहीं—वर्ष 1961 में गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या 36 थी जबकि वर्ष 1983 में यह संख्या 30 थी। मैं अन्य आंकड़ों के बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं। इसलिए यह पता चलता है कि दुर्घटनाओं की संख्या में किसी हद तक कमी हुई है। किन्तु अभी भी इस पहलू पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए। मन्त्री महोदय इन दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों से अवगत हैं और वह जानते हैं कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इस बात पर हाल के सम्मेलन में बड़ी बारीकी से चर्चा की गई थी।

5.00 म.प.

उड़ीसा में बहुत अधिक गरीबी है। मन्त्री महोदय ने इस सभा में बताया है कि उड़ीसा में उपयुक्त कोयला उपलब्ध है जो बिजली पैदा करने के लिए बहुत अच्छा है। उड़ीसा में बिजली की भारी कमी है। अनेक बार कई सदस्यों ने इस सभा में अनुरोध किया है कि तालचेर, जहां कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, मैं सुपर ताप बिजलीघर और इब घाटी में विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जाये। अत: इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार किया जाये क्योंकि उड़ीसा में बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह जरूरी है कि एक पृथक कोयला कम्पनी और कोयला डिवीजन हो, जैसे कि पहले मांग की गई थी।

यह कहा जाता है कि कोयला खानों में श्रमिकों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जाता है किन्तु कोयला खानों के अन्दर से पानी पम्प द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसी पानी को, जिसे पम्प द्वारा बाहर निकाला जाता है, इस तरह से उपयुक्त बनाया जाये कि यह पीने के उपयुक्त हो सके और इसके अतिरिक्त यही पानी यदि संभव हो तो सिंचाई के प्रयोजन हेतु भी काम में लाया जाए। यह प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। अत: जिन श्रमिकों को पेयजल नहीं मिल रहा है, उनकी समस्या इस प्रक्रिया द्वारा हल की जा सकती है, यदि सिंचाई की बात छोड़ भी दी जाये। सिंचाई के संबंध में बाद में ध्यान दिया जा सकता है किन्तु पेयजल की समस्या इस प्रक्रिया द्वारा हल की जा सकती है।

आवास समस्या एक ऐसी समस्या है जिस पर सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि खानों में सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय परिषद को और सक्रिय किया जाना चाहिए और श्रमिकों को सुरक्षा के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि दुर्घटनायें कम हों। यह कार्य मुख्यत: श्रव्य-दृश्य सहायता से प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है।

सदस्यों ने बताया है कि कोयला खानों में कोयले की चोरी हो रही है। और उन्होंने कोयला खानों की अन्य समस्याओं का भी उल्लेख किया है जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता। इन मामलों पर विचार करने की कृपा की जाये और समुचित कार्यवाही की जाये।

5.02 अ.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम कुमार राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कोल माइन्स लेबर वेलफेयर (रिपील) बिल का समर्थन करता हूं। यह पूरा सदन जानता है कि पुराना जो ऐक्ट था वह आज के युग की जरूरियात को पूरा कोप नहीं कर पाता था। इसलिए अब हमें इसको अमेंड करना पड़ा। इस को अमेंड करने से पुराना ऐक्ट समाप्त हो जायगा और दूसरी बातें जो हमारे लिए जरूरी हैं वह शुरू हो जायंगी।

मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अब कोल माइन्स में लेबर का सहयोग लेने का संकल्प लिया है जिसके लिए हमारे दूसरे साथियों ने भी कहा है कि उसके अन्दर उन्हें वर्चस्व भी प्राप्त है। वह बधायी के पात्र हैं। हमारी सरकार मास्को से सहयोग लेकर सन् 2 हजार तक के लिए नया टार्गेट निश्चित कर रही है ताकि कोयले के मामले में कोई कमी न रह जाये और हम आगे बढ़ जायें। यह और भी खुशी की बात है कि कोयले के खोजने को सातवीं पंचसाला योजना में हम प्राथमिकता दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि 1985 में हमारे देश में कोयले का रिकार्ड उत्पादन हुआ। 1984 में 17 करोड़ 22 लाख टन का उत्पादन हुआ। 1986 में उत्पादन का रेट बढ़ा है जो देश के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस रिकार्ड उत्पादन के लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बधायी देता हूं लेकिन इस बिल का सम्बन्ध लेबर वेलफेयर से है और उसके फंड से है। भारत एक जनकल्याणकारी राज्य है। जब भी हम बात करते हैं देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाने की, और टैक्नालाजी बढ़ाने की, वहां हमारा विभाग जरूर देखता है कि जो हम कर रहे हैं, देश के लोगों, देश में रहने वाले निवासियों की सुख-सुविधा, कल्याण के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। और जब ऐसी बात हो तो श्रमिकों का नाम उसमें सबसे पहले नम्बर पर आता है। उन श्रमिकों में भी कोल माइन्स के श्रमिकों की हालत बड़ी बदतर है, बड़ी बुरी है। उनके लिए हमें सबसे पहले सोचना होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से, माननीय मन्त्री जी से कि जहां इन्होंने और दूसरी प्रायरीज फिक्स की हैं कि हम उत्पादन बढ़ायेंगे, रशियन कोलाबोरेशन से सारी चीजें आगे बढ़ायेंगे, वहां श्रमिकों के वेलफेयर पर भी अधिक ध्यान दें।

1973 में जब इस देश में कोयले का राष्ट्रीकरण हुआ था तब सारे देश को उम्मीद हुई थी कि जब कोयले की खदानें प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में राष्ट्रीकरण के बाद गई हैं तो मजदूरों की सुविधायें भी बढ़ेंगी। उन्होंने आशाओं के दीप जलाये थे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया क्योंकि 13 वर्ष के बाद भी, जो गति पहले प्राइवेट सेक्टर में थी वही आज पब्लिक सेक्टर में भी बनी हुई है। पब्लिक सेक्टर में आने के बाद भी आज मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उनके रहने के लिए मकान हैं। मैं समझता हूँ यदि मन्त्री जी जाकर देखें तो स्थिति यह है कि बिना वेंटिलेशन के, बिना खिड़की और जंगले के छोटी साइज के और छोटी छतों के मकान बने हुए हैं जिनमें जाड़ों में वे फ्रीज हो जाते हैं और गर्मी के दिनों में गर्म तवे की तरह जलते हैं। कोई भी इन्सान इस

बीसवीं शताब्दी में ऐसे मकानों में नहीं रह सकता है। राष्ट्रीकरण के बाद उनकी मजदूरी आपने जरूर बढ़ा दी है, नये-नये वायदे भी बहुत कर दिए हैं लेकिन एक जनकल्याणकारी राज्य में श्रमिकों को जो हिस्सा मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिला है। आज भी उसी प्रकार से शोषण हो रहा है, उसी प्रकार से दोहन हो रहा है, सूद-खोरी भी उसी प्रकार की है। मेरी तो प्रार्थना यह है कि जनकल्याणकारी राज्य में सरकार केमिटेड है, राष्ट्र कमिटेड है मजदूरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज माफिया गिरोह के लोग अधिकारियों से संरक्षण प्राप्त करके, बल्कि मैं कहूं नेताओं तक से संरक्षण प्राप्त करके इस तरह से हावी हो रहे हैं कि मजदूरों के हित गौण हो जाते हैं। आप उनके आँसू नहीं पोंछ सके हैं। इसलिए मैं चाहूँगा मंत्री जी, इस ओर विशेष ध्यान दें।

स्वास्थ्य का जहां तक सम्बन्ध है, आप जानते हैं काले फेफड़े की भीषण बीमारी आज भी खदानों की बस्तियों में पड़ी हुई है। वहां पर मच्छरों का प्रकोप आज भी है। इसलिए सबसे पहले उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अभी सरकार ने दो तीन महीने पहले कोयले के दाम 27 रुपए प्रति टन बढ़ा दिए जिसका असर यह हुआ कि देहातों में ईंटें मंहगी हो गई। और जो आदमी अपने मकान बनाने की थोड़ी स्थिति पैदा कर सकता था, वे सब काम अपनी जगह पर ठप्प हो गए हैं।

मान्यवर, इस कोयले में घोर बाजारी की समस्या है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले से आता हूं जहां का सीधा संबंध रानीगंज, झरिया और धनबाद की खानों से है। वहां हमारे श्रमिक जाकर हजारों हजार की तादाद में रहते हैं। जहां गरीब मजदूर दिन भर मेहनत करके सालो-साल अपना घर छोड़ कर, अपना जन्मस्थान छोड़ कर और अपना ग्राम्य जीवन छोड़ कर हजार पांच सौ कमा पाता है, ऐसी बुरी स्थिति में माफिया गिरोह के लोग लखपति और करोड़पति हैं और वे धनबाद में रहते हैं अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में। इसलिए सब से पहला काम होगा इस चीज को देखने का। दूसरा वर्ग वह है कि कोयले के व्यापार में फर्जी डी. ओ लेकर कोयला लेता है और ब्लैक में बेचता है। आप बलिया में जाए, आप गाजीपुर में जाएं, आप आजमगढ़ में जाए और आप जौनपुर में जाए, ऐसी जगहों में सप्लाई आफिसर के यहां से फर्जी डी. ओ लेकर जाता है और दुगने और तीन गुने दामों में वहीं पर कोयला बेच देता है और कोयला उन जिलों में देखने को नहीं मिलता है, न ट्रक से और न रेल से। इस तरह से दो किस्म के लोग बढ़े हैं। जहां अधिकारी बढ़े हैं वहां माफिया गिरोह के लोग बढ़े हैं और ये जो फर्जी जाल बट्टा करने वाले लोग हैं, जो डी. ओ लिखवा कर कोयला ले जाते हैं, इन पर अंकुश लगाने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही काम्प्रीहेंसिव स्कीम बताई है और कहा है कि हम उसके बारे में कुछ करेंगे लेकिन मैं एक चीज कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और वह यह है कि कोयले की कमी नहीं है और हमने और पूरे सदन ने जो सुझाव इस बारे में दिए हैं, उन पर आप ध्यान दें। कोयले की पैदावार अपनी जगह पर है और अभी वह कम नहीं होगी 2000 ई. तक। जरूरत है उसको कन्ट्रोल करने की। कोल का कन्ट्रोल अगर ठीक से हो और कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपर हो, तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है और सबसे जरूरी जो चीज है वह है लेबर का वेलफेयर। जब तक उनको वेलफेयर ठीक नहीं होगा, तब तक हम इस मामले

में तरक्की नहीं कर सकते। आज 20 वीं शताब्दी में अभावग्रस्त, अशिक्षा और कूपोषण में वे जी रहे है। एक दिन आएगा जब उनके अन्दर ज्वालामुखी धधकेगा और पूरे समाज में रहेगा। आखिर वे हमारे बच्चे हैं और इसी समाज के अंग हैं और इस राष्ट्र को बनाने में उनका भी हाथ है। इसलिए उनको भागीदार बनाकर और उनका वर्चस्व स्थापित करके जल्दी से जल्दी उनके कल्याण के काम किये जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का सीमित प्रयोजन समझता हूं। फिर भी इसका प्रयोजन कल्याणकारी उपायों को बेहतर बनाना है। कल्याणकारी उपायों को सफल बनाने के लिये मजदूरों की प्रबन्ध व्यवस्था में सहभागिता होनी चाहिए। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सभी वर्गों के चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के सभी मजदूर संघों द्वारा आयोजित 7 लाख कोयला मजदूरों की हड़ताल की मुख्य मांगों में से एक मांग पर थी और व्यवहारिक रूप से यह हड़ताल शत प्रतिशत सफल रही।

अब उक्त हड़ताल की मुख्य मांगों में से एक मांग मुख्य रूप से इस कल्याणकारी विषय से सम्बन्धित थी। उस हड़ताल के बाद क्या किया जा रहा है ? मजदूरों को सैकड़ों कारण बताओं नोटिस दिये जा रहे हैं कि इस हड़ताल के कारण उनकी मजदूरी में कटौती क्यों न की जाय ? ऐसा किया जा रहा है। क्या मजदूरों द्वारा इस प्रकार की सहभागिता की मांग की जा रही है ? क्या मैं जान सकता हूं कि यदि यही तरीका है तो प्रबन्ध व्यवस्था में मजदूरों का सहयोग किस प्रकार लिया जाता है ? इसी व्यवस्था के कारण वे हड़ताल पर थे। यह ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। यह इस विधेयक से ही सम्बद्ध है।

हमें यह देखना है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इन कल्याणकारी उपायों के बारे में क्या किया गया। आवास के सम्बन्ध में क्या किया गया है ? तीन वर्ष के मजदूरी समझौतों में एक अनुबन्ध था।

क्या यह भी सच नहीं है कि 24 दिसम्बर, 1985 को आयोजित जे.बी. सी. सी. आई. की बैठक में यह उल्लिखित किया गया है कि मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने जिसमें सभी मजदूर संघों के प्रतिनिधि आ जाते हैं, यह स्पष्ट किया है कि अनुबन्ध का 50 प्रतिशत लक्ष्य भी प्राप्त होने वाला नहीं है ? और यह बात सही है। यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

दूसरे दिन हड़ताल के दिन से पहले जब इस्पात और खान मंत्रालय के लिए अनुदान पर चर्चा हुई थी, मैंने दुर्भाग्यवश वही बात हड़ताल का मुद्दा उठाया था। मैं जानता हूँ माननीय मंत्री महोदय वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मजदूर के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यही कारण है कि मैं यह विशेष निवेदन कर रही हैं ? उस दिन भी माननीय मंत्री महोदय ने मुझे बताया कि कितने नलके लगाये जा चुके हैं और पानी की सप्लाई के अन्तर्गत कितना क्षेत्र लिया जा चुका है। जे.बी. सी. सी. आई. की बैठक में मजदूरों के प्रतिनिधियों ने बताया था और यदि यह नहीं भी बताया जाता तो भी हम सब जानते हैं कि इसका केवल पानी से ही मतलब नहीं है। मैं कई कोयला

खानों में यह देखने गई कि वहां नलके हो सकते हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। यही बात इन मजदूरों ने उठाई थी।

चिकित्सा सुविधाओं के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि अन्य बात कही जा चुकी है मैं उनकी पुनरावृति नहीं करूंगी—वहां चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं होते, वहां डाक्टरों की पर्याप्त संख्या नहीं होती और वहां अस्पताल गाड़ियों की पर्याप्त संख्या नहीं होती। मजदूर जिन क्षेत्रों से आते हैं वे वहां की विशेष बीमारियों से ग्रस्त है। इस विशेष बीमारी से निपटने के लिये न्यूनोकोनसिस बोर्ड की स्थापना की गई और यह बोर्ड भी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है। क्या हड़ताल पर जाकर मजदूरों ने गलती की।

शिक्षा के विषय पर भी यह अनुबन्ध है कि इस मजदूरी सम्बन्धी समझौते के इन वर्षों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की संचित राशि व्यय की जायेगी। यह व्यय नहीं की गई। यह सही है कि कुल मिलाकर यह किया गया कि प्रति शीर्ष 300 रुपये व्यय किये जायेंगे। लेकिन केवल 100 रुपये व्यय किये गये क्या मजदूरों ने इसका विरोध कर बिल्कुल गलत किया ? इसलिए यह अच्छा है कि अब आप सारी जिम्मेवारी को ले रहे हो। अब जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन यह उक्त अधिनियम को निरस्त करने का सवाल नहीं है। और इसके द्वारा स्थिति को सही ढंग से समझ पायेंगे।

इसलिए मुझे इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा मंत्री महोदय से एक विशेष आग्रह है कि वे, मजदूरों के शत प्रतिशत हड़ताल में भाग लेने के कारण उन्हें जो सैकड़ों कारण बताओं नोटिश दिये जा रहे हैं; उन पर ध्यान न दे। यह मजदूरों की सहभागिता को निकट नहीं ला पायेगी और इसके लिए सरकार पर ही दोषारोपण किया जाना चाहिये जिसने निर्दिष्ट विभिन्न कल्याणकारी उपायों के लिए किये गए अपने वायदों को पूरा नहीं किया।

इसलिए, कृपया स्थिति में सुधार करें और ऐसा उपाय करें कि अपने शर्तों के अनुकूल अपने पुराने वायदों को कार्यान्वित करने के प्रयास में मजदूरों को उनपीड़ित न किया जाय।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे। मुझे भाषण के लिए दिए गए समय के लिए धन्यवाद।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिकर (रावर्टसगंज): उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से जब माननीय मंत्रीजी बिल पस्तुत कर रहे थे तब हमारे दल की तरफ से आदरणीय पांडेयजी यहां बोल रहे थे, मैं उस समय नहीं था, शायद वह अब चले गए हैं। वह राष्ट्रीय मजदूर संघ का कार्य देखते हैं। मान्यवर, जो बिल आता है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि जो परिस्थितियां 1947 में थी वह अब नहीं हैं। इसमें भी कोई शक नहीं हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद उत्तरोत्तर श्रम कल्याण के कार्यक्रमों में वृद्धि होती गई हैं। इसके लिए कोल इण्डिया, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज 2-3 मुद्दे हैं जो हमको काफी आन्दोलित कर रहे हैं। एक तो वह जो आपने हमसे समझौता किया और इस मुद्दे में सभी लोग शामिल थे। हमारी आदरणीय

मुखर्जी अभी कह रही थी आज आवश्यकता इस बात की है कि आपको उनके प्रतिनिधियों से बैठकर बात करनी होगी। जो समझौता किया है उसका हल क्या है और उस समझौते के परिणामस्वरूप यदि विरोध में एक आन्दोलन या एक क्षति दिखाने के लिए उन्होंने हड़ताल की है तो आपको उनके बदले की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। अगर वह संवैधानिक नहीं है तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वरना आप कोई इस तरह की बात कर दें, यह अच्छी बात नहीं है।

देश में 100 से भी ज्यादा जो केन्द्रीय उपक्रम हैं- उनमें दो नीति नहीं अपनाई जा सकतीं यदि एन.टी.पी.सी. के पास कालेज हैं, सेकण्डरी स्कूल हैं, वेलफेयर के मैसेज हैं, उनके हर वर्कर के पास क्वार्टर हैं, लोगों के अच्छे ग्रेड हैं तो उसकी तुलना में कोल इण्डिया के कर्मचारियों के पास कुछ नहीं है, यह बात दुखती है। जब तक हमारे वर्कर्स को यह सुविधायें नहीं देंगे जो और भी अण्डरटेकिंग दे रहे हैं तब तक हम मजदूरों को संतुष्ट नहीं कर सकते।

इसलिये मैं मांग करता हूं कि हमारे यहां खासकर सिंगरौली में जो कोल माइंस हैं, वहां हाई स्कूल भी नहीं हैं वहां के बच्चे दूर दराज पढ़ने के लिए जाते हैं और भी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जो एन.टी.पी.सी. के नार्म्स हैं, जो आपके कंट्रोल में मिनिस्ट्रीज हैं उनके नार्म्स हैं आप कोल इण्डिया में भी वही अपनायें, आप उनको क्वार्टर दीजिए, पेयजल की व्यवस्था करें, उनको जलाने के लिए कोयला दें, उनके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सेंटर अस्पताल खोलें। आपने कहा कि 800 करोड़ दिया है सातवीं पंचवर्षीय योजना में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो एन.टी.पी.सी. ने नार्म्स अपनाए हैं वह हमें दें। हमारे पांडे जी जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, वह बोल चुके होंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्होंने सारी बातों को कह दिया होगा। आप बुनियादी कार्यक्रम हाथ में लें। कोल माइंस जहां जंगल एरिया में हैं, सब जगह नियम था कि जिसकी जमीन आप लेते हैं उसके परिवार में से एक आदमी को नौकरी दी जायेगी। मुझे दुःख है कि कोल इण्डिया उस आदेश को जो 3 फरवरी को ब्यौरा निकाला है जो लोकल···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक पर नहीं बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिकर : बुनियादी प्रश्न है। जो लोकल आदमी हैं उनको काम नहीं दिया जायेगा यह आदेश है, इसके सारे मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके चेहरों पर खुशी छा गई··· लेकिन यदि आप कोयले का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 50 परसेंट से ज्यादा लोकल एम्पलाई वाले सिद्धांत पर फिर से विचार करना पड़ेगा। मैं नहीं समझ सका कि कैसे आपकी सी.आई.एल. ने उस निर्णय को सर्कुलेट कर दिया आपके इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो निर्णय लिया, यह कतई नहीं हो सकता। जहां तक सिंगरौली कोल इण्डिया की बात है, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उसे कम्पनी बना दिया लेकिन हम से और वहां के मैनेजमेंट से लोकल लोगों के लिए जो समझौते हुए हैं जिनमें यह प्रावधान है कि यदि काम अवेलेबल है तो आप हर परिवार के,

लोकल लोगों को काम देंगे, आपने यह भी कहा है कि उनको रिहैबिलिटेट करेंगे, आपने यह भी कहा है कि उनको दूसरी तमाम फैसिलिटीज देंगे लेकिन उन समझौतों के बावजूद आपके यहां से सर्कुलर चला गया कि लोकल आदमियों को काम नहीं देंगे, यह बात समझ में नहीं आती। इस की वजह से हिन्दुस्तान भर के कोल-फील्डस में असंतोष की भावना फैल गई है। इसलिए मेरी आपसे सबसे पहली और जबर्दस्त मांग है कि उनके साथ अच्छा सम्बन्ध बनाये रखने के लिये आप उस पर पुनर्विचार कीजिए। आज आप यहां से डिक्लेयर करें कि वह निर्णय लागू नहीं होगा और पुराने समझौते के आधार पर काम किया जायेगा।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आपने दो कम्पनियां बनाई, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, आपने जहां दो मध्य प्रदेश के नाम से खोलीं, जिनमें एक नार्दर्न कोलफील्ड के नाम से बनायें, एक मध्य प्रदेश में जानी चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी बनता है। पहले 5-6 कोल माइन्स हैं वहां पर। उसके लिए आपको इन्फास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जहां आप कोल कम्पनी दें, नही तो फिर वही आवाज आने लगेगी कि बच्चों के लिए एजूकेशन नहीं, वह नहीं। इसलिए आप ध्यान देकर एक बिलासपुर में खोल दें और दूसरी यू. पी. के किसी जगह खोलें और उसके साथ ही उसमें किसी चेयरमैन की नियुक्ति भी कर दें, यह मेरी बहुत जायज मांग है। जब तक आप ये सारी सुविधायें नहीं देंगे तो कोई व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी। कितना आश्चर्यजनक लगता है जब हमारे पांडे जी वहां जाते हैं तो उनका घेराव हो जाता है। लोग कहते हैं कि एन.टी.पी.सी. के हर आदमी को आपने क्वार्टर दिया हुआ है, लेकिन कोल फील्ड के आदमिओं की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता जो कि की-सेक्टर है और यदि हम एन.टी.पी.सी. को कोयला न दें तो एन.टी.पी.सी. चल ही नहीं सकती। इसलिये मैं आपके नोटिस में तीन-चार सुझाव लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सातवीं पंच वर्षीय योजना में कोई एक टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाइये ताकि हर वर्कर के पास रहने के लिये क्वार्टर हो, पीने के लिये स्वच्छ जल हो, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिये अस्पताल की व्यवस्था हो, उसके बच्चों के लिये एजूकेशन की सुविधायें उपलब्ध हों और कम से कम हर एरिया में कोल इण्डिया का या आपके विभाग का एक डिग्री कालेज होना चाहिये। हर प्रोजेक्ट में लड़के और लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल, सेन्ट्रल स्कूल होने चाहिए क्योंकि जब किसी अगल-बगल के क्षेत्र में, एन. टी.पी.सी. के स्कूल खुलते जाते हैं तो उनके मन में एक टीस होती है। यदि आप इन बातों में हमको एश्योर कर देंगे तो आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम पांडे जी के दिशा-निर्देशन में काम करते हैं, कि कोयले की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और कोयला के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हर पावर हाउस में 20 से 25 दिन तक का कोयला है और उसका अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसलिये आप कल्याण कार्यों की तरफ भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. षण्मुगम (वेल्लोर) : महोदय अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक की ओर से मैं कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) विधेयक, 1986 के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

मैं कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के निरसन के पक्ष में नहीं हूं।

वह इसलिये कि सरकारी क्षेत्र की योजना कम्पनियों ने कोयला खानों में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण के बारे में ध्यान रखने की जिम्मेदारी संभाल ली है, यह प्रस्ताव किया जा रहा है उपकर जो कि उक्त अधिनियम के तहत अब वसूल किया जा रहा है समाप्त किया जाएगा। कोयला खान श्रम आवास तथा सामान्य कल्याण निधि का निरसिन किया जा रहा है। आवास बोर्ड का परिसमापन किया जा रहा है।

जब कोल इन्डिया का संचित घाटा 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुँच चुका है तो कोल इण्डिया से कोयला खान कामगारों के कल्याण की आशा कैसे की जा सकती है ?

नेवेली लिग्नाइट निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष अब कोल इण्डिया के अध्यक्ष बने हैं। अपना पद ग्रहण करते के बाद उन्होंने ऐसे कई परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है जिन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों में कार्य किया है। इन सबको परामर्श-शुल्क के रूप में भारी धनराशि अदा की जा रही है। मुझे उनकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यदि कोल इण्डिया का सफलतापूर्वक संचालन करना है तो कोल इण्डिया के उन अधिकारियों को जो अकुशल पाए गए हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पदच्युत किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोयला खानों के हित की दृष्टि से केवल परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके कोल इन्डिया को एक लाभकार यूनिट नहीं बनाया जा सकता।

कोयला खानों का 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। विगत 13 वर्षों के दौरान कोयला खान कामगारों की सेवा शर्तों में सुधार नहीं हुआ है। यह सर्वमान्य बात है कि कोयला खानों में आधार भूत सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया जा रहा है। कोयला खान कामगार, कोयला खानों के निकट झोंपड़ियों में पुरानी स्थिति में रह रहे हैं।

लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के बारे में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी।

महोदय, उपकर समाप्त किया जाए यही काफी नहीं है। यदि उपकर की शाही के बराबर कोयले की कीमत नहीं घटाई जाती है तो उपकर और कल्याण निधि को समाप्त करने का क्या फायदा है ?

यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जब तक कोयला खान कामगारों के प्रतिनिधि, कोल इण्डिया के प्रबंध मंडल में शामिल नहीं किए जाते तब तक कोयला खान कामगारों की हालत सुधरने वाली नहीं है। माननीय मंत्री को यूनियनों के बीच समझौता कराने के प्रयास करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबन्ध मंडल में कामगारों के प्रतिनिधि नामांकित किए जाऐं।

मैं यह सुझाव देता हूं कि कोल इण्डिया द्वारा कोयला खान कामगारों को मामूली ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। जीवन बीमा निगम और आवास तथा नगर विकास निगम को कोयला खान कामगारों की आवास सम्बन्धि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और मकान बनाने के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करना चाहिए।

सरकार द्वारा तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट खान की तीसरी खान को मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए। भारत सरकार को पुरानी कोयला खनन मशीनों को धीरे-धीरे बदलने की एक नीति निर्धारित करनी चाहिए। कामगार उत्तम कार्य कर रहे हैं; परन्तु उनके इन प्रयासों में मशीनें उनका साथ नहीं दे रही हैं।

इसी तरह, कोयला-धवनशालाओं को भी आधुनिक बनाया जाना चहिए। देश के कोयले में मौजूद राख की अधिक मात्रा को घटाने के लिए कोयले को धोने की आधुनिक तकनीक अपनाई जानी चाहिए। इस बात को स्वीकार किया जा चुका है कि कुछ कोयला खानों में लगातार आग लगाने से 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार को कोयले को इस तरह से जलने से बचाना चाहिए। महोदय, कोयले को काला सोना कहा जाता है। इसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

इस तथ्य के बावजूद कि कोयला खान कामगार उत्तम कार्य करते हैं, मुहानों पर जमा कोयले के भारी भंडार की निकासी निर्धारित समय सीमा में नहीं की जाती है। इसकी निकासी की जानी चाहिए।

मैं अन्त में यही कहूंगा कि कोयला खान क्षेत्रों में गुंडागर्दी पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जाना चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्वों से सात लाख कोयला खान कामगारों की रक्षा की जानी चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने एक काबिल और योग्य मंत्री में विश्वास रखता हूं, किन्तु ये जो बिल लाए हैं और यहां कह रहे हैं कि इसको रिपील कर दो, मैं समझ नहीं पाया हूँ कि इस बिल को ये रिपील क्यों करना चाहते हैं ? इन्होंने रीजन्स दिए हैं कि हमने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। मान्यवर, राष्ट्रीयकरण तो 1973 में हुआ था और अब 1986 में आप उस बिल को क्यों रिपील करना चाहते हैं, यह बात भी मैं समझ नहीं सका हूँ।

श्रीमन्, यह तो एक एडवाइजरी कमेटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपाइन्ट की हुई है जो यह काम देखती थी और सेस लगाकर 12 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था जिससे लोगों को, मजदूरों को और उस क्षेत्र के आस पास के लोगों को लाभ मिलता था। आपने यह कैसे सोच लिया कि वह काम ठीक नहीं चल रहा है और घाटा हो रहा है। आपने सात बार तो कीमत बढ़ा दी है। आप कैसे यह आशा करते हैं कि आपके रिपील करने से काम ठीक हो जाएगा और कैसे आपने यह जिम्मेदारी ओढ़ ली कि मजदूरों का हित ज्यादा अच्छा होगा ? क्योंकि आपने कहीं भी यह नहीं बताया है कि आप मजदूरों के मकानों के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे वे अच्छे हो जाएंगे या आप की कम्पनी इतना परसेंटेज पैसा देगी या उनके कल्याण के लिए आपने इतनी निधि आबंटित कर दी है या आपने उसके लिए कोई सब्सीट्यूट व्यवस्था कर दी है या रास्ता खोल दिया है? साठे साहब सवाल यह है कि मजदूरों को जो अधिकार मिल जाते हैं, जो लाभ मिल जाते हैं, उनसे वंचित करने से पहले हमें सोचना होगा

कि जो लाभ उनको दिये गये हैं, वह रहने चाहियें। वह कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यह आपने कोई योजना नहीं बताई। मैं चाहता था कि इस बिल को लाने से पहले आप मजदूरों, पार्टियों और मजदूरों में काम करने वाले लोगों का विश्वास प्राप्त करते और उसके बाद अगर यह काम होता तो लाभान्वित होता।

हाउसिंग का सारा काम ठप्प हो जायेगा, क्योंकि सरकारी अफसर उतनी रूचि, लग्न व भावना से काम नहीं करते। जो हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, एडवाइजरी कमेटी बनी हुई हैं, जिनमें मेम्बर्स काम करते हैं, उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उनमें संशोधन और एक्ट में सुधार करना था लेकिन इस एक्ट में आपने यह नहीं बताया कि आपकी आमदनी कहां से होगी। आपने कहा कि इस बिल को रिपील किया जाता है।

मेरा कहना है कि जिस दिन यह बिल पास हो जाये, राष्ट्रपति जी मंजूरी भी देदें तो भी रिपील करने के पहले आप अखबारों में घोषणा करें ताकि इसका सबस्टीट्यूट मजदूरों के सामने आ जाये और यह भी हो जाए कि काम आप मजदूरों के हित में ही करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाये तो मजदूर क्रांति कर देंगे। अभी भी एक एक करोड़ का रोज घाटा पड़ता है और न जाने इससे कितने करोड़ का घाटा और हो वायेगा और देश को जो कोयला मिल रहा है, उस हालत को आप सुधार नहीं पायेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस पर आप पुनर्विचार करें। रिपील करने के बाद इसको लागू करने के पहले आप विचार कर लें कि इस बिल को किस प्रकार से इसकी फिजा को कायम रखने के लिये लागू करेंगे जिससे मजदूरों के हित बराबर सुरक्षित रहें।

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) विधेयक जो लाया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 1947 में यह बिल बनाया गया था, उस समय करीब-करीब सारी खानें प्राईवेट सैक्टर में थीं और खानों के मालिक मजदूरों पर जुल्म और ज्यादती करते थे और ज्यादा कमाई कर के उसका कुछ भी अंश मजदूरों के लिये खर्च नहीं करते थे। इसलिए यह बिल बनाया गया था।

1973 में इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ जो कि एक सही कदम था और यही सोचा गया था कि राष्ट्रीयकरण के बाद खान के मजदूरों की वैलफेयर एक्टीविटीज तेजी से स्टार्ट होगी सरकार के द्वारा मजदूरों की शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और मकान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी लेकिन दुःख की बात है कि आज 13 साल से बाद भी आज सरकार को इसी नतीजे पर पहुँचना पड़ा कि इस बिल को रिपील कर दिया जाये। साठे साहब ने जैसे कारण बताये कि 12 करोड़ रुपये इस सैस से इकट्ठा होता था, और इससे एक्सैंट्रस के मेन्टेन करने में ही वह खर्च हो जाता था। अगर यही हालत थी तो सरकार को बहुत पहले चेत जाना चाहिए था ताकि आज जो आलोचना का मुद्दा यह बना है वह नहीं बनता।

मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि मजदूरों के वैलफेयर की एक्टीविटीज को तेजी से स्टार्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि मेरे पूर्व के कई वक्ताओं ने मांग की है कि चाहे एन. टी. पी. सी. का मजदूर हो या किसी भी पब्लिक सैक्टर का मजदूर हो, हमें एक टाइम बाउन्ड

प्रोग्राम खान-मजदूरों के लिये बनाना चाहिए जिससे उनको मकान की, बच्चों की शिक्षा की, चिकित्सा की सुविधाएं मिलें न सिर्फ इस बात पर छोड़ दें कि अब राष्ट्रीयकरण हो चुका है और अब कोल इण्डिया और उसकी सबसीडियरीज की फाइनेन्शियल पोजीशन पहले से काफी सुदृढ़ हो गई है, इसलिए ये सारी एक्टीविटीज अपने आप कर देंगे। जिन लोगों को वैलफेयर एक्टीवीटिज का इन्चार्ज बनाया जाता है उनके ऊपर प्रोडेक्शन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिये। अगर आप उनको दनों का इन्चार्ज बना देंगे तो वह प्रोडक्शन को ही प्राथमिकता देंगे। इसका परिणाम यह भी होता है कि वह मजदूरों से ज्यादा घंटे काम करवाते हैं और उनकी वैलफेयर एक्टीवीटिज पर ध्यान नहीं देते हैं।

इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोयला कर्मचारियों की भविष्यनिधि सम्पूर्ण कार्य-कलापों की समीक्षा की जानी चाहिए और खास तौर पर लाभों का सरलीकरण, अंशदाताओं तथा लाभ पाने वालों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। 1984 में कोयला खान भविष्यनिधि में संशोधन करने के पश्चात भी कई दिक्कतों का मजदूरों एवं कर्मचारियों को सामना करना पड़ रहा है। मकान व फ्लैट की खरीद के लिए एडवांस देने में एवं आगे भुगतान न देने पर मकान व फ्लैट की खरीद के सारे कार्य बाकी रह जाते हैं। कभी फंड का अभाव बताया जाता है और कभी कोई अन्य कारण बता दिया जाता है। हजारों मजदूरों एवं कर्मचारियों को भविष्यनिधि संगठन द्वारा पास बुक भी अभी तक जारी नहीं की गई है। दावों को निपटाने की गति बहुत धीमी है। अपूर्ण सूचना बता कर दावे सालों तक निपटाये नहीं जाते।

इसी प्रकार कई खान मालिकों द्वारा खनन के गलत तरीकों को काम में लिया जाता है जिससे मजदूर की जिन्दगी को खतरा बना रहता है। रानीगंज व धनबाद कोल बेल्ट में जनवरी 1986 में ऐसा खतरा करीब 25 कालोनियों में बना हुआ है। सेफ्टी कंडीशन कोल फील्डस में एग्जामिन करने हेतु ज्यांट सेक्रेटरी श्री एस. पी. गोगानी के नेतृत्व में 1979 एक कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तत्काल ऐसे एरियाज को खाली कराना चाहिए। लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। मेरा मंत्री महोमेंय जी से निवेदन है कि वह वैलफेयर एक्टीवीटिज पर ज्यादा ध्यान दें। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार की काफी बदनामी होगी।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे : मैं माननीय सदस्यों का उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। मुझे मालूम है कि उन्होंने वास्तव इस साधारण निरसन विधेयक को एक चर्चा के रूप में परिवर्तित करने का लाभ उठाया है मानो यह मन्त्रालय की मांगों पर कोई चर्चा हो। किन्तु मैं तो हमेशा माननीय सदस्यों के बहुमुल्य सुझावों से लाभ उठाता हूं। उन्होंने कोयला क्षेत्र और कोयला उद्योग के हित में बहुत अच्छा किया है।

संभवत: एक गलत धारणा बना ली गई है अनजाने ही यह आलोचना की गई कि इस

निरसन विधेयक को लाने से पूर्व श्रमिक संघ के नेताओं अथवा श्रमजीवी वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया।

वास्तव में तथ्य यह है कि इस सम्पूर्ण मसले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जुलाई, 1982 में श्री के. के. राय की अध्यक्षता में एक एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर हमने यह कदम उठाया है। हम कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। यदि किसी कल्याणकारी उपाय से किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो हमें उसके विरुद्ध कोई कदम उठाने की इच्छा नहीं थी। यह अत्यल्प राशि थी; जहां हम प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और 12 करोड़ रुपये का संग्रहण कर रहे हैं और वह भी उपकर लगाकर इसका अर्थ है कि आप इसे मूल्य में जोड़ते हैं। एक छोटी समिति जब कार्य करती है तो इसके द्वारा वही कार्य किये जाते हैं जो बड़े पैमाने पर बड़ी कम्पनियों द्वारा किये जाते हैं। ऐसा करना उनका कर्तव्य है। इसलिए मैंने सोचा कि यह एक अनावश्यक बात है। इसे रिपोर्ट हैं प्रस्तुत किया गया है। समिति ने छः सेंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गानाइजेशन अर्थात् इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय खान मजदूर संघ, हिन्द मजदूर सभा हिन्द मजदूर सभा के अन्य दल और आल इण्डियां ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कोयला क्षेत्र में उनके सभा प्रतिनिधि संघों के साथ भी विचार विमर्श किया था। उन्हें अलग-अलग पत्र लिखकर उनसे ज्ञापन मांगे गये थे। समिति ने कोयला क्षेत्रों का दौरा किया था और सभी प्रकार के क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात ही उन्होंने यह रिपोर्ट पेश की और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक लाया गया है।

मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूं कि कल्याण-कार्य के लिए जो भी अपेक्षित है, उसे पूरा किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करना राष्ट्रीयकृत क्षेत्र की जिम्मेवारी है कि आवास पीने के पानी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और कोयला क्षेत्र में होने वाली अन्य बीमारियों के लिए विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की जायें। इन सभी बातों की नितान्त आवश्यकता है। यही कारण है कि मैंने कहा है कि इसके लिए अधिक से अधिक राशि रखी गई है। किन्तु मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि केवल धन की व्यवस्था से ही चाहे वह दस गुना अधिक क्यों न हो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हमने दस गुना अधिक राशि रखी है। कहां छः करोड़ रुपये और कहां 100 करोड़ रुपये ? हम छठी योजना में खर्च किये गये 300 करोड़ रुपये की तुलना में सातवीं योजना में इसे बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये से भी अधिक करने जा रहे हैं। केवल एक योजना में हमने इतनी वृद्धि की है। किन्तु मुझे पता है कि इस धन-राशि से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, यदि इससे हमारे सोचे गये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु, महोदय जैसाकि पिछले दिन मांगों पर चर्चा करते समय मैंने कहा था कि हमें सरकारी क्षेत्र का सम्पूर्ण और हर प्रकार से अवलोकन करना चाहिए। समय आ गया है कि हमें दायित्वों की पूरी समीक्षा करनी चाहिये, चाहे हमारा संबंध किसी भी पक्ष से हो। समय की यह भी मांग है कि सरकारी क्षेत्र में हम जो उपलब्धि चाहते हैं, उसके लिए एक दृष्टिकोण अपनाएं। हम जनता के धन का उपयोग करते हैं। क्या हमारा भारत की जनता, भारत के लोगों के प्रति कोई दायित्व नहीं है ? वह दायित्व क्या है ?

जैसाकि मैंने पिछले दिन कहा था, राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र में 770 लाख टन कोयले का उत्पादन करने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किये जाते थे। राष्ट्रीयकरण के समय से अकेले कोयला क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपये से भी अधिक का निवेश किया गया है। और इससे अतिरिक्त उत्पादन कितना हुआ है? 700 लाख टन अधिक। कृपया इस पर विचार करें राष्ट्र का धन, लोगों का धन, गरीब जनता का धन हमने एक क्षेत्र में लगा दिया है और अतिरिक्त उत्पादन दुगुना भी नहीं हो पाया है जबकि निवेश सौगुना हुआ है। हम कहां जा रहे हैं? हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि कामगारों को मकान और अन्य सभी सुविधाएं दी जानीं चाहियें। किन्तु यदि आप यह कहते हैं कि कोई कामगार उत्पादन अनुपात नहीं होना चाहिये जो ओ. एम· एस. के नाम से जाना जाता है—विश्व में हमारी स्थिति सबसे कम है, ओ. एम. एस. के रूप में एक प्रतिशत से भी कम—तो हमें कोयला क्षेत्र को भारी हानि में चलाना पड़ेगा। केवल दस वर्षों की अनवरत हानि 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। जैसाकि डागाजी कह रहे थे, हमें कीमतें सात गुना बढ़ानी चाहिये अर्थात् इसे वर्तमान 27/-रुपये प्रतिटन की तुलना में 210 रुपये प्रतिटन कर दिया जाना चाहिये क्योंकि ऊर्जा में निवेश करने से हर चीज महंगी हो जाती है। यहां तक कि कामगार भी इसे उचित कीमतों पर प्राप्त नहीं कर सकते। कृपया इस पर भी विचार करें। जैसाकि मैंने पिछले दिन कहा, हमारा उत्पादन 154 लाख टन तक पहुँच गया है। जैसाकि मैंने दूसरे दिन कहा था कि हमने 154 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है जब कि चीन ने 800 मिलियन टन का यद्यपि हमने भी उसी स्तर से शुरूआत की थी। जब भी मैं ऐसा कहता हूं, आप कहते हैं कि उसके बारे में बात मत करो. चीन की एक अलग प्रणाली है। उसका तात्पर्य है, हमारे लोकतांत्रिक देश में हमें एक सरकारी क्षेत्र के रूप में जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिए (**व्यवधान**) मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ माननीय सदस्यों को अधिक ज्ञान है और बहुत अनुभव भी है। यदि उन्हें अवसर मिलता तो सम्भवत: वे एक चमत्कार पैदा कर देते मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है कि यह एक प्रश्न है जिस पर शांति पूर्ण और गहराई से विचार किया जाना चाहिए। यह इस सरकार या उस सरकार इस पार्टी या उस पार्टी का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने उल्लेख किया कि उन्होंने एक कानूनी कारण से हड़ताल की थी और मुझे कर्मचारियों की शक्ति का पता है। मैं जानता हूं कि वे संगठित हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। मैंने अनुरोध किया था यह हड़ताल क्या है? किस लिए? "आपको एक दिन की मजूरी नहीं मिली है और एक दिन में 10 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन की हानि हुई है।" हमें इससे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है? इससे किसको लाभ हुआ है? मैं प्रत्येक बात सुनने का इच्छुक था। मैं स्वयं जे. सी. आई की बैठक में गया था। मैं उन्हें सुनने और लोगों से उनकी इच्छानुसार अनेकों बार उनसे मिलने तथा विवाद को सुलझाने का इच्छुक रहा हूं। हमने उनकी सभी ग्यारह मांगें मान ली थी। मैं केवल एक बात को छोड़कर सभी बातों से सहमत हूं जिसके बारे में मेरा संदेह उचित है और वह मांग थी प्रत्येक सेवा-निवृति हुए मजदूर को रोजगार देना। मृतक व्यक्ति के स्थान पर उसके आश्रित को रोजगार देने के बारे में हमने विचार किया है। सेवा-निवृत्ति होने वालों के बारे में भी मैंने कहा था, कि हम उन्हें प्राथमिकता देंगे लेकिन आप इसे अधिकार के रूप में न मानें। यदि आप उस समझौते

के अनुसार ऐसा करते हैं तो आप संविधान के अनुच्छेद 16 को उलंघन करते हैं जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि :—

> कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश जाति; लिंग उद्भव जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आकार पर·····
>
> उद्भव भी एक कारण है
>
> राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जायेगा।

यह एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत का कुछ अर्थ है। अतः मैं अनुरोध कर रहा था कि हम इसको सुलझा सकते थे। व्यवहार में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जब कभी रिक्तियां होंगी हमारे मजदूरों के बच्चों की अधिक से अधिक अवसर दिया जायेगा लेकिन इसे किसी तरह से अधिकार बनाने का प्रयास न करें प्रश्न यह है। इस एक प्रश्न पर ही उन्होंने हड़ताल की है और उस हड़ताल में श्रीमन सभी यूनियनें इस बात पर सहमत थीं कि जो व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में हैं जैसे अग्नि शमन सेवाएं निवारक उपाय सुरक्षा उपाय जिनकी हर समय आवश्यकता होती है उनके कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्होंने भी हड़ताल की हैं। कोयला क्षेत्र में क्या होगा और यदि एक दुर्घटना हो जाती हैं तब कौन जिम्मेदार होगा इसलिए केवल इस किस्म के कर्मचारियों को ही कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं ये नोटिस पूरे सात लाख कर्मचारियों को जारी नहीं किये गये हैं। इसलिए यह कहना बहुत आसान हैं। मैंने यह कहा है कि मैं पहला व्यक्ति हूं। मैंने अपना पूरा जीवन कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ने में ही लगाया है और मैं कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाला पहला व्यक्ति हूं···

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह सच नहीं है कि समझौते के कल्याण खण्डों को पूरा नहीं किया गया था (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री बसंत साठे : मैं उस बात पर आऊंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : करार के कल्याण खण्ड के बारे में आपको क्या कहना है ? यही प्रश्न था जिस पर वाद-विवाद किया जा रहा था···(व्यवधान)···

श्री बसंत साठे : जहां तक समझौते के अन्य भागों का सम्बन्ध हैं, मैंने कहां था उन्हें पूरी तरह से नहीं किया गया था इसलिए हम कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर यह पता लगाने के इच्छुक थे कि इसे कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। आवास के लिए बहुत से स्थानों पर हमें भूमि नहीं मिली। राज्य सरकारों, के साथ तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ समस्यायें रही हैं। अब हम इन सब बातों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करना चाहते हैं। हड़ताल का कारण क्या था ? हम एक दूसरे के विरोधी नहीं है तथा मेरा यह आशय भी नहीं है कि समझौते के प्रत्येक खण्ड का शत प्रतिशत

कार्यान्वित किया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि इसमें कमी है। मैं जानता हूं कि इसमें खामियां हैं, परन्तु यदि इसके लिए हम बल परीक्षा और हड़ताल करते हैं, तो औद्योगिक शांति और सम्बन्धों का क्या होगा ? इसलिए मेरा यह सबसे अनुरोध है कि यदि आप यह चाहते हैं कि कोयला क्षेत्र को लाभ हो, यह आगे बढ़े, तो सभा ऐसा कहे। हम पूंजी निवेश करते हैं। और एक ओर तो आप कहते हैं कि खुले मुहाने की खानों का यात्रीकरण कीजिए, नवीनतम उपकरण, मशीनरी लाइये, हजारों करोड़ रुपये खर्च कीजिए और दूसरी ओर आप कहते हैं कि इस उपकरण से 8 घटे के स्थान पर 1 घंटा काम लेना चाहिए और क्षमता का 10 से 20 प्रतिशत उपयोग किया जाये, क्योंकि इसके साथ ही साथ हमें और मजदूर रखने चाहिए, विस्थापित परिवारों के एक व्यक्ति को रोजगार मिले, सेवा निवृत्त व्यक्ति के परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिले, मृतक व्यक्ति के परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिले। कहने का अर्थ यह है कि हर समय 7½ लाख व्यक्ति होने चाहिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जाये और अधिक से अधिक मशीनें लगाई जायें। ऐसे में आप यह सब कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? क्या आप मुझे वह चमत्कार बता सकते हैं ? जैसाकि मैंने आपसे दूसरे दिन कहा था एक पारी में हुआ उत्पादन वास्तविक परीक्षा है। चीन में प्रति पारी उत्पादन भारत की तुलना में तीन गुना है। उन्हें जो मजूरी दी जाती है वह भारत में दी जा रही मजूरी की तुलना में चार गुना कम है। एक व्यक्ति को 24 रुपये तीन गुना उत्पादन करने के लिए दिया जाता है। हमारे मजदूर को 90 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति पारी के हिसाब से एक टन से भी कम उत्पादन के लिए दिया जाता है। हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं ? मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूँ कि एक राष्ट्र के रूप में हमें उत्पादकता, जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी जिसके धन का हम उपयोग कर रहे हैं, सोचना चाहिए। सभी साधनों से अच्छा उत्पादन करो और अच्छा लाभ कमाओ और उसमें से कल्याण कार्यों के लिए भी उपयोग करो। हम यही चाहते हैं।

6.00 अ.प.

इसके सब के बावजूद, जहां तक कल्याण संबंधी क्रियाकलापों का सम्बन्ध है, हम उनकी ओर यथासंभव अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं और मैं इसके बारे में माननीय सदस्यों को भी आश्वासन दे सकता हूं। श्री दामोदर जी ने एक बहुत ही उपयुक्त प्रश्न उठाया है। अब तक यह सलाहकार परिषद थी। उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि थे। उनसे सलाह ली जाती थी। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे पास जो योजना है उसकी सम्पूर्ण बात बताने के पश्चात् उसे कम्पनियों द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा—हम इसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करेंगे जिससे हम कल्याण संबन्धी क्रियाकलापों के प्रबन्ध में उनके सहयोग का लाभ उठा सकें।

(व्यवधान)

हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह जो वेल्फेअर फण्ड का स्टाफ है, इसको अकोमोडेट करने के बारे में बताइये।

श्री वसंत साठे : मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बोलते हुए मेरा लिंक मत तोड़िये। मैं एक बार बोल लूं फिर आप मुझ से पूछ लेना।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने समझा कि आप बोल चुके हैं।

श्री बसंत साठे : कहां ? मुझे खत्म कर लेने दो।

एक माननीय सदस्य : इन्हें हिन्दी में बताइये।

श्री बसंत साठे : अच्छा ! जितना स्टाफ यहां काम कर रहा था, वह सारा का सारा कम्पनी में ले लिया जायेगा। उनको आप्शन दिया जायेगा। कुछ लोग सरकारी नौकरी में हों, कुछ लोग सी.जी.एस. में जाना चाहते हों तो यह तय करने का आप्शन देंगे। किसी की भी नौकरी में कोई धोखा नहीं होने देंगे। जितने सब काम चालू थे वे चालू रहेंगे।

[अनुवाद]

जैसाकि मैं कह रहा था आप बुनियादी बातों को न छोड़ें। उसे न छोड़ें। अन्यथा आप सभी कुछ खोदेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह हमेशा समय खो देते हैं यही एक समस्या है।

श्री बसंत साठे : परेशानी की बात यही है। श्रीमन्, मजदूरों के शामिल किये जाने के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने बोला है। और श्री बसुदेव आचार्य, और गीता जी ने पूछा था, कि आप गुप्त मतदान द्वारा इस चुनाव कराने की मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जो प्रश्न उठता है वह यह है कि हमने आखिर विचार विमर्श किया है। वे कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस संघ गुप्त मतदान का विरोध कर रही है। अब भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सहमत हो गई है और वे कह रहे हैं, हम गुप्त मतदान स्वीकार करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति में मजदूर का प्रतिनिधित्व मजदूरों द्वारा होना चाहिए। यदि इसके लिए चुनाव किया जाता है तो, उन्हें अपने प्रतिनिधि मजदूरों में से चुनने चाहिए। लेकिन सी.आई.टी.यू. संघ कहता है, नहीं, नहीं। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि श्रमिक प्रतिनिधियों का चुनाव श्रमिकों में से ही हो। नहीं। वे कहते हैं कि श्रमिक मतदान करेंगे और बाहरी लोगों को चुनेंगे। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? सारी कठिनाई तो यह है। मैंने इसे बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। आप कृपया सी.आई.टी.यू. के प्रतिनिधियों को समझाने की कोशिश करें। श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में हिस्सा लेने के मामले पर आसानी से समझौता किया जा सकता है। उन्होंने इस पर बातचीत की है। वे एक दूसरे के निकट आये हैं। यह सुझाव दिया गया था कि यदि आप चाहते हैं कि मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो केवल उन संघ वाले लोगों, जो संघवाद में विश्वास रखते हैं, को किसी भी संघ के लिए मतदान करने दो जिसे वे चाहते हैं और संबंधित संघों को अपनी सूची देने दो। उस सम्पूर्ण सूची से निर्वाचन-मण्डल बनेगा और वे अपनी इच्छा से संघ का चुनाव करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं है। मैं भी उसे स्वीकार करने का इच्छुक हूँ यदि आप चाहते हैं कि सभी श्रमिक मतदान करें और अपने प्रतिनिधि चुने तो उन्हें श्रमिकों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनने दीजिए। हम किसी भी फार्मूले को स्वीकार करने के इच्छुक हैं और अब यह निर्णय उन्हें ही करना है। मैं प्रत्येक को विश्वास में लेना चाहता हूं। श्रमिक योगदान ऐसी चीज नहीं है जिसे लागू किया जा सकें। अतः यदि सी.आई.टी.यू. के प्रतिनिधि इनमें से कोई फार्मूला स्वीकार करने हेतु सहमत होंगे तो मैं सम-

झता हूं हम कोई हल निकाल सकते हैं और एक बार अगर हम इसका हल निकाल लेते हैं, यदि एक बार हम प्रबन्ध में कर्मचारियों के उचित प्रतिनिधि प्राप्त कर लेते हैं तो कोयला क्षेत्र में इस समय जो अनेक समस्यायें हैं, मैं समझता हूँ, उन्हें दूर किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं तथा मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि :

"कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का निरसन करने के लिए और उससे आनुषंगिक कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री वसंत साठे : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

वह एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। कोई भाषण मत दीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, वस्तुतः मैं आपके प्रति आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। वास्तव में मैं सभा में उपस्थित नहीं था, इसलिए मैं उस समय सभा की कार्यवाही से अवगत नहीं था जब इस विधेयक पर यहां चर्चा हो रही थी। मैं कोयला उद्योग के कार्यकरण आदि से संबंधित किन्हीं मामले के संबन्ध में किसी बैठक में गया हुआ था। बैठक चल रही थी इसलिए मैं उसमें व्यस्त था।

जो भी हो, मंत्री महोदय ने वे परिस्थितियां स्पष्ट कर दी हैं जिनके कारण वे इस विधेयक को सभा में लाये हैं। जब इस प्रकार के अधिनियम का निरसन किया जा रहा है तो यह सीमित तरीके से होना चाहिए क्योंकि संगठन कल्याण कार्य कर रहा था। अब मंत्री महोदय की जिम्मेदारी कुछ हद तक बढ़ गई है। कोल इण्डिया और अन्य राष्ट्रीयकृत कोयला संगठनों की जिम्मेदारी भी सीमित दायरे तक बढ़ गई है। यह संगठन चौदह दशमलव कुछ करोड़ का कार्य कर रहा था। उसमें श्रमिकों की भागीदारी थी।

मुझे खुशी है और मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि नये ढांचे में श्रमिक प्रतिनिधि लिये जायेंगे और उनकी राय पर उचित ध्यान दिया जाएगा। यह सही समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिक समय नहीं छोड़ा जाना चाहिए और श्रमिकों प्रतिनिधियों को इन निकायों में यथाशीघ्र सम्बद्ध किया जाना चाहिए ताकि काम प्रभावकारी ढंग से चले।

मैं इस बात को स्पष्ट रूप से माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं और उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह उन्होंने यह घोषणा करने की कृपा की थी कि इस शताब्दी के अन्त तक कोयला क्षेत्र में आवास तथा पेयजल की समस्या को पूरी तरह हल कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कोयला श्रमिक को रहने के लिए मकान दिया जायेगा और पेयजल की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।

इस घोषणा का स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि कल इस सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था। माननीय मन्त्री श्री अब्दुल गफूर ने पेयजल के संबन्ध में बोलते हुए कहा कि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य 1990-91 तक देश की सम्पूर्ण जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करना है। निःसंदेह वास्तविक रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा कार्य-निष्पादन 85 प्रतिशत रहेगा। जब ग्रामीण क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में यह कार्य-निष्पादन रहेगा तो कोयला क्षेत्र, कोयला श्रमिकों के संगठित क्षेत्र में यह शत प्रतिशत क्यों नहीं होगा ? पेयजल की सुविधा इस शताब्दी के अन्त तक नहीं बल्कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे अधिक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने जिस आधार की बात कही और के. के. राय कमेटी ने जिस आधार को रिकमैंड किया है कि इसको खत्म कर दिया जाए और नये सिरे से सब काम हो तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या के. के. राय कमेटी में वर्कर्स का कोई भी रिप्रेजैन्टेटिव नहीं था। अगर नहीं था तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। इसी तरह से, हम जिस चीज की कल्पना भविष्य में करते हैं कि हमारा एक वैल्फेयर बोर्ड बनेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर डैमोक्रेटिक सैट-अप में वहां कोई एक साहब आकर बैठ जाएंगे और फिर पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी उसी भावना की कद्र होगी और उनकी

भावनाओं पर ही हमें भी चलना पड़ेगा। क्यों कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और हमें भविष्य की चिन्ता भी करनी पड़ती है इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका भविष्य के लिए क्या आधार होगा।

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने सुझाव यहां पेश किए। सबसे पहले तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वह कमेटी बन-मैन-कमेटी थी इसलिए उसमें दूसरों के रिप्रजैन्टेटिव लेने का सवाल ही नहीं उठता दूसरी बात यह है कि मेरा हमेशा सभी माननीय सदस्यों से यही दिवेदन रहा है कि आप स्वयं एक बार तय कर लें, लेकिन मैं आपको भागने नहीं देना चाहता। जब मैं वर्कर्स के पाटिसिपेशन की बात करता हूं तो उसके साथ-साथ देश के तमाम मजदूरों को और मजदूरों के नुमाइन्दों को अपनी जिम्मेदारी से भागने नहीं देना चाहता। आप सब की देश के प्रति जो जिम्मेदारी है आप उस को वहन कीजिए, लीजिये यह सारा कोल सैक्टर है देश की जनता ने आपको अनाप-शनाप पैसा भी दिया, जितना आपने मांगा अब आप इसको चलाइये और उत्पादन ठीक कीजिए, इसको इकानोमिकली वायवल बनाइये और आगे बढ़ाइये। उसके बाद जो मुनाफा होगा उससे मजदूरों का जितना वैल्फेयर आप करना चाहें, कीजिए। यही वह भूमिका है जो हम चाहते हैं। जिस दिन इस भूमिका को सारा देश मान लेगा, उसी दिन से सार्वजनिक क्षेत्र का नक्शा ही बदल जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.15 म. प.

'एड्स' को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हमने एक सदस्य के प्रश्न के उत्तर में सभा को पहले ही सूचित कर दिया था कि हमारे देश में एड्स रोग का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा एड्स रोग और एड्स के विषाणुओं के संक्रमण के संबंध में आरम्भ किये गया राष्ट्रव्यापी अध्ययन से पता चला है कि यह सही है कि भारत में एड्स रोग के प्रमाणित मामले अब तक नहीं पाये गये हैं किन्तु तमिलनाडु में 6 परिवारों में एड्स विषाणु के संक्रमण होने के बारे में प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन परिवारों के बारे में यह पता चला है कि वे स्वछन्द विलिगकामी प्रवृति के आदी थे। इस स्थिति पर अब पूर्ण निगरानी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में सात स्थानों—पुणे, वेल्लोर, नई दिल्ली, दिल्ली-श्रीनगर, मद्रास और

कलकत्ता में एड्स निगरानी केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए हैं। देश के सभी भागों में पर्याप्त रूप से इस रोग पर निगरानी रखने के लिए निगरानी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है, और प्रत्येक राज्य में एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक पृथक सेल स्थापित किया जा रहा है जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जोकि पहले से ही कार्यशील है के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने का काम करेगा। एड्स संक्रमण के स्वरूप यह कैसे संक्रामक करता है और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए, के बारे में एक व्यापक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। देश में चिकित्सा व्यवसाय दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को राष्ट्रव्यापी शिक्षा अभियान के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जा रहा है। वैज्ञानिक संस्थाओं का चयन किया गया है और वे एड्स रोग के विषाणुओं की पहचान करने, विश्व के अन्य भागों में विद्यमान एड्स के विषाणुओं का इससे सम्बन्ध संबंधी काम में लगे हुए हैं। निगरानी केन्द्रों को अपेक्षित संख्या में 'टेस्ट किट्स' उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ संक्रमण के पता लगाए गए 6 मामले राज्य सरकार के सहयोग से देखे जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन स्रोतों से संक्रमण न फैले। एड्स विषाणु संदूषण से प्रमाण-पत्र लिए बिना किसी बाहरी देश से रक्त तथा रक्त उत्पाद के आयात पर रोक लगाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इस रोग की जांच-पड़ताल के अत्याधुनिक तरीकों में भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की गई है और अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि विदेशों में किए गए पुष्टिकारक निरीक्षण किए जाए।

मैं यह वक्तव्य एड्स विषाणु संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय प्रयास करने में माननीय सदस्यों और उनके माध्यम से जनता का सहयोग प्राप्त करने हेतु दे रही हूं। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हमारे वैज्ञानिकों को इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है और यह उन्हीं का श्रेय है कि हमारे इतने बड़े देश में वे इस रोग के किसी बाह्य आविर्भाव के बिना संक्रमण की इस स्थिति में इन मामलों को पकड़ने में समर्थ हुए हैं। हमारे सामने जो काम है, हम उसका मुकाबला करने में पूरी तरह से समर्थ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा बुधवार, 30 अप्रैल, 1986 को 11.00 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित होती है।

6.18 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 अप्रैल, 1986/10 वैशाख, 1908 (शक) को ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 29 अप्रैल, 1986/9 वैशाख, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 8, पंक्ति 21, "श्री सुरली देवरा" के स्थान पर "श्री मुरली देवरा" पढ़िये।

पृष्ठ 22, पंक्ति 19, "अल्प सूचना प्रश्न डा0दत्ता सामन्त" के स्थान पर "अल्प सूचना प्रश्न है। डा0दत्ता सामन्त" पढ़िये।

पृष्ठ 25, पंक्ति नीचे से 7, "श्री नरेन्द्र बूडानिया" के स्थान पर "श्री नरेन्द्र बुदानिया" पढ़िये।

पृष्ठ 30, पंक्ति 18, "श्री एम0अलगाचलम" के स्थान पर "श्री एम0अलगाचलम" पढ़िये।

पृष्ठ 32, पंक्ति 20, "श्री एम0अलगाचलम" के स्थान पर "श्री एम0अलगाचलम" पढ़िये।

पृष्ठ 33, नीचे से पंक्ति 6, "श्री एच0आर0 भाराद्वाज" के स्थान पर "श्री एच0आर0 भारद्वाज" पढ़िये।

पृष्ठ 35, नीचे से पंक्ति 9, "श्री एम0अणाचलम" के स्थान पर "श्री एम0 अलगाचलम" पढ़िये।

पृष्ठ 36, नीचेसे पंक्ति 10, "श्रीमयी" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 11, "श्री सम्बु" के स्थान पर "श्री एम0सम्बु" पढ़िये।

पृष्ठ 64, नीचे से पंक्ति 9, "दिधि और न्याय" के स्थान पर "विधि और न्याय" पढ़िये।

पृष्ठ 122, नीचे से पंक्ति 8, "श्री एम0अलगाचम" के स्थान पर "श्री एम0 अलगाचलम" पढ़िये।

पृष्ठ 165, पंक्ति 10, "श्री वक्कम पुरुषोत्तम" के स्थान पर "श्री वक्कप पुरुषोत्तमन" पढ़िये।

पृष्ठ 184, पंक्ति 15, "श्री हरकृष्ण शास्त्री" के स्थान पर "श्री हरिकृष्ण शास्त्री" पढ़िये।

पृष्ठ 200, पंक्ति 20, "पेट्रोलिय" के स्थान पर "पेट्रोलियम" पढ़िये।

पृष्ठ 201, नीचे से पंक्ति 9, "अध क्ष महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 225, नीचे से पंक्ति 2, "उपायध्क्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 229, अंतिम पंक्ति, "उपाध्यल महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 232, नीचे से पंक्ति 5, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 236, पंक्ति 23, "श्री पी० कुलनदईवेल्यू" के स्थान पर "श्री पी० कुलनदईवेलू" पढ़िये।

पृष्ठ 239, नीचे से पंक्ति 9, "श्री वक्कम पुरुषोत्तम" के स्थान पर "श्री वक्कम पुरुषोत्तमन" पढ़िये।

पृष्ठ 261, पंक्ति 17, "श्रीमती जन्यती पटनायक" के स्थान पर "श्रीमती जयन्ती पटनायक" पढ़िये।

पृष्ठ 271, नीचे से पंक्ति 8, "श्री राम प्यारे पनिकर (रावर्टलगंज)" के स्थान पर "श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज)" पढ़िये।

पृष्ठ 273, नीचे से पंक्ति 10, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये और नीचे से पंक्ति 8 में "श्री राम प्यारे पनिकर" के स्थान पर "श्री राम प्यारे पनिका" पढ़िये।

पृष्ठ 276, पंक्ति 19, "सभापति महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।